राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या: 16

शुक्रवार,

28 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री धर्मनारायण जोशी।

उदयपुर जिले की झीलों व तालाबों में अवैध मत्स्याखेट रोकने की कार्ययोजना

237. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या मत्स्य पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला उदयपुर की झीलों व तालाबों में मछली पकड़ने व उनको विक्रय करने का ठेका किन व्यक्तियों, संस्थाओं या प्रतिष्ठानों को कब से दिया हुआ है? उक्त से सरकार को प्रतिवर्ष कितनी आय प्राप्त हो रही है? प्रत्येक झील व तालाबवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में झीलों व तालाबों में अवैध मत्स्याखेट करते हुए कितने लोगों को पकड़ा गया तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? दिनांक, स्थान व पकड़े गये व्यक्तियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा अवैध मत्स्याखेट रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

मत्स्य पालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। मत्स्य विभाग में उदयपुर जिले के कुल 27 जलाशयों में मत्स्य पालन का ठेका दिया हुआ है। ठेकों से वर्ष 2019-20 में 5 करोड 98 लाख 28 हजार 782 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसका जलाशयवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(मत्स्य पालन मंत्री)

(2) जी हां। मत्स्य विभाग में उदयपुर जिले की झीलों व तालाबों में अवैध मत्स्याखेट के 12 केस पकडे गये हैं, जिन पर नियमानुसार कार्यवाही की गई, जिनका विवरण परिशिष्ट-02 पर संलग्न है।

(3) जी हां।

1-मत्स्य विभाग में अवैध मत्स्याखेट की रोकथाम हेतु प्रत्येक जिले के विभागीय अधिकारियों एवं स्टाफ द्वारा समय-समय पर जलाशयों का आकस्मिक निरीक्षण कर अवैध मत्स्याखेट रोकने का कार्य किया जाता है।

2-मत्स्य विभाग में मत्स्य ठेके पर दिये गये जलाशयों में व्यावसायिक मत्स्याखेट का कार्य राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 एवं नियम 1958 (संशोधित) के द्वारा निर्धारित ठेके के नियम एवं शर्तों के अनुसार करवाया जाता है।

3-मत्स्य विभाग में मत्स्य निषेध ऋतु के दौरान (दिनांक 16 जून से 31 अगस्त तक) अवैधानिक मत्स्याखेट की सूचना पर संबंधित पुलिस थानों के माध्यम से भी अवैधानिक मत्स्याखेट की रोकथाम का कार्य किया जाता है। पूरे प्रदेश के पुलिस थानों, रेलवे थानों, बस स्टैण्ड प्रबन्धकों को सूचना जारी करते हैं ताकि मछलियों का अवैध परिवहन व मत्स्याखेट नहीं हो।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से दो-तीन निवेदन हैं मेरे, 52 शक्ति पीठों में से भगवान एकलिंग नाथ, मेवाड़ के चार धाम में से एक हैं, वहां पर राज्य सरकार को रेवेन्यू मात्र 11 हजार रुपये साल के आते हैं। पहला प्रश्न मेरा यह है कि वहां पर लोग अस्थियां विसर्जन करने के लिए भी आते हैं, ऐसे पवित्र स्थान पर यह ठेका केवल 11 हजार का, राज्य सरकार इसको बंद करे।

दूसरा मेरा प्रश्न है उदयपुर में फतेहसागर और पिछोला, 40 साल पहले से सारी गंदगी भी वहीं पड़ती थी, उसके बाद भी पानी साफ रहता था, अभी इतने साधन के बाद भी पानी साफ नहीं रहता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारी नगरपालिका और यूआईटी उदयपुर की, बहुत रिच नगरपालिका, यूआईटी है, ये पैसा उनसे लेकर यहां भी ठेका बंद किया जाए ताकि वह मछलियों से, उदयपुर को शुद्ध पेयजल वहीं से मिलता है, वह पानी साफ रहे। यह दोनों मेरे निवेदन हैं आपसे।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य बता रहे हैं कि बहुत ही पवित्र स्थान है, आस्था का केन्द्र है। यदि वहां पर 11 हजार रुपये ही आते हैं तो मैं सदन में यह घोषणा करता हूं कि उसका ठेका नहीं किया जाएगा। दूसरा, आपने जो बात की है सफाई की, आप मेरे से मिलना, मैं अधिकारियों से आज ही आपकी मीटिंग करवा देता हूं, उसमें जो भी हम कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया, वह करने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। एक मिनट। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ये जो 27 टैंक हैं, जिनमें मछली का ठेका है, वे पंचायतों के टैंक हैं। इन पंचायतों के टैंक में ठेके के द्वारा जो आय प्राप्त होती है, उसका कोई हिस्सा पंचायत को दिया जाता है क्या? दूसरा, क्या उदयपुर की कम से कम जो चारों तरफ बस्ती के बीच में झील है, उसमें जो आपको आय प्राप्त होती है, उस आय को अगर हम नगरपालिका और यूआईटी से आपके विभाग को दे दें और 10 प्रतिशत हर साल बढ़ाकर भी आप ले लें, लेकिन अगर मेरी झीलें साफ रहेंगी तो मैं सोचता हूं कि उससे ज्यादा मुझे रेवेन्यू मिल जाएगी। क्या इसके बारे में विचार कर सकते हैं, फतेहसागर और पिछोला दोनों के बारे में? एक यूआईटी के पास है, एक नगरपालिका के पास है। दोनों एजेंसी अगर तैयार हो जाती हैं और आपके ठेके की भरपाई वे कर देते हैं तो क्या यहां ठेके बंद करेंगे और पंचायतों की रेवेन्यू में से कुछ हिस्सा देते हैं क्या?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 10 हजार से कम वाले ठेके ग्राम पंचायतें करती हैं। उनको यह पावर है, नियम बना हुआ है। मैं इस पर विचार करूंगा विभाग द्वारा बात करके। जो बात आपने सफाई की, की है नगरपालिका और उसकी, निश्चित तौर पर उसकी एक मीटिंग बुलाकर जैसा नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, उस पर विभाग विचार करेगा और कोई कार्यवाही करने की आगे जो पुख्ता व्यवस्था होगी, आपको अवगत करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री संदीप कुमार।

गोपालन विभाग में अधिकारियों व कर्मचारियों के रिक्त पद

238. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में विभाग में कितने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत हैं तथा अधिकारियों व कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संदीप कुमार)

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) निदेशालय गोपालन में वर्तमान में कुल 37 पद अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के माध्यम से भरे जाने हेतु स्वीकृत हैं। कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:-

-कार्यरत अधिकारियों की संख्या - 13

-कार्यरत कर्मचारियों की संख्या - 09

-समेकित पारिश्रमिक पर कार्यरत सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या - 11

निदेशालय गोपालन में रिक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की सूचना निम्नानुसार है:-

-वरिष्ठ निजी सहायक - 1

-निजी सहायक - 1

-वरिष्ठ सहायक - 4

-कनिष्ठ सहायक - 3

-वाहन चालक - 1

-चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी - 5

उपरोक्त समस्त 15 पद निदेशालय में रिक्त हैं। 14 रिक्त पदों को समेकित पारिश्रमिक पर सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरने के लिए स्वीकृति प्रदान कर 11 कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति की गई है।

(2) निदेशालय गोपालन में वर्तमान में कुल 37 पद अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के माध्यम से भरे जाने हेतु स्वीकृत हैं।

रिक्त पदों को समेकित पारिश्रमिक पर सेवानिवृत्त कार्मिकों से भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में जब गो सेवा निदेशालय बना था, उस समय कितने पदों का सृजन किया गया था और उसके बाद कितनी कमी हुई है? इसके अलावा क्या गोपालन विभाग खुद का काडर बनाने का विचार रखता है या नहीं या इसी तरह प्रतिनियुक्ति पर चलता रहेगा?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कुल 37 पदों में से 33 पद भरे हुए हैं। चार पद रिक्त हैं, जिसमें एक पद ड्राइवर का है, एक निजी सहायक, एक वरिष्ठ निजी सहायक, एक यूडीसी की जनवरी में डैथ हो गई। खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। दूसरा, इन्होंने पूछा विभाग का खुद का काडर गठन करने का प्रस्ताव, प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत कर सरकार के पास प्रक्रियाधीन है।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): कब घटाया गया? मैंने ये पूछा है मंत्री महोदय।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): प्रक्रिया में है, जल्दी ही आपको बता देंगे।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): 2013 में कितने पदों का सृजन हुआ था? इसके बाद कितना घटाया गया और क्यों घटाया गया?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): 2013 में 88 पदों का सृजन किया गया था। वर्ष 2014 में गोपालन विभाग बनाया गया। गौसेवा निदेशालय का नाम परिवर्तित कर पिछले वर्ष 2015 में 88 पदों को कम करके 46 पद किये गये। उसके बाद वर्ष 2016 में वापस इनको कम करके 46 पदों से 37 किये गये। अभी तक 37 पद स्वीकृत हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, माननीय सदस्य श्री आलोक बेनीवाल।

शाहपुरा (जयपुर) के शहीद सैनिकों के आश्रितों को सहायता

239. श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में विगत पांच वर्षों में कितने शहीद सैनिकों के आश्रितों को क्या-क्या सहायता, नौकरी व अन्य लाभ प्रदान किये गये व कितने आश्रित किस-किस कारण उक्त से वंचित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बकाया प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) में विगत पांच वर्षों में दो सैनिक शहीद हुए हैं। दोनों शहीद सैनिकों के आश्रितों को प्रदान की गई सहायता राशि, नौकरी व अन्य लाभों का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(परिवहन मंत्री)

(2) जी हां। बकाया प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही सतत प्रक्रिया के तहत सम्पादित की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, जो जानकारी विभाग ने उपलब्ध कराई है, उसमें सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और मंत्री जी का बहुत बहुत..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): इसमें जो विद्यालयों के नामकरण की प्रक्रिया है, वह बहुत समय से पूरी नहीं हो पाई है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो इस प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराएं। दूसरी बात, जो दो और व्यक्ति राजेश दादरवाल और श्याम सुंदर, एक श्याम सुंदर जो कि...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रश्न पूछिए।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इनके विभाग से थोड़ा-सा जुड़ा हुआ है और शहीदों से संबंधित मामला है।

श्री अध्यक्ष: नहीं है तो अगला प्रश्न पूछें। आप प्रश्न पूछिए। क्या प्रश्न है आपका?

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मेरा इतना ही कहना है कि...

श्री अध्यक्ष: कहना नहीं, प्रश्न क्या है आपका?

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मेरा इतना ही कहना है कि जो शहीदों को मिलने वाली सहायता है, वह एक तो समय पर उनको मिले। उनका नामकरण का जो भी हक बनता है, जो भी कार्यवाही बनती है, राज्य सरकार द्वारा और केन्द्र सरकार द्वारा, वह समय पर उनको उपलब्ध हो पाए। इसमें कई व्यक्ति ऐसे हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आप?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से.. ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, शाहपुरा के कोई पैंडिंग हैं तो बताएं?

(श्री अध्यक्ष)

शाहपुरा का है, शाहपुरा में कोई सैनिक पैंडिंग है, उनकी कोई कार्यवाही है तो ठीक है, जनरल नहीं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शाहपुरा में दो सैनिक शहीद हुए रोहिताश लाम्बा और शंकरलाल बराला। शंकरलाल बराला 24.07.2018 को शहीद हुए थे। उनको 25 लाख रुपये का भुगतान उस वक्त कर दिया गया। उसके बाद जब पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद राज्य सरकार ने सहायता राशि बढ़ाकर 25 लाख से 50 लाख कर दी। जब रोहिताश लाम्बा पुलवामा हमले में शहीद हुए तो रोहिताश लाम्बा के परिवार को 50 लाख दे दिये गये हैं। उनके पिता के खाते में 3 लाख रुपये पोस्ट आफिस में जमा करा दिये गये हैं। उनकी पत्नी को तुरंत प्रभाव से नौकरी देने के लिये सरकार तैयार है। उनका बच्चा छोटा है, इसलिये बच्चे को मिल नहीं सकती। इसमें नियमों के अनुसार शहीद रोहिताश लाम्बा के नाम से एक स्कूल का नामकरण हम करने जा रहे हैं। वह प्रक्रिया चल रही है। जल्दी से जल्दी उनके नाम से नामकरण कर दिया जाएगा।

एक प्रश्न, जो ये पूछ रहे थे, हुकुम, ये आपको पूरा बता नहीं पाये, इन्होंने जिन दो सैनिकों के लिये पूछा है, स्वर्गीय श्री राजीव सिंह शेखावत, दिनांक 09.02.2020 को शहीद हुए थे। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की ओर से बैटल कैजुअल सर्टिफिकेट जब आता है, उसके बाद राजस्थान की सरकार 50 लाख रुपये, उसके माता-पिता को तीन लाख रुपये, शहीद के नाम से स्कूल, रोडवेज की बसों में फ्री सेवा, उनके बच्चों को फ्री पढ़ाई, छात्रवृत्ति, सब व्यवस्था करती है। लेकिन यह तब सम्भव होता है, जब भारत सरकार बैटल कैजुअल सर्टिफिकेट हमारे यहां पहुंचा देती है। हमने पत्र दे दिये हैं। राजीव सिंह शेखावत के नाम से और नायक श्याम सुन्दर के नाम से हमने पत्र लिखा है। हमारा पत्र व्यवहार चल रहा है। हमने रिमाइण्डर भी 7 जनवरी और 12 फरवरी को वापस किया है। जैसे ही वहां से पत्र आएगा, तब राजीव सिंह शेखावत और नायक श्याम सुन्दर के परिवारों को 50-50 लाख रुपये, स्कूल का नामकरण, माता-पिता के खाते में 3 लाख, बच्चों को फ्री शिक्षा, सब व्यवस्था कर दी जाएगी। सैनिक परिवारों के लिये सरकार बहुत ज्यादा चिंतित है। राजस्थान का पैकेज देश में सबसे अच्छा पैकेज है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। एक मिनट। कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह जो दूसरा नाम है, शंकर लाल का, इसको 25 ही क्यों दिये? एक तो यह, एक मिनट, दूसरा यह है कि इन्होंने जयपुर विद्युत वितरण निगम, शाहपुरा में कनेक्शन के लिये एप्लाई कर रखा है। अभी भी वह पैंडिंग क्यों है और कब से पैंडिंग है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। विपक्ष के आदरणीय नेता महोदय ने पूछा है कि 24.07.2018 को शहीद सैनिक शंकर लाल बराला के परिवार को 25 लाख रुपये ही क्यों दिये गये। ये 25 लाख रुपये इसलिये दिये गये कि पुराने, ये 25 लाख ही तय किये गये थे। जैसे ही पुलवामा हमला हुआ तो विधान सभा के कई माननीय सदस्यों ने, जिसमें कटारियाजी भी थे, काफी लोग मुख्य मंत्रीजी से मिले, जाकर कहा कि शहीद परिवार आये हैं, इस राशि को बढ़ाया जाए। मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा दिल दिखाते हुए शहीद सैनिकों के सम्मान में 25 लाख से 50 लाख कर दिया, जो पुलवामा के हमले के बाद से 50 लाख यह कर दिया गया है। इसलिये शंकर लाल बराला के परिवार को 25 लाख ही मिले हैं, क्योंकि तब 25 लाख ही थे।

एक आपने क्वेश्चन किया है, जी.डी. रोहिताश लाम्बा के परिवार को कनेक्शन जारी क्यों नहीं किया गया। कनेक्शन जारी करने के लिये उन्होंने एप्लाई नहीं किया। जहां भी एप्लाई किया जाता है, वहां सैनिक परिवार को तुरंत प्रभाव से कनेक्शन जारी करते हैं। यदि इसमें कहीं कोई कमी ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं शंकर लाल का पूछ रहा हूं, सैकिण्ड का।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां, शंकर लाल का, जहां भी कनेक्शन इन्होंने एप्लाई किया है, वहां सबको कनेक्शन दिया गया है। यदि कहीं कनेक्शन में त्रुटि है और कोई कमी है तो मैं दिखवाकर सदन को आश्वस्त करता हूं, उनका कनेक्शन करवा दिया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह आपका ही जवाब है। मंत्री महोदय, आप लिख रहे हैं कि जयपुर विद्युत वितरण निगम, शाहपुरा, जयपुर के पास प्रक्रियाधीन है तो कब से प्रक्रियाधीन है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां। देखिये, आप यह मानकर चलिये, जहां भी, जब भी एप्लाई करते हैं, और किस कारण से यह प्रक्रियाधीन है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): प्रक्रियाधीन है, इसका मतलब एप्लाई हो गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एप्लाई किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): मैं जवाब दे दूं, आप बैठ जाएं तो मैं जवाब दे दूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह आलरेडी एप्लाई किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगर बैठे-बैठे बोलेंगे तो ...(व्यवधान) माननीय प्रतापजी बैठें।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): या तो कटारिया साहब कमजोर हैं, आप मदद कर दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी हो गया।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): वे मदद कर रही हैं, इसलिये मैं कह रहा हूं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मदद नहीं करनी चाहिए?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): नहीं, करो न आप। फिर अध्यक्षजी से परमीशन लेकर करो, और करनी है तो सब एक साथ खड़े होकर कर दो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप बैठें। अगला प्रश्न, श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ में संचालित मदरसों को अनुदान

240. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के कौन-कौनसे गांवों में मदरसे संचालित हैं? उक्त में कितने विद्यार्थी तालीम प्राप्त कर रहे हैं? मदरसावार विद्यार्थियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कौन-कौनसे मदरसे को सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि का अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र में जन सहभागिता के आधार पर किन-किन व्यक्तियों

(श्रीमती संतोष)

द्वारा कितनी-कितनी राशि कौन-कौन से मदरसों के लिये दान में दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्राप्त दान राशि से उक्त वित्तीय वर्षों में कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौनसे मदरसों में कार्य शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के घड़साना गांव में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीयन संख्या 3908 दिनांक 03/01/2020 से पंजीकृत 01 मदरसा "अहले सुन्नत जमालिया रिजवीया" संचालित है। इस मदरसे में 46 विद्यार्थी तालीम प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नगरपालिका अनूपगढ़ में 01 मदरसा "मदरसा इस्लामिया रिजवीर राहु पीर" (3884/02.06.2018) संचालित है जिसमें 59 विद्यार्थी तालीम प्राप्त कर रहे हैं।

(2) वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 40 मदरसों को सरकार द्वारा आधुनीकरण योजनान्तर्गत आगामी किश्त के रूप में 43.94 लाख रुपये की राशि प्रगतिरत निर्माण कार्यों हेतु अनुदान के रूप में दी गई है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 06 मदरसों हेतु सरकार द्वारा जन सहभागिता योजनान्तर्गत स्वीकृत 59.79 लाख रुपये के विरुद्ध प्रथम किश्त की राशि 5.98 लाख रुपये निर्माण कार्य हेतु अनुदान के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) निजी व्यक्तियों द्वारा संबंधित मदरसों को दी गई दान राशि का रिकार्ड राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संधारित नहीं किया जाता है। विभाग द्वारा संचालित जन सहभागिता योजनान्तर्गत उक्त क्षेत्र के किसी भी मदरसों द्वारा आवेदन नहीं किया गया है तथा सहभागिता राशि राजस्थान मदरसा बोर्ड में जमा नहीं करवाई है।

(4) बिन्दु संख्या तीन के अनुसार उक्त मदरसों से राजस्थान मदरसा बोर्ड को राशि प्राप्त नहीं होने के कारण कोई कार्य नहीं करवाया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, घड़साना के मदरसा बोर्ड में 46 विद्यार्थी तालीम प्राप्त कर रहे हैं, यह सूचना दी गई है

(श्रीमती संतोष)

जबकि मेरी जानकारी में 171 विद्यार्थी तालीम प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें 47 छात्र और 124 छात्राएं हैं। उनकी उपस्थिति पंजिका भी मेरे पास है। राजस्थान की जनता जन प्रतिनिधि को विजयी बनाकर सदन में सत्य को देखती है और विश्वास भी करती है। लेकिन मदरसा बोर्ड द्वारा झूठे आंकड़े देकर सदन को ही गुमराह करने के पीछे इनकी क्या मंशा है? क्या इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या ने कहा है, मैंने इनको अलग-अलग चीजें बताई हैं। इनके अनूपगढ़ गांव के अन्दर जो मदरसा बना है, जो अभी हाल ही में 03.01.2020 में, एक मदरसा है, जो 'अहले सुन्नत जमालिया रिजवीया' मदरसे का नाम है, उसमें 46 विद्यार्थी हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। आज तक जो पंजीयन होता है, पंजीयन होने के बाद में संख्या हमारे पास आती है, वही संख्या हम दर्शा सकते हैं। आज यदि कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसकी जानकारी हमारे पास अलग से आएगी तो हम जानकारी दे पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): मेरे पास जो सूचना आई है, उसके अनुसार यह है, इसकी पंजिका भी है, 46 घड़साना में माने गये हैं, लेकिन फिलहाल 171 हैं, तो ये आंकड़े इस प्रकार से क्यों दिये गये हैं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को पहले ही कह चुका हूं। इनके क्षेत्र में, अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल दो मदरसे ही हैं। एक मदरसे में विद्यार्थियों की संख्या 46 है। दूसरा जो मदरसा है, उसमें 59 विद्यार्थी हैं। एक नगरपालिका क्षेत्र में आता है और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में आता है। जो हमारे पास पंजीकृत मदरसे हैं, मैं उन्हीं का बता रहा हूं। अब इनके अलावा भी आपके कोई मदरसा है तो मुझे नाम से जानकारी दे दें, मैं यह जांच कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, जो सरकार बता रही है, उनके अलावा मदरसे की हाजिरी बता रहे हैं, या जो सरकार बता रही है, उस मदरसे की हाजिरी बता रहे हैं।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): जो मदरसा है, दो ही मदरसे हैं। उसमें से घड़साना के अन्दर मदरसा है, उसी के बारे में बता रही हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य ने कहा, वह जांच करवा लीजिये। दूसरा प्रश्न पूछिये, जो कह रहे हैं, उसमें तथ्य हैं कि नहीं हैं।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या अन्य मदरसों की तरह घड़साना, अनूपगढ़ के मदरसों को भी, आधुनीकरण योजना के अन्तर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा? इस सूची में मेरे क्षेत्र के मदरसों का अनुदान में नाम नहीं है। निजी व्यक्तियों के द्वारा दिये गये दान की सूचना मदरसा बोर्ड को क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या इसकी व्यवस्था की जाएगी?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी हमने वेबसाइट पर ऑनलाइन डाला है कि मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो घोषणा की है, 10 करोड़ रुपये जनसहभागिता के अन्दर दिये हैं, उसमें 90 परसेंट विभाग दे रहा है और 10 परसेंट हम जन सहयोग ले रहे हैं। यदि आपके क्षेत्र का कोई भी मदरसा हमारे ऑनलाइन वेबसाइट पर आएगा, यदि वह अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा तो उसको जरूर हम देखेंगे, विचार करेंगे। निजी व्यक्ति जो अपना कोई भी अनुदान देता है तो उसके लिये विभाग के पास कोई भी रजिस्टर संधारण नहीं हाता है। हमारे पास रजिस्टर संधारण वही होता है, जो मदरसा बोर्ड के द्वारा राशि दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जन सहभागिता में 90 करोड़ रुपये सरकार दे रही है। जन सहभागिता का मतलब जनता सहयोग देगी। अगर जनता के सहयोग का रिकार्ड हमारे पास नहीं है तो जन सहयोग का रिकार्ड कैसे करेंगे?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि जो संस्था होती है, उस संस्था की तरफ से राशि आती है। उसमें अलग-अलग व्यक्ति ने, किसी मदरसे में कोई दान दिया है तो वे नाम हमारे पास नहीं आते हैं। मान लीजिए, यह कोई संस्था है सुन्नत जमालिया रिजवीया द्वारा संचालित संस्था है, यह संस्था यदि हमें कोई राशि देगी 10 परसेंट तो उसका तो हम बता सकते हैं लेकिन इस संस्था को किस-किसने राशि दी, यह चीज हम नहीं बता सकते।

श्री अध्यक्ष: नहीं, संस्था से ही संस्था के अंतर्गत जन सहभागिता है, व्यक्ति जन सहभागिता नहीं कर सकता है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): जी। हम जो संस्था

(श्री शाले मोहम्मद)

होती है, उसी को दे पाते हैं। अब संस्था को किस-किस व्यक्ति ने दान दिया, उसकी जानकारी हम नहीं ले सकते।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैं समझता हूं, मंत्रीजी, आप बात को समझें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, इनके समझ में नहीं आ रही। माननीय सदस्या जो कह रही हैं वह अपने डाकूमेंट के आधार पर कह रही हैं कि हमारे पास यह उपस्थिति रजिस्टर है अगर आपके वहां के अधिकारी ने यह जो आपको गलत सूचना भेजी है, आप उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे क्या? एक।

दूसरा, सहभागी योजना में अगर आपने बाकी जगह जो किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछा, उसके अनुसार आपके पास सूचना नहीं भेजने की जिम्मेदारी किसके पास है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता जो बात कह रहे हैं, जो हमारे पास, हम उपस्थिति रजिस्टर में उनसे विद्यार्थियों की संख्या पूछते हैं, जो संख्या उस मदरसे ने हमें बताई है, आज तक हमारे पास रिकार्ड में जो संख्या है, वह हमने आपको बताई है। इसके अलावा कोई बच्चा जो नया एडमिशन ले रहा है, उसकी जानकारी आ जाएगी तब ही हम बता पाएंगे।

दूसरा, जो जन सहयोग की राशि, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि दस परसेंट जन सहयोग देती है, इससे पहले तो 60 अनुपात 40 का रेशो था। अभी जो हमने रखा है 90 और 10 परसेंट। 10 परसेंट तो जन सहयोग से आएगा और 90 परसेंट विभाग देगा। अब जो संस्था हमें 10 परसेंट देगी, मैं बता रहा हूं न, आप अच्छी तरह से सुनें। मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे रहा हूं न। आराम से सुन लें और उसके बाद बोल लेना। वर्ष 2018-19 के अंदर हमने कुल 22 काम स्वीकृत किये तो उसमें, आप पहले अच्छी तरह से सुन लें, सुन तो लें, उसी से तो आएगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, बैठें। आप अलग ढंग से आधे घंटे का इस प्रश्न को लेकर आएं, फिर उस पर चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृदि्ध करने की कार्ययोजना

241. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कितना-कितना मानदेय दिया जाता है? विगत पांच वर्षों में कब-कब कितनी-कितनी वृद्धि की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त के मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी, कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मियों के समान दर्जा देकर अन्य सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर सहित पूरे प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में दिये जाने वाले मानदेय का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। विगत पांच वर्षों में दिनांक 01.06.2016 से दिनांक 01.04.2018 से एवं दिनांक 01.10.2018 से (जारी आदेश दिनांक 31.07.2019) मानदेय में वृद्धियां की गईं, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ में ही समाहित है।

(2) सभी स्तर के आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय में वित्तीय वर्ष 2019-20 में वृद्धि की गई है। वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। वर्तमान में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। विभागीय सेवा नियमों में यह प्रावधान नहीं है। सेवा नियमों में महिला पर्यवेक्षक के 50 प्रतिशत पद प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। स्नातक एवं 10 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसके लिए पात्र होती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने परिशिष्ट 'अ' पर यह बताया कि 01.04.2018 में मानदेय वृद्धि की गयी थी, यह वृद्धि केन्द्र सरकार के द्वारा की गयी थी। वर्ष 2019-20 में परिशिष्ट- 'ब' में आपने यह बताया कि 2019 में इतनी वृद्धि की गयी, वह वृद्धि कब की गयी?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 20.09.2018 को भारत सरकार ने यह आदेश दिया राजस्थान सरकार को मानदेय वृद्धि करने के लिए और उन्होंने अपने आदेश में यह लिखा कि यह लागू 01 अक्टूबर, 2018 से किया जाएगा लेकिन मुझे सदन को बताते हुए इस बात का दुख है कि इन्होंने इसको कोई लागू नहीं किया। इनके पास एक-डेढ़ महीने का चुनाव से पूर्व समय था, इन्होंने कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की। जब सरकार बदली और हम लोग आये तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 31.07.2019 का जो बजट पढ़ा था, उसके बाद 31.07.2019 से मानदेय वृद्धि की स्वीकृति की और उसका उन्होंने जो आदेश निकाला, हमारी सरकार ने उस आदेश में यही लिखा गया है कि जो भारत सरकार ने नियम दिया था कि 01 अक्टूबर, 2018 से इस आदेश को लागू किया जाए। उस आदेश को करना इनको था लेकिन किया हमने, मानदेय वृद्धि भी की और वृद्धि करके उसको 01.10.2018 से ही लागू माना गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया कि 2018-19 में वृद्धि की गयी, 2019-20 में भी वृद्धि की गयी जबकि परिशिष्ट- 'अ' है, उसमें सेम मानदेय वही है और परिशिष्ट- 'बी' जो वर्ष 2019-20 का बताया, उसमें भी वही सेम मानदेय है तो फिर वर्ष 2019-20 में क्या वृद्धि की गयी? मंत्रीजी, यह बताएं।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रही हूं कि भारत सरकार ने 20.09.2018 को पत्र लिखा राजस्थान सरकार को और राजस्थान सरकार को यह कहा गया कि वित्तीय स्वीकृति जारी करके 01 अक्टूबर, 2018 से इसको लागू किया जाए वृद्धि मानदेय लेकिन इन्होंने कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की और उस पत्र को जो यह पत्र भारत सरकार ने भेजा है, इन्होंने इसको यूं ही ठंडे बस्ते में रख दिया, इसकी कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई। वित्तीय स्वीकृति जारी

(श्रीमती ममता भूपेश)

हम लोगों ने आकर की है, यह मैं आपको बताना चाह रही हूं। आप और क्या पूछना चाह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबूलाल नागर।

जयपुर जिले की तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों में सघन वृक्षारोपण की योजना

242. श्री बाबूलाल नागर (दूदू): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा जिले के प्रत्येक गांव व कस्बे में स्थित सभी सरकारी एवं गैर सरकारी परिसरों, उसके आस-पास की खाली भूमियों एवं रास्तों तथा आबादी क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण करते हुए प्रत्येक गांव में न्यूनतम 100 पौधे लगाने एवं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? यदि हां, तो आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले की तर्ज पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किस-किस प्रकार से तथा नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा वर्षा ऋतु में जयपुर जिले में सघन वृक्षारोपण कार्य करने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। संबंधित पत्र की प्रति संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) वन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट उपलब्धतानुसार वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण करवाया जाता है और इसके साथ-साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित करवाकर जिले के अन्य विभागों को भी उनके संसाधनों को देखते हुए पौधारोपण के लक्ष्य दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त वन महोत्सव, एन.जी.ओ. के मार्फत भी पौधारोपण करवाया जाता है।

वन विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में वर्ष 2019-20 में 16582.16 हैक्टेयर क्षेत्र में 77.87 लाख पौधे लगाये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जयपुर जिले में वृक्षारोपण के संबंध में निवेदन किया है। मंत्री महोदय, मैं यह जानना

(श्री बाबूलाल नागर)

चाहूंगा कि जयपुर जिले की किस-किस तहसील में, किस-किस ग्राम पंचायत में कितने-कितने, कहां-कहां पर वृक्षारोपण किया गया एवं वर्तमान में कितने पौधे कहां-कहां पर जीवित हैं?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि वृक्षारोपण के दौरान रोपित पेड़-पौधों के रख रखाव के लिए विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण हेतु कोई मापदंड निर्धारित किये गये हैं क्या? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी ने कहां-कहां कितने निरीक्षण किये और विभाग द्वारा क्या कोई भौतिक सत्यापन करवाया गया है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने यह पूछा है कि जयपुर जिले में जिस तरह का कार्यक्रम हुआ है, वह अन्य जिलों में किया जाएगा क्या, आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? डिटेल में फिर पूछ लें। आप प्रश्न पूछें। मैंने प्रश्न पढ़ा है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जयपुर जिले में, हां, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, प्रश्न में लिखा है कि जयपुर जिले में जिस तरह का वृक्षारोपण का कार्यक्रम लागू किया, क्या अन्य जिलों में भी लागू करना चाहते हैं?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): जयपुर जिले में जो लागू किया, उसी के संबंध में मैंने प्रश्न किया है, मैंने दूसरी जगह के लिए प्रश्न नहीं किया है। मैंने जयपुर जिले के लिए यह पूछा है कि आपने जयपुर जिले में किस-किस तहसील में, कितने-कितने कहां-कहां वृक्षारोपण किये? दूसरा, मैंने यह कहा है कि यह पौधे जीवित हैं या नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें। आपका प्रश्न यह है कि क्या यह सही है कि जिला जयपुर में जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा, नोट वन विभाग द्वारा, जिला कलेक्टर जयपुर ने एक प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को लागू किया, उस प्रोग्राम को और जिलों में भी लागू करेंगे क्या? यह आपका प्रश्न है। आप उसको वन विभाग में ले जाओगे तो उसका उत्तर कहां से मिलेगा? अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहरथाना (झालावाड़) में मिनी खेल संकुल की स्थापना

243. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द प्रसाद)

(1) क्या सरकार द्वारा गांवों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है? यदि हां, तो विगत वर्ष में जिला झालावाड़ में इस तरह की कितनी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गांवों से प्रतिभाओं को खोजने के लिए तहसील स्तर पर खेल-कूद कैम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के कस्बा मनोहरथाना में मिनी खेल संकुल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) जी नहीं। सरकार द्वारा गांवों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाता है।

(2) वर्तमान में गांवों में प्रतिभाओं को खोजने के लिए तहसील स्तर पर खेलकूद कैम्प आयोजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खेल संकुल हेतु बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा बजट घोषणा में खेलकूद मैदान बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो अब तक कितने खेलकूद मैदान बनाये गये हैं?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): नहीं, बजट में उम्मेद स्टेडियम के अलावा और कोई मैदान का आया ही नहीं था। आप इस बजट की पूछ रहे हैं, गये बजट की ही तो?

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय, आपने पिछले बजट में की थी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): जून के बजट की, केवल एक तो चूरू में और एक जोधपुर में, उसका मैं जवाब दे चुका हूं कि जोधपुर वाले जो स्टेडियम का काम था, उसका टेंडर हो गया, वर्क-आर्डर जा

(श्री अशोक)

चुका है। चूरू के स्टेडियम का अभी बजट बना नहीं, उसका काम अब चालू हो गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। माननीय मंत्रीजी, यह पूछ रहे हैं कि क्या सरकार ने बजट में गांवों में खेल स्टेडियम के लिये कोई प्रोविजन किया है? यह प्रश्न है उनका।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल) वह तो मैं सीधा जवाब दे चुका हूं कि गांवों के अंदर खेल स्टेडियम का कोई बजट का प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बैठें आप। अगला प्रश्न, श्री मेवाराम जैन। (व्यवधान) जब है ही नहीं तो प्रश्न क्या पूछेंगे? (व्यवधान) अब आप सरकार हैं कि यह सरकार है? जब सरकार यह कह रही है तो हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न। आप बैठें प्लीज। यह आपका काम नहीं है। सरकार कह रही है कि है ही नहीं, आप सरकार हैं क्या? अगला प्रश्न, श्री मेवाराम जी।

बाड़मेर मुख्यालय पर श्रम कार्यालय की स्थापना

244. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश के कई जिलों में दो स्थानों पर श्रम कार्यालय खुले हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार आम मजदूरों को सस्ता, सुलभ लाभ देने हेतु जिला श्रम कार्यालय बाड़मेर जिला मुख्यालय पर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): जी नहीं। प्रदेश के 33 जिलों में अजमेर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में श्रम विभाग का एक ही स्थान पर कार्यालय है। बाड़मेर जिले की 90 प्रतिशत औद्योगिक इकाइयां बालोतरा में होने से बाड़मेर जिले का श्रम कार्यालय बालोतरा में स्थित है।

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर श्रम विभाग का कार्यालय खोलने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए नवीन कार्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव

(राज्य मंत्री, श्रम)

वित्त विभाग को प्रेषित किये गये हैं। स्वीकृति प्राप्त होने पर तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बाड़मेर मुख्यालय पर श्रम कार्यालय नहीं है। तेल की कम्पनियां बाड़मेर में, लिग्नाइट बाड़मेर में, गैस बाड़मेर में और हजारों मजदूर बाड़मेर में लगे हुए हैं। क्या मंत्रीजी यह बताएंगे कि इतनी लेबर वहां लगी हुई है, बाखासर से बालोतरा 200 किलोमीटर, सूंदरा से बालोतरा 220 किलोमीटर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। इन्होंने कहा है न कि वित्तीय स्वीकृति होगी तब खोल देंगे, मान लिया इन्होंने। फिर आप क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यही पूछना चाह रहा हूं कि 200 किलोमीटर दूर मजदूर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने उत्तर नहीं पढ़ा। आप बैठें। उत्तर नहीं पढ़ा क्या? इन्होंने कहा है कि प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिये। स्वीकृत होंगे जब खोल देंगे। अब प्रश्न क्या बचा है? उत्तर पढ़ो आप। अब वित्त विभाग नहीं देगा तो क्या घोषणा करेंगे? अगला प्रश्न, श्रीमती मीना कंवर।

शेरगढ़ में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों की स्थापना

245. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र जोधपुर में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त घोषणा की अनुपालना में कब-कब, क्या स्वीकृति जारी की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र स्वीकृति जारी की गयी है? यदि हां, तो कहां-कहां व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मीना कंवर)

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में भवनविहीन कौन-कौन से पशु-चिकित्सालय एवं उप केन्द्र हैं? क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों एवं उप केन्द्र के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के लिए नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र खोले जाने एवं जोधपुर में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम पंचायत गोदेलाई एवं ग्राम साबरसर में दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 को नवीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के समस्त पशु चिकित्सालयों के भवन उपलब्ध हैं। भवनविहीन पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण की व्यवस्था विभाग के नाम भूमि स्वामित्व के पट्टे उपलब्ध होने पर, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार की जाती है।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): सम्माननीय अध्यक्ष महोदयजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं। मेरा पहला प्रश्न है कि जोधपुर में पशु महाविद्यालय चालू कर दिया जाएगा? यदि हां, तो जमीन चिह्नित कर ली गयी है? यदि हां, तो जमीन कहां पर चिह्नित की गयी है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कितने पशु उप-केन्द्रों पर पशुधन सहायक और चिकित्सक नहीं हैं? वहां कब तक चिकित्सक व पशुधन सहायक लगा दिये जाएंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि गत बजट में घोषणा की गयी थी। जोधपुर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय के लिये ग्राम नेतड़ा के खसरा नंबर 198, 410 रकबा गैर-मुमकिन गोचर में से 80 बीघा भूमि में आबंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है। जे.डी.ए. जोधपुर ने भूमि आबंटन के लिये नगरीय विकास विभाग को 21 जनवरी, 2020 को पत्र लिखा है। भूमि आबंटन शीघ्र होने पर महाविद्यालय चालू कर दिया जाएगा।

(श्री लालचन्द कटारिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें पदों की स्वीकृति वित्त विभाग ने जारी कर दी है। शैक्षणिक पद हैं 29 और अशैक्षणिक पद हैं 12 और भारत सरकार को हमने एक पत्र भी लिखा था कि हमें किराये की बिल्डिंग उपलब्ध करायी जाए, तो उनका जवाब भी आ गया और उन्होंने कहा है कि उनके यहां कोई एक नंबर फार्म होता है, वह आप भरकर दें दें। जिला कलेक्टर जोधपुर को भी पत्र व्यवहार किया गया, क्योंकि किराये की बिल्डिंग मिल जाए तो मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले सत्र में निश्चित तौर से इसको चालू कर देंगे। यह हमारी बजट की भी घोषणा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी गृह जिला है।

दूसरा, आपने शेरगढ़ के लिये कहा है। शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 25 पशु चिकित्सा केन्द्र में स्टाफ नहीं हैं। डाक्टरों की 29 अप्रैल को आर.पी.एस.सी. द्वारा भर्ती की तिथि तय हो गयी है। जैसे ही उपलब्धता होगी, भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री हमीर सिंह भायल।

खनिज एवं पैट्रोल भण्डार के दोहन से प्राप्त आय

246. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खनिज एवं पैट्रोलियम भण्डार के बढ़ते दोहन से प्रदेश की आय में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रदेश को खनिज एवं पैट्रोलियम भण्डार के दोहन से किस-किस रूप में कितनी-कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के अमूल्य खनिज एवं पैट्रोलियम पदार्थों के दोहन से होने वाली आय में से प्रदेश का उचित हिस्सा प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास किये गये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्राप्त आय में से ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्र से होने वाली आय का उचित हिस्सा दिया जाता है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में किन-किन ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी हां। प्रदेश में खनिज एवं पैट्रोलियम भण्डारों के दोहन से राज्य के राजस्व प्राप्ति में बढ़ोतरी हुई है। खनिजों से विगत तीन वर्षों में रायल्टी, डैड रैन्ट, पैनल्टी, ब्याज आदि के रूप में प्राप्त राजस्व का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। पैट्रोलियम भण्डारों में कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के दोहन से प्राप्त आय का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) राज्य को खनिज एवं पैट्रोलियम पदार्थों के दोहन से रायल्टी के रूप में सम्पूर्ण राशि प्राप्त होती है।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन पहले जिला प्रमुख हुआ करते थे, उसकी जगह कलेक्टर और अब कौन देख रहा है?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। प्रश्न से संबंधित पूछें प्रश्न। जो प्रश्न पूछा है, केवल उसके संबंध में ही प्रश्न पूछें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): उसी के संबंध में पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: क्या है उसमें? प्रश्न क्या पूछा है आपने? जो आप पूछ रहे हैं वह प्रश्न से संबंधित ही नहीं है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): वही पूछ रहा हूं कि पूर्व में डी.एम.एफ.टी. के...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है क्या?

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): प्रश्न तो है नहीं, जो स्वीकृत काम नहीं किये थे।

श्री अध्यक्ष: इसका अगला प्रश्न पूछें। आप प्रश्न से संबंधित प्रश्न ही पूछें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): मेरा निवेदन है कि पैट्रोलियम से जो खनिज बाड़मेर जिले में उपलब्ध है, उनकी राशि का ग्राम पंचायतवार फायदा देने की क्या सरकार मंशा रखती है?

श्री अध्यक्ष: जी नहीं लिखा है इसमें। तीसरे खण्ड के उत्तर में लिखा है जी नहीं। बात खतम हो गयी। अगला प्रश्न, श्री रामलाल शर्मा।

'ब्याज मुक्त ऋण योजना' से लाभान्वित किसान

247. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में "ब्याज मुक्त ऋण योजना" प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो उक्त योजना के क्या मानदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के अंतर्गत प्रदेश के किसानों को वर्ष 2019-20 में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है? यदि हां, तो कितने किसानों को कितना-कितना ऋण उपलब्ध कराया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) प्रदेश में ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ की गयी, जो वर्ष 2019-20 में भी निरन्तर जारी है।

इस योजना के निम्न मानदण्ड निर्धारित हैं:-

राजस्थान राज्य में निवास करने वाले वे कृषक, जिन्होंने अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं से वित्तीय वर्ष में खरीफ व रबी में अधिकतम राशि रुपये 1.50 लाख तक का फसली ऋण प्राप्त किया है, द्वारा ऋण का समय पर अथवा समय पूर्व चुकारा करने पर योजनान्तर्गत ब्याज अनुदान हेतु पात्र होंगे।

समय पर ऋण चुकाने से तात्पर्य काश्तकार द्वारा फसल विशेष हेतु लिया गया ऋण निर्धारित देय तिथि को अथवा उससे पूर्व चुकाने से है।

इस प्रकार योजनान्तर्गत समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 4 प्रतिशत राज्य सरकार तथा 3 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिये जाने से अधिकतम रुपये 1.50 लाख तक का फसली ऋण 7 प्रतिशत के स्थान पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(2) जी हां। प्रदेश में किसानों को वर्ष 2019-20 में ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्राम सेवा सहकारी समिति का प्रत्येक सदस्य जो ऋण लेने की पात्रता रखता है, ऐसे किसान को उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है।

जिलेवार किसानों की संख्या व स्वीकृत ऋण राशि की सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने खण्डदो में बताया कि 2019-20 के अंदर 18 लाख 20 हजार 156 कृषकों को खरीफ का और रबी का 12 लाख 91 हजार 789 लोगों को आपने ऋण उपलब्ध कराया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि इनमें से जो ऋणी हैं, वह 2019-20 में ऐसे कितने कृषक हैं, जिनको पहली बार ऋण दिया है। नये पुराने नहीं, जिनको पहली बार ऋण दिया है, ऐसे तो कितने कृषक हैं और इन कृषकों को कितना ऋण उपलब्ध कराया गया?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपने बजट में यह घोषणा की थी पृष्ठ संख्या-8 बिन्दु संख्या 26 पर, कि हम किसानों को जो ऋण दे रहे हैं बिना ब्याज के, उसकी एवज में 150 करोड़ रुपये बैंकों को हम देंगे तो 150 करोड़ रुपये जो आपने बैंकों को दिये, वह कितनी तारीख को दिये और कितने रुपये दिये?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फ़त यह बताना चाहता हूं कि नये किसानो को जोड़ने का अलग से आंकड़ा तो अभी इसमें उपलब्ध नहीं है, माननीय सदस्य को अलग से दे दूंगा। लेकिन जो टार्गेट दिये थे 2019-20 में रबी में 350 करोड़ का टार्गेट था और हमने उसके अगेंस्ट में 423.91 करोड़ के ऋण बांट दिये हैं, तो इसमें नये काश्तकार जुड़े हैं इस कारण से ये आंकड़ा टार्गेट से ऊपर गया है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपने डेढ़ सौ करोड़ रुपये की जो घोषणा की थी उनमें आपने बैंकों को कितने दिये?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): डेढ़ सौ करोड़ की अलग से कोई घोषणा नहीं की गई है। जो टार्गेट है वह आपके सामने उपलब्ध करा दिए गये हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): साहब, बजट में है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवान पूनियां।

सड़क दुर्घटनाएं रोकने की कार्ययोजना

248. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

(श्री बलवान पूनियां)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा लोक परिवहन सेवा को बंद कर ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त में अब तक हुई प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम स्तर पर किये गये प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सरकार द्वारा लोक परिवहन सेवा को बंद कर ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ करने की घोषणा नहीं की गई थी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, परिशिष्ट में जो जानकारी दी गई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि कई एन.जी.ओ., सरकार के प्रयास काफी मजबूती से सड़क दुर्घटना रोकने में लगे हुए हैं लेकिन परिशिष्ट में जो-जो प्रयास का आकलन किया गया है पिछले एक साल के अंदर, यह प्रयास नाकाफी हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हां प्रश्न यही तो है। 2016 से लेकर के 2017 तक के आंकड़े हैं, 2018 में फिर सरकार इलेक्शन में बिजी हो गई और 2019 में अब तक के जो प्रयास हैं वो नाकाफी हैं, इसलिए घटनाएं दोहराई जा रही हैं। मेरा मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि यह जो परिशिष्ट में दिये गये प्रयास हैं, क्या इन सब में अब सरकार गंभीरता से लगी हुई है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावनाओं से सहमत हूं, पूरा राजस्थान चिंतित है, पूरा सदन चिंतित है। यही कारण है कि अभी मुख्य मंत्री जी ने बिंदु संख्या 128 पर आपको घोषणा की। प्रदेश में कहीं भी सड़क दुर्घटना होने पर घायल होने वाले व्यक्ति को, यह पहली बार किया गया है, घायल होने वाले व्यक्ति को दुर्घटना के तुरंत बाद नजदीकी निजी अस्पताल में ले जाए जाने पर ऐसे किसी भी निजी अस्पताल द्वारा उपचार करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अस्पताल ऐसा करने के लिए मना करेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

इसके अतिरिक्त हम खुद यह मानते हैं कि हर साल लगभग 10 हजार 500 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं में काल कवलित हो जाते हैं पूरे देश में, हालात बहुत खराब हैं और इसमें 30 प्रतिशत की कमी लाने के लिए तमिलनाडु माडल पर पूरी कार्यवाही की जा रही है क्योंकि तमिलनाडु देश में एक ऐसा राज्य है जहां पर दुर्घटनाओं में कमी लायी गयी है। जहां, जिस स्टेट में अच्छा काम होता है उसको फालो करना, उसको समझना और उसको यहां पर लागू करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, उसके लिए सरकार बहुत चिंतित है और हमने वह तैयारी शुरू कर दी है। मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। वह कमेटी साल में दो बार मीटिंग करेगी, उसमें विभिन्न विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव, डी.जी.पी., अतिरिक्त डी.जी.पी. यातायात एवं सम्बन्धित विभागों के प्रशासनिक सचिव शामिल होंगे। यह कमेटी वर्ष में दो बार स्थिति की समीक्षा करेगी, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए समर्पित सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की गई है जिससे लगभग 100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जाएगी।

आपको यह पता होना चाहिए कि एनफोर्समेंट में जो पैसा आता है उसकी 25 परसेंट राशि सड़क दुर्घटनाओं के लिए अलग से रखी जाती है, और अबकी बार तय किया है कि जो सर्वश्रेष्ठ डिस्ट्रिक्ट होंगे, उनको 25 लाख रुपये, 15 लाख रुपये और 10 लाख रुपये का मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की गई है और बड़ी घोषणा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार हेतु समर्पित सड़क सुरक्षा कोष से राज्य के 40 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को प्राइमरी ट्रोमा सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिस पर 10 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। छात्र-छात्राओं और आमजन को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, शिक्षित करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ट्रैफिक पार्क स्थापित किये जाएंगे, जिसमें 16 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जाएंगे।

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह बता दूं कि एक अप्रैल से हमने तय कर दिया है कि राजस्थान में जहां भी टू व्हीलर बिकेगा, जो टू व्हीलर लेने आएगा उसको टू व्हीलर की राशि में ही, वह कम्पनी अलग से पैसा वसूल नहीं करेगी और कंपनियों से हमारी मीटिंग हो गई, आदेश जारी कर दिये गये हैं, एक अप्रैल से हैलमेट फ्री आफ कास्ट उस व्यक्ति को वह कंपनी उपलब्ध करायेगी।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सरकार चिंतित, हम चिंतित, सब चिंतित और यह सब आदेश मैंने भी निकाले, आपने भी निकाले। मैं इतना जानना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं हर साल के 2016 के, 2017 के, 2018 के, 2019 के, क्या सड़क दुर्घटना से मरने वाले और इंजर्ड होने वाले लोग कम हुए हैं?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आप ये ठीक कह रहे हैं कि सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं और इसीलिए खुद मुख्य मंत्री जी ने बजट में अपनी बात पूरे प्रदेश के, देश के सामने रखी, खुद कमेटी के अध्यक्ष बने और आगे बढ़कर स्वीकार करके कहा कि मैं ट्रोमा सेंटर भी स्थापित करूंगा...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, इतना लंबा नहीं...

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): नहीं, छोटा बता दूंगा, आप बताइये, आप जो गाइड करेंगे, वह बोल दूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, एक मिनट सुन लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो यह कह रहा हूं कि यह जो आपके इतने प्रयास हैं और हम लोगों ने भी किये और यह कमेटियां हमने भी बनायीं, आपने भी बनायीं लेकिन परिणाम आया कि नहीं आया, यह बताओ न, अगर नहीं आया तो अब क्या जादू होने वाला है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): बिलकुल अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय बहुत सीनियर हैं, हम इनसे सीखते हैं। इतनी जल्दी तो गुस्से में आ जाते हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): उत्तर दो।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां, उत्तर दे देंगे आपको। आप तय नहीं करेंगे बीच में ...(व्यवधान) आप तय करोगे क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज आप नीचे बैठें। अंकित नहीं होगा, नीचे बैठें। अंकित नहीं होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आप कौन हैं बीच में? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, यह तरीका है क्या?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं प्लीज, आपका काम नहीं है यह। मेरा काम भी आप करेंगे, आप अपना काम करिये। प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): इनको गलतफहमी ज्यादा है, अध्यक्ष जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): हां। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के नेता का बहुत सम्मान करता हूं और राजनीति में हम तो इनसे सीखते हैं, वह बेवजह बीच में खड़े हो गये उनकी मदद करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं आपकी चिंता वाजिब है और इनकी चिंता पूरे प्रदेश की चिंता है, हमारी भी चिंता है। हाल ही में अभी दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना से चिंतित होकर आज मुख्य मंत्री जी और धारीवाल जी कोटा जा रहे हैं और मैं और रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य मंत्री जी कोटा गये। हमने खुद ने 20 चिताएं जलते हुए देखी हैं और धारीवाल जी ने जवाब दिया है कि किसी भी कीमत पर, चाहे वो पुलिया की गलती हो, चाहे किसी और व्यक्ति की गलती हो, सरकार कांग्रेस और बी.जे.पी. की बदलती रहती है लेकिन सड़क दुर्घटनाओं के मामले में राजनीति करने की न हमारी मंशा है न हम करना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर सड़क दुर्घटनाएं रुकें, उसके लिए इतने चिंतित हैं। आपके समय पर दो हैलमेट का फैसला हुआ था, आपने क्यों नहीं लागू किया? जो प्राइवेट आटोमोबाइल कंपनियां थीं उनके दबाव में आपने वह फैसला बदल दिया। एक अप्रैल से लागू करेंगे हैलमेट फ्री में मिलेगा। आपने तो कहा था दो मिलेंगे, ऐसा क्या कारण था कि बी.जे.पी. की सरकार ने विथड्रा कर लिया और आटोमोबाइल कंपनियों की मदद कर दी? आज प्रताप सिंह खाचरियावास बन गया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है लेकिन आटोमोबाइल कंपनियों को दबाकर कह दिया। आटोमोबाइल कंपनियां सबके पास जाती हैं, जाकर कहती हैं और क्या बात करती है, आप सब जानते हो। जाकर कहती हैं, साहब, आप चिंता मत कीजिये, आप हमारा ध्यान रखिये। हमें ऑटोमोबाइल कंपनियों की चिंता नहीं है, एक अप्रैल से आटोमोबाइल कंपनियों को फ्री में हैलमेट देना पड़ेगा चाहे वे कुछ भी कर लें, क्योंकि आटोमोबाइल कंपनियों के भरोसे राजस्थान का परिवहन विभाग नहीं चलता।

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

मैं आज आपको जुबान दे रहा हूं, विपक्ष के नेता महोदय, ब्लैक स्पाट चिह्नित किये गये हैं। राजस्थान में 50 हजार पंचायतों पर सड़क सुरक्षा अग्रदूत बनाये गये हैं, पूरी तैयारी है और ब्लैक स्पाट चिह्नित करने के साथ जितने भी नेशनल हाईवे पर, 70 परसेंट दुर्घटनाएं नेशनल हाईवे पर होती है, हम सब जानते हैं, नेशनल हाईवे पर यह जो टोल कंपनियों की दादागीरी है, वो दादागीरी खतम करने के लिए भी हमने तय किया है कि हमने अभी सड़क सुरक्षा, जब हमारी मीटिंग हुई उसमें तय किया कि किन-किन नोर्म्स पर काम हो सकता है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय मंत्री जी, यह पालिसी ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सारा काम करेंगे और सड़क दुर्घटनाओं को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज, नाट अलाउड। अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

मदरसों में कार्यरत पैराटीचरों के नियमितीकरण करने की कार्ययोजना

249. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से मदरसों के विकास और आधुनीकरण के लिए राशि मिलने में विलम्ब हो रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के मदरसों में कुल कितने पैराटीचर कब से कार्यरत हैं व उन्हें कितना मानदेय दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के मदरसों में कार्यरत पैराटीचर को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार की प्रदेश के मदरसों में पैराटीचरों की भर्ती करने की कोई योजना है? यदि हां, तो कब तक?

(5) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में प्रदेश में कई मदरसे बंद हो चुके हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। राज्य

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

सरकार को केन्द्र सरकार द्वारा मदरसों के विकास और आधुनीकरण के लिए "स्कीम फार प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसाज" (SPQEM) योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भिजवाये गये प्रस्तावों में से कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई। केवल मात्र वर्ष 2013-14 में स्वीकृत की गई कुल राशि 650.42 लाख रुपये में से शेष रहे केन्द्रांश 195.13 लाख रुपये के विरुद्ध 169.92 लाख रुपये वर्ष 2019-20 में दिया जाना स्वीकृत किया है, जो केन्द्र सरकार से प्राप्त होना शेष हैं।

(2) राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में वर्ष 2001 से विभिन्न चरणों में नियुक्ति पश्चात् वर्तमान में कुल 5897 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं। शिक्षा सहयोगियों को चरणवार नियुक्ति के आधार पर न्यूनतम रुपये 7602 व अधिकतम रुपये 9475 का मानदेय दिया जा रहा है। चरणवार नियुक्ति व मानदेय विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.5 (1) म.म./2019 दिनांक 01.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदाकर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु श्री बुलाकीदास कल्ला, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों के संबंध में चाही गयी सूचना मंत्री स्तरीय समिति को प्रेषित की जा चुकी है।

(4) राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में शिक्षा सहयोगी संविदा के आधार पर लगाये जाते हैं। वर्तमान में मदरसा बोर्ड में पैराटीचर्स की कोई भर्ती प्रक्रियाधीन व प्रस्तावित नही है।

(5) राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीयन की शर्तें पूर्ण नहीं करने के कारण कुल 661 मदरसे अपंजीकृत (डी-रजिस्टर्ड) किये जा चुके हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा संख्या एक में माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्ष 2013-14 के पश्चात् केन्द्र सरकार ने SPQEM योजना के तहत राज्य सरकार को जो राशि मिलनी चाहिए थी, प्रस्ताव बनाने के बाद भी नहीं भेजी गई। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 2013-14 के बाद से अब तक कितनी बार भारत

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

सरकार को पत्र लिखा या कोई अधिकारी दिल्ली जाकर के इस संबंध में मिला?

नंबर दो, पैराटीचर्स को नियमित करने के लिए श्री बी.डी. कल्ला साहब की अध्यक्षता में एक मंत्री स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसको एक साल से ज्यादा समय हो चुका। इस मंत्री स्तरीय समिति की अब तक कितनी बार बैठकें हुईं और किन-किन बिन्दुओं पर सहमति हुई?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना चाही है, 2013-14 के बाद में, क्योंकि 2013-14 में नई सरकार आ गई थी। सबसे पहले सरकार ने 650.42 लाख की लिस्ट भेजी। उसमें से अभी तक सिर्फ 2013-14 में हमें 169.92 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। हालांकि पैसे अभी भेजे नहीं हैं।

दूसरी किश्त 2014-15 में पिछली सरकार ने प्रस्ताव भेजे नहीं। 2015-16 में प्रस्ताव भेजे। 2018-19 में प्रस्ताव भेजे। 2019-20 में हमने प्रस्ताव भेजे। कई पत्राचार भी किए। भारत सरकार ने जो सूचना चाही थी, वह 13.03.2019 को पत्र लिखकर सूचना भी भेज दी। उसके बावजूद भी आज तक हमें कोई पैसा प्राप्त नहीं हुआ है।

दूसरी, जो पैराटीचर्स के बारे में मंत्रिमंडलीय समिति बनी है, जो हमारे घोषणा-पत्र में वादा किया था, मुख्य मंत्री जी ने एक समिति बनाकर के तमाम जो संविदाकर्मी हैं, उनके लिए 5 बार बैठकें हो चुकी हैं। विभाग से जो सूचना मांगी गई थी, वह सूचना हमने समिति को दी है।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): अध्यक्ष महोदय, पैरा नंबर 2 में मैंने मानदेय के लिए पूछा है। वह 7602 व 9475 रुपये मिलते हैं। जो शिक्षा स्कूलों में दी जाती है, वही मदरसों में दी जाती है। क्या इन मदरसा टीचर्स का मानदेय बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा? जिस प्रकार से हर ब्लाक में माडल स्कूलों की स्थापना की गई है, इसी प्रकार से क्या मदरसों में भी आधुनीकरण करने का प्रयास करेंगे?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी मुख्य मंत्री जी ने माडल मदरसे बनाने के लिए 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। उसमें 90 परसेंट विभाग दे रहा है और 10 परसेंट जन सहयोग ले रहे हैं। यदि इस प्रकार के आपके जिले

(श्री शाले मोहम्मद)

में या आपके विधान सभा क्षेत्र में कोई मदरसा आवेदन करेगा तो उसको माडल मदरसा बनाने के लिए हमारा विभाग सहयोग जरूर देगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

250. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां -कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने पद भरे हुए हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार ग्राम पंचायत सरूपाल के गांव रेटड़ाकला और खरेड़ा में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के अन्तर्गत 3 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: बड़गांव, गिर्वा एवं उदयपुर शहर संचालित हैं। जिसके अन्तर्गत बड़गांव के 32, गिर्वा के 153 एवं उदयपुर शहर के 24 कुल 209 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वीकृत, रिक्त एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

मानदेय पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	209	204	5
आंगनबाड़ी सहायिका	191	190	1
आशा सहयोगिनी	191	183	8

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(3) जी हां। सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है। मानदेय पद रिक्त होने पर उन्हें भरने की एक सतत प्रक्रिया है। मानदेय कार्मिकों के पद रिक्त होने पर विभागीय नियमानुसार ग्राम सभाओं/शहरी चयन समितियों के माध्यम से रिक्त मानदेय पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

(4) वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है।

(5) रेटड़ाकला एवं खरेड़ा नाम से कोई आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत नहीं है। रेटड़ा गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है जिसमें इस गांव के सभी बच्चे आते हैं। हवनाकुई में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है, जहां खरेड़ा गांव के बच्चे आते हैं। वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र कितने हैं? उनमें से अपने भवनों में कितने चल रहे हैं? कितने किराए के भवनों में चल रहे हैं? उनको कितना किराया दिया जा रहा है? पहला प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: संबंधित प्रश्न पूछो। यह बिलकुल अलग प्रश्न हो गया। भवन के बारे में अलग से पूछो। इसी से संबंधित पूछो। हम भवन पर आ गए।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कुल 209 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। विभागीय भवनों में 142 चल रहे हैं। स्कूलों में संचालित 8 हैं। अन्य सरकारी भवनों में 16 संचालित हैं। किराए के भवनों में 43 संचालित हैं। निर्माणाधीन भवन अभी 3 हैं। किराया जो भारत सरकार का नियम है, उसके तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अलग-अलग किराया है। यह किराया भारत सरकार तय करती है। उसी आधार पर किराया दिया जाता है। यह विभाग 60:40 के रेशो से भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जाता है।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा

(श्री फूल सिंह मीणा)

प्रश्न है कि पूर्व सरकार ने मांबाड़ी केन्द्र खोले थे। क्या हमारी सरकार भी हमारे दूरदराज एरिया में, बिखरी हुई आबादी में जनजाति विभाग द्वारा मां बाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह।

चित्तौड़गढ़ में ए क्यू आई डिजिटल डिसप्ले बोर्ड लगाने की कार्ययोजना

251. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ में सीमेन्ट उत्पादन प्रचुर मात्रा में होने के कारण यहां पर वायु प्रदूषण की मात्रा भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? यदि हां, तो विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ की वायु प्रदूषण जांच (AQI AIR QUALITY INDEX) विगत तीन वर्षों में कब-कब की गई तथा उसमें वायु में प्रदूषण स्तर क्या-क्या पाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि AQI-AIR QUALITY INDEX में वायु में व्याप्त सभी गैसों का सटीक विवरण उपलब्ध हो जाता है? यदि हां, तो आमजन को सूचनार्थ AQI के डिजिटल सूचना बोर्ड चित्तौड़गढ़ जिले के किन-किन शहरों और कस्बों में लगे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ में संचालित विभिन्न फैक्ट्रियों के आस पास AQI-AIR QUALITY INDEX डिजिटल डिसप्ले बोर्ड लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी नहीं। ऐसा नहीं हैं कि चित्तौड़गढ़ में सीमेंट उत्पादन प्रचुर मात्रा में होने के कारण वायु प्रदूषण की मात्रा प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तथापि राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा माह फरवरी, 2018 से चितौड़गढ़ शहर में तीन स्थानों यथा

i. क्षेत्रीय कार्यालय, रा.प्र.नि.मं., चंदेरिया,

ii. वेटेरिनरी हास्पिटल, मीरा नगर और

iii. पी.एच.ई.डी. पम्प हाउस सेगवा, हाउसिंग बोर्ड,

(राज्य मंत्री, वन)

पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता केन्द्र (मैन्युअल) स्थापित कर सप्ताह में दो बार परिवेशीय वायु की जांच की जाती है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों में पार्टिकुलेट मैटर (PM10) के मासिक आंकड़े निर्धारित औसत वार्षिक मानकों से अधिक पाये गये जबकि सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन डाई आक्साइड के आंकड़े निर्धारित वार्षिक औसत मानकों के अन्तर्गत हैं। प्रदूषण के स्तर एवं AQI (AIR QUALITY INDEX) का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। AQI-AIR QUALITY INDEX, जन सामान्य के लिए हवा की गुणवत्ता की स्थिति जानने के लिए एक सरल एवं प्रभावी इंडेक्स है, जो कि किसी समय विशेषकर वायु में उपस्थित पार्टिकल मैटर यथा PM10 एवं PM2.5 तथा विभिन्न गैसों के स्तर को दर्शाता है। वस्तुतः AQI-AIR QUALITY INDEX पार्टिकल मैटर एवं गैसीय तत्वों के परिमाप को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करता है।

जी नहीं। चितौड़गढ़ जिले में वर्तमान में AQI डिजिटल सूचना बोर्ड राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा स्थापित नहीं है तथापि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा चितौड़गढ़ जिले को शामिल करते हुए प्रदेश के शेष 26 जिला मुख्यालयों यथा बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनूं, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक में सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें डिसप्ले बोर्ड भी लगाये जाने का प्रावधान हैं।

(3) वर्तमान में चितौड़गढ़ जिले में AQI डिजिटल सूचना बोर्ड स्थापित नहीं है तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा चितौड़गढ़ जिले को शामिल करते हुए प्रदेश के शेष 26 जिला मुख्यालयों यथा बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक में सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें डिसप्ले बोर्ड भी लगाये जाने का प्रावधान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ में हिन्दुस्तान जिंक भी है। फैक्ट्रियों के हब भी हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। प्रश्न। समय हो जाएगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): चित्तौड़गढ़ किस श्रेणी में आता है? विभाग द्वारा प्राप्त उत्तर में एयर क्वालिटी कंडीशन के आंकड़ों को दर्शाया गया है। चित्तौड़गढ़ में औसतन क्वालिटी 150 से 200 है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, वहां एयर क्वालिटी कंडीशन का बोर्ड लगाना बहुत जरूरी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार वहां लगवा दें।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): यह प्रस्तावित है। मंजूर होते ही लगा दिया जाएगा।

(12:00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः- ...(व्यवधान)

माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी। आवाज यहां तक आ रही है।

(1) श्री अविनाश एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पिछले कई दिनों से चोरी, लूट एवं नकबजनी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से रणथम्भौर अभयारण्य के निर्धारित मापदंडों से ज्यादा बाघों को मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर क्षेत्र का विकास करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू की ग्राम पंचायत वाटेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 फरवरी, 2020 को शराब पीकर क्लास लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से शिक्षा के अधिकार कानून के

(श्री अध्यक्ष)

अन्तर्गत प्रवेश देने वाले निजी विद्यालयों को फीस का पुनर्भरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिये अपने स्तर पर नियम बदलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

माननीय सदस्य। महिला सदस्यों को अलग-अलग बैठाना पड़ेगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज।

(6) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली नगर परिषद् सीमा में स्थित कतिपय गांवों के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में नदियों से हो रहे बजरी के अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री कन्हैयालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालपुरा से होकर गुजर रहे स्टेट हाईवे संख्या-37ए पर तीन जगह लगे टोल बूथों पर अनावश्यक समय लगने से वाहन चालकों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(9) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में पुलिस प्रशासन द्वारा अफीम व डोडा चूरा के प्रकरणों में अनियमितता तथा हेराफेरी करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री गोपीचन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, टिटोडा जागीर के भवन के 10 कमरों में से 7 की पट्टियां टूटे होने से प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों से शक्करगढ़ थाना प्रभारी, विक्रम सिंह द्वारा मारपीट किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 754-K के लिए अवाप्त की गयी भूमि का उचित मुआवजा दिये जाने की मांग को लेकर पिछले 163 दिनों से चल रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से सिरोही जिले के मकावल में विद्‌युत ठेकेदार की लापरवाही से लाइनमैन जाकिर की खम्भे पर ही जलकर मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से उदयपुर जिले में होमगार्ड की ड्यूटी लगाने में भ्रष्टाचार के आरोपी कमाण्डेन्ट को ही जांच अधिकारी बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में मादड़ी से डेण्डा व डेण्डा से गून्दोज सड़क डामरीकरण नहीं होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(15) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से प्रदेश में उम्रदराज व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट बायोमैट्रिक मशीन द्‌वारा नहीं लेने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में जलदाय विभाग के अभियंताओं के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(17) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से 26 फरवरी, 2020 पुलिस द्‌वारा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किये गये जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री ताराचंद खटीक निवासी हमीरपुरा जिला बाड़मेर की पुलिस हिरासत में मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री जोगेश्वर गर्ग एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से 26 फरवरी, 2020 को पुलिस द्‌वारा चोरी के आरोप में गिरफ्तार किये गये जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री ताराचंद खटीक निवासी हमीरपुरा जिला बाड़मेर की पुलिस हिरासत में मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्तावों पर आज शून्य काल के पश्चात् राज्य सरकार द्‌वारा वक्तव्य दिया जाएगा।

(19) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम अरनिया के 50 वर्षीय किसान गिरिराज मीणा की विद्‌युत विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से हुई मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(20) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा और बूंदी जिले के घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध खनन और वन्य जीवों पर हमले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(21) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से राजकीय सामान्य चिकित्सालय, पीसांगन में फैली अव्यवस्थाओं के कारण ग्रामीणों द्वारा दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(22) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर के जे.एल.एन. चिकित्सालय में आवश्यक संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती कल्पना देवी, श्री संदीप शर्मा, श्री रामस्वरूप लाम्बा एवं श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री गजराज खटाणा, सदस्य की ओर से बांदीकुई शहर में पेयजल की समस्या से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से देवास प्रथम अलसीगढ़ डैम का गेट खराब होने से व्यर्थ बह रहे पानी के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट के कार्यों में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(4) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के वार्ड नम्बर 25 में गन्दे पानी की निकासी न होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बून्दी के बरूंधन में घोड़ा पछाड़ नदी पर पुलिया का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े राजकीय विद्यालयों के भवनों की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के वार्ड नम्बर 2 एवं 3 में आवासीय पट्टे जारी करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री हीराराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के डा. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय को पी.जी. महाविद्यालय में क्रमोन्नत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में डी.एल.सी. की दरों का पुनर्निर्धारण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर के वार्ड नम्बर 3 में सड़कों से वंचित जाजोलाई की तलाई एवं उसके आस-पास की ढाणियों में सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन स्थित ए.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर की सड़कों पर बने रपटों के स्थान पर पुलियाओं का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से बारां शहर की कालोनियों में घरों के ऊपर से निकल रही हाइटेंशन लाइनों को शिफ्ट करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भादरा की अमरसिंह ब्रांच व सिद्धमुख नहर के लिए बजट आबंटित करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री पब्बाराम, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुक कम हैल्परों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माननीय सदस्यों के उपरोक्त सभी प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे।

(नियम 295 के अंतर्गत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

पर्ची

आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 20 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नानुसार हैं:-

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य द्वारा बारां जिले में कल दिनांक 27.02.2020 से धारा 144 लगायी जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री धर्मनारायण जोशी, सदस्य द्वारा मावली विधान सभा क्षेत्र में उदयसागर की कच्ची नहरों से पानी की बर्बादी व किसानों की हो रही फसलों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य द्वारा चौमूं में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिये बीसलपुर योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गणेश घोघरा, सदस्य की ओर से रीट लेवल-1 के शेष 1167 पदों को टीएसपी क्षेत्र के जनजाति के अभ्यर्थियों से भरे जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती कल्पना देवी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

लाडपुरा के अरनिया में विद्युत विभाग की लापरवाही से किसान की मृत्यु

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अपने विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम अरनिया के ग्राम पंचायत गोदल्याहेड़ी के किसान गिरिराज मीणा की मृत्यु जो कि करण्ट की वजह से हुई है, उसके बारे में अवगत करवाना चाहती हूं। 31 मार्च के बिजली की वसूली के दबाव के कारण और बकाया पूरा जमा करने के कारण किसानों पर भारी दबाव पड़ रहा है और हर रोज खूब सारे किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो हम सब सदन में खड़े होकर किसानों के हित की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम इस तरह से किसानों को प्रताड़ित करते हैं। ऐसे ही एक किसान गिरिराज मीणा जो सिर्फ 50 साल का था, वह अपने खेत पर पानी देखने गया था 26 फरवरी को अभी की 26 फरवरी की बात है। शाम छह,

(श्रीमती कल्पना देवी)

साढ़े छह बजे वह अपने खेत पर पानी चैक करने जाता है, अधिकारियों ने उसे बताया नहीं कि उसका कनेक्शन काटा गया है। जैसे ही वह खेत पर पहुंचा, एक तार जो कि शायद पानी में पड़ा होगा और पानी में करंट चल रहा था, उसके कारण करंट लगने से वहीं उसकी मृत्यु हो गयी। अब ऐसी लापरवाही के कारण किसान की जान जाए और फिर दूसरी तरफ हम सब किसान के हित की बात करें तो यह हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है। पचास साल का वह जो किसान मरा है, अब उसके घर में सभी बेसहारा हो गये हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि इससे बड़ी घटना भी हो सकती थी, परंतु एक जान भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि यह लापरवाही जिस भी अधिकारी-कर्मचारी, जिसकी भी वजह से हुई हो, उसकी जांच की जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो। पीड़ित परिवारों को जो भी मुआवजा दे सकें, उन्हें वह दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा व बूंदी में अवैध खनन व वन्यजीवों पर हमले

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे स्थगन नियम 50 के अंतर्गत बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा तथा कोटा के वन्य क्षेत्र में चम्बल नदी के किनारे केशोवरायपाटन और बून्दी क्षेत्र तक जो राष्ट्रीय घड़ियाल अभयारण्य के रूप में घोषित है, वहां पर पुलिस और वन विभाग की नाक के नीचे खनन माफिया द्वारा निरंतर खनन किया जा रहा है, जिसमें अवैध बजरी, पत्थर, मिट्टी और अन्य खनिज सम्पदाओं को लगातार पुलिस के सामने ट्रोलियों, ट्रकों और बड़ी-बड़ी गाड़ियों में भरकर निकाला जा रहा है। लगभग 40 से 70 किलोमीटर क्षेत्र का ऐसा एरिया है, जहां पर लगातार खनन हो रहा है। इस क्षेत्र के केशोवरायपाटन, रंगपुर, मानसगांव, घघटाना, बालापुरा, छीपरदा, श्योपुरा, मण्डावरा, मण्डावरी, झोठड़ी, रोटेदा, डोलर, जगदरी आदि 40 से भी अधिक गांवों में चम्बल नदी पर खनन माफियाओं ने कब्जा कर रखा है।

बून्दी रोड स्थित तलाब गांव, यह तो पूरा गांव है जहां 600 बड़े ट्रक हैं, रेत तस्करी का सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहां रेत खुले आम तस्करी के रूप में

(श्री संदीप शर्मा)

इकट्ठी की जाती है और यहां से उसकी सप्लाई होती है। अधिकारियों की अनदेखी के चलते जो मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व एरिया है, उसके बाघ वाले एरिया में अवैध रेती का खनन हो रहा है। इसकी रोकथाम को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

कोटा और बूंदी जिले में कुछ समय से राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आये दिन मोरों के शव बरामद हो रहे हैं और बून्दी सबसे बड़ा मोरों का शिकार करने वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। आईएल, जहां पर मोरों के लिए प्रजनन और संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है, ताकि मोरों का प्रजनन और संरक्षण हो सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को हम बचा सकें, इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही चम्बल नदी और मेज नदी में मछलियों और कछुओं का लगातार शिकारियों द्वारा शिकार किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामस्वरूप लाम्बा।

पीसांगन के राजकीय चिकित्सालय में अव्यवस्थाएं

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र के पीसांगन उप खण्ड में जो राजकीय चिकित्सालय सीएचसी है, वह काफी बड़ा है और पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थापित है। यहां पर कम से कम 70-80 गांव लगते हैं। आसपास के पाली जिले से भी यहां मरीज आते हैं। यहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। डाक्टर लगे हुए नहीं हैं। जनप्रतिनिधि, जो ग्रामीणों और किसानों से सम्बन्धित हैं, सभी धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अभी टैम्परेरी व्यवस्था यह की गयी है कि आसपास की पीएचसी के दो डाक्टरों को इन्होंने पीसांगन अस्पताल में टैम्परेरी तौर पर लगाया है, जिससे मरीजों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन है कि यह जो पीसांगन मुख्यालय है, यहां पर डाक्टरों की परमानेंट व्यवस्था की जाए। यह हाई-वे से भी काफी अन्दर है और अजमेर हैडक्वार्टर से भी काफी दूर है। आपके माध्यम से यही निवेदन है कि जो अस्पताल है, उसकी व्यवस्था को सुधारा जाए। यहां पर 108 की जो व्यवस्था है, उसे भी सुधारा जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर के जेएलएन चिकित्सालय में संसाधनों का अभाव

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर का जेएलएन हास्पिटल सबसे बड़ा सम्भागीय हास्पिटल है, जिसमें रोजाना दो हजार से तीन हजार आउटडोर रहता है, जिसमें सैकड़ों हृदय रोगी भी आते हैं। हृदय रोग की जो तकलीफ होती है, अस्पताल में भर्ती कराये जाने के बाद हृदय में ब्लाकेज की जांच के लिए एंजियोग्राफी जांच की आवश्यकता रहती है। जब ब्लाकेज आती है तो चिकित्सक एंजियोप्लास्टी के माध्यम से स्टंट लगाकर उसका इलाज करते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से इस एंजियोग्राफी का जो सामान है, जिसमें आरटीओ शीट है, कोरोनरी कैथेटर है, गाइड वायर है और डाई है, इन चारों चीजों की वहां पर कमी है। लगभग दस दिन से कमी होने के कारण किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो पा रहा है। यह केवल पहली बार नहीं हुआ है। हर दो-तीन महीने में इस प्रकार की परिस्थिति बनती है कि इस प्रकार के संसाधन अनुपलब्ध होने के कारण उन मरीजों का इलाज नहीं हो पाता। भर्ती तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद लम्बे समय तक यदि एंजियोग्राफी नहीं होती तो हार्ट पर इफैक्ट पड़ता है और हार्ट कमजोर होता है। अत: इस सम्बन्ध में मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इसकी व्यवस्था की जाए और जहां तक मेरी जानकारी है, यह जो आपूर्तिकर्ता कम्पनी है, उसे समय पर भुगतान न होने के कारण यह सामान नहीं पहुंचता तो इसकी कार्यवाही की जाए कि आखिर क्यों नहीं वहां पर सामान पहुंचता। भविष्य में सामान समय पर पहुंचे, उसका स्टाक रखा जाए और सरकार समय पर उसकी कार्यवाही करे ताकि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो सके। विशेष रूप से बीपीएल भामाशाह, जो लोग गरीब हैं, अमीर लोग तो प्राइवेट हास्पिटलों में करा लेते हैं, लेकिन गरीब और बीपीएल के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो, इसकी व्यवस्था सरकार तुरंत करे और आपूर्ति की व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बारां में धारा 144 की पालना में लापरवाही

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, बारां में

(श्री मदन दिलावर)

जिला प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 144 लगायी। उन्हें इनपुट मिला है कि बारां जिले में, बारां शहर में कुछ अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। एहतियात के तौर पर उन्होंने सावधानी बरतते हुए धारा 144 लगायी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामान्यत: लगती रहती है, पर इसमें जिला कलेक्टर ने लोगों से चर्चा में यह कहा कि बारां शहर में जहां अंजुमन चौराहा है और जहां प्यारे राम जी का मन्दिर है, वहां धारा 144 लागू नहीं रहेगी। शेष शहर और पूरे जिले में लागू रहेगी। यह बोलचाल की भाषा में कहा जा रहा है कि ऐसा व्यवहार वहां कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह जो अंजुमन चौराहा है, यही सबसे ज्यादा विस्फोटक है। यदि कोई अनहोनी घटनाएं होंगी तो यहीं से होंगी, क्योंकि यहां पर सब जेबकतरे, चोर, डकैत वगैरह हैं, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान हों, इसी एरिया में वे अधिकतर रहते हैं।

इसी एरिया में उन लोगों का आना-जाना रहता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यदि धारा 144 की पालना करवानी है तो पूरे जिले और पूरे शहर में करवानी चाहिए। एक भाग में करवाना ठीक भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बारां शहर में पूरी तरह से धारा 144 रहे। किसी को भी सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात को छूट न दी जाए, न तो जुलूस निकालने की दी जाए, न धरना देने की दी जाए, न इकट्ठा होने की दी जाए। अभी भी धारा 144 लागू है, परंतु फिर भी वहां पर ऐसी छूट दी जा रही है। वहां धरने पर लोग बैठे हुए हैं। वहां इकट्ठा हो रहे हैं और अशान्ति फैला रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसी सम्भावना है कि वहां लोगों को विस्फोटक सामग्री एकत्रित करने की छूट दी जा रही है ताकि वहां गैर मुस्लिम लोगों पर हमले किये जा सकें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी।

मावली में कच्ची नहरों से पानी की बर्बादी

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे मावली क्षेत्र में उदयसागर की जो नहर निकली हुई है, उसकी जो छोटी-छोटी वितरिकाएं हैं, वे

(श्री धर्मनारायण जोशी)

सब कच्ची हैं तो पानी वेस्ट जा रहा है। कहीं तो पानी ज्यादा भरा है और कहीं टेल पर पानी पहुंच ही नहीं रहा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि उसे रिपेयर करवाया जाए। मैंने गत बार एक प्रश्न पूछा था कि इर्रिगेशन में पिछले साल में कितने रुपये लगाये गये? आपको आश्चर्य होगा, प्रश्न का उत्तर इतना अस्पष्ट था, उसे कोई पढ़ नहीं सकता। जिला परिषद् की बैठक में मैंने कलेक्टर से कहा कि आप इसे पढ़कर सुनाएं। केवल मात्र उसमें यह पढ़ा गया कि मेरे बागोलिया डैम में उन्होंने 28 लाख रुपये रिपेयर में लगवाये, परंतु आपको आश्चर्य होगा कि एक रुपया भी रिपेयर में नहीं लगा पिछले साल में। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसकी जांच करवायी जाए। कुछ तालाब जैसे- भारोड़ी का तालाब, सिन्दू का तालाब और मांडक्यावास का तालाब, जिसमें पानी रिस रहा है और इस अकाल में मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो पानी रिस रहा है, जो कच्ची नहर है, उसे रिपेयर करवाया जाए। यही आपसे निवेदन है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

चौमूं में गम्भीर पेयजल समस्या

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरी चौमूं नगरपालिका की आबादी 45 हजार के आस-पास है और इस 45 हजार की आबादी को पानी पिलाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा 36 करोड़ रुपये की पेयजल योजना स्वीकृत की गई थी। उसके अन्दर काम भी हुआ, पाइप लाइन भी डली, एसआर भी हुई, सीडब्ल्यूआर का काम भी हुआ। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जहां से पानी लाया गया वह गुंवारड़ी और बलेखन था पर अब वहां से पानी लाना सम्भव नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि 2012 के अन्दर 7 नगरपालिकाओं को पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था दी गई थी। मैं चाहूंगा कि 7 नगरपालिकाओं की पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करना वश की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपकी नाथद्वारा जो नगरपालिका है उसको भी पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था दी गई है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो पेयजल आपूर्ति का कार्य जो नगरपालिकाओं को सुपुर्द किया गया था वह वापस पीएचईडी को हैण्डओवर किया जाए ताकि उसकी व्यवस्था को सुधारा जा सके।

(श्री रामलाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि 45 हजार की आबादी है और 45 हजार की आबादी के लिए जेडीए से हमने एसआर बना दी, सीडब्ल्यूआर भी बना दिया, पाइप लाइन भी डाल दी। हरमाड़ा तक आपकी बीसलपुर योजना गई हुई है और हरमाड़ा से लेकर चौमूं तक सिर्फ पाइप लाइन डालने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, हरमाड़ा से लेकर चौमूं तक अगर आपकी पाइप लाइन डल गई तो मेरे ख्याल से आने वाले समय के अन्दर पानी की कोई समस्या नहीं होगी वर्ना इसी ऋतु के अन्दर कानून व्यवस्था बनाये रखना भी मुश्किल होगा।

अध्यक्ष महोदय, अन्तिम निवेदन यह करूंगा कि मेरे चौमूं के अन्दर एक ए.ईएन. की पोस्ट है, वह भी खाली है, जे.ईएन. की पोस्ट है वह छुट्टी लेकर चली गई लेकिन आज 45 हजार की आबादी के ऊपर सिर्फ तकनीकी स्टाफ के माध्यम से पूरी व्यवस्था चालू है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): इसलिए मैं चाहूंगा कि जो रिक्त पद हैं वे तुरन्त भरे जाएं, बीसलपुर से चौमूं को जोड़ा जाए और तीसरा, जो आपने नगरपालिका को आपूर्ति व्यवस्था दे रखी है उसको वापस पीएचईडी को दिया जाए। ये तीन ही निवेदन हैं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेश घोघरा।

रीट लेवल-1 के पदों पर टीएसपी क्षेत्र के जनजाति अभ्यर्थियों की नियुक्ति

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि टीएसपी क्षेत्र में 5503 पद रीट लेवल प्रथम के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसमें 1167 पद रिक्त बचे हुए हैं। अनारक्षित वर्ग को रीट में 60 प्रतिशत को योग्य माना है और एसटी, जनजाति अभ्यर्थियों को 36 प्रतिशत को रीट में पात्र माना है तो जो 1167 पद रिक्त बने हुए हैं उनको जनजाति अभ्यर्थियों से भरा जाए, यह मेरा सरकार और आपसे निवेदन है।

(श्री गणेश घोघरा)

एक और बात करूंगा कि जो भी अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, वे ओवर-एज हो रहे हैं और भुंवाली के पास हाईवे पर कांकड़ी डूंगरी पहाड़ी पर छोटे-छोटे बच्चे लेकर लेडीज और युवा बेरोजगार अभ्यर्थी रात-दिन एक महीने तक धरने पर बैठे रहे थे तो यहां से मालविया जी और अन्य नेता गये जिन्होंने समझाइश करके पहाड़ी से उतारा तथा कहा कि आपकी कमेटी बनाई जाएगी और आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती ली जाएगी। लेकिन, अभी तक वह कमेटी भी नहीं बनी है। मैं आपसे, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 1167 पद जो टीएसपी एरिया के शिक्षक लेवल प्रथम के रिक्त बचे हुए हैं, वे जनजाति अभ्यर्थियों से भरे जाएं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। पहले बूंदी के बारे में बोलें, फिर बाड़मेर के बारे में।

शासकीय वक्तव्य

बूंदी स्थित मेज नदी में बस दुर्घटना के सम्बन्ध में सहायता

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले के लाखेरी उप खण्ड क्षेत्र में मेज नदी में बस गिर जाने से घटित दुर्घटना के सम्बन्ध में सहायता का विवरण दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में हुई दुखद बस दुर्घटना में मारे गये सभी लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। इस सम्बन्ध में सरकार पहले ही प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख और घायलों के परिवार को 40 हजार रुपये प्रति परिवार देने की घोषणा कर चुकी है जिसको बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति मृतक परिवार करने की घोषणा करता हूं। इस दुर्घटना की जांच डिवीजनल कमिश्नर, कोटा करेंगे और सात दिन के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देंगे।

हम मृतकों के आश्रितों के भविष्य के बारे में भी चिन्तित हैं। इसलिए पीड़ित परिवार के समस्त पढ़ने योग्य बच्चों को पालनहार छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया जाएगा। पीड़ित परिवारों के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जैसे वृद्धावस्था, विधवा पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा। पीड़ित परिवार के पढ़ने योग्य बच्चों को कालेज तक की पढ़ाई एवं छात्रावास की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अनुसूचित जनजाति निगम द्वारा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सभी वयस्क व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार ऋण एवं अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा। आश्रित परिवारों को पात्रतानुसार खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत लाभ भी दिया जाएगा। मृतक आश्रितों की बालिकाओं के विवाह पर अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आज मुख्य मंत्री जी के द्वारा यह घोषणा मेरे द्वारा करवाई गई है और आज मुख्य मंत्री जी खुद भी विजिट कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि वहां के लोगों के साथ मिलकर और भी जो कुछ सरकार की तरफ से मदद हो सकती है, वह भी करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी बाड़मेर के सम्बन्ध में स्टेटमेंट देंगे। दे रहे हैं। उनको पता है।

बाड़मेर में पुलिस हिरासत में मौत

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के पुलिस थाने में युवक की मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मैं अपना वक्तव्य देता हूं।

मृतक श्री जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ताराचन्द जाति खटीक, उम्र 25 साल निवासी हमीरपुरा, बाड़मेर दिनांक 26.02.2020 को दिन में 3.00 बजे पुलिस थाना बाड़मेर (ग्रामीण) पर चोरी के सन्देह में थाने में लाया गया था जिसके द्वारा आज दिनांक 27.02.2020 को समय करीबन दिन के डेढ़ बजे पुलिस अभिरक्षा में अचानक सीने में दर्द होकर चक्कर आने की शिकायत पर उसे तुरन्त ही उपचार हेतु राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर ले जाया गया जहां पर उसको डाक्टरों ने उसी समय करीब दिन में 2.00 बजे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर द्वारा पुलिस थाना बाड़मेर (ग्रामीण) के थानाधिकारी दीपसिंह चौहान, उप निरीक्षक को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया तथा थाने पर पदस्थापित सम्पूर्ण जाप्ता सहायक उप निरीक्षक, दो हैड कांस्टेबल व 14 कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। इस घटनाक्रम के सम्बन्ध में प्राथमिक जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बालोतरा को सौंप दी गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना बाड़मेर (ग्रामीण) द्वारा इस सम्बन्ध में मर्ग संख्या 2 दिनांक 27.02.2020 धारा 176 सीआरपीसी दर्ज किया गया जिसमें यह लिखा गया कि जिला स्पेशल टीम के कांस्टेबल श्री किशोर कुमार ने इत्तिला दी कि न्यू कवास बाड़मेर मगरा में एक कबाड़ी का बाड़ा में एक वाहन द्वारा पाइप लाकर खाली किये गये हैं जो चोरी के हो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

सकते हैं। जिस पर जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र ताराचन्द जाति खटीक निवासी हमीरपुरा, बाड़मेर को थाना बाड़मेर पर लाया गया जिसको आज दिनांक 27.02.2020 को सीने में दर्द होने से राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर ले जाया गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। यह लिखा गया मर्ग 2 में 176 के तहत। इसी प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाड़मेर को नियुक्त किया गया, जिसके द्वारा जांच की जा रही है। मृतक की लाश राजकीय चिकित्सालय, बाड़मेर की मोर्चरी में रखवाई गई है और अभी तक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है।

परिवादी धर्मेन्द कुमार, यह मृतक का भाई है, इस घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को बमुकाम चिकित्सालय, बाड़मेर पर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 26.02.2020 के समय करीब 11.00 बजे मेरे भाई जितेन्द्र कुमार को पुलिस थाना बाड़मेर (ग्रामीण) पकड़कर थाने पर ले जाकर उसे अवैध पुलिस हिरासत में रखकर मारपीट व अमानवीय यातनाएं दीं जिससे आज दिनांक 27.02.2020 को जितेन्द्र कुमार की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। इस रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 30 दिनांक 27.02.2020 धारा 143, 342, 303 आईपीसी व 3/2/5 और 3/2/5ए एससी, एसटी एक्ट थाना, बाड़मेर (ग्रामीण) पर दर्ज करवाकर, अन्वेषण अधीक्षक एससी- एसटी सैल, बाड़मेर के द्वारा शुरू किया गया। उक्त घटना पुलिस अभिरक्षा में मौत से संबंधित होने के कारण अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक 391/96 दिनांक 27.02.2020 से प्रकरण का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, सीबी, रेंज जोधपुर के हवाले किया गया है। जो अनुसंधान हेतु बाड़मेर पहुंच गई है।

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, बाड़मेर को एपीओ कर दिया गया है। मौके पर पुलिस मुख्यालय, जयपुर से अतिरिक्त महानिदेशक, पुलिस, सिविल राइट्स, राजस्थान, जयपुर और महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज पहुंच गये हैं। मृतक के परिजनों के द्वारा मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, न्यायिक जांच व थाना स्टाफ के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की मांग की जा रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, मैं समझता हूं पुलिस की खुद की कार्यशैली और मंत्री जी का वक्तव्य इस सारी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

घटना को बेनकाब कर रहा है। आपने पुलिस कस्टडी में एक मौत पर सीआरपीसी में 176 में मर्ग दर्ज की है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मंत्री जी अपने वक्तव्य के पहले खण्ड में कहते हैं कि इस पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी, बालोतरा कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अपने दूसरे खण्ड में यह कहते हैं कि इसी मामले की जांच एडिशनल एसपी, एससी/एसटी सैल कर रहा है, मृतक के भाई की एफआईआर पर।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अपने इस उत्तर के तीसरे खण्ड में कहते हैं, जो अभी-अभी सदन में कहा कि पूरी जांच अब एडिशनल एसपी, सीआईडी, सीबी, जोधपुर को सुपुर्द कर दी गई है। मैं समझता हूं राजस्थान के अंदर यह पहला प्रकरण होगा, एक ही मामले की जांच तीन एडिशनल एसपी कर रहे हैं और जिस न्यायिक जांच का आपने उल्लेख किया, उसका आदेश सीजेएम ने दिया है जुडीशियल मजिस्ट्रेट को करने के लिए, क्योंकि सारा मामला उनके संज्ञान में आया, तब ये बात हुई।

मैं कोई लम्बी बात नहीं कहूंगा पर मंत्री महोदय आपने मर्ग बताया है और यह कहा कि जितेन्द्र खटीक, 25 वर्ष, हमीरपुर को दिन में 26.02.2020 को तीन बजे उसको लाया गया और 27.02.2020 को डेढ़ बजे वह कहता है कि मेरे सीने में दर्द है। आप हास्पिटल ले जाते हो और मृत घोषित कर देते हो और इस घटना पर आपने एसपी को एपीओ किया, आपने एसएचओ को सस्पैंड किया और आपने पूरे जाप्ते को लाइन हाजिर किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एफआईआर के कुछ अंश पढ़कर सुना दूं तो सारी बात क्लीयर हो जाएगी। एफआईआर देता है धर्मेन्द्र कुमार मृतक का भाई, वह कहता है कि धर्मेन्द्र कुमार पुत्र ताराचन्द, जाति खटीक, निवासी हमीरपुर, मैं एक अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति हूं। दिनांक 26.02.2020 को करीब 11 बजे मेरे भाई जितेन्द्र कुमार को बाड़मेर ग्रामीण की पुलिस लेकर गई, जितेन्द्र कुमार को पकड़कर थाने में ले गये। उसे अवैध हिरासत में रखकर अमानवीय यातनाएं दीं। आगे की बात, जो सारी बात स्पष्ट करती है 27 तारीख को सुबह 9 बजे, मैं, मेरा बड़ा भाई चम्पालाल, मेरे पिता ताराचन्द हम तीनों पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण पहुंचे। हमने पुलिस वाले से कहा कि हम जितेन्द्र को चाय-बिस्किट दे दें। पुलिस ने मुझे अकेले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को अंदर जाने की अनुमति दी। मैं जितेन्द्र के पास गया, वह कमरे में बैठा हुआ था, मैंने चाय का कप दिया, चाय की एक घूंट पीकर उसने बिस्किट खाने से मना कर दिया कि पूरी रात पुलिस ने क्रूरता से मुझे पीटा है, अमानवीय अत्याचार किया है, मुझे ये जान से मार देंगे। उसके बाद पुलिस ने उनको बाहर निकाल दिया। ये तीनों बाप-बेटे पुलिस थाने के बाहर बैठे हैं कि अचानक जितेन्द्र की अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। उसके साथ मारपीट का दूसरा दौर प्रारम्भ कर देते हैं। उसके बाद एक कांस्टेबल भागकर बाहर आता है और कहता है कि जितेन्द्र की तबीयत बिगड़ गई और उसको डालकर हास्पिटल में ले जाते हैं और जितेन्द्र को मृत घोषित कर देते हैं। यह कस्टोडियन डैथ नहीं है तो क्या है मंत्री महोदय? मुझे अफसोस इस बात का है कि आप अनुसूचित जाति, जनजाति की बात करते हैं, दुहाई देते हैं।

इसी सदन में सरदारशहर में नेमीचंद की कस्टोडियन डैथ पर हमने बहिर्गमन किया था, आपने जांच का आदेश दिया, क्या हुआ आज? आरटीआई के कार्यकर्ता, पचपदरा में जगदीश की अक्टूबर, 2019 को कस्टोडियन डैथ हुई, कोई कार्यवाही नहीं। सितम्बर, 2019 को मांगरोल में गिर्राज माली की कस्टोडियन डैथ हुई। इसलिए मेरी मांग है, ये सीआईडी, सीबी से काम नहीं चलेगा, पुलिस-पुलिस की जांच करेगी, क्या करेगी? आप मामला सीबीआई को दीजिए और आप एक करोड़ रुपये कम से कम मुआवजा दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं मृतक के परिवार को आप सरकारी नौकरी भी दीजिए, यह छोटा मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत कृपा की, मैं आपकी सहृदयता के लिए सदन में खड़े होकर कह रहा हूं, इधर प्रतिपक्ष की तरफ से कि आपकी कृपा से स्थगन प्रस्ताव लगा। वर्ना ये जवाब भी नहीं देते, आज पूरे राजस्थान का दलित समाज हाहाकार करके सड़कों पर है। मैं समझता हूं मृतक को एक करोड़ का मुआवजा दे, सीबीआई से जांच करवाये, उससे पहले नहीं। मुझ जैसे गरीब के लिए सीबीआई में जांच देकर, आप सारा काम करा सकते हो, तो इसमें सीबीआई से जांच क्यों नहीं करवाते?

श्री अध्यक्ष: माननीय जोगेशवर जी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो अभी वक्तव्य दिया, उस पर मैं प्रश्न कर रहा हूं। जब इस सदन में पिछले

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

सत्र में और इस सत्र में अपराधों की बढ़ोतरी की चर्चा होती है तो सरकार की तरफ से यह कहा गया कि बढ़ोतरी इसलिए हुई है, क्योंकि एफआईआर ज्यादा दर्ज हो रही हैं।

मैं सरकार को और सरकार के मुखिया को बधाई देना चाहता हूं कि इस मामले में आपकी पुलिस ने एफआईआर से पहले ही कार्यवाही कर दी, एफआईआर का भी इंतजार नहीं था। चोरी थी, किसके पाइप थे, कहां से आये, किसी ने एफआईआर दी क्या, किसी ने शिकायत की क्या? कुछ नहीं, केवल सुनी सुनाई बात के आधार पर आप उठाकर ले आते हैं, गरीब आदमी को, जो कबाड़ का छोटा-मोटा काम करके जैसे-तैसे अपने परिवार को पाल रहा है। उसको आप उठाकर ले आते हैं और चोरी कबूल करवाने के लिए, जैसी कि पुलिस की परम्परा है, प्रैक्टिस है, चोरी कबूल करवाने के लिए, जो कुछ उसकी सेवा की गई, उसका परिणाम उसकी मौत के रूप में आया।

आपने कहा कि डेढ़ बजे पता चला कि उसकी तबीयत खराब है। यह गलत बयानी है। एफआईआर में वह धर्मेन्द्र कह रहा है कि साढ़े नौ बजे मैं उसको चाय बिस्किट देने गया तब उसने कह दिया था कि मेरी तबीयत खराब है। मुझे यहां से ले जाओ, नहीं तो मर जाऊंगा और यह बात उन्होंने वहां पर पुलिस का जो भी मौजूद स्टाफ था, उसको कहा, इसको छोड़ दो, यह बीमार है। उन्होंने कहा कि एसपी के पास जाओ, एसपी से पहले हम नहीं छोड़ सकते। अब गरीब आदमी की एसपी के पास जाने की औकात होती तो मंत्री महोदय आप उसको उठाकर ला भी नहीं पाते। यह भी आप गलत बयानी कर रहे हैं कि उसको डेढ़ बजे वह हुआ, साढ़े 9 बजे और 10 बजे के बीच में आपको सूचना मिल गई कि उसकी तबीयत खराब है। आप डेढ़ बजे हास्पिटल लेकर जा रहे हो, तब जब वह मर कर लुढ़क गया, औंधे मुंह गिरा, ये शब्द प्रयोग किया है धर्मेन्द्र ने, औंधे मुंह गिरा हुआ था मतलब मर चुका था। तब आपके थाने की मानवीयता जागी और उसको हास्पिटल लेकर गये। यह भी अपने आप में एक बहुत दर्दनाक बात है, शर्मनाक बात है, सरकार के लिए, पुलिस के लिए।

अध्यक्ष महोदय, हम जब बात करते हैं 21वीं सदी में जाने की और पुलिस को माडरेट करने की बात जब करते हैं, मेरा सुझाव है, इस संबंध में कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाइये। आपको पता लग जाएगा कि आपकी पुलिस क्या-

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

क्या कारनामे करती है, कैसे-कैसे निर्दोष व्यक्तियों को वह फांसती है और दोषी व्यक्तियों को छोड़ देती है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं इसमें सीबीआई की जांच से कम कोई जांच नहीं होनी चाहिए। तीन-तीन एडिशनल एसपी और न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हैं और मुआवजा एक करोड़ से कम नहीं हो, कम से कम एक नौकरी उसके परिवार में दी जाए। तब उस गरीब के प्रति न्याय हो सकेगा। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत दर्दनाक है। एक 27 साल के किसी बच्चे को कमाकर परिवार चलाने वाले, मैं यह जानना चाहता हूं कि उस बच्चे का कौनसी एफआईआर में नाम था या जिसका वह मुल्जिम था? अगर कोई एफआईआर पैंडिंग हो और उसमें कोई चोरी का मामला लिखवाया हो और उसमें उस पर कोई संदेह हो तो उसके बाद जाकर, उसको लाए पुलिस की ड्यूटी है, लेकिन जो कुछ आप बोले हो, जो चोरी का मर्ग कह रहे हो। वह मर्ग दर्ज हुआ है 27 तारीख को और आप इसको ले गये हो 26 तारीख को, इसका मतलब अपने आप में स्पष्ट हो गया, बिना कोई आधार के, बिना कोई पैंडिंग एफआईआर के आप इस बच्चे को उठाकर ले गये और उसके बाद जिस ढंग से, सवेरे उसके परिवार के पिताजी, दोनों भाई चाय देने गये थे और वह स्वयं और आपकी पुलिस के सिपाही ने ठेठ उस तक चाय पहुंचाई, बिस्किट पहुंचाया था। उसने दो घूंट चाय पी थी और उसके बाद उसने कहा था कि मुझे बाहर निकाल दो। मुझे रात भर जिस तरह से पीटा है, मैं यहीं जेल में मर जाऊंगा। यह आपकी पुलिस की मौजूदगी में उसके परिवार का जो एक व्यक्ति गया था, वह कह रहा है। इसका मतलब यह तो तय है कि उसके साथ मैनहैंडलिंग हुआ है और उसके बाद वह बाहर निकले ही थे और कुछ समय के बाद ही उसकी चिल्लाने की आवाज आई। यह सारा जो वाकया है वह 9:30 और 10:00 बजे का है और आप इसे एक बजे हास्पिटल ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वह आपकी उसी बैरक में मर चुका था। फिर जब आप डाक्टर के पास ले गए तो डाक्टर ने कहा कि यह तो पहले ही मरा हुआ है। अब इसमें कहां संदेह की गुंजाइश रही कि पुलिस कस्टडी में नहीं मरा। मैं यह सोचता हूं कि हम सब लोग यह विचार करें कि हमारा बच्चा था वह और अगर उसको बिना किसी कारण से इस प्रकार से पुलिस ले जाए, छानबीन करे कोई पैंडिंग मुकदमा हो, किसी में वह

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मुल्जिम हो, तो समझ में आ सकता है। बिना मुल्जिम के बाद में उसके नाम से 27 तारीख को आप मर्ग दर्ज करो।

अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र प्रार्थना है मेरी, मैंने स्वयं भी गृह मंत्री का काम लंबे समय तक किया है। मैंने भी इस सदन में स्टेटमेंट दिए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मुकदमा चलेगा, किसी एक को धारा 302 का मुल्जिम बनाकर सजा होगी, हो जाएगी लेकिन उस पीड़ित परिवार को क्या मिलेगा? सवाल यहां है, अगर वास्तव में एक निर्दोष बच्चे को लाकर के पुलिस पीटती है तो उस पुलिस की जिम्मेदारी के साथ-साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है, इसको नकार नहीं सकते आप। अगर आपके कहीं हाथ बंधे हुए हो तो यह सदन आपको इजाजत देता है कि जिस तरह के भी नियम बनाने हो बना लो। एक निर्दोष व्यक्ति को लाकर अगर थाने में उसकी मौत हो जाती है तो निश्चित रूप से उसका पीड़ित परिवार अपने भविष्य को चलाने के लिए सरकार से मांग करता है। उसका हक है, वह भीख नहीं मांग रहा है। अगर यह अपने पर बीते तो अपन इसको महसूस करें। अगर आपको कहीं इसमें अड़चन आ रही है तो इस अड़चन को निकालिए और भविष्य में इस प्रकार की कस्टोडियल डैथ हो जाती है, उसका कोई परमानेंट इलाज करो, जिससे पीड़ित परिवार को भी किसी प्रकार की मदद और सहायता मिल सके। बाकी तो यह मुकदमा दर्ज होना और जेल जाना हो जाएगा पर उसके परिवार के छोटे-छोटे बच्चे इससे नहीं पलेंगे। अगर कहीं हमारे यहां कानून में प्रावधान नहीं है तो डालिए। कोई इतनी कंगाल सरकार नहीं है कि कस्टोडियल डैथ साल में एकाध हो जाती है तो उसके परिवार को पालने के लिए इतनी बड़ी सरकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन बच्चों का हम जिम्मा नहीं ले सकते। अगर पुराना नहीं था तो कुए में डालो, नया बनाओ, लेकिन कम से कम उसके परिवार को सहायता मिले और दूसरा, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि वह धारा 302 का मुल्जिम है और इसकी जांच पुलिस की, क्योंकि अब तक का मेरा अनुभव यह है जांच आप इधर बदलो, इधर बदलो, 2-4 साल तक इधर से उधर गुड़काते रहेंगे और अंत में जाकर के जीरो हो जाएगा। अगर कस्टोडियल डैथ में एक भी पुलिस वाले को जेल हुई हो तो उसका नाम बताओ।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह तो आप बताओ। आप 10 साल होम मिनिस्टर रहे हो, तो आप बताओ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह मैं भी कह रहा हूं न। मैं तो मान रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कस्टोडियल डैथ में मैं मान रहा हूं। कारण क्या है कि जिसकी जांच देनी है उसी को जांच दोगे और वही उस पर कार्यवाही करेगा तो यह केस कभी भी बन नहीं पाएगा। जिस तरीके से हम एविडेंस को इकट्ठा करके और उसको रफा-दफा में डालते हैं और जिस ढंग से पुलिस दबाव में उसका परिवार आता है और परिवार अपनी बातों को, जो गया, सो तो गया, मैं अब इस पुलिस से दुश्मनी मोल ले करके कहां जिंदा रहूंगा इसलिए लंबे समय के बाद घर वाले भी दम तोड़ जाते हैं। मैं चाहता हूं इस प्रकार के केस को आप फास्ट ट्रैक में डालें और फास्ट ट्रैक में डाल करके इसका निर्णय करें और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो, यह जो दोषी है इसको नौकरी से बाहर करो और अगर वह सफल हो जाए तो दोबारा नौकरी में ले लेना, लेकिन तब तक उसको नौकरी से बाहर निकाल दो, तनख्वाह देनी होगी तो देंगे लेकिन भविष्य में कभी भी इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेगा कि किसी निर्दोष को ला करके इस तरह से मार दे। सीबीआई से जांच कराएं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, अलाउ नहीं है। आप बैठें, प्लीज। यह गलत तरीका है। मैं चर्चा बंद कर दूंगा। आप चर्चा की गंभीरता को नहीं चाहते हैं। अब बैठें, प्लीज। Not allowed. प्लीज बैठें। मैं चर्चा खतम कर दूंगा। यह कोई तरीका नहीं है। आपके लीडर बोल रहे हैं, फिर खड़े हो गए। क्या कंपीटीशन चल रहा है लीडरशिप में? प्लीज बैठें आप। यह गलत परंपरा है। आप हाउस नहीं चलाना चाहते हैं तो बंद करें। यह कोई तरीका है। प्लीज, चर्चा नहीं करनी है, तो बंद करें चर्चा को। माननीय मंत्री जी।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है, अध्यक्ष जी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह थाना वही है जिसमें 7 दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें उसको अंडकोष में डालकर जो डाला था न ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठें। एक मिनट बैठें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तीन लोग सस्पैंड किए इस थाने के। यही ग्रामीण थाना है। यही जो बाड़मेर का ग्रामीण थाना है न, 7 दिन पहले जो घटना हुई है वह भी इसी थाने में हुई है और 3 लोग सस्पैंड कर रखे हैं आपने।

श्री अध्यक्ष: माननीय मेवाराम जी, आपको बोलना है?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जी, साहब। अध्यक्ष जी, इस प्रकरण में मैं मानता हूं कि मनीष छंगानी के साथ अन्याय हुआ, एक गरीब परिवार का लड़का था और पुलिस कस्टडी में इसकी डैथ हुई। मैं सरकार से चाहता हूं ... (व्यवधान) जीतू खटीक, मैं सरकार से चाहता हूं कि बोर्ड बनाकर इसका पोस्टमार्टम किया जाए, न्यायिक जांच और इस गरीब परिवार को आप ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता दें और इसके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दें और इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हों, उनको बख्शा नहीं जाए, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए, यह मेरी मांग है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। I'll not allow. मैं बंद कर दूंगा। मैं चर्चा बंद कर दूंगा, I'll not allow. I'll not allow.

चर्चा समाप्त हुई। मंत्री जी, बैठें। चर्चा समाप्त हुई। नहीं होगी। हां करिए आप। 131, श्रीमती अनिता भदेल।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अजमेर में गुलाबबाड़ी फाटक पर आर.ओ.बी. के निर्माण में विलम्ब

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गुलाब बाड़ी आरओबी पर बनाए गए........(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। रमेश मीना जी। वही तरीका है। I'll not be dictated. आप मुझे डिक्टेट करेंगे? कटारिया जी, मैं बिलकुल पसंद नहीं करता, मैंने आपको अलाउ किया है मैंने सरकार से स्टेटमेंट दिलवाया है। आप कौन होते हो मुझे कहने वाले? आप मुझे गाइड करेंगे? आप कौन होते हैं कहने वाले? I'll name you.

चर्चा समाप्त हुई, माननीय मंत्री जी, बोलें। माननीय रमेश जी मीना। बंद करिए। यह तरीका बना रखा है रोज का। नहीं अलाउ होगा। बिलकुल

(श्री अध्यक्ष)

अलाउ नहीं होगा। माननीय मंत्री जी, बोलें। बिलकुल नहीं चलेगा। मैं बंद कर दूंगा हाउस को। बोलिए मंत्री जी।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर में गुलाबबाड़ी फाटक पर बनाए जा रहे आरओबी के निर्माण में हो रहे अत्यधिक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण किया है। अजमेर शहर में लेवल क्रासिंग-44 (गुलाबबाड़ी फाटक) ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मनमर्जी करो। I'll not be dictated. Do whatever you like. I'll not be dictated. Don't take liberty. Don't take liberty. आपको अलाउ नहीं है। यह कोई तरीका नहीं है। यह तरीका नहीं है। माननीय मंत्री जी, बोलें आप। बोलें, रमेश जी। यह कोई तरीका है? डिक्टेट करेंगे मुझे? Will you press down me? आप खड़े हैं, यह इस तरह का तरीका है? आपके लीडर की भी नहीं मान रहे हैं आप। कोई अलाउ नहीं है। बोलें, मंत्री जी बोलें। Enough is enough.

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अजमेर शहर में लेवल क्रासिंग-44 (गुलाबबाड़ी फाटक) पर आरओबी निर्माण कार्य हेतु 39.38 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दिनांक 10-06-2016 द्वारा जारी की गई थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपनी जगह पर बैठें। बाकी कुछ नहीं होगा। आप जगह पर बैठें। आप जगह पर नहीं हो। अपनी जगह पर बैठें। आप कुछ चाहते हो तो जगह पर बैठें। जगह पर बैठें। Not allowed.

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): ... उक्त कार्य का कार्यादेश आरएसआरडीसी लिमिटेड यूनिट अजमेर द्वारा क्रमांक-19, दिनांक 14-08-2018 द्वारा मैसर्स ब्रह्म प्रकाश मोदी, जयपुर को दिया गया था जिसकी प्रस्तावित प्रारम्भ तिथि व समाप्ति तिथि क्रमश: 28-08-2018 एवं 27-2-2020 निर्धारित थी। लगभग 800 मीटर लंबे आरओबी में मौके पर सड़क पर हो रहे अतिक्रमण हटवाने हेतु प्रयास प्रारम्भ से ही किए जाते रहे। अजमेर साइड पर दो पिलर का कार्य किया जा चुका है परंतु उसकी कैप का कार्य जगह अनुपलब्धता के कारण नहीं किया जा सका। तीन पिलरों की नींव की पाइलिंग की गई है परंतु पाइल कैप कार्य सीवरेज लाइन आने से नहीं किया जा सका है। कहीं भी कोई सरिया यातायात में बाधक नहीं है। पिलर पर

(श्री रमेश चन्द मीना)

बैरिकेडिंग एवं रिफ्लैक्टिव टेप आदि से रोड सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। वर्तमान में कार्य लगभग 70 दुकानों के अतिक्रमण नहीं हट पाने से बंद हैं।

संभागीय आयुक्त, अजमेर की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अतिक्रमणकारियों के जल्द से जल्द पुनर्वास/पुनर्स्थापन के प्रयास किये जा रहे हैं। इस बाबत समिति द्वारा अतिक्रमणकारियों के जल्द से जल्द पुनर्वास/पुनर्स्थापन हेतु निर्णय लिया जाकर उनके पत्र क्रमांक 1482 दिनांक 11.02.2020 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर को उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जिस पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

सड़क में आ रहे पानी व सीवर की पाइप लाइनों को शिफ्टिंग में भी विलम्ब होने से निर्माण कार्य प्रभावित रहा है। अब पानी लाइन व सीवर लाइन शिफ्टिंग के कार्य आदेश दिये जाकर कार्य प्रगतिरत है।

मदार साइड में सड़क पर उपलब्ध स्थान पर 5 पिलर पूर्ण कर 4 ब्रिज स्लेब डाली जा चुकी है। मदार साइड में मुख्य सड़क पर साइड गलियों की नालियों से पानी आने से सड़क बार-बार क्षतिग्रस्त हो रही थी। आरओबी कार्य 5 पिलरों के बीच पूर्ण होने पर दोनों तरफ डब्ल्यू.बी.एम. सर्विस रोड बनाई गई है। सड़क मार्गाधिकार से बाहर आकर किये अतिक्रमणों की वजह से लंबी नाली का निर्माण नगर निगम द्वारा नहीं कराया जा सका। उक्त गिट्टी सड़क के नीचे अब हर नाली पर, कुल 7 जगह पाइप डालकर गंदे पानी को रोड क्रास करवाकर रेलवे चारदीवारी में बने नाले में डाला जा चुका है। अब उक्त सड़क पर गंदी नाली का पानी नहीं आ रहा है। पानी व सीवर पाइप लाइन शिफ्टिंग कार्य कराये जाने के उपरांत ही उक्त सर्विस रोड की गिट्टी सड़क का डामरीकरण कराया जा सकेगा। तब तक गिट्टी सड़क की मरम्मत लगातार की जा रही है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा निवेदन है ..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): प्रश्न पूछ रही हूं लेकिन जिस बात के लिये हमारी पार्टी ..

श्री अध्यक्ष: आपको प्रश्न पूछना है या नहीं?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है जिन अतिक्रमणों के कारण पानी सड़क पर आ रहा है, वह अतिक्रमण जो मार्गाधिकार में है, उन अतिक्रमणों को कब तक चिह्नित करके हटा दिया जाएगा? पहला तो मेरा प्रश्न यह है। दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की गई है, वह कमेटी इन 70 दुकानों को कब तक पुनर्वास देगी क्योंकि वह भी गरीब लोग हैं और वह भी अपना व्यवसाय चाहते हैं। 40-40, 50-50 सालों से वह बैठे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो वह उनको कब तक पुनर्वास देगी और दूसरा कब तक मार्गाधिकार में आने वाले अतिक्रमणों को हटा देगी?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी की लाइन और सीवर लाइन की वजह से काम समय पर नहीं हो पाया। एन्क्रोचमेंट में 70 दुकानें हैं, इनको चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कुछ 90 साल के लिये दी गई दुकानें हैं और कुछ 10 वर्ष के लिये दी गई थीं, कुछ अतिक्रमण थे, उन चारों की श्रेणी बांट कर उसी प्रकार जहां हमारे 5 आरओबी बन रहे हैं उसके बीच में ही आरएसआरडीसी के द्वारा जब पूर्ण हो जाएगा तब उनको दुकान अलाटमेंट कर दी जाएगी। नगर निगम के द्वारा यूडीएच विभाग को हमने प्रस्ताव भेजा है प्रिंसिपल सैक्रेटरी के माध्यम से, 6 से 7 सप्ताह के बीच में वह प्रस्ताव आ जाएगा, उसके बाद जो एन्क्रोचमेंट है वहां के नगर निगम का काम है, सीवर लाइन का काम है, पानी की लाइन का काम है, वह पूर्ण होने पर 6-8 महीने के बीच में आरओबी का निर्माण कार्य पूरा करा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह।

छबड़ा तहसीलदार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, छबड़ा तहसीलदार पद पर कार्यरत लोक सेवक पर कथित रूप से पद के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार करने के आरोप में उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक छबड़ा के अनुसार ग्राम बापचा के खसरा नंबर 755 के अंतर्गत 42 बीघा 7 बिस्वा जमीन है। रिकार्ड में यह सिवायचक गैर मुमकिन पठार है। दिनांक 20.12.1978 को इस जमीन में से छबड़ा-धरनावदा रोड से 200 मीटर की दूरी पर जगन्नाथ को अलाटमेंट हुआ। जिसका छबड़ा के वर्तमान तहसीलदार श्री दिलीप सिंह द्वारा प्रभावित पक्षों को सुने बिना दिनांक 13.09.2019 को निर्णय पारित कर दिया गया कि 'मुताबिक मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 08.08.2012 जो कि वृत्त जैपला द्वारा तैयार की गई थी, पर क्रेता नवदीप सिंह, बृजराज सिंह दोनों को दो-दो बीघा भूमि का नजरी नक्शा अनुसार एबीसीडी स्थान पर तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है।'

माननीय विधायक, छबड़ा द्वारा राजस्थान विधान सभा के विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से तहसीलदार छबड़ा द्वारा नियम विरुद्ध की गई तरमीम के आदेश को निरस्त करने हेतु सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर को प्रस्तुत किया है, जिसका भी अर्थ कमोबेश उपरोक्तानुसार ही है।

श्री दिलीप सिंह, तहसीलदार छबड़ा द्वारा दिनांक 13.09.2019 को पारित तरमीम निर्णय के विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसकी अपील संख्या 14/2019 उनवान शकुन्तला पत्नी सत्यनारायण, जाति महाजन, निवासी कवाई, तहसील अटरू बनाम नवदीप सिंह राठौड पुत्र करण सिंह जाति राजपूत वगैरह, निवासी तीतरखेड़ी तहसील छबड़ा, जिला बारां है, जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा दिनांक 05.02.2020 को उक्त कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, जिसमें आगामी पेशी 02.03.2020 नियत है।

जहां तक संशोधित शुद्धि पत्र पंजीकृत करने का प्रश्न है, प्रकरण में तहसीलदार ने बेचानकर्ता को प्रस्तुत संशोधित विक्रय पत्र प्रस्तुत करने के फलस्वरूप डीएलसी दर के अनुसार अंतर राशि लेते हुए उक्त संशोधित शुद्धि पत्र को पंजीकृत किया गया है।

वर्तमान में यह प्रकरण सबजुडिस है एवं नक्शे में किसी प्रकार की तरमीम अभी नहीं हुई है। अतः उक्तानुसार तथ्यात्मक टिप्पणी के मध्य नजर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ग्राहयता स्वीकार न किये जाने बाबत माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि तहसीलदार छबड़ा इंतकाल तस्दीक होने के 9-10

(श्री प्रताप सिंह)
साल बाद किस अधिकार के तहत रोड से 200 मीटर की दूरी को 40 मीटर की दूरी में बदलने का शुद्धि पत्र तस्दीक किया गया? दूसरा, किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज का स्वरूप बदलने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। दस्तावेज का स्वरूप सिविल न्यायालय ही बदलने का आदेश या निर्णय दे सकता है। तीसरा मेरा सवाल है, दिनांक 08.08.2012 की मौका रिपोर्ट में भी श्रीनाथ क्रेशर प्रोपराइटर शकुन्तला मित्तल के आगे भी क्रेतागण व विक्रेतागण का कब्जा नहीं होना बताया है। इसके बावजूद बिना कब्जे के तरमीम करने का निर्णय देना भी नियम विरुद्ध है तथा तहसीलदार के द्वारा गैर शासकीय कार्य किया गया है, जो जांच का विषय है। चौथा, मेरे द्वारा दिनांक 13.09.2019 को पूर्व में ही छबड़ा तहसीलदार की कार्यप्रणाली के विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मंत्री महोदय व विभाग के प्रमुख अधिकारियों को शिकायत भी भेजी थी। उक्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करने की वजह से तहसीलदार ने दिनांक 13.09.2019 को मनमाना कार्य कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का निर्णय पारित किया, जो जांच का विषय है। पांचवां, छबड़ा तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर गैर कानून कार्य किया गया है, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर बारां द्वारा दिनांक 5.2.2020 को कार्यवाही स्थगित करने के आदेश प्रदान किये हैं। जो पीड़ित पक्षकार श्रीनाथ स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर श्रीमती शकुन्तला मित्तल पत्नी सत्यनारायण, निवासी कवाई तहसील, अटरू द्वारा अपील पेश करना एक कानूनी प्रक्रिया है, परंतु सरकार एवं प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर कोई भी कार्यवाही आज दिन तक नहीं की गई है।

(13:00 बजे)

अत: मैं माननीय मंत्री महोदय ये मांग करता हूं कि तहसीलदार छबड़ा को निलंबित कर इस प्रकरण की जांच एसीबी से करवाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैंने जो मुख्य मंत्री जी को, मंत्री जी को और अधिकारियों को और 08.08.2012 की पटवारी की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसको टेबल करता हूं।

(मा. सदस्य के लिखित व्यक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट 02 देखें)

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तरमीम अभी तक नहीं हुई है। इस तरमीम के संबंध में एडीएम, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां में जांच चल रही है। इस पूरे के पूरे खसरे के संदर्भ में मैं मेरे विभाग से जांच करवाकर जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

1. अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2017-139 दिनांक 25.02.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2017-82 दिनांक 06.09.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
2. अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-140 दिनांक 25.02.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.06.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या: एफ.12(86)वित्त/कर/2010-141 दिनांक 26.02.2020 जिसके द्वारा राजकीय विद्युत वितरण निगमों पर देरी से जमा कराये गये बकाया जल संरक्षण उपकर पर ब्याज को माफ किया गया है;
4. अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2017-142 दिनांक 26.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(60)वित्त/कर/2017-149 दिनांक 22.12.2017 में संशोधन किया गया है; एवं
5. अधिसूचना संख्या: एफ.12(72)वित्त/कर/2017-143 दिनांक 26.02.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(30)वित्त/कर/2018-18 दिनांक 14.05.2018 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप सुनना चाहें तो जगह पर जाएं। आप इस वक्त चर्चा का स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं तो जगह पर जाएं। आप अपनी जगह पर जाएं। इस विषय की गंभीरता को समझते हुए आप जगह पर

(श्री अध्यक्ष)

जाएं। पहले जगह पर जाएं। माननीय सदस्य, जगह पर जाएं, इसकी गंभीरता को समझें।

शासकीय वक्तव्य

बाड़मेर में पुलिस हिरासत में मौत

माननीय कटारिया साहब ने कुछ मूलभूत प्रश्न उठाए हैं, एक गृह मंत्री के अनुभव के अनुसार, उनमें दो-तीन बातें जो उन्होंने मुख्य तौर पर कही हैं कि एक कस्टोडियल डैथ हुई है और डैथ में, जिस व्यक्ति को वहां बुलाया गया, उसके खिलाफ कोई एफ.आई.आर. नहीं थी। मेरा पहला प्रश्न है कि इस तरह के प्रकरण जिनमें किसी व्यक्ति को बिना एफ.आई.आर. के थाने में बुला ले और उसकी डैथ हो जाए, उसके संबंध में क्या सरकार इस तरह की कार्यवाही करने का विचार रखती है? जैसे एक व्यक्ति दूसरे का मर्डर कर देता है क्योंकि यह कोई पुलिस कस्टडी के अंदर नहीं है, नंबर एक। नंबर दो- जो सबसे चिंता का विषय है, जिस पर हम सब सहमत हैं। माननीय भूतपूर्व गृह मंत्री जी के अनुभव के आधार पर, जब इस तरह के केसेज हो जाते हैं, तब आप इन्क्वायरी बैठाएंगे, जांच होगी, वह एक प्रक्रिया है, पर परिवार जिसमें डैथ हो गयी है, उस परिवार के संबंध में वह कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उस परिवार को सस्टेन करने के लिए हम क्या पैकेज देंगे? क्या सरकार इस तरह की कस्टोडियल डैथ में इस तरह का विचार रखती है, जिनकी कस्टोडियल डैथ हो गयी है, उनके परिवार को अपनी लाइवलीहुड सस्टेन करने के लिए क्या सरकार इस तरह का विचार रखती है? मैं समझता हूं कि आप इन दो बिंदुओं पर ज्यादा चर्चा करें तो ज्यादा बढ़िया है। मैं समझता हूं कि इस बात की गंभीरता होनी चाहिए कि अनफार्च्यूनेट इंसीडेंट हो गया। अनफार्च्यूनेट इंसीडेंट होते रहे हैं। कस्टोडियल डैथ हम सबके लिए चिंता का विषय है। कस्टोडियल डैथ के बाद यदि हम 50-60 साल बाद भी नियमों में परिवर्तन नहीं करें तो एक मैसेज नहीं जाता है और जनता एवं हमारा जो सिविल सोसाइटी का कन्सेप्ट है, उस नागरिक अधिकार का हनन होता है। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। माननीय सदस्यों से भी अपेक्षा करता हूं कि हम चर्चा के बिंदु यही रखें। उस पर जो भी सजेशन देना हो, दें, लेकिन इस चर्चा को और तरह से आप डाइवर्ट नहीं करें, क्योंकि इसकी मैरिट और डी-मैरिट पर कितना ही डिस्कशन करें, जो चीज हो चुकी है, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के हम

(श्री अध्यक्ष)

प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं? सरकार उसमें क्या कर सकती है? यह इस सदन में चर्चा का विषय होना चाहिए।

मैं खुद प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि विषय की गंभीरता को देखते हुए आप अध्यक्ष को डिक्टेक्ट करना चाहें तो मैं डिक्टेट नहीं होऊंगा। विषय की गंभीरता के आधार पर कोई भी विषय चर्चा में हो, नियम और कानून बदलना हो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपसे भी अपेक्षा करता हूं कि उसकी गंभीरता के आधार पर चर्चा करें। मैं माननीय मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि ज्यादा जरूरत इस बात की है कि कब लाया गया, कब उसकी डैथ हुई इन चीजों पर चर्चा हम.. आप जो इन्क्वायरी करवा रहे हैं। वह इन्क्वायरी निश्चित तौर पर पुलिस विभाग से अन्यथा होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का ही मामला है, पुलिस की जांच करवाएंगे, तो मैं समझता हूं कि इसकी जांच की व्यवस्था अलग करनी चाहिए। पैकेज क्या देना चाहते हैं, यह सरकार समय लेकर कुछ चर्चा करके फिर सदन में आना चाहती है, उस दृष्टि से आप जवाब देंगे तो उचित रहेगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। आपको समझ में नहीं आता है। माननीय कटारिया जी, आप बोलें। यह नहीं होता है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा जो दो-तीन बिंदुओं पर मुझे बोलने के लिए कहा गया तो मैं उस पर आखिर में बोलूंगा। लेकिन इस केस के बाबत भी बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं चाहता हूं कि आप केस के बारे में नहीं बोलें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह रिलेटेड है।

श्री अध्यक्ष: नहीं प्लीज, कोई अंत नहीं होगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं बोल रहा हूं, दूसरी बात बोल रहा हूं। आपने कहा कि कोई एफ.आई.आर. नहीं थी। निश्चित तौर पर कोई एफ.आई.आर. उसके खिलाफ नहीं थी। उसको शक में बुलाया गया था और बुलाकर बैठा दिया गया था। रात को भी वह वहीं बैठा, सुबह भी वहीं बैठा, डेढ़ बजे के करीब उसने यह

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

शिकायत की कि साहब, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। सवाल यह रहता है कि जो आपके द्वारा कहा गया कि साहब, उसको पीटा गया, रात भर पीटा गया। उसने फिर घरवालों से कहा कि मुझे ले चलो, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। ये सब बातें तो पोर्स्टमार्टम रिपोर्ट में आ जाएंगी। आप पोर्स्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर लो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप एक मिनट बैठें। क्या पुलिस इतनी सज्जन है कि किसी को रात में लाकर, बैठाकर कुछ नहीं करेगी? माननीय मंत्री, प्लीज आप इस बात को समझें। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। कस्टोडियल डैथ के बाद जो दूसरा आस्पैक्ट है कि उस परिवार के संबंध में हमने कोई वित्तीय प्रावधान अभी तक नहीं किये हैं। इसलिए मैं इस मैरिट में नहीं जाना चाहता। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप उस प्रश्न में नहीं जाएं। टैस्ट हो जाएगा, यह हो जाएगा, वह क्या हुआ, ये नहीं हुआ, यह स्टेप में नहीं है। एक बात बिलकुल सिम्पल है। एक थानेदार ने, पुलिस का आदमी, इस शक के आधार पर उसको लेकर आए। आपने स्टेटमेंट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? उस पुलिस वाले ने मान लिया कि चोरी इसी ने की है। (interruptions) Please listen. I don’t want to enter into an argument. I don’t want to appreciate the statement given by the Police. I don’t want to appreciate it. मैं सिम्पल बात पूछ रहा हूं कि वहां पर एफ.आई.आर. दर्ज होती, तब समझ में आता है। वहां पर पाइप खाली हो रहे थे, इस पाइप के आधार पर आपको जो स्टेटमेंट है। उस आदमी ने कहा कि चोरी के हो सकते हैं, इसलिए उस आदमी को लेकर आ गये। इसका मतलब उस समय तक एफ.आई.आर. नहीं थी। पुलिस के आदमियों ने निर्णय कर लिया कि चोरी हो गयी, ये भी चोर हैं, इसलिए उसको उठाकर लेकर आ गये। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा पुलिस के किसी स्टेटमेंट की जरूरत है? इसलिए यह जांच का विषय कर दें, उसकी पिटाई हुई या नहीं हुई वह जांच का विषय हो जाएगा। उस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने, घोषणा कर दें, जुडीशियल इन्क्वायरी होगी, जो होगा हो जाएगा। दूसरा जो आस्पैक्ट है, उसके संबंध में आप यहां चर्चा करें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 176 सीआरपीसी में मर्ग नंबर-2 सीजेएम के पास पेश कर दिया गया है। सीजेएम ने मजिस्ट्रेट इन्क्वायरी के लिए...

श्री अध्यक्ष: मैं मंत्री जी आपसे फिर कह रहा हूं, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आपकी बात का ही जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप सुनें प्लीज। आजादी से लगाकर आज दिन तक जो प्रक्रिया रही है। उस प्रक्रिया के संबंध में कितनी चर्चा करें, कोई मतलब नहीं है। जो प्रक्रिया आप कह रहे हैं कि मर्ग को, सीजेएम को पेश कर दिया, यह कर दिया, यह तो स्टैण्डर्ड प्रैक्टिस है। यह सारे केस में है। यह कोई नयी चीज नहीं है। मैं उसके संबंध में आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं। आपके विभाग के उसको मर्ग है, सीजेएम के पास ले गये, वहां कर दिया, उसने जांच के लिए कर दिया। यह सब प्रक्रिया, उस पर मुझे नहीं जाना है। मैं तो यह सिम्पल बात कह रहा हूं कि आप उसे छोड़ दीजिए। आप इस आस्पैक्ट पर ज्यादा चर्चा कीजिए कि इस तरह की जो कस्टोडियल डैथ, जिसमें आप स्वयं मानते हैं कि आपने एस.पी. को सस्पैंड किया है, थानेदार को सस्पैंड किया है। प्राइमरी बेसिस पर आप मानते हैं कि कस्टोडियल डैथ हुई है। अब इसमें डिस्कस करने का कोई स्कोप ही नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद ने सुओमोटो एक्शन लिया है। That chapter is closed. Now, जुडीशियल इन्क्वायरी हो जाएगी। जब मर्ग में पेश हुआ, क्या हुआ, जांच हो जाएगी। मैं आपसे जो मोटी अपेक्षा कर रहा हूं कि क्या सरकार इस एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस से अलग हट कर ऐसी समस्याओं के निदान के लिए कोई कानून बनाना चाहती है, क्या कोई पैकेज देना चाहती है? इस बारे में चर्चा करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस पर विचार कर लिया जाएगा, लेकिन मोटी बात यह है कि आपने जो कहा कि उसके परिवार के जीवनयापन करने के लिए सरकार क्या इंतजाम करेगी? मोटे तौर पर यह तो पता लगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी कि वाकई मारपीट से उसकी मौत हुई या वाकई हार्ट अटैक से मौत हुई है? उसके घर वाले कह रहे हैं। (व्यवधान) कटारिया जी, आप विराज जाएं। यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप इधर बोलें। मुझे देखकर बोलें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जवाब सुनना नहीं चाहते। जहां तक सवाल इस बात का है कि उसके घर वालों को थाने पर बुलाया गया और बुलाकर उसका सारा बदन

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दिखाया गया। उसके घरवालों ने कहा कि इसके कहीं पर भी चोट नहीं है। उसके बावजूद भी उसका पोस्टमार्टम करवाया गया।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब, फिर पुलिस विभाग ने एसपी और सबको सस्पैंड क्यों किया?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं बता रहा हूं साहब इसलिए सस्पैंड किया कि उसको दिनभर क्यों बैठाए रखा और रातभर क्यों बैठाए रखा बगैर एफ.आई.आर. के, यह गलती थी। यह पुलिस की गलती थी इसी वजह से सस्पैंड हुआ।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप विराजें। चोरी होगी, पुलिस शक में बुलाएगी, इसको रोक नहीं सकते आप। इस पर क्यों चर्चा करें हम? मैं पुलिस की कार्यप्रणाली में नहीं कर रहा हूं। कोई चोरी की एफआईआर होगी, शक में बुलाएंगे, यह प्रक्रिया है। मैं कुछ थोड़े ही कह रहा हूं फिर जांच भी नहीं हो पाएगी, चोरी की। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं सिम्पल यह कह रहा हूं कि आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रहे हैं यह आ जाएगा, होना है जो हो जाएगा उसमें। सिम्पल, आप इस पर आएं कि सरकार ने एक एक्शन लिया है। कस्टोडियल डैथ में आपने एसपी को ट्रांसफर किया है। इतना बड़ा एक्शन लिया है, इसके लिए आपको एप्रिसियेशन है। लेकिन जो मोटा प्रश्न है, इस तरह की घटना बराबर होती रही है, इसलिए क्या सरकार इस मानवीय दृष्टिकोण पर, जिस मानवीय दृष्टिकोण के कारण इस तरह की घटना हो गई, उस परिवार को सस्टेन करने के लिए, उसके संबंध में कोई व्यवस्था करती है? नंबर एक और नंबर दो जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक आदमी दूसरे से लड़ता है तो 302 की कार्यवाही होती है, मर्डर केस लगता है। जब आप यह मानते हैं, आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है कि इसकी मारपीट के बाद डैथ हुई तो क्या सरकार उन पर 302 का केस लगाएगी? सिम्पल बात है, बस दैट्स आल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 302 का केस रजिस्टर हो चुका है, 302 में अगर यह साबित हो जाता है कि उसके साथ मारपीट हुई है और मारपीट से उसकी डैथ हुई है तो 302 का केस तो रजिस्टर हो चुका है। अब सवाल इस बात का आता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लग जाएगा कि उसके साथ मारपीट हुई या

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नहीं हुई? अगर मारपीट हुई है तो निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह मरा है, आपने जीवन-यापन के लिए बात जो कही है, हम भी मानते हैं और सरकार भी मानती है और देती है। हमेशा कुछ न कुछ देती है सरकार, ऐसी बात नहीं है। मौके की नजाकत देखते हुए अपनी तरफ से आर्थिक सहायता भी देती है, नौकरी भी देती है, सभी तरह का देती है। ये खामख़्वाह में इस बात को उठा रहे हैं, गलत-सलत उठा रहे हैं कि उसके साथ मारपीट हुई और ये हुआ, वो हुआ, ये बिलकुल गलत है आपकी बात। हम स्वीकार नहीं करते हैं इस बात को। जवाब सुनने के पहले आप लोग ऐसा माहौल बना देते हो कि आप मेरा जवाब सुनना नहीं चाहते। आपके पास मेरी बात का जवाब नहीं है। मैं दावे से कहता हूं। आपने अभी यह कहा कि मुझ जैसे गरीब का, तब तो भाई साहब अगर आप जैसे गरीब पूरे हिन्दुस्तान में हो जाएं तो अमरीका कहीं नहीं लगता फिर, कहीं नहीं लगता अमरीका। ऐसे गरीब...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, जिस हलकेपन में इस विषय को ले गये, मैं उनको फिर ये कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के फेफड़ों में दम है और हमारे में नहीं है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से विषय को रखा है। इस सदन के सब माननीय सदस्य मेरी हर बात से सहमत होंगे कि मैंने कोई भी बात इधर-उधर नहीं की, मैं टू द पाइंट चला। मुझे इसका अनुभव है क्योंकि कस्टोडियल डैथ मेरे टाइम पर भी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं हुई है, लेकिन कस्टोडियल डैथ के बाद सबसे बड़ा जो लेकुना है, वह यह है कि उस पीड़ित परिवार को कुछ भी मदद नियमों के तहत नहीं है। हम यह चाहते हैं कि इस प्रकार की डैथ जो होती है, उसके बारे में उस पीड़ित पक्ष के बारे में, जरूरी नहीं है, तो हमको विचार करके तय करना चाहिए ताकि कम से कम उसके बच्चों की परवरिश हो सके, एक। दूसरा, एक मिनट सुन लो, ये धमकाने वाली आवाज में मत बोलो, ये ध्यान रख लो, यह समझ में आया, धमकाने वाली आवाज में ... (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप धमकाने वाली बात कर रहे हो ...(व्यवधान) मैं धमकाने की बात नहीं कर रहा आपको ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। मंत्री जी बैठें। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। कटारिया जी, एक मिनट।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय राठौड़ साहब, आप बैठें। आप नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): 000

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: मिस्टर राठौड़, अध्यक्ष की गरिमा है। आप सीनियर आदमी हैं। आप विराजिए। एक सैकण्ड, आप बैठें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, बैठें। माननीय सदस्य, विराजें। ये प्रश्न की चर्चा इमोशनल चार्ज में नहीं होगी। मैं चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। दोबारा इस टॉपिक पर सरकार क्या लेकर आएगी, उस पर चर्चा करेंगे। किस तरह से हम इसमें, ह्यूमन कंसीडरेशन को देखकर क्या कर सकते है, मैं समझता हूं कि अगले वीक में हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। आज इमोशनल चार्ज होकर, कोई अव्यवस्था न हो, कटारिया साहब आपसे निवेदन करूंगा, मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, सबके लंग्स अच्छे हैं, नीरोगी राजस्थान होने वाला है। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस हाउस को ठीक से चलने दें। हम अगले सप्ताह में इस विषय पर चर्चा करेंगे। मैं कटारिया साहब से सहमत हूं कि इसकी गंभीरता को समझते हुए सरकार क्या पैकेज देगी, उसके संबंध में सरकार अपना प्रपोजल लेकर आ जाएगी, हम डिस्कस करेंगे। परंतु कटारिया साहब मैं आपसे निवेदन करूंगा अभी इमोशन्स पर चर्चा नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कह रहा हूं कि मैंने जो विषय यहां रखा है, वह रिकार्ड पर नोट है। मैंने विषय को रखते समय किसी भी प्रकार की कोई गलत बात कही थी क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय, सुन तो सकते हैं आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने जो कुछ भी कहा वह अपने सीमित हिसाब से जो मुझे बिंदु लगे, उस बिंदु को मैंने यहां रखने का प्रयास किया। आपने खड़े होकर जिस प्रकार से मेरे पर हमला किया, मैं वह हमला बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं हूं। इस बात को ध्यान रख लें।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, माननीय धारीवाल साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं हूं। जिन्दगी की मेरी कमाई यही है। इसलिए मैं इतना जोर से बोल सकता हूं, ध्यान कर लेना। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारिया साहब, हो गया। माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): नहीं यह ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं भी ऐसे दबाव में आने वाला नहीं हूं। आप यह मत समझना कि आप ही, मैं भी दम रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। मिस्टर राठौड़, आप सीनियर हो ,कर क्या कर रहे हैं? कौनसा एग्जाम्पल सैट कर रहे हैं? What example are you setting here? You want to defuse it or you want to raise it? मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं, चर्चा समाप्त हुई। इस चर्चा पर अगले वीक में हम चर्चा करेंगे। इसमें कोई इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता और माननीय मंत्री जी को, दोनों ही सीनियर आदमी हैं, दोनों ही रोल मॉडल हैं, कैसा रोल माडल बनाना चाहते हैं? हम आज इस पर चर्चा करके इसकी गंभीरता को देखते हुए अगले वीक में इसकी चर्चा करेंगे। चर्चा यहीं समाप्त हुई।

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर व्यवस्था।

व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस संबंध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव

(श्री अध्यक्ष)

जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गए हैं और बोलने के लिए उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और उप मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और उप मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिए प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें, जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। जब मांग मतदान के लिए आती है, उस समय स्वत: ही यह मान लिया जाता है कि वह कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वह अपने सारे कटौती प्रस्ताव पर एक साथ, उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी भी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके, उनके लिखित उत्तर माननीय सदस्य को सरकार की ओर से मिल जाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सदस्य, डिबेट 9 बजे समाप्त हो जाएगी। जिन 3 मंत्रियों को जवाब देना है, 9 से 10 के बीच में जितने कटौती प्रस्ताव आएं हैं, उनके प्रपोर्शनेट के टाइम में उनको जवाब देना पड़ेगा और एक घंटे में तीनों ही मंत्री अपना वक्तव्य समाप्त करें। दस बजे सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। यह अनुदान की मांगों के संबंध में हम व्यवस्था करना चाहते हैं। 9 बजे तक सदस्य अपनी बात कहेंगे, 9 बजे मंत्री उत्तर देना शुरू करेंगे। एक से ज्यादा मंत्री हैं तो एक घंटे में अपना टाइम फिक्स करके कि कौन मंत्री देगा, दस बजे सदन की कार्यवाही समाप्त होगी। यह मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं।

अनुदान की मांगों के विचार के लिए श्री हरीश चौधरी प्रस्ताव करेंगे।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 04-जिला प्रशासन की प्रस्तुति

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति

(श्री हरीश चौधरी)

से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,61,89,74,000 (अक्षरे पांच अरब इकसठ करोड़ नवासी लाख चौहत्तर हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 04 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकी दास कल्ला। एक मिनट।

मांग संख्या 08-राजस्व की प्रस्तुति

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 8-राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,84,86,91,000 (अक्षरे आठ अरब चौरासी करोड़ छियासी लाख इक्यानवे हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 08 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकी दास कल्ला, प्रशासनिक सेवाएं।

मांग संख्या 05-प्रशासनिक सेवाएं की प्रस्तुति

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,72,76,37,000/- (दो अरब बहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 05 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-05 देखें)

मांग संख्या 15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 15-पैंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 233,91,70,05,000/- (दो सौ तैंतीस अरब इक्यानवे करोड़ सत्तर लाख पांच हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 15 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-06 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

अनुदान की मांग पर विचार

मांग संख्या 4, 8, 5 व 15 पर विचार

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 4-जिला प्रशासन, 5-प्रशासनिक सेवाएं, 8-राजस्व और 15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के विषयों पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश की विकास की आधारशिला, जब उसका किसान सम्पन्न होता है, किसी भी तनाव से मुक्त होता है, तभी किसी विकास की सम्भावनाओं को हम कह सकते हैं कि यह प्रदेश प्रगति करेगा, लेकिन जब कोई किसान अपनी जमीन को ले करके परेशान होता रहे और दर-दर की ठोकर खाता रहे। कभी पटवारी के, कभी कलेक्टर के, कभी उप खण्ड कार्यालय पर, कभी सम्भागीय आयुक्त कार्यालय में और कभी रेवेन्यू बोर्ड में चक्कर लगाता रहे तो निश्चित रूप से उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको थोड़ी-सी बानगी देना चाहूंगी कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं, जो खातेदार हैं, वे किस तरह से कोर्ट्स के चक्कर लगा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, उनमें 01 अप्रैल, 2019 से 10 फरवरी, 2020 तक जो मामले पैंडिंग पड़े हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि सम्भागीय आयुक्त न्यायालयों में 8096 मुकदमे, जिनमें से 1380 मुकदमे ही निस्तारित हुए हैं। इसका मतलब है कि 17.04 प्रतिशत मामले ही निर्णीत हो पाये हैं। 07 अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त न्यायालय हैं, इनमें 3598 मुकदमों में से 619 मुकदमों का ही निस्तारण हुआ है। इसका मतलब 17 प्रतिशत मुकदमों का निस्तारण हो पाया है। 33 जिला कलेक्टर्स की अदालत में 20876 मुकदमे हैं, जिनमें से 8883 मुकदमों को ही रिलीफ मिला है, उनका ही निस्तारण हुआ है। इसका मतलब 42 प्रतिशत प्रगति है। 50 अतिरिक्त कलेक्टर अदालतों में 25588 मुकदमे पैंडिंग हैं, इनमें से 7937 मुकदमों का निस्तारण हुआ है। इस तरह से 31 प्रतिशत कामकाज हुआ है। 14 राजस्व अपील अधिकारी अदालतों में 25572 मुकदमों में से 6212 मुकदमों का निस्तारण हुआ है, प्रगति 24 प्रतिशत है। भू-प्रबन्ध एवं राजस्व अपील अधिकारी अदालत में 14631 में से 3835 का निस्तारण हुआ, प्रगति 26 प्रतिशत है। 289 उप खण्ड अधिकारी

(श्रीमती अनिता भदेल)

कार्यालयों में 3181065 में से 53984 मुकदमों का निस्तारण हुआ है। सबसे कम यदि निस्तारण हुआ है तो वह उप खण्ड कार्यालयों में है। इसका 16.96 प्रतिशत है। 29 सहायक कलेक्टर अदालतों में 30785 मुकदमे पैंडिंग हैं, जिसमें से 5035 मुकदमों का निस्तारण हुआ, यह 16 प्रतिशत है। इस तरह से यदि हम औसत निस्तारण देखें तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ 19 प्रतिशत निस्तारण है।

यदि इस तरह से हमारे कोर्ट काम करेंगे तो वह खातेदार किसके पास जाएगा, न्याय लेने के लिये कहां जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी विडम्बना है कि कैसे वह न्याय प्राप्त करे। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आपने सम्भागीय आयुक्त कोर्ट को जो अधिकार अभी बदल करके दिये हैं RAA में से, वह RAA टोटल ही, जितने उसके पास कार्य दिवस हैं, उन सब कार्य दिवसों में वह इन कोर्ट कैसेज के बारे में निर्णय करता है।

(13.24 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

उसके पास सिर्फ कोर्ट कैसेज ही हैं, और कोई काम नहीं है। आपने सम्भागीय आयुक्त को दे दिये। जो हमारे 25 RAA हैं, उन 25 RAA के पास तो काम कम हो गया, सम्भागीय आयुक्त के पास काम बढ़ गया। सम्भागीय आयुक्त के पास जो काम बढ़ा है, वह मैंने आपको आंकड़ा बता दिया कि कितने कैस उनके पास पैंडिंग हैं। फिर, माननीय सभापति महोदय, वे लोग अपील के लिये जाएंगे, या जो लोग स्टे के लिये जाएंगे, वे सम्भागीय आयुक्त की कोर्ट में आएंगे अपने जिलों से, तो इसका मतलब है कि जो परिवादी है, वह परिवादी सम्भागीय मुख्यालय पर पैसा खर्च करके आये और यदि सम्भागीय आयुक्त न मिले तो वापस निराश हो करके लौटे तो उसका पैसा खर्च होगा, उसका समय व्यतीत होगा।

आपने यह व्यवस्था की है कि आप उन सम्भागीय आयुक्तों को जिले में भेजेंगे और वे वहां कोर्ट लगाएंगे। पर एक दिन से काम चलने वाला नहीं है। मंत्री महोदय, यह जो पूर्व की व्यवस्था थी, वह ठीक थी। यदि उस पूर्व की व्यवस्था को आप लागू कर देंगे तो निश्चित रूप से परिवादियों को राहत मिलेगी।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मुझे जो आशंका है, उसको देख करके लगता है कि आपने ऐसा परिवर्तन क्यों किया होगा क्योंकि कलेक्टर कोर्ट की अपील RAA की कोर्ट में होती है। चूंकि कलेक्टर आई.ए.एस. अधिकारी है, और RAA पर आप आर.ए.एस. अधिकारी को पोस्टिंग करते हैं, इसलिये आर.ए.एस. अधिकारी उसकी अपील नहीं सुन सकता, इसलिये आपने सम्भागीय मुख्यालय पर सम्भागीय आयुक्त को दी है।

मैं आपको एक बात और कह रही हूं। सम्भागीय आयुक्त से भी जब वह अपील रेवेन्यू बोर्ड में जाती है और रेवेन्यू बोर्ड में आपको आई.ए.एस. अधिकारियों को पोस्टिंग करना होता है। लेकिन पिछले दिनों से ऐसी परम्परा चल रही है, पिछले दिनों से नहीं, मैं कहूंगी पिछले कुछ सालों से, सभापति महोदय, पिछले कुछ सालों से ऐसी परम्परा चल रही है कि रेवेन्यू बोर्ड में आर.ए.एस. अधिकारियों की पोस्टिंग की जाती है तो रेवेन्यू बोर्ड में, जो सबसे लास्ट अपीलेट अथोरिटी को सुनता है, यदि वहां पर ही आर.ए.एस. अधिकारी आप पोस्टिंग कर रहे हैं तो फिर आपको यह परिवर्तन का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिये आप इस परिवर्तन को वापस लेंगे तो निश्चित रूप से रेवेन्यू बोर्ड में जो अपील सुनी जाएगी, उसके निर्णय भी अच्छे होंगे और समयबद्ध रूप से उनको निर्णीत किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, एक तो रेवेन्यू बोर्ड में कोई आई.ए.एस. अधिकारी नहीं जाना चाहता। रेवेन्यू बोर्ड में पोस्टिंग का मतलब है कि उसको डम्पिंग जगह पर बैठा दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक तो सिर्फ और सिर्फ सीनियर आई.ए.एस. अधिकारियों को वहां सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए। एक मेरा निवेदन है कि बहुत समय तक वे पद खाली रहते हैं, इसलिये कोर्ट्स लगती नहीं हैं। जब कोर्ट्स लगती नहीं हैं तो निर्णय कैसे होगा। वह पैंडेंसी तो और बढ़ती जाएगी तो निश्चित रूप से सारे पद हमेशा के लिये फुल रहें, इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए।

दूसरी बात है कि इसमें दो-दो पोस्ट, चूंकि वकील कोटे से भी जाते हैं और जुडीशियरी से भी जाते हैं तो वकील कोटे में जो आपने पद कर रखे हैं, जो सदस्य आपने वकील कोटे के बना रखे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्व मण्डल में न्यायिक और अधिवक्ता कोटे के दो-दो सदस्य, दो-दो पद हैं, उनको आपको बढ़ाना चाहिये क्योंकि उन दो पदों से काम नहीं चलने वाला।

(श्रीमती अनिता भदेल)

यदि इस कोटे को आप बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास मुकदमों को सुनने के लिये ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। जब मुकदमों को सुनने के लिये ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तो निश्चित रूप से जो किसान है, जो कृषक है, उसको लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक निवेदन करती हूं। जो RAA की कोर्ट है, जो उप खण्ड अधिकारी है, जो ए.सी.एम. है और जो जिला मजिस्ट्रेट है, चूंकि इनके पास प्रशासनिक काम आलरेडी बहुत ज्यादा होता है, इसलिये वे इन कामों पर ध्यान नहीं दे पाते फिर किसी न किसी तरीके से इसमें से भ्रष्टाचार पनपता है क्योंकि जिसकी तारीख नहीं मिलेगी, जिस प्रकरण में तारीख नहीं मिलेगी, वह परिवादी चाहेगा कि मुझे जल्दी तारीख मिल जाए। जल्दी तारीख के चक्कर में वह भ्रष्टाचार का आफर करता है। वह पैसों का आफर करता है कि मुझसे पैसे ले और मुझको तारीख दे दे। इसीलिये, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो प्रकरण हैं, उन प्रकरणों में ऐसा कोई सिस्टम बैठाना चाहिए। (व्यवधान) माननीय संयमजी, आप तो बाद में भी बात कर लेना। यह बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री महोदय को निवेदन है कि इस तरह के प्रकरणों में यदि समयबद्ध रूप से ऑनलाइन व्यवस्था हमारी हो जाए, और हम यहां से स्टेट लेवल से उनको मानिटर कर सकें कि उप खण्ड कार्यालय में कितने मुकदमे दर्ज हैं और किन-किन की तारीखें कब-कब हुईं, क्योंकि यह बहुत सिस्टम से हमको करना पड़ेगा, तभी हम इसको चेक एण्ड बैलेंस कर पाएंगे क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जितना भ्रष्टाचार है, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार और किसी डिपार्टमेंट में नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सैटलमेंट के समय किसी के नाम से कोई जमीन है तो आप उसको बदल करके कोई और नाम रख देते हैं और फिर उस व्यक्ति को कोर्ट जाना पड़ता है, उप खण्ड अधिकारी के कार्यालय में जाना पड़ता है उसको निर्णीत कराने के लिये बिना किसी वजह से। माननीय सभापति महोदय, चूंकि वह कोर्ट का मैटर हो गया, इसलिये 10-10 साल तक वह कोर्ट में लटके रहेगा तो जो पटवारी और जिस तहसीलदार ने उसको बिना किसी पुराने रिकार्ड को देखे, जांचे, परखे, उसमें नाम परिवर्तन किया है, उनके

(श्रीमती अनिता भदेल)

खिलाफ क्या एक्शन होगा? यदि यह न्यायिक प्रक्रिया में, इस कानून में आप परिवर्तन कर देते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी भय रहेगा कि बिना किसी पिछले रिकार्ड को देख करके हमने कैसे नाम परिवर्तन किया है। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस प्रकार जो आपने परिवर्तन किया है, संभागीय आयुक्त कोर्ट में आपने जो मुकदमे दिये हैं उनका आप विदड्राअल करेंगे और रेवेन्यू बोर्ड में जो न्यायिक कोटे के और वकील कोटे के आप जो दो अलग-अलग हैं, उनको आप स्वीकृत करेंगे तो निश्चित रूप से संख्या में कमी आएगी और किसानों को न्याय मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं कि सरकार ने नकल को ऑनलाइन लेने की यह व्यवस्था की है कि वह ऑनलाइन नकल ले सकता है, वह अपना नामांतरण ऑनलाइन करवा सकता है लेकिन व्यावहारिक रूप में यह बिलकुल भी संभव नहीं हो पा रहा है। व्यावहारिक रूप में व्यक्ति उस कार्यालय के दस चक्कर लगाता ही लगाता है तब जाकर उसको नकल मिलती है, तब जाकर उसका नामांतरण होता है तो यदि इस प्रकार से कोई सरकारी कर्मचारी करता है तो उसके खिलाफ हम क्या एक्शन ले सकते हैं? उस एक्शन को भी हमें तय करना चाहिए और तय करके हमें उसको सूचित करना चाहिए कि यदि यह इस प्रकार से नहीं करता है तो हम इसके खिलाफ यह एक्शन लेंगे ताकि जो पीड़ित पक्ष है, वह पीड़ित पक्ष उसकी कहीं न कहीं शिकायत कर सके, कहीं न कहीं उसको जाकर दर्ज करवा सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जो ए.सी.एम. कोर्ट्स हैं, उन ए.सी.एम. कोर्ट्स के लिए माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगी कि एसी.एम. कोर्ट्स 25 ही हैं। जयपुर में अधिक ए.सी.एम. कोर्ट्स हैं, ऐसे ही जोधपुर में ए.सी.एम. कोर्ट्स अधिक हैं तो सभी जगह पर प्रत्येक जिले पर भी ए.सी.एम. कोर्ट्स हों और इसके साथ-साथ में उनकी संख्या को भी बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि वह बहुत कम है। जिस तरह से हम मुकदमे देख रहे हैं, एक तरफ तो हम ए.सी.एम. कोर्ट को कहते हैं कि यह फास्ट ट्रैक कोर्ट है लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी यही हाल है। माननीय सभापति महोदय, इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का हमें क्या लाभ है, इनका क्या हमें आउटपुट मिल रहा है, मेरे को कुछ पता नहीं है कि किसका क्या आउटपुट मिल रहा है।

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त जिस तरह से न्यायालयों में दावों की संख्या बढ़ रही है, उस संख्या को कम करने के लिए हम और क्या उपाय कर सकते हैं और क्या कोई नया जुडीशियल कैडर हम बना सकते हैं, इसमें कोई नये पद बढ़ा सकते हैं क्या? यदि उनकी भी हमें व्यवस्था करनी पड़े तो वह व्यवस्था भी हमको करनी चाहिए। 25 ए.सी.एम. कोर्ट्स को बढ़ाकर आपको कम से कम 33, प्रत्येक जिले में एक कोर्ट हो, ऐसे 33 की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जिलेवाइज वह कोर्ट हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन पेंशन के बारे में भी करना चाहूंगी। चूंकि पेंशन पर भी इसमें डिस्कशन होना है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगी कि पेंशन के प्रकरणों में बहुत सारे प्रकरण ऐसे होते हैं, जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के दिन से ही उसको पेंशन और उसके सारे परिलाभ दिये जाने चाहिए। लेकिन उसको पेंशन भी उस दिन चालू नहीं होती है और न ही परिलाभ चालू होते हैं। ऐसे में व्यक्ति कई समय तक चक्कर काटता रहता है और विशेषकर, मृतक आश्रित की स्थिति में तो और भी गंभीर स्थिति बन जाती है, क्योंकि एक तो जिसके परिवार से व्यक्ति मरा है, वह वैसे ही दु:खी होते हैं और दूसरा न तो उसका पेंशन का प्रकरण टाइम से बनता है और न उनके दूसरे परिलाभ ही उनके टाइम से मिलते हैं। इसलिए समयबद्ध तरीके से उन कर्मचारियों को क्योंकि हमको पहले से ही यह पता होता है कि इतने कर्मचारी इस माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो उतने कर्मचारियों की व्यवस्था यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, बहुत लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की यह मांग है कि 2004 से पहले जो पेंशन मिला करती थी, उस पेंशन प्रक्रिया को पुन: प्रारम्भ किया जाए। निश्चित रूप से सरकारी सेवा में आने के बाद में आदमी इस बात से तो निश्चिंत हो जाता है कि उसका बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटने वाला है क्योंकि उसको सरकार की ओर से जो ग्रेच्युटी, पेंशन का जो लाभ है, वह उसको मिलता है लेकिन 2004 के बाद के जो कर्मचारी हैं उनके लिए यह व्यवस्था नहीं है तो उनके लिए भी यदि हम यह व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से उनको भी इससे राहत मिलेगी और वह भी अपने बुढ़ापे को सुरक्षित रख पाएंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

जिला प्रशासन के बारे में तो मैं क्या कहूं? माननीय सभापति महोदय, यदि जिला प्रशासन ही ठीक प्रकार से काम कर ले तो यहां हमारे मुख्य मंत्री महोदय को जन सुनवाई करने की और पोर्टल पर जाकर उनको वीडियो कांफ्रेंसिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमने प्रत्येक जिलों में प्रभारी सचिव लगाये हुए हैं। हमारे जिला कलेक्टर आईए.एस. आफिसर्स हैं और फिर भी इतनी सारी शिकायतों की भरमार होती है। उनका समाधान व्यक्ति ढूंढता है कि अब मेरा अंतिम समाधान मुख्य मंत्रीजी के पास ही होगा तो वह मुख्य मंत्रीजी तक भी उनकी जन सुनवाई में भी इतने सारे प्रकरण लेकर आता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत सारी कमेटियों के अध्यक्ष जिलाधीश होते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि जिला प्रशासन का मुखिया जिला कलेक्टर पचास से अधिक जिला स्तरीय समितियों का अध्यक्ष मनोनीत है। इतनी अधिक समितियां होने के कारण वह किसी का भी कार्य परफेक्शन से कर ही नहीं पाता है। मंत्री महोदय, आप ढूंढना कि वह कितनी कमेटियों का अध्यक्ष है? जिला प्रशासन संवेदनशील और जवाबदेही तो हो ही नहीं सकता जबकि यह कहते हैं कि जिला प्रशासन को संवेदनशील होना चाहिए, उसे जवाबदेह होना चाहिए तो वह कैसे होगा?

एक तो जितने भी आई.ए.एस. आफिसर्स हैं न, उनमें एक अहम है, वह अहम यह है कि हम तो आई.ए.एस. आफिसर्स हैं इसलिए हम ग्रामीण व्यक्ति की बात को कैसे सुनें? उसको तो कुछ पता नहीं है। यह अहम ही उनके अंदर से खतम होना बहुत जरूरी है इसलिए यह अहम कैसे खतम किया जा सकता है, उस ट्रेनिंग में इसका पाठ होना बहुत जरूरी है।

राजस्थान के सम्पर्क पोर्टल और अन्य विभिन्न स्तरों पर जो सुनवाई होती है उनमें परिवादों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्राम, ब्लाक और जिला स्तर पर निरीक्षण करने वाले जो प्रकरण हैं उनमें आफिसर्स निरीक्षण करने नहीं जाते और यह सारे प्रकरण फिर मुख्य मंत्रीजी की जन सुनवाई में आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक सतर्कता समिति बनी हुई है जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में और हर महीने इसकी एक मीटिंग होना निश्चित है पर मैंने इतने सालों के अनुभव में यह देखा है कि सतर्कता समिति में जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

निर्णय होते हैं, उन निर्णयों की पालना भी दो-दो, तीन-तीन सालों तक नहीं होती है। मतलब, जिसको निर्णीत करना है स्वयं कलेक्टर, उस निर्णय की पालना दो-दो, तीन-तीन साल तक न हो तो उस निर्णय को करने का फिर क्या लाभ है? तो इसलिए सतर्कता समिति में यह जो निर्णय होते हैं, उन निर्णयों की पालना भी समयबद्ध रूप से हो, इसको हमको सुनिश्चित करना चाहिए।

दूसरा, मैं यह निवेदन करूंगी कि सतर्कता समिति की बैठकों में कभी भी जिले के एस.पी. नहीं आते हैं। उनको यह लगता है कि मैं भी समान कैडर का व्यक्ति हूं इसलिए मैं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है, उसमें जाऊंगा तो छोटा हो जाऊंगा और छोटा हो जाऊंगा की भावना उनके अंदर है, उसके कारण से संवेदनशीलता से उन प्रकरणों का निपटारा नहीं होता है तो उन बैठकों में एस.पी. भी जाए, इस बात को हमें सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा इन समितियों की बैठकों का कोई मतलब नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगी कि यह जो सतर्कता समिति की बैठकें होती हैं, इन सतर्कता समिति की बैठकों का एजेंडा समय पर विधायक महोदय को जाए, इसको भी आपको सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि कल बैठक है और एजेंडा आप आज भेजते हैं तो एक दिन पहले आने वाले एजेंडे को कैसे तैयारी करके कोई विधायक महोदय उन बैठकों में जाएंगे? इसलिए उन बैठकों से फिर विधायक महोदय हटने लगते हैं, उनसे कन्नी काटते हैं और फिर आफिसर्स को यह लाभ मिलता है कि वह जो चाहे वैसा निर्णय फिर करते हैं इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि सतर्कता समितियों की बैठकों को भी ठीक प्रकार किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि अभियोजना समीक्षा समिति और अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत समितियां गठित हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगी। यह जो दोनों समितियां हैं, कई बार तो एक-एक साल तक इनकी बैठकें नहीं होती हैं। एक-एक साल तक नहीं होती हैं क्योंकि यह एस.सी., एस.टी. के लिए बनी है इसलिए कोई जोर नहीं देता है और आफिसर्स को इनको देखने के लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन समितियों की बैठकें

(श्रीमती अनिता भदेल)

नियमित रूप से हों और न केवल नियमित रूप से हों बल्कि इन दोनों बैठकों में कलेक्टर और एस.पी. निश्चित रूप से आएं क्योंकि कई बार बैठक हो भी जाती है। वह ए.डी.एम. को भेज देते हैं, उपखंड अधिकारी को भेज देते हैं और उनसे काम चलाते हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यदि वह कलेक्टर इस कमेटी का अध्यक्ष है तो उनको आना निश्चित रूप से जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार से कई बार कलेक्टर और एस.पी. में ठीक प्रकार से सामंजस्य नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपना भाषण जारी रखें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): उस सामंजस्य के अभाव में जिले में जो सेवाएं देनी चाहिए, वह जिले की सेवाएं ठीक प्रकार से नीचे लोगों तक नहीं पहुंचती हैं इसलिए इन दोनों का भी समन्वय किस तरह से ठीक हो, इसकी भी हमको व्यवस्था करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, हम जिला कलेक्टर के स्तर पर तो सारे साधनों की व्यवस्था कर देते हैं लेकिन नीचे के स्तर पर, उपखंड स्तर तक हम साधनों की व्यवस्था नहीं करते हैं। न तो उपखंड स्तर पर उनके भवन हैं, न उनके पास वाहन है, न दूसरी और सुविधाएं हैं और न उसके पास जन सुनवाई का भवन है, न आई.टी., सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो ऑनलाइन प्रकरण आते हैं, उनकी व्यवस्था उनके पास नहीं है। एक तरफ तो हम सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इन चीजों की ओर जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम उन चीजों की वहां पर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो नीचे के स्तर पर जो प्रकरण के समाधान होने चाहिए थे, वह नीचे के स्तर पर उन प्रकरणों का समाधान नहीं होता है।

इसी प्रकार से, मैंने जैसे पहले निवेदन किया माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर को, भूमि संबंधित न्यायिक विवादों में समयबद्ध निस्तारण की प्रभावी समीक्षा होनी चाहिए। यह समीक्षा हमें करनी चाहिए, चाहे वो न्यायिक कोर्ट में ही निर्णीत हो रहे हों, लेकिन उसकी समीक्षा हमको समयबद्ध निश्चित रूप से करनी चाहिए तभी जाकर हम उनके ऊपर कुछ प्रेशर डालकर उन मुकदमों का निर्णय करा सकेंगे।

उपखण्ड अधिकारी न्यायालयों के मामले निश्चित रूप से निरन्तर

(श्रीमती अनिता भदेल)

बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उपखण्ड अधिकारी स्तर के न्यायिक मामलों की आपको समीक्षा करनी ही चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगी सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक का। जिला प्रशासन किस तरह से मुस्तैद रहे और वह इन कामों को करे। कई बार, माननीय सभापति महोदय, हम लोग शिकायत करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। अजमेर शहर के बीचोंबीच खनन हो रहा है और मैंने खुद ने उपखण्ड अधिकारी को फोन करके कहा कि खनन हो रहा है तो वह मुझे वापस पलटकर कहती है कि आप शिकायत लिखकर देंगे तब जाकर हम इन शिकायतों का समाधान करेंगे। आप देखिए, जिस काम को खुद प्रशासनिक अधिकारियों को करना होता है, वह चाहते हैं कि हम शिकायत लिखकर दें तभी उन शिकायतों का निपटारा होगा।

इसी प्रकार से, आये दिन भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि कलेक्टर भी हर डिपार्टमेंट की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जितने विभाग हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मुझे दो-तीन बिन्दुओं पर ही बोलना है, मैं समाप्त कर रही हूं। मैं पहली वक्ता हूं इसलिए मेरा निवेदन है कि मुझे सिर्फ पांच मिनट ज्यादा दे दिये जाएं।

श्री सभापति: पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूं और मैं उदाहरण देना चाहूंगी किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। अजमेर के कलेक्टर यदि इस सम्मान निधि पर ठीक ढंग से मोनिटरिंग कर जाते तो आज अजमेर के किसानों को इसका लाभ मिल सकता था, जो कि नहीं मिला है।

माननीय सभापति महोदय, पुलिस की मिलीभगत से चिह्नित भू-माफिया दलित की जमीन पर जाकर कब्जा करे और पुलिस उसमें सहयोग करे, यह कहां का न्याय है। दलित को नहीं पता होता है कि इसके लिये कोर्ट बना हुआ है। इसकी शिकायत के लिये मैं कहां जाऊं? वह तो कई बार एम.एल.ए., एम.पी. के पास भी नहीं आना चाहता है और ऐसी स्थिति में उन चिह्नित भू-माफियाओं को भी हम नहीं पकड़ें, उनके सहयोगी बनें तो यह जवाबदेही प्रशासन नहीं हो सकता है और आजकल हो ही यह रहा है। इसलिए जनता बुरी तरह से त्रस्त है कि यह क्या हो रहा है?

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको दो-तीन निवेदन करके अपनी बात को पूरा करूंगी। मैं अजमेर के कुछ उदाहरण देकर अपनी बात को पूरा करूंगी। अजमेर में भू-माफिया, अतिक्रमणी इतने अधिक पावरफुल हो चुके हैं कि वह लोगों की जमीन पर जाकर कब्जा करते हैं और कब्जा करने के साथ में जो विभाग के अधिकारी हैं, वह उनका सहयोग करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ बजरी माफिया की मैंने बात कही। पिछले दिनों एक घटना केकड़ी में हुई। मीडियाकर्मी पर खुद पर हमला हुआ और पूरा का पूरा जो परिवहन विभाग है, वह उसके सपोर्ट में आया तो जो विभाग कार्यवाही करने वाला विभाग है, वही सपोर्ट में आये, वही उसकी चिंता न करे तो व्यक्ति फिर अपनी फरियाद लेकर जाए कहां?

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से एक मामला हुआ डकैती का। सड़क पर सरेआम एक व्यक्ति के पैसे लूटकर ले गया और उसकी हत्या कर दी। नोट चैंजिंग करने वाला व्यापारी था, उसकी सड़क पर हत्या कर दी। आज तक उस हत्या करने वाले का पता नहीं चला। यह किस तरह से पुलिस प्रशासन है जो उसकी जवाबदेही तय होनी थी लेकिन वह उसको जिम्मेदारी से पूरा नहीं कर पा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, यह दो उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। इनको दिखवा लीजिये कि इनका कैसे हम समाधान कर सकते हैं। जिला प्रशासन असहाय वर्ग से जुड़ी हुई जितनी योजनाएं हैं चाहे वह खाद्य सुरक्षा योजना है, चाहे वह पेंशन है, चाहे वह पालनहार योजना है, चाहे वह अनुकृति योजना है, इन चारों योजनाओं में, माननीय सभापति महोदय, जिला प्रशासन की समीक्षा के अभाव में दो-दो, तीन-तीन साल तक प्रकरण लंबित रहते हैं और इन सालों तक लंबित रहने के बाद में व्यक्ति निराश होकर प्रयास करना छोड़ देता है कि अब मुझे प्रयास ही नहीं करने, क्योंकि मेरा हो ही नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में, जिस दिन उसने आवेदन किया है, यदि उसी दिन उसका निपटारा हो जाए तो साप्ताहिक रूप से, पाक्षिक रूप से उसकी कैसे व्यवस्था हो समीक्षा की, ताकि जितने प्रकरण आएं, यदि उनको निरस्त करना है तो निरस्त करें और उसको स्वीकृत करना है तो स्वीकृत करें। कुछ तो करें ताकि वह बार-बार कभी एक ई-मित्र के पास जाता है, फिर दूसरे ई-मित्र के पास जाता है, फिर तीसरे ई-मित्र के पास जाता है तो वह कम से कम जो उसका पैसा लग रहा है ई-मित्र पर जाने से, वह तो कम से कम बचे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वह तो पैसा लेना चाहता है, सरकार से किसी तरह से सहायता लेना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसको पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगन्दिर सिंह अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-4, 5, 8 और 15 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार को धन्यवाद इस बात के लिये देना चाहता हूं। साथ ही सम्मानित मुख्य मंत्री, श्री अशोक गहलोत साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जो मेरा विधान सभा क्षेत्र नदबई पिछले 70 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिये वंचित था, वहां कल जो संशोधित बजट था और पूर्व में जो बजट में जो घोषणा की गयी, उसमें राजकीय महाविद्यालय उच्चैन, मेरी विधान सभा क्षेत्र नदबई को दिया गया। जहां बच्चियां और बच्चे लगभग 30-35 किलोमीटर दूर भरतपुर जाते थे। साथ ही उच्चैन को पंचायत समिति का दर्जा दिया गया, उसके लिये भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। समस्त सरकारी दफ्तर खुलेंगे, नया प्रधान क्षेत्र को मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा और इसी के साथ-साथ, कल संशोधित बजट में नगरपालिका उच्चैन की घोषणा की गयी, उसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं। सफाई व्यवस्था मजबूत होगी, बिजली व्यवस्था बनेगी, पानी की व्यवस्था बनेगी और शहरी क्षेत्र में जुड़ने के लाभ इससे मिलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा नबदई में रीको इंडस्ट्रीज एरिये की संशोधित बजट में कल घोषणा की गयी, इसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। इससे निश्चित तौर पर क्षेत्र में बढ़ती हुई युवाओं में जो बेरोजगारी की समस्या है, उसका समाधान होगा। नौजवान युवकों को रोजगार मिलेगा। जो युवा क्षेत्र से दूर जाकर चाहे वह भिवाड़ी हो, गुड़गांव हो, दिल्ली हो या अन्य राज्य हों, परिवार को छोड़कर वहां पर नौकरी करते हैं। निश्चित तौर पर इससे क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको लाभ मिलेगा। हमारे वहां पर जो व्यापारी वर्ग है, उसको व्यापार करने के लिये दूरदराज न जाकर अपने क्षेत्र में उद्योग धंधा लगाने का मौका मिलेगा।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही, नदबई, जो सरसों आयल के लिये बहुत जाना जाता है, मिलों की वहां पर भरमार है। रीको इंडस्ट्रीज खुलने से सरसों उद्योग को अधिक से अधिक बढ़ावा मिलेगा। उद्योगों से सरकार को राजस्व भी आएगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही, मैं कुछ समस्याएं और मांग आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी के सामने रखना चाहता हूं कि जो उच्चैन में तहसील है, वहां तहसीलदार, एस.डी.एम. की कमी है और वहां का जो स्टाफ है और क्षेत्र के जो लोग हैं, किसान हैं, उनको लगभग 40 किलोमीटर दूर, रूपवास भू-राजस्व के पैसे जमा कराने के लिये स्टॉफ को जाना पड़ता है। छात्रों को दाखिले के लिये जन्म प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। छात्र-छात्राएं स्कूल में प्रवेश के लिये परेशान रहते हैं और समय पर उनको प्रवेश नहीं मिल पाता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बिना तहसीलदार के नहीं बन पाता है। तहसील उच्चैन में 2018 से तहसीलदार का पद रिक्त है, उसकी भी मैं मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी तहसीलदार को वहां पर लगाया जाए। किसानों की रजिस्ट्री काफी लम्बे समय से रूक रही है और इसके साथ-साथ मैं समझता हूं कि..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं बिलकुल बीच में बोलना नहीं चाह रहा था। पर आज सदन में पहली बार मांगों पर चर्चा प्रारम्भ हुई है। माननीय मंत्री महोदय, जिन्होंने मांगें रखीं, वह उनका उत्तर भी देंगे। कम से कम उनको तो पाबन्द करें, वह तो कृपया विराज जाएं। बाकी तो ट्रैजरी बैंचेज सारी खाली हैं। इस विधान सभा को अप्रासंगिक कर दिया सत्तारूढ़ दल ने। (व्यवधान) एक बैठे हैं, बाकी कहां हैं? तीन-तीन मंत्री, फिर उनका उत्तर मत कराओ। आज राजस्व मंत्री नहीं हैं, आज कार्मिक मंत्री, बी.डी. कल्ला साहब नहीं हैं। ऐसी भी क्या बात है?

श्री सभापति: सब यहीं हैं। सब यहीं हैं।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापतिजी, ग्राम पंचायतों के पट्टे किस तरह से जारी होते हैं, उसके लिये ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आफिसर गैलेरी भी देख लो आप। आप नजर डाल लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे हैं। हालत क्या बनी हुई है? एक मिनट अवाना साहब, काहे को रिप्लाई करें।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप हाउस को एडजोर्न कर दो।

श्री सभापति: आप एक बार विराजें तो सही। विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप देखो तो सही। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एडमिनिस्ट्रेटिव हैड और पोलीटिकल हैड डिपार्टमेंट दोनों को होना चाहिए जब यहां पर चर्चा हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपने आसन के संज्ञान में बात ला दी। आप विराजिए तो सही। आप एक बार विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कोई सैक्रेटरी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप, विराजिए। विराजिए, विराजिए। आप भी विराजिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, आप व्यवस्था दीजिए, सरकार को कहिये।

श्री सभापति: आपने यह बात आसन के संज्ञान में ला दी, आप विराजिए। आप चालू रखिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, वास्तव में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने सारे सदन की भावना रखी है और आप स्वयं इतने वर्षों से अनुभव करते हैं...

श्री सभापति: मैं स्वयं सहमत हूं आपकी बात से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जितने डिपार्टमेंट होंगे उनका कोई व्यक्ति हमारे बोलने का अगर नोट ही नहीं करेगा और उसके बारे में कुछ भी नहीं तो मैं सोचता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं होगा।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मतलब इस रूप में ले रहे हैं विधान सभा को, न अधिकारी इसमें सीरियस है न कोई सीरियस है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इनका कोई प्रिंसिपल सैक्रेटरी नहीं है।

श्री सभापति: सदन पूरा गम्भीर है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप विराजें। मैं स्वयं सहमत हूं आपकी बात से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आज चार विभाग की मांग हैं चार विभाग की और चार विभाग से सम्बन्धित लोग हैं।

श्री सभापति: विभाग के सीनियर आई.ए.एस. यहां पर बैठे हुए हैं, माननीय मिनिस्टर्स भी अभी गये ही हैं, अभी आ जाएंगे। आप विराजिए, प्लीज। मैं सहमत हूं आपकी बात से। आप विराजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, मंत्री जी की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। मंत्री जी को कहकर, आदमी यहां दो-तीन घंटे से बैठा है, नैचुरल काल के लिए भी जा सकता है या नहीं जा सकता? कहकर, बैठाकर गये थे। ...(व्यवधान) एक मिनट पहले गये थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नैचुरल काल पर पाबंदी रखो, भींचण शक्ति मजबूत रखो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अच्छा।

एक माननीय सदस्य: जैसे राजेन्द्र राठौड़ जी रखते हैं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): भींचण शक्ति बहुत मजबूत है आपसे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, जब चर्चा ही प्रशासनिक सेवाओं पर, जिला प्रशासन और इस पर हो रही है तो कम से कम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव हैड तो सुनने के लिए मौजूद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): एडमिनिस्ट्रेटिव हैड पहले बैठे हुए थे, अभी पेंशन वाले बैठे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, आप विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनका विभाग ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज। प्लीज आप सहयोग करें। विराजिए, विराजिए आप। माननीय सदस्य, विराजिए।

काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, गम्भीर चर्चा है और आपकी बात जो भी आपने कही, मैं स्वयं सहमत हूं आपकी बात से। हमको इसको एंड तो करना पड़ेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप देखो, इतने सालों का आपका भी विधान सभा का अनुभव है, ये स्थिति तो कम से कम अधिकारियों की लॉबी की आज दिन तक कभी नहीं देखी।

श्री सभापति: आगे से यह स्थिति नहीं रहेगी, यह मैं स्वयं आपको एन्श्योर करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): और यह डिबेट शुरू हो गई, या तो उनको यह मालूम नहीं है कि डिबेट दो बजे शुरू होगी।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, आसन आपको यह एन्श्योर करता है कि यह स्थिति नहीं रहेगी, अब विराजिए आप। विराजिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): नहीं आगे से तो क्या ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप। नहीं, विराजें। इस तरह से नहीं कर सकते आप। विराजिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): चार डिमांड हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए आप। प्लीज, सहयोग करें। सहयोग करें आप, विराजिए। विराजिए, विराजिए। आपके नेता बोल चुके, मैं सदन को एन्श्योर कर चुका, उसके बाद फिर क्या कहना बाकी बच गया, कि आपका खड़ा होना जरूरी है। आसन को हाईजैक मत करिये। विराजिए आप, विराजिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा। विराजिए, विराजिए आप। (व्यवधान) सदन की गम्भीरता समझिये आप। आपके नेता ने कह दिया, मैंने सुना, मैं सहमत हूं इस बात से। मैं एन्श्योर करता हूं कि सदन में इस तरह की स्थिति नहीं होगी। माननीय मंत्री महोदय भी विराजेंगे और सीनियर आफिसर भी विराजेंगे। माननीय श्री अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): माननीय सभापति जी, तहसीलदार की नियुक्ति नहीं होने के कारण किसानों की रजिस्ट्री में कठिनाइयां आ रही हैं। साथ ही खेती से सम्बन्धित जो भी खेतों की रजिस्ट्री होती है उसके लिए रजिस्ट्री कराने के लिए 40 किलोमीटर दूर रूपवास जाना पड़ता है।

श्री सभापति: अवाना जी। डिप्टी चीफ व्हिप साहब, आप एन्श्योर करें कि सम्बन्धित मिनिस्टर्स यहां पर विराजें, वो जा रहे हों तो अपने किसी दूसरे सबोर्डिनेट को बैठाकर जाएं और आफिसर्स भी गैलरी में बैठेंगे। ऐसे नहीं। (व्यवधान) विराजिए, अब आप विराजिए। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अवाना जी, आप अपनी बात बोलिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): ग्राम पंचायत पट्टे तो जारी कर रही है परंतु तहसील से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं जिससे राष्ट्रीय बैंकों से लोन मिल पाता है इसलिए क्षेत्रीय लोगों को असुविधा हो रही है। आबादी से सटी हुई कृषि भूमि के कन्वर्जन में कठिनाइयां आ रही हैं। हैसियत प्रमाण पत्र भी जो तहसीलदार जारी करते हैं उसमें भी कठिनाइयां आ रही हैं। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड के.सी.सी. क्षेत्रीय तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करते हैं, उसके लिए भी काश्तकारों को रूपवास जाना पड़ता है। काश्तकारों की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, खेत क्रय-विक्रय करते हैं तो उसमें दूर जाना पड़ता है। ग्राम पंचायत पट्टे तो जारी कर रही है, परंतु तहसीलदार नही होने से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, राष्ट्रीय बैंकों से जो उन्हें लोन लेना पड़ता है उसके रजिस्ट्रेशन में भी कठिनाई आ रही हैं।

साथ ही, खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, पालनहार योजना के लिए भी वहां के स्थानीय लोगों को 40 किलोमीटर दूर रूपवास जाना पड़ता है। सभी सरकारी योजनाएं तहसीलदार नहीं होने के कारण बाधित हो रही हैं। मेरे यहां तहसील में 6 पटवारी पद रिक्त हैं, उच्चैन में एक गिरदावर का पद है, वहां स्टाफ की कमी है। ए.सी.एम., तहसीलदार पद रिक्त के कारण प्रभावी मोनिटरिंग नहीं हो पा रही है जिससे सरकार की योजनाओं का सही लाभ आम जनता में पहुंचने में कठिनाइयां आ रही हैं। तहसीलदार को डीडी.ओ. वित्तीय अधिकार देने का कष्ट करें। साथ ही डी.डी.ओ. कोर्ट, अजमेर रेवेन्यू बोर्ड से कलेक्टर जारी करें जिससे काश्तकारों को दूर चक्कर न लगाना पड़े।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत मुंसिफ कोर्ट उच्चैन में बने, उसकी मैंने पहले भी मांग की थी। मैं आज भी मांग करना चाहता हूं कि उच्चैन तहसील हैडक्वार्टर है, साथ ही पंचायत समिति हैड क्वार्टर है। संशोधित बजट में कल माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा नगरपालिका की भी घोषणा की गई है। सिविल एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मुंसिफ कोर्ट, न्यायिक प्रक्रिया के समस्त कार्य मुंसिफ कोर्ट में होते हैं, रूपवास जो कि दूसरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में आता है वहां 40 किलोमीटर दूर न्यायालय स्थापित है। दूरी अधिक होने के कारण न्यायालय का समय सुबह सात बजे होने के कारण साधनों के अभाव में पक्षकार कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं जिससे उनकी जमानत जब्त व उनके द्वारा प्रस्तुत दावा अनुपस्थिति के चलते खारिज हो जाता है।

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

उच्चैन में तहसील हैडक्वार्टर, पंचायत समिति, पुलिस थाना है। तीन राष्ट्रीय बैंक हैं, एक एस.बी.आई., एक पी.एन.बी. और एक बैंक आफ बड़ौदा। तीन निजी महाविद्यालय हैं, एक राजकीय महाविद्यालय है जो माननीय मुख्य मंत्री ने पिछले बजट में दिया। सहायक अभियंता, विद्युत का कार्यालय है, सहायक अभियंता, पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है, तीन निजी आई.टी.आई. संस्थान हैं इसलिए नागरिकों की जरूरतों को देखते हुए मुंसिफ कोर्ट खोला जाना अति आवश्यक है।

उच्चैन सहायक कलेक्टर कार्यालय ए.सी.एम. कोर्ट है लेकिन रूपवास में वहां के लोगों को जाना पड़ता है जो दूसरे विधान सभा क्षेत्र बयाना का एक हिस्सा है, उच्चैन से जिसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर दूर है, एस.डी.एम. रूपवास के पास ही उसका चार्ज है जो केवल एक दिन मंगलवार के दिन अपनी तहसील में आकर वहां बैठते हैं। मैं समझता हूं कि लंबे समय से खेती से सम्बन्धित मुकदमों में दूरी की वजह से पक्षकार परेशान रहते हैं। 151 तक की जो सीआर.पी.सी. की धारा होती है उसके तहत शांति भंग के आरोपियों को भी 40 किलोमीटर दूर जाकर जमानत करानी होती है। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक परेशानी और समय बर्बादी जैसी तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ 107, 109, 110, 116 की कार्यवाही के लिए भी 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, वकीलों को भी वहां बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आमजन को न्याय मिलने में कठिनाइयां रही हैं, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दावे पिछले 5 सालों से लोड अधिक होने के कारण केवल एस.डी.एम. मंगलवार को बैठते हैं इसलिए न्याय मिलने में कठिनाई आ रही है। एक फोर्थ क्लास का पद रिक्त है, तीन बाबू हैं जिनमें से एक है, 2 पद रिक्त हैं।

जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा पेश किया गया उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए 53 हजार 181 पदों पर भर्ती की सौगात दी। निरोगी राजस्थान के तहत प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 14 हजार 553 करोड़ रुपये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को दिये जो ऐतिहासिक कदम है। किसानों के लिए 3 हजार 420 करोड़ रुपये कृषि विभाग को देखकर सभी के हित में कार्य किया। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के उत्थान एवं कल्याण के लिए सुझाव देने के लिए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन किया गया, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

जी को धन्यवाद देता हूं।

साथ ही, मैं कहना चाहता हूं कि अभी सुबह से सदन में चर्चा हो रही थी और एक मामले को लेकर जिस तरह से आप सभी यहां देख रहे थे और सरकार के ऊपर जो तमाम तरह की उंगलियां उठाई जा रही थीं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक तो इनकी सरकार थी, जिन्होंने 73 निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई, जो कि गुर्जर आरक्षण की मांग कर रहे थे। एक यह सरकार माननीय गहलोत साहब की है, जिन्होंने 73 डंडे भी नहीं चलाए और गुर्जरों को 5 परसेंट आरक्षण दिया। उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करना चाहता हूं।

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, जिस विधान सभा क्षेत्र नदबई से मैं आता हूं, वहां इनकी पार्टी की लगभग 15 वर्ष से जन प्रतिनिधि थीं, जिन्होंने कभी उस क्षेत्र के विकास के लिए नहीं सुना। माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि नदबई को उन्होंने रीको इंडस्ट्रियल एरिये जैसी बड़ी सौगात दी। जिससे क्षेत्र में जो हजारों नौजवान लोग हैं, जो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, उनको उससे रोजगार मिलेगा। उससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। वहां के लोग दूर-दूर जाकर के नौकरियां करते हैं। उनको अपने क्षेत्र में ही नौकरियां मिल सकेंगी।

इसके साथ ही उच्चैन में नगरपालिका की घोषणा की गई। उससे भी एक बड़ा फायदा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। इससे क्षेत्र का विकास होगा। कांग्रेस का पिछले दिनों जो बजट पेश हुआ, पूरे क्षेत्र में और प्रदेश में उसको लेकर के हर वर्ग में खुशी का माहौल है। उसको लिए मैं पुन: राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आपने मुझे मांग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय को और आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं लंबे समय से इस विधान सभा में हूं। एक लंबे अंतराल के बाद और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मेरे संसदीय जीवन में तो यह पहला मौका होगा जब मांग संख्या 4 जिला

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रशासन, मांग संख्या 5 प्रशासनिक सेवाओं पर और मांग संख्या 15 जो राजस्थान के उन बेजुबान लोगों के लिए है, जो 6 लाख से ज्यादा पेंशनर्स हैं, उसके बारे में आज सदन में चर्चा हो रही है। मांग संख्या 8 राजस्व पर इससे पहले चर्चा हो चुकी है।

सभापति महोदय, जब यह चर्चा हो रही है तो मैं समझता हूं कि प्रशासन, जिसका संबंध आम-अवाम से है, अमीर से, गरीब से, हर वर्ग से है। संविधान के अंदर जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उस संविधान में जो हमारी कार्यपालिका को अधिकार मिले हैं, उसका इस आम-अवाम से संबंध है। आज राजस्थान के सचिवालय में मुख्य सचिव बैठते हैं। ग्राम सचिवालय में ग्राम के लोगों का रोज का वास्ता रहता है, जिसमें वहां का पटवारी, वहां का व्यवस्थापक, वहां का ग्राम सेवा अधिकारी, वहां की एएनएम, वहां का शिक्षक है। मैं चाहता हूं कि आज की जो यह चर्चा है वह एक मूल्यांकन की चर्चा हो। हमारी प्रशासनिक सेवाओं की दक्षता की चर्चा हो। हमारी प्रशासनिक सेवाओं में आए ह्रास की चर्चा हो। कुछ मौलिक सुधार हों, इस पर हो तो बहुत अच्छा है।

सभापति महोदय, मैं सही कह रहा हूं कि राजस्थान प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग, इसका जो प्रगति प्रतिवेदन है, कई बार यह मेरे यहां आए होंगे, लेकिन मैंने इसको पहली बार देखा है। जब मैं पहली बार इसको देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि विशेष उपलब्धि, इस आलोच्य वर्ष में क्या रही, मैं वह पढ़ रहा था। जो कि प्रगति प्रतिवेदन के पृष्ठ 10 में अंकित है। इनकी जो विशेष उपलब्धि रही अंदर इन्होंने लिखा, दूसरे नंबर पर, 26.11.2019 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली बैठकों में आमंत्रित अधिकारीगण द्वारा स्वयं ही भाग लिए जाने के आदेश जारी किए। यानी यह हालात हैं, 26.11.2019 का जो पत्र इसके साथ में दिया है, उसमें लिखा है कि मुख्य सचिव महोदय की बैठकों में प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिवगण भाग नहीं लेते हैं। द्वितीय और तृतीय वरीयता क्रम के अधिकारीगण भाग लेते हैं। इससे उक्त बैठक की गंभीरता नहीं रहती। यह इस सरकार का पहला आईना है।

सभापति महोदय, यह चर्चा जब प्रारम्भ हो रही थी, तब मेरी निगाह अधिकारी दीर्घा की ओर उठ रही थी। इस लापरवाह नौकरशाही से आज के दिन उम्मीद की जा सकती थी कि प्रशासनिक पदों पर बैठे हुए, चूंकि जिला प्रशासन और प्रशासन पर चर्चा है, आज मुख्य सचिव निश्चित रूप से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आफिसर्स गैलेरी में होते।

सभापति महोदय, हम सबके लिए गर्व की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। उस संविधान के अंदर जहां हमारे मौलिक अधिकारों की, स्वतंत्रतापूर्वक जीने की, धार्मिक आचरण की, अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई, वहीं हमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भी संविधान के प्रावधानों के तहत दी गई और उसी तरह अधिकार सम्पन्न विधायिका भी।

सभापति महोदय, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, इनको सेपरेशन आफ पावर, लक्ष्मण रेखा में भी, एक दायरे के अंदर बांधा गया। मैं समझता हूं कि यह मंच जिससे मैं अपनी बात कह रहा हूं यह वह सर्वोच्च मंच है जिसके माध्यम से हम हमारी कार्यपालिका, नौकरशाही पर नियंत्रण भी कर सकते हैं। वह कानून, बातें जिनके आधार पर हमने संविधान बनाया है, विधान बनाया है, उस पर कार्यपालिका निष्पक्षता से काम करे, इसके लिए अंकुश भी लगा सकते हैं।

सभापति महोदय, यह जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, यह ब्रिटिश शासन प्रणाली पर आधारित है। यह जो सचिवालय की प्रणाली है, बजट की प्रणाली है, अखिल भारतीय सेवाओं की प्रणाली है, लेखा परिषद् का राजस्व प्रशासन है, इस पर ही आधारित है। अंग्रेज चले गए लेकिन हमें विरासत में जो प्रणाली दी गई, बिगड़ैल नौकरशाह, मंत्री महोदय बुरा मत मानना, यह इतने चतुर हैं। हम लोग तो अर्श से फ़र्श पर पहुंच जाते हैं। हम लोग इधर बैठे हैं। कभी आपके शासन सचिवालय में हमारी भी नेम प्लेट चमकती थी। हम तो अर्श से फर्श तक सफर कर लेते हैं। इन अधिकारियों के कमरे बदलते हैं, नेम प्लेट बदलती हैं लेकिन यह अधिकारी वहीं रहते हैं।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि आज जनता के प्रति निश्चित तौर पर हम तो उत्तरदायी हैं, लेकिन यह अधिकारी वर्ग जो आज आपको सलाह दे रहा है, कल दूसरों को सलाह देता था। मूल रूप से शासन का मूल केन्द्र अगर कहीं बन गया है इन वर्षों में तो वह ब्यूरोक्रेसी बन गया है।

सभापति महोदय, बहुत पहले हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी विचार किया गया, राज्य स्तर पर भी विचार किया गया। अकाउंटेबिलिटी की बात हो, ट्रांसपेरेंसी की बात हो, रेस्पांस की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात हो, गुड गवर्नेंस की बात हो, इन सब व्यवस्थाओं के लिए उस समय जब हमें नयी-नयी आजादी मिली थी, उस समय भी लोग चिंतित थे। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार हो, इसीलिए केन्द्र के अंदर 1966 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग बना। उन्होंने 578 सुझाव दिए। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, मोटे तौर पर मोरारजी देसाई के प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो सुझाव दिए, उन्होंने कहा कि लोकपाल होना चाहिए, लोकायुक्त होना चाहिए।

सभापति महोदय, उसी समय आर्टिकल 263 के तहत अन्तरराज्यीय परिषद् का भी गठन किया गया। समय गुजरता चला गया। लोकपाल और लोकायुक्त की बात अलग-अलग मंचों से उठी तो जरूर, लेकिन उसका हश्र क्या है? वह दंतहीन, नखहीन है। इस पर भी विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसके बाद जो दूसरा प्रशासनिक आयोग बना। वह 2005 में बना। कभी कर्नाटक के मुख्य मंत्री रहे वीरप्पा मोइली इसके अध्यक्ष रहे। इन्होंने 15 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। उसमें मुख्य बात की तरफ मैं सदन का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि यह नौकरशाह, यह बड़े अधिकारी, यह बड़े बाबू जब 14 साल की अपनी सेवाएं पूरी कर लें तब इनकी सेवा की समीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद जब इनकी 20 वर्ष की सेवा पूरी हो जाए, तो सेवा की समीक्षा करके, इनके कार्यकाल की समीक्षा करके, अगर यह सेवा योग्य नहीं हो तो इनको रवाना भी कर दिया जाए।

सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के अंदर भी जिस हरिश्चन्द्र माथुर संस्थान के अंदर श्रीमान् पधारे होंगे, उन्हीं हरिश्चन्द्र माथुर साहब की अगुवाई में 1963 में एक प्रशासनिक सुधार आयोग बना। 1994 में जीके भणोत कमेटी बनी, 1999 में जब पहली बार सदन के नेता यहां सदन में मुख्य मंत्री के पद पर आसीन हुए। मैं यह नहीं कहूंगा कि उस वक्त क्या हालात थे पर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं उस समय भी सदन का सदस्य था। जब हमारे पूर्व मुख्य मंत्री और कई बार सांसद रहे, कई बार मंत्री रहे शिवचरणजी माथुर की अगुवाई के अंदर प्रशासनिक सुधार आयोग बना। उस प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें, 11 रिपोर्ट हैं, मैं समझता हूं कि जब आप बोलने खड़े होंगे, विशेष तौर से सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कहेंगे कि आपने अपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

काल खण्ड में क्या किया? हमने किया कि नहीं किया लेकिन जिस शिवचरणजी माथुर का आयोग सदन के नेता ने बनाया उसकी धूल भी नहीं झाड़ी। आज उनकी 11 रिपोर्टों को पढ़ो, उन्होंने कहा था कि तबादला उद्योग बन गया है, इसकी नीति बनाओ। उनमें कहा गया है कि जन अभाव अभियोग निराकरण का पूरा तंत्र विकसित किया, उन्होंने कहा कि ये बड़े-बड़े विभाग अम्ब्रेला में हों, उनका कोआर्डिनेशन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर वास्तव में, सुशासन की कल्पना करना, आज की बहस को आगे बढ़ाना है तो मेरी मांग है कि शिवचरणजी माथुर की अगुवाई में बने उस प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्टों पर यह सदन चर्चा करे। मैं समझता हूं कि अगर इसकी चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर इसके सार्थक परिणाम भी निकलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सुशासन की चिंता दिखाई बहुत जाती है पर होता क्या है जब सत्ता में बैठते हैं, देने के बाट कुछ और लेने के बाट कुछ और। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार नागरिक अधिकारिता पत्र के लिये पूरे राजस्थान को विज्ञापनों से पाट दिया गया। सदन के नेता की पूर्व सरकार थी, फिर कहा कि लोक सेवा गारण्टी अधिनियम बनाया इन्होंने 2011 में, ठीक, अच्छी मंशा से बनाया आपने। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तो आपकी सरकार का उद्योग मंत्रीजी, पांच साल की सरकार, साठ महीने की सरकार, आखिरी पांच-छह महीने चुनाव, आपके ये पचपन महीने की सरकार ने अपनी उम्र का एक चौथाई से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। अब तो आप बताओ, आज इस पर बहस हो रही है, मंत्रीगण जवाब दें तो बताएं कि अब आपके नागरिकता अधिकार पत्र को लागू करने का अधिकार आपके पास आ गया, संवैधानिक रूप से। यह आपने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम बनाया 2011 का भी आ गया। इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करें। माननीय सभापति महोदय, अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने, मैं उनको बधाई भी दूंगा कि आज उन्होंने बड़े मौलिक सवाल खड़े किये। एक मौलिक सवाल यह था कि हमारे यहां जिला कलेक्टर जो साठ कमेटियों का अध्यक्ष है, इन साठ कमेटियों का जिला कलेक्टर अध्यक्ष हो, मैं समझता हूं कि प्रतिदिन तीन और चार वह बैठक लेता है, प्रतिदिन किसी न किसी विभाग की वीडियो कांफ्रेंसिंग होती है सचिवालय से, प्रतिमाह किये जाने वाले और कार्य भी हैं, वीआईपी, वीवीआईपी लोग भी उसके सामने आते रहते हैं, उसके बाद हालात क्या बनते हैं, जिस बात का जिक्र सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कहा, वह इजलास में भी बैठता है, उस इजलास के अंदर रेवेन्यू के जो मामले आते हैं, उन रेवेन्यू के मामलों का निस्तारण करने उसमें बैठ नहीं सकता।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जब चर्चा हो रही है तो उन साठ कमेठियों का पुनर्गठन क्यों नहीं हो सकता? दूसरा मैं निवेदन करूं, हमने सारे भू-अभिलखों को ऑनलाइन कर दिया। मंत्री महोदय, भारत सरकार की एक स्कीम थी डीआईएलआरएमपी स्कीम थी, बहुत अच्छा हुआ, जनता को राहत भी मिली, पर ये कलेक्ट्रेट के रूम में रखा हुआ रिकार्ड है, जो कलेक्टर के यहां जिस प्रकार की सूचनाएं आम आदमी को चाहिये अगर वह ऑनलाइन हो जाएं, सारे अभिलेख ऑनलाइन हो जाएं तो कितना लाभ हो जाए? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रिवेंसेज रिड्रेसल की बात हम करते हैं, एक फरियादी ने एप्लीकेशन दे दी, कलेक्टर मार्क करके भेज देते हैं नीचे, उसके बाद उसका पता नहीं, जब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का ट्रैकिंग मोनिटरिंग चालू नहीं करोगे तब तक आप फरियादी की फरियाद पर अंतिम निर्णय समय पर नहीं कर सकोगे। आज हो क्या रहा है?

माननीय सभापति महोदय, अभी कण्ट्रोल रूम है, जिले में कण्ट्रोल रूम है, जिले के कण्ट्रोल रूम में टिड्डी जिस दिन आ रही थी, जिला कलेक्टर के कण्ट्रोल रूम में सूचना के बावजूद उनके पास ऐसा कोई तंत्र नहीं था कि उसके लिये सारी मुस्तैदी से वे सारे काम कर सकें क्योंकि सिर्फ एक आदमी को बैठाकर कण्ट्रोल रूम में आयी सूचनाओं का संकलन कर लेना, मैं समझता हूं कि इस डिस्ट्रिक्ट कण्ट्रोल रूम को बहुत स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। आज हो क्या रहा है लॉ एण्ड आर्डर के लिये, मैं इसका साक्षी हूं। कई बार लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा होती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में हमारे जिला कलेक्टर, एसडीएम पहुंच जाते हैं अपनी उसी गाड़ी में बैठकर, न उनके पास हैलमेट है, न उनकी गाड़ी के आगे कोई जाली लगी हुई है, न उनके पास कोई दूसरी व्यवस्थाएं हैं, मैं सोचता हूं कि इन छोटी-छोटी बातों पर ही निश्चित रूप से बात करें।

माननीय सभापति महोदय, आज यही कारण है कि 01 अप्रैल, 2019 से 10 फरवरी, 2020 कुल मिलाकर 4,75,825 मुकदमे लम्बित हैं राजस्व न्यायालयों में। मेरी मांग है मंत्री महोदय, हमारे टाइम के अंदर एक अभियान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चलाया गया था, राजस्व न्याय आपके द्वार, निश्चित तौर पर उस अभियान की तरफ आगे बढ़ना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात आगे करूं उससे पहले सबसे शक्ति सम्पन्न अगर कोई है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर जिसका चयन हो गया, वह तो सर्व गुण सम्पन्न है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मैं नया-नया मंत्री बना, भैरोंसिंहजी शेखावत ने बुलाया और कहा कि आप मंत्री बनने की ओथ लेकर आये हैं, किस प्रकार नियंत्रित करेंगे, स्वास्थ्य विभाग के आप मंत्री बन गये। मैंने कहा कि मैं योजना पढूंगा, मैं इसमें प्रशासनिक तौर पर हमारा जो बजट है, बजट व्यय हुआ उसको देखूंगा, नियंत्रण करने वाली जगह पर नियंत्रण करूंगा। वे बोले इसको सुचारु रूप से चलाने के लिए क्या करना चाहिये, मैंने कहा कि ये करना चाहिये। उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे बड़ा सेंस है कामन सेंस, आम आदमी क्या सेंस करता है, उस सेंस के अनुसार अपनी गतिविधियों को आगे करो, कामयाब होओगे। मैं समझता हूं कि हमारे प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों को जो आज हमारी आफिसर्स गैलरी में आने में भी गुरेज करते हैं, कामन सेंस उनमें नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक, प्रशासनिक पदों पर बैठे लोगों के लिये अलग-अलग आर्टिकल में प्रावधान किया गया है। इनके कर्तव्य क्या हैं, इनकी चयन की प्रक्रिया क्या है, इसी को लेकर आल इण्डिया सर्विस एक्ट बना 1951 में, इसी एक्ट के अनुसार आल इण्डिया सर्विस कण्डक्ट रूल्स बने 1968 में, वह 1968 का रूल, उसमें एक नियम है, रूल 3(1), इसमें लिखा है कि राजनीति निष्पक्षता, यानी कि कोई भी आईएएस अधिकारी कर्तव्य निर्वहन में निष्पक्षता और मैरिट के आधार पर निर्णय ले। अब यह निष्पक्षता कैसी है? इस पर अगर पार्टी की लक्ष्मण रेखा से ऊपर उठकर बात करें तो पूरी बात सामने आ जाएगी। मैंने देखा है, मैंने व्हाट्सएप पर, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, इसी सरकार में एक जिला कलेक्टर को एक शक्तिशाली मंत्री के चरण वन्दन करते देखा गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि कई बार तो ये चतुर सुजान हैं, ये इस प्रकार के काम कर लेते हैं और कई बार कमजोर मंत्री इनके साथ सांठ-गांठ कर लेता है। मैं समझता हूं कि यह निष्पक्षता, मुझे अफसोस इस बात का है कि राजस्थान में निष्पक्षता को मैंने तार-तार होते देखा है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पहली बार देखा है। 73वें संविधान के संशोधन के माध्यम से पंचायतों का पुनर्गठन, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 में प्रावधान है, एक जनसंख्या के आधार पर एक बार होता है, पर आपने दूसरी बार कर दिया। 2014 में हमने किया, फिर आपने कर दिया। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कांग्रेस कार्यालय से आये हुए प्रस्तावों पर डमी होकर ठप्पे पर ठप्पे मारते चले गये? कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। मैं समझता हूं कि इसका भुगतान तब तक होगा, जब तक ये सत्ता परिवर्तन होकर पुनर्गठन नहीं हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं साक्षी हूं, निर्वाचन क्षेत्र के अंदर दो किलोमीटर पर एक गांव, नौ किलोमीटर पर जोड़ रहे हो, बीच में तीन गांव, मैं समझता हूं कि यह राजनीतिक निष्पक्षता का एक जीता जागता नमूना है?

माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी एक आईएएस अधिकारी, भीलवाड़ा में एसडीएम है, +++ उसका एक फेसबुक पर जो उन्होंने ट्वीट किया वह पढ़ रहा था, 'नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर दिया, हिन्दुस्तान की लोक सभा ने, महामहिम राष्ट्रपति ने ठप्पा लगा दिया।' इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की +++, उस पर लिखती हैं, 'ये देश को तोड़ने वाला कानून है।' वही +++ सोनिया गांधी के जन्म दिन पर बधाई का संदेश भी देती है। अगर इन चीजों को नहीं रोका, अगर इसी प्रकार राजनीतिकरण होता चला गया तो मैं समझता हूं कि यह बात कहां की कहां चली जाएगी। सुशासन की बात दूसरी है।

सभापति महोदय, इसी आल इण्डिया सर्विस कंडक्ट रूल्स में रूल 11 और 12 में लिखा है कि आप आधिकारिक तौर पर आफिशियल पद पर रहते हुए कोई गिफ्ट नहीं लेंगे। अगर आपका कोई पारिवारिक रिश्तेदार या मित्र किसी उत्सव में आपको गिफ्ट देता है और 25 हजार रुपये से ज्यादा की गिफ्ट आपको मिलती है तो आप सरकार को सूचित करेंगे।

मंत्री महोदय, कितने अधिकारी आये होंगे? हम भी उधर थे, आप भी इधर हैं। एक अधिकारी के रिकार्ड में बता दें या ये अधिकारी ऐसा कह दें कि 25 हजार रुपये से ज्यादा की गिफ्ट आयी नहीं और इसी आल इण्डिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के रूल 16(बी) में लिखा है कि इन्हें अचल और चल सम्पत्ति की प्रतिवर्ष घोषणा करनी है। आप इनका उठाकर देख लें। या तो आपको

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

घोषणा नहीं मिलेगी और मिलेगी तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा और इसीलिए मोदी जी ने अभी Dos and Don'ts, इसके लिए 19 बिंदु जारी किये हैं।

सभापति महोदय, मैंने अभी समाचार पत्रों में एक चीज पढ़ी। मुझे अफसोस भी हुआ। अभी बूंदी के एक वेयरहाउस का मामला आया और उसमें छह वर्ष पहले नाबार्ड ने 200 करोड़ रुपये की लागत से पैसा मंजूर किया वेयरहाउस बनाने के लिए। बनाने वाली निर्माता कम्पनी ने 200 करोड़ रुपये की जगह 245 करोड़ रुपये का भुगतान ले लिया। वहां के जो सीएमडी थे, श्री पी. के. गोयल, उन्होंने यह लिख दिया कि इसकी बैंक गारण्टी जब्त करें। बैंक में कागज पहुंच गया। एक बड़े अधिकारी लिखते हैं, टेलीफोन करते हैं कि गारण्टी जब्त नहीं होनी चाहिए, पैसा रिलीज करें इसका। बैंक मैनेजर उस पूरी चीज को कागज पर लिखता है- 'टेलीफोन पर आये निर्देश के अनुसार।' जब यह मामला आगे बढ़ता है तो फिर पी. के. गोयल अपने उस अधिकारी को पत्र लिखते हैं, जो कि प्रमुख शासन सचिव हैं, कि इस मामले की एसीबी से जांच कराएं। मैं समझता हूं, इस प्रकार की एक बात नहीं, ये जो मामले आये हैं, नरेश पाल गंगवाल को ये लिखते हैं कि वेयरहाउस निर्माण में गड़बड़ी की जांच एसीबी से कराएं और वे खुद कहते हैं कि मुझे पत्र मिल गया। मैं कोई और दूसरी बात नहीं कहूंगा, पर ये कुछ मामले जो जन चर्चा में आ जाते हैं, आज इतने बड़े पदों पर बैठे लोग, एक अधिकारी लिख रहा है, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं मेरी तरफ से कोट भी नहीं कर रहा, एक अधिकारी ने अपने प्रिंसिपल सैक्रेटरी को लिखा कि एसीबी से जांच हो और मामला दाखिल दफ्तर हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, रूल्स आफ बिजनस बने हुए हैं। मंत्री महोदय, हम सब रूल्स आफ बिजनस के आधार पर पत्रावली अपने पास मंगाते हैं। कुछ पत्रावलियों का निचले स्तर पर निस्तारण हो जाता है, पर कितने रूल्स आफ बिजनस की पालना होती है, आज यह देखने की बात है। जब कभी भी इन बिगड़ैल लोगों के मन में किसी चीज को अपने स्तर पर निपटाने की बात आती है तो वे उसकी परवाह नहीं करते। आज मैं समझता हूं कि यह जो अभी थोड़ी देर पहले एक बात उठी, एक डिस्ट्रिक्ट मैनुअल भी बना हुआ है। वह बहुत पुराना बना हुआ है। जिले में जिला कलेक्टर क्याक्या

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

काम करेगा, सारा डिस्ट्रिक्ट मैनुअल में लिखा है, पर यह जिला कलेक्टर एलआर एक्ट के सैक्शन 25(75) में, सैक्शन 14(4) में, कृषि भूमि आबंटन नियम, 1970 में निगरानी सुनता है पंचायती राज अधिनियम की, नगरपालिका अधिनियम की, राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम की, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के सैक्शन 88(2), ये सब मामले जो इजलास में इसे सुनने होते हैं, वह सुनता नहीं। सुन भी नहीं सकता। इसीलिए, जब टर्शरी स्टेज पर लोग तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर के पास जाते हैं तो एक पूरी उम्र बीत जाती है।

सभापति महोदय, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप गांवों में विराजे हैं और गांवों के दर्द को जानते हैं। मैं समझता हूं कि गांव का व्यक्ति उस परिवर्तन के लिए इंतजार कर रहा है। उसके लिए पटवारी ही सब कुछ है। पटवारी ने अगर नामांतरण में एक बार गलत बात को इंद्राज कर दिया, दावा दुरुस्ती चलता रहेगा, एक पीढ़ी निकल जाएगी। इसीलिए तो 'ऊपर करतार, नीचे पटवार' की बात चलती है, पर मंत्री महोदय, आज ये पटवारी किन हालात में काम कर रहे हैं? इन्हें आपने कितने काम दे दिये, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आज गांवों में ग्राम सचिवालय की बात करते हैं तो ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक, शिक्षक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और सिपाही, इनसे आम आदमी का किसी न किसी रूप में काम पड़ता है। मैं समझता हूं कि 6 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं आपके। मंत्री महोदय, आपने ऑनलाइन जमाबन्दी की बात कर दी, बहुत अच्छा है। डिजिटल इण्डिया में प्रधान मंत्री जी का भी एक सपना है। आपने ऑनलाइन गिरदावरी की बात कर दी, नामांतरण की बात कर दी, आपने फसल के मुआवजे की बात कर दी, पर मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो पटवारी है, करतार है, हमारा भाग्य निर्माता है, क्या इसे कम्प्यूटरी तौर पर दक्ष किया आपने? क्या आपने इसे कम्प्यूटर के साथ वे सारी चीजें दीं, जिनसे यह सारा काम कर सकता है?

सभापति महोदय, एक पटवारी है और चार-चार, पांच-पांच ग्राम पंचायतें हैं उसके पास। अब आपने गिरदावरी का कह दिया। हर खेत की गिरदावरी कहा है। एसडीआरएफ के नोर्म्स कहने लग गये। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के मानदण्ड और मापदण्ड कहने लग गये। हर खेत की आप गिरदावरी करें। अब वह पटवारी कैसे करेगा? पांच-पांच ग्राम पंचायतें हैं उसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पास पटवार सर्किल में। दो-दो, तीन-तीन पटवार सर्किल्स हैं उसके पास। वह वहां बैठा-बैठा गिरदावरी करके सरमायेदार आदमी का नुकसान नहीं कर सकता, गरीब का नुकसान होता है। इसमें निश्चित तौर पर आपको कोई बात करनी चाहिए।

मेरी तो मांग है कि हर ग्राम पंचायत में पटवार सर्किल हो। अभी मैं पटवारी के काम देख रहा था। 37 काम हैं। मैं सबका उल्लेख करूं तो समय लगेगा, पर यह बताएं, अकाल राहत के काम भी वही करे, जनगणना भी वही करे, चुनाव का काम भी वही करे, कृषि गणना भी वही करे, बैंकों से वसूली का काम भी वही करे, रात्रि की चौपाल भी वही लगाए, ओलावृष्टि-अतिवृष्टि की सूचना भी वही दे, फसल मुआवजा की सूचना बनाने का काम भी वही करे, आगजनी की दुर्घटना आदि की सूचना भी वही दे, बाल विवाह रोकने का काम भी वही करे, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का काम भी वही करे, मतलब अगर इन सारी चीजों को देखें तो एक व्यक्ति और इतना काम।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं पांच मिनट में अपनी बात खतम करूंगा। मैं तो वैसे ही कम बोलता हूं।

सभापति महोदय, यह जो गांव की दूसरी बड़ी कड़ी है, जिसे ग्राम सेवक कहते थे और इस अजीज बंदे ने इसका नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया और इसलिए कर दिया कि आज एक ग्राम सेवक, मैं समझता हूं कि 5 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के तो नरेगा के कामों को करने की घोषणा हुई 5200 करोड़ रुपये एक साल की, बड़ी मेजें थपथपायीं इन्होंने।

एसएफसी, टीएफसी के 7 से 10 हजार करोड़ रुपये के काम और असल में ग्राम सेवक मालिक है सरपंच का। सरपंच की नस वह जानता है और इसीलिए, सभापति महोदय, इस ग्राम सेवक की कड़ी को मजबूत करने की जरूरत है। आज 3986 पद रिक्त हैं। अब आप क्यों घोषणा करवाते हैं, धीरे-धीरे प्रतिपक्ष के नेता, यह विधान सभा है, प्रासंगिक हो जाएगी, 2019 में इन्होंने घोषणा करवा दी थी कि हम 3648 ग्राम सेवकों की भर्ती करेंगे। दूसरा, बजट आ गया। माशाअल्लाह क्या कहें आपको, चलें छोड़ें, पर इनके साथ जो कनिष्ठ ग्राम रोजगार सहायक के पद सृजित हैं, 4 हजार वे खाली पड़े हैं। अब इन्हें काम कितना करना पड़ता है? जन्म-मृत्यु का पंजीयन रजिस्ट्रार के रूप में यह काम करता है। अगर गांव में विवाह है तो विवाह के रजिस्ट्रार के रूप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में यह काम करता है। यह श्रम पंजीनियर के पंजीनियन के रूप में काम करता है और आज अगर एक ग्राम सेवक की बात करें तो उसे दो तो पंचायत की बैठक में जाना पड़ता है। दो पंचायत समिति की बैठक या सहायक समिति की बैठक में जाना पड़ता है और इस प्रकार से ग्राम सभा और इन सारों को मैं जोड़कर देखूं, 16 अन्य काम जो वह करता है तो उसे 15 दिन से ज्यादा इन्हीं में लगते हैं।

सभापति महोदय, अब बताएं आप, यह सामाजिक न्याय विभाग में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पालनहार, छात्रवृत्ति, विधवा पुत्री विवाह, पन्नाधाय और पंचायत में भूमि विक्रय सम्बन्धी पट्टा पत्रावली, अतिक्रमण, किस-किस का नाम लूं। मतलब एक ग्राम सेवाधिकारी और उसके बाद वह विवाह पंजीयन अधिनियम, 2019 में भी रजिस्ट्रार है, महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 में भी वह अधिकारी है, किस प्रकार यह काम कर पाएगा? यदि इसी प्रकार हम ग्राम पंचायत सचिवालय की बात करेंगे तो कोई अर्थ नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा सत्ता परिवर्तन के बाद।

पटवारी के पास नामांतरण करने जब मैं जाता हूं तो सबसे पहले हाथ जेब में रहता है, पटवारी जी से नमस्कार करने से पहले एक हजार रुपये और फिर वह कहता है हां, बैठ जा। यह क्यों है, क्योंकि इन जगहों पर बैठे लोगों को आपने काम से लाद रखा है। इनके पद खाली हैं। इन पर कोई निगरानी नहीं है। इसी तरह हम व्यवस्थापकों की भी बात कर लें हम। एक थैले में है व्यवस्थापक के पास ग्रामीण सहकारी समिति। आपने ऑनलाइन ऋण वितरित करने की बात कह डाली, पर आपके पास आधारभूत संरचनाएं नहीं हैं। आज आपने चक्करघिन्नी कर दिया उस आदमी को जो ऋण लेता है। पहले वह ई-मित्र में जाएगा, उसके बाद वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, फिर वह अपना कहीं खाता खुलवाएगा, फिर वह जीएसएस में जाकर व्यवस्थापक से वैरिफाई कराएगा, फिर वह मैनेजर के पास जाएगा, फिर उसकी क्रेडिट लिमिट खुलेगी, फिर सीसीबी में जाएगा, फिर थम्ब लगाएगा। अगर उस गरीब का थम्ब नहीं मिला तो घर जाएगा। मैं समझता हूं कि कुछ बातें हमें निश्चित तौर पर करनी चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं अंतिम एक बात कहकर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बात समाप्त करता हूं। यह जो पुलिस का कांस्टेबल है, सभापति महोदय, मैं तो उस इलाके से आता हूं कि पुलिस का एक कांस्टेबल तामील करवाने के लिए जाया करता था, आने-जाने में एक बस हुआ करती थी और पांच अपराधियों को पकड़कर लाता है। आज उसकी ड्यूटी क्या है? थाने में संतरी वह है, तामील वह कराएगा, अदालती ड्यूटी में वह जाएगा, सम्मन गार्ड की ड्यूटी वह करेगा, हिफाजत गार्ड की ड्यूटी वह करेगा, नाकाबन्दी वह करेगा, एस्कोर्ट में वह जाएगा और अफसरों की अर्दली भी वही करेगा, इनके घर में खाना भी वह बनाएगा। आज उसको रोजनामचे में दर्ज करने का भी अधिकार नहीं है।

सभापति महोदय, इसी तरह से यह जो मास्टर है न, पढ़ाई तो सब भूल गया। पोषाहार का कार्य इससे कराओ, जनगणना का इससे कराओ, पशु गणना का इससे कराओ, चुनाव का कार्य इससे कराओ, बीएलओ का कार्य यह करे, पल्स पोलियो का काम यह करे, सड़क सुरक्षा सप्ताह में रैली निकाले तो यह निकाले, मैं समझता हूं कि सबसे छोटी कड़ी को आपने जितना कमजोर किया है उतना किसी ने नहीं किया है। इसलिए, मैं निवेदन करूं, मैंने कोशिश की थी कि आज की बहस आलोचना-प्रत्यालोचना में नहीं, हम किस प्रकार इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ये वे ही लोग हैं जो हम लोगों को सलाह देते थे और आज आपको सलाह देते हैं। जब तक इस बेपरवाह नौकरशाही पर नियंत्रण नहीं होगा और इन पर नियंत्रण करने का मंच यही है। सभापति महोदय, हम भी उधर बैठते थे, हम भी जब भ्रष्टाचार की प्रमाणिक कोई बात आ जाती थी जिस तरह मैंने कोई बात उठाई तो हम भी उस अधिकारी के बचाव में लग जाते थे। मैं समझता हूं कि इस मंच का जब तक हम सदुपयोग नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार और गलतियों की गिरफ्त में आये हुए अधिकारी को सज़ा करने का यह मंच विधान सभा नहीं बनेगी तो इस प्रकार की बहस की कोई सार्थकता नहीं है। आपने मुझे समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, आपने अभी जिन अधिकारियों के नाम का उल्लेख किया है, वे अधिकारी उपस्थित होकर अपनी कोई सफाई नहीं दे पाएंगे इसलिए मैं जो नाम हैं उन्हें विलोपित करने का निर्देश देता हूं। श्री संयम लोढ़ा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कर दीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री संयम लोढ़ा)

जिला प्रशासन, प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन, राजस्व से सम्बन्धित मांगों पर अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

अभी मुझसे पहले प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता बता रहे थे कि अखिल भारतीय सेवाओं के लेकर उनका क्या नजरिया है। माननीय सभापति महोदय, 1772 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले यह कलेक्टर का पद सृजित किया और यह अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण ब्रिटिशर्स ने अपने नजरिये से किया था। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो हमारे स्वाधीनता संग्राम के महान् योद्धाओं के पास अवसर था कि वे चाहते तो अंग्रेजों की दी हुई इस व्यवस्था को विद्ड्रा कर सकते थे। नये सिरे से भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय सोच के मुताबिक नई तरह की सेवाओं को लेकर आ सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अखिल भारतीय सेवाओं को उसी रूप में स्वीकार किया और उसी रूप में लागू किया और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि उनको यह ठीक लगा कि हमारा देश जो विविधताओं वाला देश है, भांति-भांति की जातियों वाला देश है, भांति-भांति की भाषाओं वाला देश है, भांति-भांति के धर्म वाला देश है, मूर्ति के मानने वाला देश है, मूर्ति को नहीं मानने वाला देश है। हम यदि इन अखिल भारतीय सेवाओं को इसी रूप में लागू करेंगे तो इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, हम एक निष्पक्ष प्रशासन देने में सफल हो सकेंगे और आज हम हमारे राजस्थान कैडर के आईएएस आफिसर का या आल इण्डिया सर्विस का भी अवलोकन करें तो आपको यहां राजस्थान का भी बंदा मिलेगा, आन्ध्रप्रदेश का भी बन्दा मिलेगा, तमिलनाडु का भी बन्दा मिलेगा और हमारे यहां के बन्दे आपको तमिलनाडु और उन सब जगह पर मिलेंगे। इस तरीके से प्रजातंत्र की स्थापना के बाद से लगातार यह अखिल भारतीय सेवा हमारे प्रजातांत्रिक स्वरूप को मजबूत रखने में, एकजुट रखने में एक सहयोगी साबित होनी चाहिए। यह सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अनेक बार इस तरह के विचार रखे गये, आयोग लाये गये, उनकी रिपोर्टें भी आईं और उनके मुताबिक सुधार के प्रयास भी होते हैं। लेकिन, माननीय सभापति, एक जड़ता आ गई। जो भी पालिटिकल लीडरशिप होती है वह कोशिश करती है कि बदलाव लाये। नरेन्द्र मोदी साहब ने देश की हुकूमत सम्भाली, योजना आयोग स्थापना के बाद से लगातार चल रहा था पर उन्होंने नया नजरिया दिया और वे नीति आयोग लेकर आये। इसी तरीके से गवर्नमेंट आफ इण्डिया के सारे सैक्रेटरीज को मोदी साहब ने कहा कि तुम लोग, जहां सबसे पहले तुम्हारी फर्स्ट पोस्टिंग रही है वहां जाकर आओ और

(श्री संयम लोढ़ा)

क्या परिवर्तन महसूस करते हो वह बताओ। लेकिन, उसके बाद में इन प्रशासनिक सेवाओं को लेकर कोई बहुत बड़ा कदम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाया जा सका या नहीं उठाया गया।

माननीय सभापति महोदय, इन सारी सेवाओं का निर्माण इसलिए किया गया है कि हमारे नागरिकों को राहत मिले, उन्हें सेवा मिले। यह बहुत अनफार्च्युनेट है कि जो भी सरकारी नौकरी में आता है उसका माइंड-सैट यह होता है कि मैं तो गवर्नमेंट सर्वेन्ट हूं और गवर्नमेंट कौन? वह खुद ही गवर्नमेंट है। हम यह समझाने में असफल रहे हैं कि वे पब्लिक सर्वेन्ट हैं। गवर्नमेंट सर्वेन्ट का मतलब होता है पब्लिक सर्वेन्ट और वह गवर्नमेंट है पब्लिक की। इस मानसिकता में जब बैठ जाता है कि हम गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं, पब्लिक सर्वेन्ट नहीं हैं तो आप लोगों की परवाह करना छोड़ देते हैं, लोगों की फिक्र करना छोड़ देते हैं, लोगों की केयर करना छोड़ देते हैं। हम सब देखते हैं कि हमारा बिहैवियर पब्लिक फ्रेंडली नहीं है, खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन का। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि सबसे जरूरी तो यह है कि चाहे हम अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दें, उनमें यह समझ पैदा करें कि वे लोगों के साथ प्रेम से रहें, दोस्ताना रहें, उन्हें अपना समझें, उनकी सेवा का भाव रखें लेकिन भाव रहता है रूल करने का। यह समझाया जाना चाहिए कि mandate to rule is with the politician लेकिन ऐसा समझना नहीं चाहते। विगत इतने सालों में हमारी हर संस्था गिरावट की तरफ जा रही है। मैं बच्चा था, एक फौजदार का भी एक अलग महत्व था। कहीं पर एक थानेदार चला जाता था, पूरी पब्लिक कंट्रोल में आ जाती थी, फौजदार साहब आ गये। आज आप एसपी को भेज दो, लोगों को कोई फर्क ही नहीं है कि आप एसपी हैं। गिरावट आ गई। कलेक्टर इंस्टीट्यूशन, बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन था। अपनी गरिमा थी, सरकार का प्रतिनिधि होता था, लेकिन कलेक्टर इंस्टीट्यूशन को हमने लगातार वीक किया है। आज क्या हालत है? कोई कलेक्टर को गिनता है जिले के अन्दर? पटवारी भी गिनता है? आरआई गिनता है? क्या पावर्स हैं उनके पास? नीचे का पूरा प्रशासनिक तंत्र सड़ांध में घिर चुका है। अधिकारी पता नहीं कहां से पोस्टिंग करवाकर आता है, उसको परवाह नहीं है कलेक्टर की, क्या कर लेगा कलेक्टर, मेरे लिए तो वह इम्पोर्टेन्ट है जिसने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है, उसकी सुनूंगा मैं तो। उसी का ही नतीजा है कि हमारे सारे जिले

(श्री संयम लोढ़ा)

एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर लीडरशिप लैस हैं। कैसे जिलों में कलेक्टर काम चला रहे हैं उनका जी जानता है, कैसे वे काम ले रहे हैं, कैसे आपको रिजल्ट लाकर दे रहे हैं। अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने कमेटी और उनका जिक्र किया लेकिन माननीय सभापति महोदय, ऐसा भी नहीं है कि इस माहौल में लोग नहीं हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा मेरे सिरोही के कलेक्टर, आज रिटायर हो रहे हैं। मैं दो एग्जाम्पल कोट करूंगा, हम राजनीतिक कार्यकर्ता बहुत व्यस्त रहते हैं। किसी समय किसी घटना की सूचना मिलती है, हम किसी कार्यक्रम में होते हैं, हम नहीं पहुंच पाते हैं। मैं भाया जी के यहां शादी में कोटा गया। मुझे सूचना मिली की एक बच्चा बोरवैल में गिर गया है। मैंने कलेक्टर को टेलीफोन किया। वे सीएम की वीडियो कांफ्रेंस में थे, मेरा फोन नहीं लिया। मैंने तुरंत एसपी को फोन किया। मैंने कहा कि इस-इस तरह की बात हुई है। एसपी ने अपने स्तर से एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिवेट किया, तुरंत पांच मिनट बाद ही एडीएम का मेरे पास फोन आ गया। बोले, सर क्या बात है। मैंने उनको यह बताया। मुझे खुशी है इस बात की कि कलेक्टर ने लीडरशिप दी, खुद गये मौके पर मीटिंग खतम होते ही और उस बच्चे को जीवित बाहर निकाला।

हमें बहुत ना-उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मैं एक और किस्सा बताऊं, मेरे क्षेत्र का एक चोटिला गांव पड़ता है, रात का समय था, मुझे किसी व्यक्ति ने फोन किया कि साहब, कुए के अंदर गाय गिर गई है, निकल नहीं पा रही है। मैंने सोचा कि नीचे के अधिकारी को फोन करूंगा, प्रशासन को सक्रिय करने में समय लगेगा। मैंने सीधे कलेक्टर को फोन किया और आधे घंटे के बाद वह गाय निकाल ली गई और गांव के आदमी का फोन आया कि कलेक्टर साहब आये थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। एक कलेक्टर, एक गांव में, कुएं में पड़ी हुई गाय को निकालने के लिए खुद मौके पर पहुंच जाए तो इस दौर में इस हालात में भी ऐसे काम और ऐसे निर्णय हमें एक ऊर्जा देते हैं। हमें एक सुकून देते हैं कि हमारे प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा। जब आज आपने चर्चा रखी है। सालों बाद में यह जिला प्रशासन, प्रशासनिक सेवा एवं राजस्व इन पर चर्चा हुई। इसको सिर्फ इस रूप में मत लेना कि ये जन प्रतिनिधि हैं जो फील्ड से भरे हुए आए हैं या इतने सालों के

(श्री संयम लोढ़ा)

धक्के खाये हुए हैं या किसी न किसी अधिकारी से प्रताड़ित हैं या किसी न किसी तरह की अपने मन में कुण्ठा लिए हुए हैं। आप खुले दिल से इन बातों को लीजिए और आने वाले वक्त में एक नये राजस्थान के निर्माण के लिए प्रशासन को एक नये नजरिए से खड़ा करने की कोशिश करिए।

कलेक्टर आपका प्रतिनिधि है तो उसको लीडरशिप करने का मौका दीजिए। आप अधिकारियों को लगाते हैं, पदस्थापन करते हैं। जन प्रतिनिधियों की भी सुनिए, मैं यह नहीं कहता हूं कि मत सुनिए लेकिन उनका भी रोल, उनकी भी भागीदारी इसमें रहनी चाहिए कि कौन अधिकारी लग रहा है, कौन अधिकारी नहीं लग रहा है जिससे प्रशासन पर उनका नियंत्रण हो सके, उनका कंट्रोल हो सके वर्ना, आज बेलगाम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, तत्कालीन भारत सरकार ने एक सोच दी थी पूरे मुल्क में, सी.पी. जोशी साहब भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे। राजीव गांधी सेवा केन्द्र, किस सोच के माध्यम से राजीव गांधी सेवा केन्द्र हम लेकर आये। इस सोच के साथ लेकर आये कि उस राजीव गांधी केन्द्र को गांवों में लोगों की सेवा का एक सेन्टर बनाएंगे। तमाम जितने ग्राम पंचायत के अंदर विभाग हैं, उनको उस राजीव गांधी सेवा केन्द्र के नीचे लाएंगे, उसको डिजिटल करेंगे, आईटी से जोड़ेंगे और तमाम तरह की सुविधाएं ग्राम पंचायत के लोगों को हम वहां उपलब्ध कराएंगे। रेल का टिकट वहां होगा, बस का टिकट वहां होगा, पानी का बिल वहां भरा जाएगा, बिजली का बिल वहां भरा जाएगा। उस नजरिए को पिछली सरकार ने मटियामेट कर दिया, खतम।

इनके दिमाग में यह नहीं था कि ये इतने बड़े-बड़े, एक-एक पंचायत में दस-दस लाख रुपये खड़े करके, हर पंचायत समिति स्तर पर 25 लाख रुपये खर्च करके ये जो सेन्टर बनाये गये हैं, उनका उस रूप में उपयोग करना है। इन्होंने तो एक प्रशासनिक चिट्ठी निकाली और सिर्फ एक काम किया कि इस नाम को पोत दो और उस नाम की जगह अटल सेवा केन्द्र नाम रख दो।

आज भी वे हमारे केन्द्र खड़े तो हैं लेकिन, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने का माध्यम नहीं बन पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि आप उस नजरिए पर आइए, जिससे जो हमारा मूल मकसद है, गांवों के लोगों को रिलीफ देने का उसको हम प्राप्त कर सकें।

(श्री संयम लोढ़ा)

जिले हम बनाते हैं, जिलों का गठन करते हैं। अभी तो आप नहीं कर पाएंगे, शायद, जनगणना वगैरह का काम शुरू हो गया है। क्या क्राइटेरिया है? किस आधार पर आप जिले बनाते हैं? आप कोई रिसर्च करते है, आप कोई सर्वे करते हैं? जयपुर जिला, आपके दिमाग में इतने सालों में यह क्यों नहीं आया कि जयपुर जिले के अंदर दो जिले होने चाहिए, तीन जिले होने चाहिए या चार जिले होने चाहिए? आप राजस्थान में जिलों का निर्माण करते हैं, कुछ तो आप क्राइटेरिया रखिए। 20 लाख पापूलेशन पर जिला बनाएंगे, पांच तहसील पर बनाएंगे, दस तहसील पर बनाएंगे, आठ तहसील पर बनाएंगे, क्या क्राइटेरिया है आपका? सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए यदि हम प्रशासनिक निर्णय करने लगेंगे तो मुझे माफ करिए, हर पांच साल में सरकारें यूं ही बदलती जाएंगी। आप कभी लोगों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों हमारे मन में यह ख्वाहिश नहीं होती कि अशोक गहलोत मध्य प्रदेश की तरह तीन बार रिपीट हों, छतीसगढ़ की तरह तीन बार रिपीट हों, गुजरात की तरह पांच बार रिपीट हों। वे रिपीट तभी होंगे, जब हम एक नजरिए के साथ गवर्नेंस देने की कोशिश करेंगे।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आपको मंत्री बनाया जाए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो मेरे पड़ौसी हो, जानते हो, मैं तो पैदाइशी मंत्री हूं। इन चीजों में पड़े ही नहीं हैं हम तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं अब आपको विवरण का वर्णन करना चाहूंगा। जयपुर जिला 19 विधान सभा क्षेत्र आते हैं, 15 तहसील और 11 नगरपालिका, 86 लाख आबादी, एक कलेक्टर, 84 कमेटियों को हैड कर रहा है। इसके साथ-साथ वीआईपी विजिट, वीडियो कांफ्रेंस वगैरह फलाना ढीकड़ा, वह सब कर रहा है। अब जो आप जिलों का गठन करें कोई क्राइटेरिया के साथ करें जिससे आप लोगों को सुशासन दे सकें। आज आपके जिलों का क्या हाल है। आप जोधपुर का उदाहरण लीजिए, क्या स्थिति है? आप तो वहां के यूनिवर्सिटी प्रेसीडेंट रहे हैं राजस्व मंत्री जी। आप से बेहतर जोधपुर को कौन जानता है। फलौदी के उस कोने से लेकर, इस कोने तक आना, मोगरा तक क्या पोसिबल है। इसलिए इस बार आप जिले का गठन करें, अभी चार साल

(श्री संयम लोढ़ा)

आपके पास बाकी हैं। ये जनगणना भी हो जाएगी, आप एक आधार बनाकर के जिलों का पुनर्गठन करें जिससे आपकी रीच में हो, एरिया रीच में हो, लोग रीच में हों तो आप सुशासन दे सकते हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा राजस्व मंत्री जी को। मेरी समझ में, हालांकि मैं बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं हूं। मेरे से भी वरिष्ठ सदस्य यहां बैठे हुए हैं, उनको ज्यादा जानकारी है। मेरी समझ में, पहले ऐसे रेवेन्यू मिनिस्टर, जिन्होंने जिलों में जाकर के इस बात को रिव्यू करने की कोशिश की कि मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से कैसे हो। जिन्होंने जाकर कलेक्टर को यह पूछने का प्रयास किया कि भैया आपने कितने मुकदमों का निस्तारण किया, आपका क्या रिकार्ड है। नये-नये हमारे लड़के, आईएएस जो आते हैं, एसडीओ बनकर, एक अलग हवा होती है, अलग फितरत होती है, आते ही आईएएस एसडीओ होता है तो लोगों को थोड़ा ज्यादा भुगतान पड़ता है। गर्मी होती है, धीरे-धीरे ठीक हो जाती है। वे यह समझते ही नहीं हैं कि उनको एसडीओ कोर्ट के माध्यम से कोई फैसले भी करने चाहिए और आप रिकार्ड देखेंगे जिले में एसडीओज का, तो जो आईएएस एसडीओ होगा, उसका सबसे पूअर निस्तारण होगा। ये रिकार्डेड फैक्ट हैं, जो मैंने मिनिस्टर साहब के साथ बैठकर रिव्यू में देखा। आपने वह करने की कोशिश की, हालांकि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस संबंध में बाकायदा निर्देश दिये थे और जब आपने रिव्यू किया तो क्या फीगर आया? 23 जिलों में कलेक्टर ने सौ फैसले भी नहीं किए, जब आपने रिव्यू मीटिंग की थी। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह 12 महीने का फीगर है। इनकी रिव्यू मीटिंग में यह फीडबैक आया है, 100 निर्णय भी नहीं किए हैं। मैं कोई कलेक्टर को दोष नहीं देता, इसके लिए कलेक्टर ओवरबर्डन्ड है। आपने दुनियाभर का, हर समस्या का यही समाधान, जैसे कलेक्टर को बैठा रखा है और वंडरफुल तो यह है कि हैल्थ डिपार्टमेंट का एडिशनल चीफ सैक्रेटरी भी रिव्यू करेगा, वीडियो कान्फ्रेंस करेगा तो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बैठाकर के रिव्यू नहीं करना चाहता है। वह भी चाहता है कि नहीं कलेक्टर बैठना चाहिए। समाज कल्याण का प्रिंसिपल सैक्रेटरी भी रिव्यू करेगा तो कलेक्टर होना चाहिए। भाई, बख्श दो, अपने डिपार्टमेंट के लोगों के साथ बैठकर के रिव्यू क्यों नहीं करते और नहीं तो माननीय मंत्री जी कल्ला साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस संबंध में निर्णय

(श्री संयम लोढ़ा)

करें कि डिपार्टमैंटल रिव्यू प्रिंसिपल सैक्रेटरी सिर्फ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ करेगा। कलेक्टर को दूसरे भी काम करने दीजिये आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके प्रभारी मंत्री भी जाते हैं जिलों में, प्रभारी मंत्रियों से पूछ लें कि कितने रेवेन्यू के इश्यूज और पैंडेंसी हैं, वह पूछ कर आते हैं, कभी पूछा आपने? आपके प्रभारी मंत्री भी तो जाते होंगे न, तो प्रभारी मंत्री जाते हैं तो क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि जिले में जितने भी रेवेन्यू के इश्यूज हैं, बहुत से डोलते रहते हैं इधरउधर।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, पूछते हैं बराबर।

श्री सभापति: मेरा अपना अनुभव यह कहता है कि कतई नहीं पूछते हैं। जाते हैं, मीटिंग लेते हैं और वापस आते हैं। इसमें सुधार होना चाहिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, आपने बिलकुल तथ्यात्मक बात कही है। मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाएं कि जिन भी मंत्रियों को प्रभारी लगाएं किसी जिले में, थोड़ा उनकी ओपिनियन लेकर ही लगाएं, जिन जिलों में वह कंफर्टेबल हों, उन्हीं जिलों में लगाएं। अब आप राजस्थान के इस कोने के चुने हुए मंत्री को उस कोने का प्रभारी बना देते हो तो उसका मूड ही नहीं बनता है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वह तो राजस्थान का मंत्री है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): है, लेकिन कुछ चीजें व्यावहारिक भी देखनी होंगी। मंत्री है तो शहीद होने के लिए थोड़े ही है, उसको भी अपने एरिया का ध्यान रखना है। उसको भी अपने एरिया में पहुंचना है। उसको भी आगे राजनीति में जिंदा रहना है इसलिए प्रयास करना चाहिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): कल्ला साहब, मेरा निवेदन है, संयम जी वरिष्ठ सदस्य हैं, इनको मंत्री बनाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): प्रस्ताव कैंसिल, साहब। ज्ञान कौन देगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): तो मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहूंगा कि आपने बहुत ठीक बात कही है उसमें हमारी गवर्नेंस बेहतर हो सकेगी, इम्प्रूव हो सकेगी और प्रभारी मंत्रियों का, प्रभारी सचिव का नियमित

(श्री संयम लोढ़ा)

जाना बहुत आवश्यक है, नियमित उनका रिव्यू करना बहुत आवश्यक है और सभी मुद्दों पर करना आवश्यक है, इससे कुछ न कुछ हमें मार्गदर्शन ही मिलता है और हमारी कमियां ही दूर होती हैं और हमारी समस्याओं का समाधान ही होता है और आगे तो आप मंत्री जी जवाब देना। आपने हर कलेक्टर को टार्गेट दिया था कि 1 महीने में 30 मुकदमे उनको निस्तारित करने हैं। आप जिलेवार कलेक्टर का रिपोर्ट कार्ड आज सदन में पेश करना कि किस-किस कलेक्टर ने क्या-क्या अचीवमेंट किया है, कितने-कितने मुकदमों का निस्तारण किया है, वह आप बताएंगे तब मालूम पड़ेगा।

अब, माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से एक और विनती करना चाहता हूं कि बच्चे सलैक्ट होते हैं नौकरियों में, ट्रैनिंग दी हमने, लगे और किसी और नौकरी में चले जाते हैं और फिर वह पद खाली का खाली। नयी जगह गए वहां लगे, किये, फिर पद खाली। यह जनता का पैसा जो बर्बाद हो रहा है उनके एग्जाम कंडक्ट करने में, उनको इतने महीने की पहले की तनख्वाह देने में, उसका क्या? आप कोई ऐसी ठोस नीति लेकर के आइए कि अगर नौकरी छोड़कर के जाएगा तो जितने महीने तनख्वाह ली है, उतनी वापस जमा करवाएगा। कुछ कदम उठाएं आप। इसको मजाक के रूप में मत लीजिए। (व्यवधान) एमएलए से एमपी बनने में लाइफ टाइम नहीं है, 5 साल की अवधि है। हमारे वहां कहावत है, 'उतर भीखा, म्हारी बारी है।' अब इसमें क्या होता है मैं आगे आऊंगा उस मसले पर।

अब पटवारियों का, मंत्री जी, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा राजस्थान में जितने पटवारी हैं वह जो आपकी सेवा में है वह आप गिन लो, उसके बाद किस-किस जिले में, कितने पटवारी मिलने चाहिए एवरेज आधार पर, आप में साहस हो, इच्छा शक्ति हो तो वह करके दिखाएं आप, वर्ना क्या हालत है। मैं आपको बताऊं अलवर में 603 पद हैं और 503 पटवारी लगे हुए हैं और दूसरी तरफ भीलवाड़ा का मैं एग्जाम्पल दूं, 531 पद हैं और 255 खाली पड़े हैं। सिरोही का मैं उदाहरण दूं, 189 पद हैं और 101 खाली पड़े हुए हैं। जालौर का भी पढ़ देता हूं मैं। जालौर में 326 पद हैं और 115 खाली पड़े हुए हैं तो ये कहीं तो 255 खाली पड़े हुए हैं। कहीं पाली में 207 खाली पड़े हुए हैं। यह भेदभाव क्यों, यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): समय का ध्यान रखूं? अच्छा। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इस पर ध्यान दें। अब जवाबदेही, कोई डिपार्टमेंट जवाबदेही तय करता है? अब्दुल रहमान का फैसला आ गया, कब से आ गया? उसकी पालना रिपोर्ट हाई कोर्ट में आपने पेश क्या की, मैं तो यह कहता हूं, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूं, वह पालना रिपोर्ट ही कंटेम्प्ट आफ कोर्ट है। यह तो लिबरल है हाई कोर्ट, वह अलग बात है। आपके जयपुर के रामगढ़ का उदाहरण ले लो, आप जयपुर के आसपास का, जयपुर डिवीजन का आप उदाहरण ले लो। हाई कोर्ट में आपने रिपोर्ट पेश की कि 10 जिलों के अंदर 132 अधिकारियों ने वाटर बॉडी का अलाटमेंट कर दिया। हाई कोर्ट में आपकी रिपोर्ट पेश की हुई है, लेकिन किया क्या, आज तक कोई कार्यवाही की? और जब आप कार्यवाही नहीं करेंगे तो कैसे जल स्रोतों का संरक्षण होगा, कैसे दूसरे अधिकारियों को यह नसीहत मिलेगी कि हमें जल स्रोतों की भूमि का आबंटन नहीं करना है? कहना नहीं चाहिए, आज उदयपुर जैसा शहर किन हालात की तरफ जा रहा है, कितनी वाटर बाडी आप डेस्ट्राय कर रहे हो होटलों की लालसा के अंदर और कोई चैक नहीं है तो यह आपसी मिलीभगत का खेल आप बंद करवाएं, माननीय मंत्री जी।

माननीय सभापति महोदय, अब कोर्टों के अंदर जो कलेक्टर के खिलाफ मुकदमे लगते हैं, क्या सिस्टम है आपका पैरवी का? कलेक्टर को पता नहीं होता है कि हमारी पैरवी करने वाला आदमी कौन है, कौन वकील हमारी तरफ से पैरवी कर रहा है, इस मुकदमे में कौन लगा हुआ है कोई देखने वाला नहीं होता है। आपका इतना पैसा उसमें लगा हुआ है, आपकी भूमि निहित है, मुकदमों के अंदर कोई सिस्टम नहीं है, कब पेशी है, पेशी पर जवाब पेश हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो क्या हुआ, कोई सिस्टम नहीं है तो मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आप लीगल सर्विस का अपना कैडर डवलप करो कलेक्टर के यहां, जिससे आपके केसेज के मामले में आपकी सही तरीके से पैरवी हो सके। आप सुशासन देना चाहते हैं आप बताएंगे कल्ला साहब या धारीवाल साहब, जब जवाब दें, असिस्टेंट डायरेक्टर लोक सेवा की पोस्ट है हर जिले के अंदर, आपने कहीं लगा रखे हैं? सब पद खाली पड़े हैं। क्या मोनिटरिंग करेंगे और क्या ध्यान रखेंगे? अब इतने सालों से जो सिस्टम चल रहा है, कभी उसको रिव्यू करने की कोशिश नहीं करते। आपका डिस्ट्रिक्ट मैनुअल बना हुआ है,

(श्री संयम लोढ़ा)

कब का बना हुआ है, कब रिव्यू करेंगे आप? मंत्रालयिक कर्मचारियों का कैडर है, अब आईटी आ गई, ऑनलाइन सारी चीजें हो गईं, उसके अनुरूप क्या हम हमारा जिला कलेक्ट्रेट बदलने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा इस पर कोई ध्यान नहीं है और जो पब्लिक सर्विसेज हैं वह भी हमने पूरी तरह से ई-मित्र के भरोसे छोड़ दी हैं उसमें भी हमारा कोई मोनिटरिंग सिस्टम नहीं है।

(15:00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, यह जो आपका टीनेंसी एक्ट है और आरआर एक्ट है, इसमें भी आप रिव्यू करें। आपके 63 (4) में जो प्रोविजन है, एडवर्स पजेशन के आधार पर डी श्रीनिवासन ने एज रेवेन्यू बोर्ड चेयरमैन फुल बैंच में फैसला दिया था और आर्डर में लिखा है कि चीफ सैक्रेटरी को इसकी कापी भेजी जाये। आप यह प्रोविजन खतम क्यों नहीं करते? ताकतवर आदमी है, अपनी ताकत के बल पर अपना कब्जा कायम रखता है और आपसे इस प्रावधान के जरिये निर्णय करवा लेता है और कमजोर आदमी धरा रह जाता है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा रेवेन्यू अपीलेंट अथोरिटी, उसको आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं। वह कलेक्टर के दिये हुए निर्णय की अपील सुनता है एसडीएम की अपील सुनता है। गाड़ी में बैठा हुआ RAA का अधिकारी अपने बाबू को कहता है कि इस मुकदमे में यह फैसला करो, तभी सामने वाली पार्टी आकर कह जाती है कि इसने इसके दिये, मैं इतने दूंगा, ठीक है, इसके पक्ष में कर दो। यह आपकी असलियत है। बहुत अच्छा होगा कि जो यह अपील की कोर्ट है, इसे आप जुडीशियल आफिसर को दे दो। अपना फैसला एक बार रेवेन्यू आफिसर करे, चाहे एसडीएम करे, कलेक्टर करे, एडीएम करे, जो भी करे, अपील की सुनवाई का अधिकार आरजेएस आफिसर को दो जिससे यह जो भ्रष्टाचार की नदी बह रही है, उसको रोकने में किसी हद तक हम सफल हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा ...

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खतम कर रहा हूं। कल्ला साहब, आपको याद दिलाऊंगा, को माननीय मुख्य मंत्री जी 01 जनवरी, 2016 जब मुख्य मंत्री नहीं थे, उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस की थी और यह कहा था कि राजनेताओं

(श्री संयम लोढ़ा)

और नौकरशाहों के फोन टेप हो रहे हैं। गृह सचिव को अनेक शिकायतें मिली हैं। जयपुर के पुलिस कमिश्नर, जेडीए कमिश्नर और कलेक्टर घोटालों में लिप्त हैं और अरबों रुपये के घोटाले हुए हैं। अब तो आपको काफी समय मिल गया, 15-16 महीने हो गये। इस सदन में कोई रिपोर्ट तो पेश करो कि किसके फोन टेप हुए थे और आपने सरकार में आने के बाद क्या कार्यवाही की और जयपुर में तत्कालीन कलेक्टर ने और उन सबने जो घोटाले किये, आपने उस पर क्या जांच की? बीजेपी की सरकार ने, जब 2008-13 में कांग्रेस की सरकार थी, आरोप लगाया था 22 हजार करोड़ के घोटाले किये, 22 हजार करोड़ के घोटाले किये। पांच साल राज में रहे, वह तो वहीं रहे, खुद लग गये इस काम में, 2008-13 में जब यह सरकार में आये थे। आपने भी चार्ज किये, एआईसीसी के स्पोक्स पर्सन रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि बिजली की खरीद की तय रेट तो यह थी और भुगतान इस रेट से किया गया और 1500 करोड़ का घोटाला बिजली खरीद के मामले में किया। एआईसीसी के आफिस में प्रेस कांफ्रेंस करके यह कहा।

क्या अब राजस्थान की जनता को हमको यह नहीं बताना चाहिये। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य आपके साथ आये श्री घनश्याम तिवाड़ी। किस मुद्दे को लेकर आये थे, सबसे बड़ा संघर्ष उनका किस मुद्दे पर हुआ था? उस 13 नंबर के मकान पर हुआ था। यह तो बताओ कि उस 13 नंबर के मकान पर पांच साल में कितना खर्चा हुआ, वह तो राजस्थान की जनता को बताओ जिससे यह मालूम पड़ सके कि यह दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी सरकार में आने के बाद क्या करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह राजस्थान में नई जागीरदारी प्रथा शुरू करने के पापी आप लोग हो। राजा महाराजाओं का प्रीवीपर्स इंदिरा गांधी ने खतम किया था, यह नये प्रजातांत्रिक राजा महाराजा आपने पैदा कर दिये।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाह रहा हूं ...

श्री सभापति: समाप्त करें, काफी लोग बोलने वाले हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ..कि अच्छा सुशासन देने के लिये सरकार

(श्री संयम लोढ़ा)

निर्णय करे जिससे लोगों को राहत मिल सके, लोगों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती जाहिदा खान। काफी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, समय का ध्यान रखें और मैक्सिमम 15 मिनट में आप अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर अपने विचार रखने के लिये जो समय दिया है, उसके लिये मैं आपका तहेदिल से शुक्रिया अदा करती हूं। माननीय सभापति जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र व राजस्थान के अन्य कई जिलों में कस्टोडियन की भूमि है जिसमें किसान निम्न प्रकार से काबिज हैं। पहला, ऐसे किसान जिनको भूमि आबंटित हुई और वह पट्टेदार गैर खातेदार दर्ज हैं। दूसरा, ऐसे किसान जो कई दशकों से उस पर काबिज हैं और उसको काश्त के आधार पर शिमी और बाद में शिमी शब्द सरकार द्वारा विलोपित कर देने पर गैर खातेदार में परिवर्तित कर दिये गये हैं। तीसरा, ऐसे किसान जो गैर खातेदार थे परंतु उन्होंने अन्य किसानों को हस्तांतरण कर दिये, वह खातेदारी अधिकार के लिये दर-दर भटक रहे हैं। चौथा, ऐसे किसान जो कई दशकों से काबिज हैं परंतु उन्हें अभी तक कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। महोदय, हमारी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कस्टोडियन शब्द समाप्त कर दिया और कस्टोडियन सिवायचक के स्थान पर केवल सिवायचक भूमि ही रखा। सिवायचक भूमि पर 1970 के नियमों के अनुसार दस साल में नियमन कर खातेदारी कब्जे के आधार पर दी जा सकती है, परंतु कस्टोडियन शब्द विलोपित हो जाने के बाद अब भी सिवायचक की भूमि पूर्व की कस्टोडियन भूमि का नियमन नहीं किया जा सका है, ऐसे किसान अब भी खातेदारी से वंचित हैं। अत: ऐसे किसानों को खातेदारी देने के लिये स्पेशल कैम्प लगाकर अलाटमेंट किये जाने चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां के उपखण्ड कामां व पहाड़ी में ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं गये तथा जो अशिक्षित हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं। मेवात बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें शिक्षा का प्रसार बहुत ही कम है। ऐसी स्थिति में जो लोग अनपढ़ हैं तथा किसी विद्यालय में नामांकन ही नहीं हुआ है, वह अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से वंचित हैं। पूर्व में विद्यालय से कोई शिक्षा संबंधी

(श्रीमती जाहिदा खान)

सर्टिफिकेट नहीं होने की स्थिति में जन्म प्रमाण पत्र आवेदनकर्ता के शपथ पत्र एवं आधार कार्ड, राशन कार्ड व गांव के ही दो गवाहों के शपथ पत्र के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यह जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाये जा रहे हैं। यह एक जनहित का मुद्दा है तथा अशिक्षित लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं जिससे वह सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से वंचित हैं। अत: अशिक्षित लोगों के जन्म प्रमाण पत्र पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बनाये जाएं ताकि कोई भी अनपढ़ नागरिक अपने जन्म प्रमाण पत्र से वंचित न रहे।

माननीय सभापति जी, राजस्थान में यदि कोई किसान अपनी संतान या संतानों में अपने जीवनकाल में ही आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से बांटना चाहे या किसी परिस्थितिवश देना चाहे, उसमें किसान को विधिवत बिक्रीनामा, जैसे पंजीयन शुल्क तय कर पंजीयन कराना पड़ता है जिससे उसको बहुत बड़ा आर्थिक बोझ झेलना पड़ता है। अर्थात् उसकी कृषि भूमि का कुछ हिस्सा पंजीयन शुल्क में ही समाप्त हो जाता है। इसलिए किसान को संतानों में बांटने के आसान प्रावधान कराये जाएं, 50 या 100 रुपये स्टांप पर लिखित संतानों में आंशिक या पूर्ण बंटवारे का प्रावधान किया जाये ताकि किसानों को ऐसी परिस्थितियों में आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके और किसान के जीवनकाल में संतानों में आसान बंटवारा किया जा सके। आपसी विवाद कम हों। ऐसी व्यवस्था कई राज्यों में चालू है। जैसे हमारे पड़ौसी राज्य हरियाणा में 15 रुपये के स्टाम्प पर पिता-पुत्र की उपस्थिति में सहमति ली जाकर तहसीलदार द्वारा डिग्री जारी की जाती है। ऐसे सुलभ प्रावधान राजस्थान में भी लागू किये जाएं। अत: कृषि भूमि का आपसी सहमति से संतान या संतानों में विभाजन करने को सुलभ बनाया जा सके। ये कुछ मुद्दे हैं, जिन पर मैंने आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी इसमें हमें कोई न कोई राहत जरूर देंगे।

जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा बात चली थी, मैं भी यह कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी की मंशा है उनमें हम लोगों को सहयोग करना चाहिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैं पूरे सदन से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं यह चाहूंगी कि जो भी

(श्रीमती जाहिदा खान)

अधिकारी या कर्मचारी किसी भी तरह की रिश्वत में लिप्त पाया जाए तो उनके खिलाफ क्विक एक्शन होना चाहिए, क्योंकि एक्शन में जितना डिले होता है, उतना उन लोगों में सरकार का भय कम हो जाता है।

(15:11 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

जो रिव्यू मीटिंग्स हैं, जो जिला हैडक्वार्टर पर मिनिस्टर्स और सैक्रेटरीज की रखी जाती हैं, उनको भी चेंज करते हुए अगर हर विधान सभा क्षेत्र में रखा जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जिला हैडक्वार्टर पर हर ग्रामीण अपनी समस्या लेकर नहीं पहुंच सकता। जैसे मेरे ही क्षेत्र की बात करें। भरतपुर से कामां 65 किलोमीटर पड़ता है और उसका रास्ता इतना खराब है कि आपको पहुंचने में कम से कम दो घंटे लगेंगे। इसी वजह से मैं यह चाहूंगी कि जो भी रिव्यू मीटिंग्स हों और जो बड़े अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के आफिसर्स हैं, एसपी, कलेक्टर, वे लोग जब भी ग्रामीण क्षेत्र में या हमारे विधान सभा क्षेत्र में दौरा करें तो वहां के एमएलए को जरूर इन्फोर्म और इनवाइट करें, जिससे कि आम आदमी की समस्याओं से जो एमएलए रात-दिन जूझते हैं, उनसे बेहतर अपने इलाके के बारे में और कोई नहीं बता सकता।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि हमारे यहां पर अतिक्रमण हुए पड़े हैं। आप लोग इसको युद्ध स्तर पर शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में हटवाएं, जिससे कि सरकारी जमीन, मंदिरों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जैसे मेरी कांस्टीट्यूएंसी के कामां कस्बे में बीजेपी के पदाधिकारियों ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंदिरों की जमीन पर काफी कब्जा कर रखा है, वे सब हटवाये जाने चाहिए। एक यह है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट जाते-जाते कस्बे से चार-पांच किलोमीटर दूर कालेज को उन्होंने जमीन सैंक्शन करवायी थी, मैं उसको तकरीबन एक साल से चेंज कराने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन अभी भी वह पैंडिंग है। जहां शिक्षा हो, कोई विकास की बात हो। उन चीजों को प्रायोरिटी पर चेंज करना चाहिए। चाहे मेरे इलाके में बस डिपो की बात हो, मेरे इलाके में माइनोरिटी बॉयज हास्टल की बात है, एस.डी.एम. और डीवाई.एस.पी. आफिस की बात है, एस.डी.एम. रेजीडेंस की बात है, इन सारों के लिए हम तकरीबन एक साल से कोशिश कर रहे हैं कि ये चेंज हों।

(श्रीमती जाहिदा खान)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहूंगी कि मेरे इलाके में डाक्टर्स, नर्सेज, टीचर्स, लैक्चरर, ए.ईएन., जे.ईएन., इनकी जो भी पोस्ट है और पटवारी, गिरदावर इनको तुरंत भरा जाए, जिससे इलाके का जो विकास है और जो लाभ, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि आम आदमी को मिले, वह मिल सके। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह जरूर कहना चाहूंगी कि जो तहसीलदार रिटायरमेंट के करीब बैठे हों, कृपया करके उनको आप पोस्टिंग मत दीजिए। या तो वह जाते-जाते पैसे के लालच में उलटे-सीधे काम करता है या फिर वह कोई काम ही नहीं करके देता। तो आप इस तरह के आदमी को फील्ड पोस्टिंग न देकर, कृपया आप आफिशियल पोस्टिंग दे दें और फील्ड में उनको दें, जिनकी सर्विस कम न हो। पटवारी, गिरदावर की इस तरह की काफी पोस्टें हमारे यहां खाली हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि डिपार्टमेंट में यह चैक किया जाए कि जिस अधिकारी/कर्मचारी को काफी समय हो गया हो, कम से कम जन सेवा और आम आदमी से जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट हैं उनको चेंज किया जाए क्योंकि जब उनकी इतनी ज्यादा जड़ें मजबूत हो चुकी हैं कि तब तक वे वहीं बैठे रहेंगे, वे अपने आपको सर्वे सर्वा समझते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही चाहूंगी कि इस तरह के आदमियों को हटाया जाए।

लास्ट में, माननीय शिक्षा मंत्री जी मौजूद हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेवात में शिक्षा के पिछड़ेपन को देखते हुए आपने मेरे यहां 32 के 32, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने बंद किये थे, वे सारे स्कूल आपने खोले हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर आपने बोलने का मौका दिया, इस बात के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, जिला प्रशासन जैसे गंभीर मुद्दे पर आपने चर्चा रखी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले जब जयपुर में डीओपीटी से पोस्टिंग होती है तो ये पूछते हैं कि आप वहां जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। सभापति महोदय, दूरदराज के इलाकों में कोई अफसर नहीं जाना चाहता। सबके सब अपने बच्चों को जयपुर में रखकर पढ़ाना चाहते हैं। सबके सब कोटा में रखकर पढ़ाना चाहते हैं। कोई उदयपुर की झीलों में झूलना चाहता है, दूरदराज के इलाकों में कौन जाएगा? इसलिए सबसे

(श्री बलवान पूनियां)

ज्यादा दिक्कत यह होती है कि आदमी की हैसियत, उसके काम की हैसियत, उसकी यह एबिलिटी की कि यह कौनसे क्षेत्र में बढ़िया अफसर हो सकता है, डीओपी इस हिसाब से तय करे, सरकार इस हिसाब से अफसरों को लगाए। यह मेरी सरकार से मांग रहेगी। सभापति महोदय, सरकार ने आदेश कर दिया कि आप अब यहां सेवा नहीं देंगे, आप अब राजस्थान के दूसरे हिस्से में सेवा देंगे। इसमें या तो कोर्ट से स्टे हो गया या फिर जिले के प्रशासन ने उनको रिलीव नहीं किया। वे वहीं जमे बैठे हैं। वे सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने की बजाय, जनता के काम करने की बजाय लोगों को ठेंगा दिखाते हैं कि तुमने हमारा क्या **+++** लिया? हम तो यह कर रहे हैं, यहीं रहेंगे। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इस शब्द को वापस लूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इस शब्द को निकाला जाए।

श्री सभापति: शब्द को निकाल दिया जाए।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): साहब, ये निकाल देंगे। ठेंगा तो चलेगा। सभापति महोदय, प्रशासनिक अधिकारियों की दादागीरी जो दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। राठौड़ साहब तो यों मजे ले रहे थे। ये तो खुद अफसर यों ही लगाते थे और इनको याद आता है। हमारे अफसर इनकी हाज़िरी दें, ऐसे हो सकता है। राठौड़ साहब कह रहे थे कि किसी अफसर को मैंने देखा, वह यूं खड़ा था। ये खुद भी यों ही कराते थे। अब इनकी कोई हाजिरी मानने लग गये तो इनको थोड़ा दर्द हो रहा है। अब पीछे से आपकी चुगली कर रहे थे, मैं तो आपको नहीं बता रहा। सदन में ही बता रहा हूं।

सभापति महोदय, यहां पर एक साथी ने 'हुक्म' शब्द इस्तेमाल किया। मुझे तो इस शब्द से ही ऐतराज है। हम न तो हुक्म हैं और न ही हम बादशाह सलामत हैं, हम जनता के सेवक हैं। यही आई.ए.एस. अफसरों को समझाना पड़ेगा। यही आर.ए.एस. अफसरों को और यही हमें समझना पड़ेगा। मंत्री बड़े सेवक हैं, हम छोटे सेवक हैं। हमें अभी जनता की बात इन्हें बतानी है। हमें हमारी इन चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। यह बात सही है, एकदम सही फर्माया कि पटवारियों के पद खाली हैं, ग्राम सेवक के पद खाली हैं, अधिकारी-कर्मचारियों के पद खाली हैं, इसलिए कलेक्टर पर बर्डन है, इसलिए एसडीएम पर बर्डन है, पर बर्डन से ज्यादा जो पोस्टिंग का तरीका है, वह सही

(श्री बलवान पूनियां)

नहीं है। इस तरीके पर हमें तो भारी एतराज है। मेरे यहां पर तीन महीने एसडीएम की कुर्सी खाली रही। इस बात के लिए साहब जयपुर से साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर है। मेरे और एक साथी कह रहे थे कि मेरे यहां तो एसडीएम इसलिए नहीं लगा कि मेरी पार्टी का राज नहीं है। इस तरह बीजेपी/ कांग्रेस की बात आ जाती है। जब पिछली सरकार का राज था तो 2 महीने 21 दिन एसडीएम की कुर्सी खाली रही थी। इसके लिए कारण यही है कि अफसर दूरदराज के क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते। एक तो इन चीजों को भी ठीक करने की जिला प्रशासन को जरूरत है। नंबर 2, जिस इलाके में महत्वपूर्ण सीट है, महत्वपूर्ण चीज है। हमारे यहां सिंचाई पानी महत्वपूर्ण है। जिले के प्रशासनिक अधिकारी सिंचाई पानी पर फोकस रखें। मैं मेरे जिले के प्रशासन को इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि बारबार सदन में मांग उठती है कि साहब, बीमा नहीं आया। 2018 के 475 करोड़ रुपये किसानों के खातों में डल गये। 2019 के बीमा हमारे यहां तो आना शुरू हो गये। इसलिए इसकी वजह यह है कि थोड़ा मुस्तैदी से। आपने उस दिन भी कमेटी में भी झूठ बोला था कि गंगानगर में बीमा अभी तक आया ही नहीं। आप अलर्ट नहीं रहे, आपका कलेक्टर भी अलर्ट नहीं था। हमारा कलेक्टर अलर्ट था, हम अलर्ट थे, इसलिए बीमा आ गया। सभापति महोदय, बड़ी बात यह है कि हमें जैसे सिंचाई, पानी का सवाल आया, मुझे धरना देना पड़ा कि शेयर बढ़े। प्रशासन अगर समय पर शेयर बढ़वा लेता तो मुझे धरना नहीं करना पड़ता। लोगों को आंदोलन नहीं करने पड़ते, लोगों की फसल बच जाती। ये मुस्तैदी प्रशासन को जिस इलाके में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार प्रशासन को फैसले लेने की जरूरत है।

सभापति महोदय, हमारी तहसील में एसीएम की पोस्ट पिछले कई महीनों से खाली है, जिसकी वजह से राजस्व के मुकदमों की सुनवाई नहीं होती और एसडीओ, उनकी सुनवाई करे तो प्रशासनिक काम कैसे करे? इसलिए मेरी शासन से मांग रहेगी कि एसीएम की पोस्ट तुरंत भरी जाए। हमारे और जिला हैडक्वार्टर के बीच में 150 किलोमीटर का डिफरेंस है, इसलिए आरएए का कैम्प, हनुमानगढ़ जिले के राजस्व अपील अधिकारी का कैम्प हमारे भादरा में हो, कम से कम हफ्ते में दो दिन हो, जिससे किसानों को अपील करने की सुविधा रहे। हमारे यहां तहसील में 2001 में और 2002 में जोहड़ पायतन और गोचर भूमि बड़े स्तर पर आबंटित हो गई थी। वह आबंटन कैंसिल भी

(श्री बलवान पूनियां)

हुआ लेकिन वे कोर्ट से स्टे ले आए। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि उन चीजों के वकील कौन हैं? अपील कितनी हुई? आज किस स्थिति में है? सरकार इस चीज पर गौर करके फौरन उस आबंटन को निरस्त कराकर राजस्थान की जनता को इस चीज का फायदा दे। हमारे यहां उपनिवेशन तहसील बनी थी, 2015 में। एक बार तहसीलदार लगे। उसके बाद पद खाली हैं। चकबंदी का काम पैंडिंग है। चकबंदी अभी हुई नहीं है। दो बार वेपकोस कंपनी को दे दी, एक बार सैटलमेंट के पटवारी लगाकर देख लिए लेकिन पिछले 20 साल से सिद्धमुख नहर नोहर फीडर में चकबंदी-चकबंदी की चर्चा चलती रहती है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमारी शासन से मांग है कि फौरन उपनिवेशन तहसील के तहसीलदार को लगाकर चकबंदी के लिए वेपकोस कंपनी को अलर्ट करके फौरन चकबंदी कर किसानों को बाड़ाबंदी का लाभ दिलवाने का काम करें। सैटलमेंट के समय जो हमारे 24 चक रीफिटिंग के आज तक बाकी हैं, सरकार उनकी रीफिटिंग करवाने का काम भी करेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।

सभापति महोदय, पटवारी गांव में नहीं जाते, उसकी वजह यह भी है कि उसके पास दूसरे पटवार सर्किल का चार्ज भी है। एक पटवार सर्किल में चला जाएगा तो दूसरे पटवार सर्किल में कैसे जाए? इसलिए वह तहसील हैडक्वार्टर पर रहता है। सप्ताह में दो दिन एक पटवार सर्किल पर, सप्ताह में दो दिन दूसरे पटवार सर्किल पर जाए, बाकी दिनों में वह तहसील हैडक्वार्टर पर काम करें, ऐसी हमारी शासन से मांग रहेगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा विभाग और दूसरे कई विभागों में पद खाली पड़े हैं, इसलिए जिला प्रशासन ढंग से काम नहीं कर पाता है इसलिए सारे पदों को भरा जाए ताकि जिले का प्रशासन एकदम दुरुस्ती के साथ काम करे।

आने वाले दिनों में अभी जिन इलाकों में बरसात नहीं हुई, चने की फसल खराब होने की स्थिति में है, वहां फौरन 7डी की गिरदावरी करवाई जाए ताकि मुआवजा किसानों को मिल सके।

सभापति महोदय, हमारी मांग में आज यह मांग भी रहेगी कि आज पेंशन की बात चली। जिसके घर में बेटा-बेटी कोई नौकरी लग गया, जिसका कोई परिजन नौकरी में है, उसको पेंशन नहीं दी जाती। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में उसको शामिल नहीं किया गया है। हमारा मानना है कि आजकल इस

(श्री बलवान पूनियां)
आर्थिक युग में बेटे अलग हो जाते हैं, उन बुज़ुर्गों को पेंशन न मिलने की वजह से वह बुजुर्ग बहुत परेशान हैं। जो बेटा नौकर है, अक्सर बुजुर्ग उसके सीर में, साझे में नहीं है। बुजुर्ग जो हैं, वह खेती करने वाले या दूसरे काम करने वाले के साझे में है। सरकार इस बात पर गौर करे कि अगर बेटा सीर में नहीं है, पटवारी से रिपोर्ट ले ले तो उस बुजुर्ग को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में पेंशन देने का सरकार काम करेगी।

हमारे पूरे हिन्दुस्तान में एक बंगाल को छोड़कर न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई है, राजस्थान में भी लागू है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इस पेंशन स्कीम को शुरू किया था। यह कर्मचारी के लिए घातक है। दस परसेंट इसमें डीए कटता है कर्मचारी का और दस परसेंट कटता है सरकार का, वह पैसा जा रहा है म्युचुअल फंड कंपनियों में। वह कंपनियां मालामाल हो रही हैं और कर्मचारियों को पेंशन का फायदा नहीं मिल रहा है। हमारी शासन से यह मांग है कि वापस ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की जाए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक-दो छोटी-छोटी बातों पर इंगित करना चाहूंगा। बूंदी की एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका जिसको पेंशन मिल रही है महज 1500 रुपये। वह 2014 में जब सेवानिवृत्त हुई थी तो उसकी 30,000 रुपये तनख्वाह थी लेकिन 1500 रुपये अभी पेंशन मिल रही है। दूसरी शिक्षिका और है, उनका 39000 रुपये वेतन था, जिस दिन वह रिटायर हुए 1000 रुपये मिल रहा है। इससे तो उसकी दवाई भी नहीं आती। सरकार को फौरन, राजस्थान की सरकार को तो फौरन पुरानी पेंशन शुरू करनी चाहिए। अगर बाधा होती तो बंगाल की सरकार कैसे लागू कर पाती?

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मैं मेरी बात इस बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि जिले का प्रशासन और जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाएं सरकार दुरुस्त करेगी और जनता को सरकार की सारी सामाजिक योजनाओं का, सरकार के न्याय प्रशासन का, जीरो टोलरेंस की बात जो मुख्य मंत्री महोदय कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, उन सबको दुरुस्त करने का काम करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी जी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, आपके द्वारा आज मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं आज इस अवसर पर क्योंकि जिला प्रशासन, प्रशासनिक सेवाएं, राजस्व, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ, उस पर चर्चा कर रही हूं तो इस बात का भी मुझे हर्ष है कि लंबे समय के बाद, कई वर्षों के बाद इन मांगों पर सदन में चर्चा हो रही है। हम लोग सदन के बाहर तो बहुत सारी चर्चाएं इन विषयों पर करते हैं, लेकिन सदन में चर्चा करने का पहला मौका है और बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस पर अपने अच्छे-अच्छे विचार रखे।

प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हमारे जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं, उनके संदर्भ में और उनके बहुत सारे विषयों को लेकर यहां पर जो चर्चा हुई मैं सोचती हूं कि हमारा जो समाज है, इसके चार जो स्तम्भ हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता। इनमें विशेष तौर से आज जो चर्चा है वह कार्यपालिका और हमारी विधायिका के ऊपर ही मैं ध्यान डालना चाहूंगी। माननीय सदस्य और हम सब लोग 5 साल के लिए चुनकर आते हैं। हर पांच साल में रिन्यू होते हैं, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो लेकिन एक बार जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं को पास कर लेता है, वह लाइफ लांग आईएएस आफिसर बन जाता है। उन्हें बार-बार पांच-पांच साल में परीक्षा की जरूरत नहीं है। संवेदनशीलता जो है, वह जिस प्रकार चुने हुए जनप्रतिनिधि के अंदर होती है, वह कभी इतनी ज्यादा हम लोग सोच नहीं सकते कि उनमें है क्योंकि वे पास होकर आए। अपने आप में गुरूर है कि हम तो एग्जाम पास करके आज आईएएस आफिसर बने हैं। सबसे ज्यादा जानकारी हमारे में है। ये क्या जानें? ये तो वोट से जीतकर आ गया है, इसे क्या पता है? लेकिन जो जन-प्रतिनिधि है, वह जन-प्रतिनिधि जमीन की हकीकत को जानता है। जब वह चुनाव के मैदान में जाता है तो बहुत सारे इश्यूज उसके सामने आते हैं, बहुत सारी समस्याएं उसके सामने आती हैं। उन समस्याओं को वह जानता है कि कैसे हल करे। उसके संदर्भ में करते हैं।

बहुत सारी बार जब हम लोग एक गलतफहमी में जीते हैं कि सरकार आपकी है, सरकार हमारी है, हमारे यहां पर बैठे सदन के माननीय सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि यहां पर सरकार हमारी या आपकी का सवाल नहीं है। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं जिला प्रशासन और प्रशासनिक सेवाओं के ऊपर। हमें इस ओर पूरे तरीके से ध्यान देना होगा

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कि वास्तव में जो जिला प्रशासन है और जो प्रशासनिक सेवाएं उन्हें देनी चाहिए, उसमें कितने परसेंट वे लोग सही तरीके से सेवाएं दे रहे हैं। हर एक व्यक्ति के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। इसी राजस्थान के अंदर एम.एल. मेहता जैसे हमारे आईएएस आफिसर भी रहे, जिन्होंने बड़ी अच्छी योजनाएं भी चलाई थीं। तीस काम-तीस जिले, अंत्योदय योजना, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत लाये और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया था। इस प्रकार के भी अधिकारी थे जिनको हम देखते थे, जो रिजल्ट ओरियंटेड होते थे, जो काम का परिणाम निकालने में विश्वास करते थे। केवल काम को कागजों में नहीं रखते थे।

आज हम लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं होने के बाद में, कार्यपालिका को जो काम करना चाहिए, जिस प्रकार का उनका एटीट्यूड होना चाहिए जनता के सामने, उस प्रकार के एटीट्यूड में कहीं न कहीं कमी है। इसीलिए आज इस प्रकार की मांग के ऊपर चर्चा करने का यह सौभाग्य मिला है और हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। शुरूआत कहां से करूं, मैं यही सोच रही थी तो बजट 2019-20 के अंदर वर्तमान सरकार ने ही अच्छे इश्यूज रखे थे। जब बजट 2019-20 उन्होंने प्रस्तुत किया था तब पैरा 126 में उन्होंने कहा था कि हम आम नागरिकों के सुझाव के लिए एक सिटीजन विंडो बनाएंगे। स्टाफ विंडो भी एक बनेगा जहां पर हम शिक्षकों के सेवा से संबंधित जो भी उनके प्रकरण हैं, स्थानांतरण है या परिवेदना है, वे सारी चीजें हम लोग उस स्टाफ विंडो में देखेंगे। अभी तक कोई सिटीजन विंडो नहीं बना है, कोई स्टाफ विंडो नहीं बना है, इस प्रकार की जानकारी लेने पर पता चला है। इसको देखने की आवश्यकता है कि अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है कि सिटीजन विंडो बनेगा, सिटीजन के कोई भी इश्यूज हैं तो वह अपनी बात को पोर्टल पर रख सकेगा। 2019-20 के ही बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार जीरो डिस्क्रिशन, जीरो करप्शन और जीरो हैरेसमेंट की नीति के ऊपर काम करेगी।

अभी एक साल में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर इस सदन में बैठकर पालिसीज बनाते हैं, हम यहां पर कानून बनाते हैं लेकिन उस कानून की पालना करना है, उन पालिसीज को इंप्लीमेंट करना है, जिन लोगों को उन पालिसीज को इंप्लीमेंट करना है, उनको इन सारी चीज को

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

देखना होगा। आज कहां जीरो करप्शन की बात करें या जीरो डिस्क्रिशन की बात करें या जीरो हैरेसमेंट की बात करें, आज भी कितने ऐसे ग्रामीण लोग, माननीय सभापति जी, जब कलेक्टरी में जाते हैं या एस.डी.ओ. आफिस में जाते हैं तो हिम्मत नहीं करते हैं कि एस.डी.ओ. आफिस का दरवाजा खोलकर वो अंदर तक जाएं। घंटों बैठे रहते हैं कि हमें एस.डी.ओ. साहब बुलाएंगे, तब हम अंदर जाएंगे। कलेक्टर ऑफिस के बाहर घंटों बैठे रहते हैं और यह सोचते हुए कि कलेक्टर साहब अभी मीटिंग में हैं, वो चपरासी आकर कहता है कि अभी रुको, अभी मीटिंग चल रही है, अभी साहब मीटिंग में हैं, साहब बहुत व्यस्त हैं, साहब की बहुत आवश्यक बैठक चल रही है। उस इंतजार में वह गरीब किसान, गरीब व्यक्ति बाहर बैठा घंटों इंतजार करता है।

मेरे कुछ सुझाव हैं कि जहां पर हमें सबको मिलकर इसको सोचना चाहिए कि जब हमने ऐसी चर्चा रखी है, ऐसी डिमांड्स रखी हैं इन विषयों के ऊपर तो उसमें हमारे कुछ सुधारात्मक कदम भी होने चाहिए, वह हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या हम यह सोच सकते हैं कि कलेक्टर का निश्चित समय हो कि वह 10 बजे से 11 बजे एक घंटा डेली जन सुनवाई करे, उनके दरवाजे ओपन रखे कि जिसको भी आना है आइए और यहां पर आकर अपनी बात को कहिए और उस समस्या का हल निकाले। पिछली सरकार में हमने रात्रि चौपाल शुरू की थी, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर जाते थे, वे सारी बातों को सुनते थे लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, जो कार्यपालिका का मेजर काम है वह है उस कार्य को करके बताना। वह कार्य नहीं होना है तो उसे मना करना, वह हिम्मत से कह सकता है कि, भाई, यह कार्य नहीं हो सकता लेकिन न तो वे कहते हैं कि कार्य नहीं हो सकता और न वे कार्य को करते हैं और वे सारी चीजें इस प्रकार से अधर झूल में रहती हैं कि गांव का व्यक्ति तो यही सोचता रहता है कि मैंने जो कलेक्टर साहब को यह अर्जी दी है तो जरूर मेरी सुनवाई होगी लेकिन एंड आफ द डे वह हताश हो जाता है कि किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी।

एक तरफ जवाबदेही है, जो एम.एल.ए. जीतकर आता है, जो एम.पी. जीतकर आता है, जो हमारे विधायिका के लोग हैं वे सारे जवाबदेह हैं। प्रधान है पंचायत समिति का या सरपंच है, वह सोचता है कि अगर मुझे यह एप्लीकेशन दी और अगर मैंने काम नहीं किया तो जब मैं जनता के बीच में जाऊंगा तो वह व्यक्ति खड़ा होकर मुझे कहेगा कि तुमको यह एप्लीकेशन दी

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

थी, तुमने क्या किया इसलिए उस डर से वह सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी काम करूं, लेकिन कलेक्टर के सामने किसी की यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि आपको हमने वह एप्लीकेशन दी थी और आपने क्यों नहीं किया। उसी समय उसे दो पुलिस वाले उठा करके ले जाएंगे, तुम साइड में चलो, क्या बात कर रहे हो, तुम यहां पर क्यों बकवास कर रहे हो, इस प्रकार की भाषा उसके लिए यूज में आती है। इसलिए यह बहुत संवेदनशील इश्यू है जो आज हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। कोई न कोई दिन ऐसा निर्धारित हो जो पूरा दिन उनकी बैठकें चलें, क्योंकि हम मानते हैं कि जिला कलेक्टर के पास में बहुत सारी कमेटीज हैं, 80 से भी ज्यादा कमेटीज हैं जिनकी मीटिंग्स उनको करनी होती है और उन मीटिंग्स के अंदर हो सकता है उन्हें उन सारी चीजों को मोनीटर करना है तो तय कर लीजिए, हफ्ते के 2 दिन तक लीजिए, बाकी सारे दिन तो आप सुनवाई करिए, जनता के बीच में जाइये, अपने आफिस में जनता को बुलाने के बजाय अच्छा हो कि ये अधिकारी खुद फील्ड में जाएं और फील्ड में जाकर फील्ड की वास्तविकता को जानें, तब जाकर के ठीक अच्छे तरीके से होगा।

मैं आज गुजरात का एक उदाहरण देना चाहती हूं। गुजरात में उन्होंने हर जिले के अंदर दो कलेक्टर की पोस्ट रखी, एक कलेक्टर डवलपमेंट और एक कलेक्टर की पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन रखा है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेगा और एक पूरा डवपलमेंट का काम देखेगा। वह जो विभाजन है उससे सारा बहुत ही अच्छी तरीके से और रिजल्ट ओरिएंटेड काम वहां पर शुरू हुआ है तो उस प्रकार का कहीं न कहीं हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं।

जिला सतर्कता समिति के लिए मुझसे पहले भी सब लोगों ने कहा। जिला सतर्कता समिति के अंदर जो मैंबर्स हैं, वो विधायक वगैरह सभी सदस्य होते हैं लेकिन सूचना कब आएगी, जब कभी कोई मीटिंग चल रही है। अभी जब हमारा यहां पर सदन चल रहा है तो सदन के अंदर यहां पर बैठे हैं और वहां पर जिला सतर्कता कमेटी की मीटिंग हो रही है। इस चीज को पूरी तरह से क्लियर करो कि जहां जिस मीटिंग के अंदर एम.एल.एज. इन्वाइटेड हैं या एम.पीज. इन्वाइटेड हैं उन मीटिंग्स को उन्हीं समय में रखें जब उनका यह सदन न चल रहा हो, इस समय में मीटिंग करके और उसकी लीपापोती करना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कि आज वहां पर एम.एल.ए. नहीं है और एम.एल.ए. तो सदन के अंदर बिजी हैं...

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): कमेटी की मीटिंग नहीं चल रही हो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): और कमेटीज की भी मीटिंग, सही कह रहे हैं कि जब विधान सभा की कमेटीज की मीटिंग होती है, माननीय सभापति जी, एक संवाद जो होना चाहिए, उस संवाद की कमी लगती है क्योंकि सुपीरियरिटी काम्प्लैक्स रहता है। उनमें ये सुपीरियरिटी काम्प्लैक्स रहता है कि हम तो सुपीरियर हैं और यह क्या हैं, यह तो ठीक है एम.एल.ए. आये या न आये कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि एम.एल.एज. इतने इंपोर्टेंट होते हैं, जो जनप्रतिनिधि के नाते चुनकर आते हैं और जो यहां पर इस गरिमामय सदन में बैठकर कानून बनाते हैं, पालिसीज बनाते हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है और उस प्रकार से मीटिंग्स का कर लिया जाता है कि यहां पर इनकी इतनी आवश्यकता नहीं है।

सभापति जी, मेरा इसमें एक और सुझाव है कि राइट टू इन्फोर्मेशन है, अब राइट टू इन्फोर्मेशन में जब कोई मांग करता है, उसको अधिकार है वह मांग करने का कोई भी काम हुआ है, कोई पालिसीज बनी है उसके बारे में लेकिन उसको अवोइड किया जाता है। कलेक्टर इतना संवेदनशील हो कि राइट टू इन्फोर्मेशन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई भी इन्फोर्मेशन मांगी गई है तो उसको कैसे देना है और उसमें क्या प्राब्लम है। अगर वह नहीं दे सकता है तो वह प्राब्लम बताये लेकिन राइट टू इन्फोर्मेशन की एप्लीकेशन छह-छह महीने तक पड़ी रहती है जिसमें कोई सुनवाई नहीं होती है, उन्हें कोई कागज नहीं मिलता है और वहां पर आदमी चक्कर लगाते-लगाते बाद में थक जाता है कि अब जाने दो, मैंने तो मांगा था मुझे दिया नहीं। इसलिए यह जो लापरवाही करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर सकते हैं? जब राइट टू इन्फोर्मेशन के लिए कोई एप्लाई करता है, किस तारीख को एप्लाई किया और उसे क्यों नहीं दिया गया, उसकी प्रोपर मोनिटरिंग होनी चाहिए, जो नहीं देते, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए।

आज समाज कल्याण विभाग और श्रम विभाग की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, हम लोगों ने यहां पर विधान सभा में इतने प्रश्न पूछे। रिप्लाई बनाने वाले भी वही सारे लोग हैं, क्या रिप्लाई बनती है,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रक्रियाधीन है और दस्तावेज अपूर्ण हैं। अब वे क्या दस्तावेज अपूर्ण हैं, जो एप्लाई कर रहा है उसको बता दो कि ये दस्तावेज अपूर्ण हैं और उसे कह दो कि उसको पूरा कर लो लेकिन वह उसको बताएंगे नहीं और उनके पोर्टल पर लिख देंगे कि दस्तावेज अपूर्ण हैं और प्रक्रियाधीन है। अब ये प्रक्रियाधीन, हर विभाग के अंदर यह समस्या आती है कि प्रक्रियाधीन है, कब से प्रक्रियाधीन है पता नहीं, इस प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय लगेगा, उसकी कोई डैट नहीं है। अब इस प्रकार से जो सारी चीजें होती हैं तो हम लोग जो जवाबदेही सरकार की बात करते हैं कि हम लोग लैस गवर्नमेंट गुड गवर्नेंस देंगे, वह गुड गवर्नेंस कहां आ रही है जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना प्रक्रियाधीन है।

कोई भी फाइनेंशल टार्गेट जब दिया जाता है तो उस फाइनेंशल टार्गेट को हर योजना के लिए वो क्लियर होना चाहिए कि इस योजना के अंदर यह फाइनेंशल टार्गेट है। हमारी पालनहार योजना है, हमारी पन्नाधाय योजना है, वह योजना इसलिए नहीं आ पा रही, अभी दो दिन पहले हमने सामूहिक विवाह का प्रश्न पूछा था तो सामूहिक विवाह की संस्थाओं को एक तरफ तो हम प्रेरित करते हैं कि आप सामूहिक विवाह कराइये, तो आप टार्गेट को तय कर दीजिए कि सौ लोगों को ही, सामूहिक विवाह की सौ संस्थाओं को ही हम राजस्थान में दे सकते हैं और हर जिले में इतने-इतने हम लोग संस्थाओं को दे पाएंगे तो पता रहेगा एप्लाई करने वाले को कि मैं दसवें नंबर पर हूं और नौ ही संस्था होने वाली है तो अब मेरा नंबर नहीं आने वाला है लेकिन उस एप्लीकेशन को ले लेना, वो सामूहिक विवाह हो जाए या कोई पालनहार योजना की एप्लीकेशन ले ली और वह पड़ा रहे, ग्रीन हाउस की एप्लीकेशन ले ली और वह पड़ा रहे एप्लीकेशन लेकर और फिर आता है कि, साहब, होगा, होगा, होगा, वह होगा, होगा में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है, 5 साल पूरे हो गये, अब तो नई सरकार आएगी तब नया बनेगा। ये अधिकारियों का जो खेल है इसको हम लोगों को सबको समझने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति जी, पेंशन की बात करूं। पेंशन के अंदर यह स्थिति हो गई है कि हमारे जो रिटायर्ड पर्सन्स हैं, अपने छह लाख ऐसे पेंशनर्स हैं और 200 करोड़ से भी ज्यादा बकाया चल रहा है, आर.पी.एम.एफ. को किसी प्रकार का कोई बजट नहीं, अब पेंशन की यहां पर यह स्थिति है कि वह पेंशन

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उन लोगों को नहीं मिल रही है। जैसे किसी को 16 सी.सी.ए. का नोटिस दिया, रिटायरमेंट के एक दिन, दो दिन पहले उसे नोटिस देंगे। मैं आपके सामने यहां पर एक उदाहरण बाई नेम रखना चाहती हूं, नारायण देवपुरा, ये उदयपुर के रहने वाले माइनिंग के अंदर ए.ईएन. थे, 2003-04 के अंदर कोई आडिट का पैरा बना, एक साल बाद ही वह आडिट का पैरा क्लियर हो गया, तब तक तो कोई चीज नहीं। अब जब रिटायरमेंट का समय आ गया, अभी 2019 में 30 जून को रिटायर होने वाले थे, 28 जून को एक नोटिस आ जाता है कि आपकी यह-यह चीजें बकाया हैं। जो पैरा ड्राप हो गया वो सारी चीजें आ रही हैं। उस आदमी के तो आपने सारे लाभ रोक लिए, लेकिन ऐसी सारी चीजें करने के लिए कौन जिम्मेदार है? उसको कभी सजा नहीं मिलती है लेकिन जो वास्तव में निर्दोष है, जिसको ओल्ड एज पेंशन मिलनी चाहिए उस पेंशन से वह रुक जाता है और वह सारी चीजें होती हैं।

श्री सभापति: अब समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, केवल तीन-चार बातें और हैं।

श्री सभापति: जल्दी समाप्त करिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हमने श्रमिक कल्याण मण्डल की योजनाओं का निकालकर देखा तो उदयपुर जिले के अन्दर 8000 श्रमिक आवेदन करते हैं, उसके अन्दर से 6000 पत्र निरस्त हो जाते हैं। यह निरस्त कर देता है। उसकी वापस पूर्ति करने की जरूरत नहीं है। राजसमन्द में साढ़े तीन हजार आवेदन करते हैं, सौलह सौ आवेदन निरस्त हो जाते हैं।

इस प्रकार का इनका जो यह सारा रवैया चल रहा है, माननीय सभापति जी, उसके अन्दर देखने की जरूरत है। राजसमन्द जिले में हमारी सात पंचायत समितियां हैं। वे सात पंचायतों, तहसीलों के अन्दर दो तहसीलें ही ऐसी हैं, जो आमेट और खमनोर तहसील, जहां पर ऑनलाइन नामांतरण हो रहा है। आज यह स्थिति है कि 6-6 महीने, 9-9 महीने हो जाते हैं नामांतरण नहीं होता है। गरीब आदमी, किसान अपने नामांतरण के लिये चक्कर लगा रहा है। ये सारी परिस्थितियां आ रही हैं तो कोई तो रेस्पोंसिबल होगा। उस रेस्पोंसिबल पर्सन के खिलाफ कब कार्यवाही होगी? कब ये सदन के सारे चुने हुए जन प्रतिनिधि इस बात को सोचने के लिये तैयार होंगे कि अगर इस

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्रकार के बिलकुल ही लापरवाह अधिकारी हैं, हम उनके खिलाफ कोई न कोई कार्यवाही करेंगे, उनकी सैलेरी को रोकेंगे या उन्हें नौकरी से निकालेंगे? ऐसा कोई हार्ड कदम, प्रमोशंस आन परफार्मेंस होना चहिए। माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमारे जो प्रमोशंस होते हैं, वे आन परफार्मेंस होने चाहिए। जिसका जैसा परफार्मेंस हो, उसका वैसे ही प्रमोशन हो। वह अगर हम लोगों ने लागू किया तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जवाबदेह होंगे। (व्यवधान) और यह परफार्मेंस करने का काम शुरू होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अदरवाइज बिना परफार्मेंस के हमें पता है, माननीय सभापतिजी, मैं समाप्त कर रही हूं। लेकिन यह बातें इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि इनको यहां दर्ज होने से ये सारी चीजें ठीक होंगी।

एक उदाहरण जो मेरे सामने आया है, मस्टररोल की सूचना जब मांगते हैं, नरेगा के अन्दर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी तो पंचायत समिति क्या कहती है, 74000 दो, 25000 का यह हर्जाना है, आयोग मानता है कि ये पैसे देंगे तो तुम्हारा यहां पर हम लोग वह कर लेंगे। इस प्रकार से वहां पर भाषा का उपयोग किया जाता है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। आप विराजें। समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे जो लोग हैं, उनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंहजी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 4, 5, 8, 15 पर आपके माध्यम से मंत्रीजी तक बात पहुंचाना चाहता हूं। एक तो, सभापति महोदय, गांव के अन्दर जो लोग जमीन दान करते हैं, और जो बिल्डिंग के कार्य हैं, सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिये जो लोग जमीन दान करते हैं, उन लोगों को इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वे थक जाते हैं। जमीन भी दे सरकारी बिल्डिंग बनाने के लिये और उनको फिर सरकारी

(श्री गिर्राज सिंह)

कार्यालय के चक्कर भी काटने पड़ते हैं तो या तो पंचायत लेवल पर इसका समाधान कराया जाये या इसको तहसीलदार तक कराया जाये, 6-6 महीने, एक-एक साल हो गया। दो साल हो गये। मैं आपको बाड़ी, धौलपुर की बात कर रहा हूं। मेरे यहां पहले एक नई ग्राम पंचायत बनी, बी.जे.पी. राज में। इन्होंने जो परिसीमन किया था, उसमें अभी तक उसका समाधान नहीं हो पाया। एक सरकार गई, दूसरी आ गई। आने के बाद में अभी तक एक साल तो अपनी सरकार को हो गया, दो महीने ऊपर ही हो गये। उसमें भी कोई निपटारा नहीं हुआ। कम से कम चार बार तो कलेक्टर को मैं बता चुका, तीन-चार बार ए.डी.एम. को बता चुका। वे कह देते हैं कि मैंने फाइल उधर पहुंचा दी, वे कह देते हैं, उधर पहुंचा दी। होना-जाना कुछ भी नहीं हुआ तो ये फाइलें इधर से उधर घूमती रहेंगी या किसी का कोई काम भी होगा?

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): हम तो आ गये, कौन करेगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपने भी ज्यादा अच्छे काम नहीं किये हैं। आपकी भी बात खोलूंगा, थोड़ा रुकें। इतने अच्छे काम आपने भी नहीं किये। अभी किरण माहेश्वरीजी कह रही थीं कि सारे कर्मचारी-अधिकारी ऐसे हो गये कि जैसे एक साल में ही सारे खराब हो गये। इससे पहले कभी खराब थे ही नहीं। एक साल में सभी खराब हो गये। आपने इनको क्यों नहीं सुधारा? आपके पीरियड में भी यही हाल था, जो आज है और यही रहेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया व्यवधान नहीं।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): यही रहेगा, जब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। पांच साल आप उधर वाले कर जाते हैं, पांच साल इधर वाले कर जाते हैं, चले जाते हैं। वे अपने मजे मारते रहते हैं। आपको लड़ाते ही रहते हैं और आप लड़ते रहते हैं। आप बचाने में लग जाएंगे, अब हम बचाने में लगे हैं। यही करते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। वह गरीब आदमी चक्कर लगा रहा है, उसकी कोई नहीं सुनता है। आप भी चुनाव जीतकर यहां आ गये, आप भी मजे से बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपको भी तनख्वाह के एक-डेढ़ लाख रुपये मिल रहे हैं, हमको भी मिल रहे हैं। आप भी मजे से बैठे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, गिर्राज सिंहजी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह आदमी कोर्ट-कचहरी में चक्कर लगा रहा है, उसकी कोई सुनता ही नहीं है।

सभापति महोदय, मैं तो मंत्रीजी से यही कहना चाहता हूं कि आप इसका कोई न कोई ऐसा समाधान निकालें कि जो लोग जमीन दान कर रहे हैं, उन लोगों को एस.डी.एम. के चक्कर या तहसील के चक्कर, ग्राम पंचायत के चक्कर, आपके कलेक्टर या ए.डी.एम. के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। उन्होंने जमीन दान कर दी। उस जमीन पर तत्काल बिल्डिंग का काम चालू हो जाना चाहिए, मैं तो यही मांग करता हूं।

सभापति महोदय, एक मेरे विधान सभा क्षेत्र और पूरे धौलपुर जिले में ही जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी हैं, जो राजा-महाराजाओं के जमाने की बनी हुई हैं, उनमें बाड़ी का एस.डी.एम. कार्यालय चल रहा है। उन्हीं में तहसील चल रही है, उन्हीं में नगरपालिका चल रही है। ए.डी.जे. कोर्ट्स हैं, वे सब इन्हीं में चालू हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि इनके लिये बिल्डिंग बनाने की कोई व्यवस्था करें। राजा-महाराजा गये, उनके जमाने गये, वे बिल्डिंग्स भी गयीं। अब वे कहां बची हैं। सभापति महोदय, कम से कम एक बिल्डिंग तो बढ़िया-सी बनाई जाये। जहां पर एक ही जगह सभी लोगों को न्याय मिले। एक तहसील कहीं बनी है, एस.डी.एम. कार्यालय कहीं बना है, नगरपालिका कहीं बनी है। वे चक्कर लगाते फिरते हैं। इधर को जाओ, फिर उधर को भागते जाओ, कभी एस.डी.एम. कार्यालय में जाओ। वकील कहीं बैठा है, कहीं तहसील में बैठा है, कहीं कोर्ट में बैठा है। वे चक्कर लगाते फिरते हैं तो मैं मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे यहां बाड़ी में कृषि उपज मण्डी की जमीन पड़ी है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को दे चुका हूं। कटारियाजी को भी पहले दे चुका हूं। आज आपके डिपार्टमेंट पर बहस हो रही है मैं आपके भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि वह कृषि उपज मण्डी की जमीन है। कृषि उपज मण्डी में जितनी जरूरत थी, उतनी उन्होंने अपने काम में ले ली। जो बाकी पड़ी है, उसमें एक ही जगह हमारे सारे कार्यालय खुल जाएंगे। कोर्ट भी खुल जाएंगे, तहसील भी खुल जाएगी, नगरपालिका भी खुल जाएगी और रहने के लिये सरकारी कर्मचारियों के लिये, सबके लिये एक बिल्डिंग भी बन जाएगी। वहां इतनी हमारे पास जमीन उपलब्ध है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि इसकी घोषणा करें। आपकी इसमें कोई बजट की कमी नहीं। इसमें आपकी

(श्री गिर्राज सिंह)

कोई लागत नहीं लग रही है। सिर्फ कागजों में चलना है। अगर आप कागज भी नहीं चला सकते तो फिर जनता को न्याय कैसे देंगे। आपको कागज ही चलाने हैं, कृषि मण्डी से लेकर ये आपके खाते में आ जाएगी। आप उसको अपने यहां ट्रांसफर कर दो। आपकी इसमें कोई लागत नहीं, कोई बजट की भी दिक्कत नहीं है। हमारे यहां क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो पैसा आया है, वह पैसा भी हमारे यहां पर है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं, मंत्रीजी कि आज ही आप इसकी घोषणा करें।

साथ ही, मंत्रीजी, हमारे यहां धौलपुर जिले में एक RAA की पोस्ट नहीं है। उसके लिये भरतपुर जाना पड़ता है। आपने दो दिन का कैम्प कर दिया। छह महीने हो गये, अभी तक आपने कोई RAA ही नहीं लगाया है। क्या न्याय मिलेगा। छह महीने से आपके भरतपुर में भी RAA नहीं लगाया है, फिर वह धौलपुर में कैम्प कहां से करेगा। इसलिये मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि RAA की पोस्ट की धौलपुर में आज ही घोषणा करें। एक बाड़ी में ए.डी.एम. कार्यालय खोलें, उसकी भी आज ही घोषणा करें। जब एक सरकार का थोड़ा-सा मैसेज जाए कि सरकार ने आते ही कैम्प, जब बी.जे.पी. की सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार ने आकर कोई अच्छे काम किये हैं। सभापति महोदय, अभी जो बात कर रहे थे कि सरकार फेल है, इनकी सरकार कौनसी अच्छी थी। ये तो और बुरी तरह से रोते।

सभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि एस.डी.एम. के पास 8-8, 10-10 साल से जो केस पैंडिंग पड़े हैं, उनके कार्य, मंत्री महोदय, और जो RAA के ये केस पैंडिंग पड़े हैं, उनके यहां इतने लम्बे केस पैंडिंग नहीं होने चाहिए। एक साल या छह महीने में उनका निपटारा होना चाहिए, तब जाकर जनता को न्याय मिलेगा। क्या मतलब है, दस साल हो गये। एक एस.डी.एम. आ गया, दूसरा चला गया। वह जाकर फिर दुबारा से आवाज लगायेगा। कोई गवाह नहीं आएगा। फिर दूसरा एस.डी.एम. आता है, वह एक महीने के लिये आता है। कोई तीन महीने के लिये आता है, कोई एक साल में बदल जाता है या कोई दो साल में बदल जाता है। वे किसान आदमी, जो पीड़ित लोग हैं, वे चक्कर लगाते फिरते हैं। उनको कोई न्याय नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, मंत्रीजी थोड़ा ध्यान दें, ये गम्भीर बातें हैं। आप विशेष करके ध्यान दें। जो आपके एस.डी.एम. हैं, वह क्या न्याय दे रहे हैं?

(श्री गिर्राज सिंह)

आपके आर.ए.ए., 20-20 साल हो गये, लोगों की फाइल पैंडिंग पड़ी है। एस.डी.एम. के यहां चला जाता है, आर.ए.ए. के यहां पर मुकदमा चला जाता है, आर.ए.ए. वही कर देता है। माननीय सभापति महोदय, जो अपने यहां पर कई लोगों ने जो अतिक्रमण कर रखा है, जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर अभी बाड़ी में हमने एक कार्यवाही कराई और आठ दिन पहले ही अतिक्रमण हटाया था और आठ दिन पहले अतिक्रमण हटाने के बाद में पहले तो सरकारी कर्मचारी, माननीय सभापति महोदय, उसको हटाने के लिए नहीं जा रहे थे और जब ज्यादा उनसे कही तो उन्होंने उस अतिक्रमण को जाकर आधा अधूरा हटाया। हटाने के बाद में, कोई तहसीलदार यह कह देगा कि यह एन.एच. में जगह है, एन.एच. वाले यह कह देंगे कि यह हमारे में नहीं है, यह तहसीलदार कर लेगा और तहसीलदार कह देगा कि जब एस.डी.एम. साहब कार्यवाही के लिए कहेंगे तब जाकर मैं कार्यवाही कराऊं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

माननीय सभापति महोदय, जो सरकारी जमीन है, चाहे वह सिवायचक की है या गोचर है या किसी भी डिपार्टमेंट की है, वह जमीन अगर सरकार की है तो उसके लिए आप कलेक्टर को जिम्मेदार करें और कलेक्टर उस पर सीधी कार्यवाही करे। एन.एच. की जमीन है तो क्या वह एन.एच. की जमीन सरकार की जमीन नहीं है? वह भी सरकार की जमीन है, सिवायचक की जमीन है, गोचर की जमीन है। माननीय सभापति महोदय, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं मंत्रीजी से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि इसके कार्य के लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे और सरकारी जमीन है, वहां पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, आप उनको कब खाली कराएंगे? यह सरकार खाली करवाना चाहती है या नहीं और चाहती है तो कब तक कितने दिन में यह खाली कराएंगे?

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, सरकारी बिल्डिंग्स पुरानी हालत में हैं, इन पर तो मंत्रीजी आप विशेषकर ध्यान दें।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि मेरे जो बाड़ी है वहां पर एक ए.डी.एम. की पोस्ट और धौलपुर जिले में आर.ए.ए. की पोस्ट तो बहुत ही जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, हर जिले में आपने यह आर.ए.ए. का कैम्प खोल रखा है तो मेरे यहां पर भी खोला जाए।

श्री सभापति: कृपया, समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी एक मिनट और लूंगा। माननीय सभापति महोदय, जो मेरे बाड़ी है, हमारे बसेड़ी से आने वाले माननीय सदस्य भी हैं, इनका भी बाड़ी से ही आना-जाना रहता है, सैपऊ और वह भी बाड़ी में ही है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर चार तहसील मुख्यालय हैं, वहां पर एक ए.डी.एम. बैठाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां पर जो राजस्व गांव हैं तो राजस्व गांव की मैं मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि वह कुछ राजस्व गांव की घोषणा आज ही करें। जैसे एक चंदू का नगला है, दोधूका पुरा है, कासगंज है, रंजीतपुरा, खूबचंद का पुरा, भीमगढ़, ठाकुरदास का नगला, दिल्लीकापुरा, जागीरपुर कला, मावली का नगला, दखलीपुरा, बरेलीपुरा, गोधुपुरा, छोटी नगरी, माननीय सभापति महोदय, इनमें सरकार पर भी कोई ज्यादा लोड नहीं पड़ता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि आज ही सरकारी जमीनों पर जो कब्जा है, लोगों ने जो कब्जा कर रखा है, मंत्रीजी, आप मुझे यह बताएं कि इसके लिए कलेक्टर जिम्मेदार है या एस.डी.एम. जिम्मेदार है या तहसीलदार जिम्मेदार है? सबके सब जो भी आता है, वह कब्जा कराकर चला जाता है। वह एक दूसरे के ऊपर पटक देते हैं। वह कह देगा कि नगरपालिका जाकर यह कार्यवाही करे, नगरपालिका कह देती है कि तहसीलदार जाकर यह कार्यवाही करे, तहसीलदार कह देते हैं कि एस.डी.एम. करे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): कोई यह कह देते हैं कि यह एन.एच. की जमीन है तो, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि इसके लिए आप कलेक्टर को जिम्मेदार करें और कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है जिले की, वह वहां जाकर इसकी मोनिटरिंग करे और अभी आठ दिन पहले जिस जमीन पर कार्यवाही की है, वह खाली करायें, दुबारा से उसने कब्जा कर लिया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं आज ही

(श्री गिर्राज सिंह)

आप इस मांग पर घोषणा करें। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद जो आपने मुझे मांग संख्या-4, 5, 8 एवं 15 पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, मांग संख्या-4 है जिला प्रशासन की और मेरा यह मानना है कि प्रशासन कानून के साथ-साथ इकबाल से चलता है। धीरे-धीरे ऐसा महसूस होता है कि जो सरकार का, क्योंकि जो प्रशासन होता है वह सरकार का प्रतिनिधि होता है और सरकार जनता की प्रतिनिधि होती है तो धीरे-धीरे हर स्तर पर इस इकबाल की कमी है। जनता यह महसूस करती है कि हमारी सुनवाई नहीं होती है। मंत्री यह कहते हैं कि अफसर हमारी नहीं सुनते और अफसर यह कहते हैं कि मंत्री कुछ जानते ही नहीं। कहां पीड़ा है? पर मुझे पीड़ा इस बात की है कि साहब, जनता के जो काम होने चाहिए जो जायज काम हैं, वह समय पर नहीं होते और नियमानुसार नहीं होते हैं, जनता को इधर-उधर भटकना पड़ता है तो इसका कारण क्या है?

इसी तरह प्रशासनिक सेवाओं के बारे में कहूंगा। जो यहां पर 200 माननीय सदस्य आये हैं, यह प्रशासनिक अधिकारियों के प्रतिनिधि नहीं हैं, हम राजस्थान की साढ़े सात करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं और अधिकारियों को यही लोग लगाते हैं। अधिकारियों की जवाबदेही सरकार के प्रति है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार की बात सरकारी अधिकारी नहीं माने, इसमें कहीं न कहीं कमी है।

सर, राजस्व की बात तो क्या कहें, जिन लोगों की राजस्व जमीन नहीं है, उनके तो कब्जे हैं और जिनके पट्टे हैं वह धक्के खा रहे हैं। हरीशजी बैठे हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत बड़े जिले के यह प्रतिनिधि हैं, विभाग भी बड़ा है और भगवान की कृपा से शरीर भी बड़ा है तो इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा।

सर, एक मांग संख्या-15 है पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, मैं तो खुद पेंशनधारी हूं तो मैं तो मेरी पीड़ा जानता ही हूं। मेरा जो पहला सवाल है आज जैसे सुबह से चल रहा था बाड़मेर की घटना को लेकर कि बाड़मेर में

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

कोई पुलिस की कथित ज्यादती हुई। कुछ दिन पहले नागौर का एक किस्सा चला था, वहां पर भी पुलिस ज्यादती का केस था, नाकामी का केस था, जिसमें मुझे भी जाने का मौका मिला। माननीय श्री परसादी लालजी बैठे हैं, इनको मुकदमा दर्ज कराने के लिए एक जन सुनवाई में जाना पड़ा। मैं यह सब प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर रहा हूं और उससे कुछ दिन पहले मुझे भी एक छोटी-मोटी आग्रह करना पड़ा कि साहब, यह मुकदमा तो दर्ज कर लो, तफ्तीश तो जो भी करना है, करना। कुछ दिन पहले थानागाजी में ऐसे केस हुए तो सर, यह प्रशासनिक विफलता के कारण है। मैं कोई उसमें नहीं जाना चाहता कि क्या है पर यह हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यह नहीं कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया, जिसने भी नहीं किया, जनता के साथ नाइंसाफी हुई है और इस नाइंसाफी को दूर करना हम सबका सामूहिक फर्ज है।

सर, पुलिस की मैं बात शुरू करूं। इस विधान सभा में आदरणीय श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ उस समय सदन के सदस्य थे, एक पुलिस एक्ट पास किया था आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 2007 में।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): 2007 में वह पास तो हो गया पर उसमें एक चीज थी पुलिस के बारे में राजेन्द्रजी, माननीय सभापति महोदय, पुलिस कमप्लेंट्स अथोरिटी, स्टेट लेवल पर पुलिस की जो शिकायतें होती हैं उसके लिए एक बाडी का गठन किया गया, उसमें कोई जज होंगे, उसके सदस्य होंगे, उसका गठन किया गया जो सदन द्वारा पारित किया गया, इसी तरह से जिला स्तर पर भी इसके गठन की व्यवस्था है। सर, आज तक न कांग्रेस की सरकार ने और न बी.जे.पी. की सरकार ने एक भी सदस्य नियुक्त नहीं किया। अब उसकी जवाबदेही कैसे हो गयी? आपने कानून तो बना दिया पर कानून को लागू करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। यह मैं इसको पार्टी के उसमें नहीं डालना चाहता, जब आप यह कहते हो कि पुलिस निरंकुश हो गयी तो निरंकुश हमारी विफलता के कारण हुई है। आज मुझे क्या है कि मेरे कहने से कोई थानेदार लग जाए, मेरे कहने से एस.पी. लग जाए, हट जाए, हमारी पूरी राजनीति इसी पर चल रही है। कभी यह नहीं कहा कि जनता को राहत मिल जाए। यह इसके कारण जनता भुगत रही है।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सर, अब मैं राजस्व की बात करूं कि पूरे राजस्थान में जो पुरानी स्कूलें हैं वह सरकारी स्कूलें हैं। पहले जमीन की कोई कमी नहीं होती थी, बड़े-बड़े खेल मैदान हैं, 90 परसेंट खेल मैदानों पर सरकारी स्कूलों पर अतिक्रमण है। वह अतिक्रमण कौन हटाएगा? सरकार ही हटाएगी। आप इसके लिए क्यों नहीं एक अभियान चलाते? सरकारी स्कूल, सरकार के नाम दर्ज और उस पर कब्जा और आप और हम हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं। मैं अनेक बार एस.डी.एम. से मिला, कलेक्टर से मिला तो कहते हैं कि सर, आप तो व्यवस्था जानते हो। यह क्या जवाब हुआ? मैं यह चाहता हूं कि जो सरकारी चीज है, सरकारी सम्पत्ति है और वह बच्चों के काम आती है, बच्चों का विकास कैसे होगा, शारीरिक विकास कैसे होगा? खेल मैदान ही नहीं है, किसी ने मंदिर बना रखे हैं, किसी ने गौशाला, जो भी जिसने बना रखा है पर जिस चीज के लिए जो जमीन दी गयी थी, वह उस उपयोग में नहीं आ रही है, वह हमारी सामूहिक विफलता है इस सदन की।

दूसरा, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में अभी माननीय सदस्या श्रीमती किरण माहेश्वरी बता रही थीं कि गुजरात माडल, गुजरात में एक कलेक्टर, डवलपमेंट है, एक कलेक्टर जिला कलेक्टर है। सर, यह हमारे भी व्यवस्था थी। जो वरिष्ठ माननीय सदस्य हैं, आप तो श्रीमान् स्वयं इससे जुड़े हुए हैं। पहले हर जिले में ए.डी.एम. डवलपमेंट होता था जिसको पी.डी. बोलते थे। विकास के पूरे काम वह करता था और वह रेवेन्यू के काम और जो लॉ एंड आर्डर के, एडमिनिस्ट्रेशन के काम करता था। धीरे-धीरे यह संस्था कमजोर पड़ गयी, समाप्त तो नहीं हुई। अभी है आपके, सी.ई.ओ., उसका पदनाम बदल दिया आपने। चीफ एग्जिक्यूटिव आफिसर जिला परिषद् का, पर वह कलेक्टर के अधीन एक बाडी हो गयी, उसकी स्वतंत्रता खतम हो गयी और जिस काम के लिए वह बनी थी, वह काम नहीं हो रहा है तो मेरा यह आग्रह है कि एजेंसी हमारे पास सब है, नियम हमारे पास सब हैं पर नियम को कोई लागू नहीं कर रहा है। जो प्रशासनिक सुधार है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जो अल्टीमेटली टैस्ट होगा, आपकी प्रशासनिक दक्षता पर, प्रशासनिक सफलता पर होगा और अगर आपका प्रशासन चुस्त-दुरूस्त है तो जनता को राहत मिलेगी, इसमें कोई दोराय नहीं है। प्रशासन में ही कमी है।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैंने ऐसा-ऐसा सुना है कि रेंज में आई.जी. की पोस्टिंग होती है। पद स्वीकृत हैं, उस पर डी.आई.जी. काम कर रहा है। एस.डी.एम. की जगह तहसीलदार काम कर रहा है। यह क्या व्यवस्था है साहब? जिसको भी लगाना है, जो जिस पद के पात्र हैं, जिसके लिये उपयुक्त हैं, उस पर वह बैठें। जिलों में एस.पी. की जगह एडिशनल एस.पी. से ही काम चला रहे हैं एडहाक, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसका पद है, उसी को लगाएं अन्यथा नियमों में बदलाव करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां बड़ा क्षेत्रफल है। एक बूथ से दूसरे बूथ, आमली से लेकर नासरदा तक 200 किलोमीटर की दूरी है मेरे विधान सभा क्षेत्र में। लोगों के जमीन के काम पड़ते हैं, सर्टिफिकेट्स के काम पड़ते हैं, सरकारी नीतियां हैं, उनका लाभ लेने के लिये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। सर्टिफिकेट या तो एस.डी.एम. देगा या तहसीलदार, पर पद ही रिक्त पड़े हैं। अब वह जनता कहां धक्के खाएगी? पटवारघर में पटवारी नहीं है। एक-एक पटवारी के पास तीन-तीन, चार-चार पटवार सर्कल का चार्ज है। ग्राम पंचायतों में सैक्रेटरी नहीं हैं। एक-एक सैक्रेटरी के पास चार-चार जगह का काम है तो यह काम कौन करेगा? यह प्रशासनिक विफलता है और मैं यह नहीं कहता कि उसके लिये एक पार्टी जिम्मेदार है या दोनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। यह रिक्तियां पहले से चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में यह रिक्तियां हो गयीं पर उसमें हमारी जनता का अहित हो रहा है। जनता अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हो रही है, उसकी हमें चिन्ता करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है सर, हम तो यहां नेता बैठे हुए हैं, हम तो अफसरी कर रहे हैं। उसको हटा दो, इसको लगा दो, उसको सस्पैण्ड कर दो, बचा लो और जो अफसर हैं न, वह नेतागीरी कर रहे हैं। इससे आपको फायदा है, इसमें फायदा नहीं है तो जो जिसका काम है, मैंने देखा है बहुत जगह, अभी मैं कहीं गया था सर। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप दोनों जगह ही आ गये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मुझे तो वहां का भी अनुभव है, यहां का भी अनुभव है, लोक सभा का भी अनुभव है और गांव का भी अनुभव है। मेरे अनुभव को छोड़िए, मैं राजस्थान की जनता की बात कर रहा

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

हूं। अभी व्यवस्था की बात कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि जो हमारी व्यवस्था है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। इसको गंभीरता से लें। इसको लेकर एक-दूसरे पर दोषारोपण नहीं करें। जो इनके कार्यकाल में हुआ, वह उनके कार्यकाल में भी हुआ। हमारे सबके कार्यकाल में हमारे राजस्थान की जनता को अच्छा शासन मिले, जनता को राहत मिले और जनता का विकास हो, यह हमारी चिंता होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसके लिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा। सरकार में जिसको भी आप उचित समझें, उसमें विपक्ष को जरूर साथ में लें और एक कमेटी बने पांच-सात सदस्यों की, कुछ तो हम सोचें, कुछ तो सुझाव दें, कुछ तो अध्ययन करें और कभी इसमें यह नहीं आना चाहिए कि उस पार्टी ने यह कहा, इस पार्टी ने यह कहा। हम सबने मिलकर क्या कहा, यह जनता सुनना चाहती है।

हमने इस हमारे राजस्थान प्रदेश को, राजस्थान के प्रशासन को जातियों में, बिरादरियों में, क्षेत्रों में बांट दिया। एक आर.ए.एस. आफिसर भर्ती होने से रिटायरमेंट तक वह जोधपुर नहीं छोड़ा, उदयपुर वाले ने उदयपुर नहीं छोड़ा, अजमेर वाले ने अजमेर नहीं छोड़ा, भरतपुर वाले ने भरतपुर नहीं छोड़ा। यह क्षेत्रीय सेवाएं हो गयीं, जब यह प्रदेश स्तरीय सेवाएं थीं। बहुत सारे आफिसर वहां भर्ती होते हैं और वहीं से ही रिटायर हो जाते हैं। इससे भी अन्याय होता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की मांग रखूंगा, वह यह है कि जितने भी पटवारियों के, ग्राम सेवकों के, तहसीलदारों के, नायब तहसीलदारों के पद हैं, इनको अविलम्ब भरा जाए। यह पदों पर बैठेंगे और अपना कार्य करेंगे तो जनता को राहत मिलेगी।

दूसरी चीज, जो भी भर्ती निकलती है, 90 प्रतिशत आर.पी.एस.सी. में अटक जाती है, वहां से निकल जाती है तो कोर्ट में अटक जाती है। 2013 की भर्ती अभी लागू नहीं हुई। अब यह कब लागू होगी, कब भर्ती पूरी होगी? फिर यह सीनियरिटी के चक्कर में कोर्ट में अटक जाएंगे। यह मुकदमेबाजी खतम होनी चाहिए। कोई ऐसी व्यवस्था हो, जो जिस साल की हो, उसी में पूरी हो। जैसे भारत सरकार में होता है यू.पी.एस.सी. में जो आई.ए.एस., आई.पी.एस. की परीक्षा होती है, जिस साल की होती है, उसी साल भर्ती होती है। आज तक नहीं अटकी। उनका समय फिक्स है। इस बीच में लिखित परीक्षा होगी, इंटरव्यू

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

होंगे। हर साल वेकेंसी एस्टीमेट करते हैं। हमारे प्रदेश में यह क्यों नहीं होता है? मैं कल ही एक धरने में गया था 2013 की एल.डी.सी. भर्ती का, 2019 की भर्ती कर रहे हो। 2013 के एस.सी., एस.टी. के जो बच्चे पास हुए बैठे हैं, उनका कोई नाम ही नहीं है। 2019 की भर्ती कर रहे हो और 2013 में जो पास हुए हैं, उनका वैरिफिकेशन हो गया, सलेक्शन हो गया, उनको आप नौकरी नहीं दे रहे। यह क्या व्यवस्थाएं हैं? इसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता है। ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है।

माननीय सभापति महोदय, जितनी चरागाह व सिवायचक भूमियों पर बस्तियां बसी हुई हैं, समय आ गया उनका नियमन करें, क्योंकि पट्टों के अभाव में उनको किसी भी सरकारी नीति का लाभ नहीं मिल रहा, यह भी एक अन्याय है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। अगर वह बस ही गये और लम्बे समय से वहां बसे हुए हैं तो जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उनसे वह वंचित क्यों हो रहे हैं? वह भी हमारे इस देश के नागरिक हैं, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं। यह हमारी जिम्मेवारी है। मैं आपको उदाहरण भी बता देता हूं। मेरे गांवड़ी पंचायत में रघुनाथपुरा है, गैरोली पंचायत में भरना कालोनी है। वहां पर इनकी दूसरी-तीसरी पीढ़ी रह रही है और उन लोगों को अधिकार ही नहीं है। रह वहां रहे हैं, पर उनको जमीन का अधिकार नहीं है। उनके पास पट्टा नहीं है, यह भी अन्याय है। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए जनता के हित में इनको अतिशीघ्र पट्टे दिये जाएं ताकि इनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दिनों चर्चा हुई कि किसानों की अतिवृष्टि से, कहीं टिड्डी से जो नुकसान हुआ, उसकी गिरदावरी का आर्डर दे दिया, सर्वे का आर्डर दे दिया। सर्वे करने वाले अधिकारी ही नहीं है, पटवारी नहीं है, तहसीलदार नहीं है, एस.डी.एम. नहीं है तो सर्वे कौन करेगा?

माननीय सभापति महोदय, अभी बात चली थी कि कलेक्टर आफिस में नहीं बैठते हैं, इतनी कमेटियों के चेयरमैन हैं। अगर वह आफिस में नहीं बैठता तो उसका रेवेन्यू का काम कौन करेगा, अपील का काम कौन करेगा? वह काम को डेलीगेट भी नहीं कर सकता। एस.डी.एम. नहीं बैठता। ऐसा नहीं है कि वह काम नहीं करना चाहता, पर उसके पास काम बहुत ज्यादा है। कभी आप उसको इलेक्शन में लगा दोगे, कभी जनगणना में लगा दोगे, कभी और किसी अभियान में लगा दोगे। उसका जो रेवेन्यू वर्क है, उसका जो मूलभूत काम है, राजस्व का काम है, वह काम सफर करता है। पेशियों पर पेशी पड़ती

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

जाती हैं और लोगों को अनावश्यक आना-जाना, वकीलों को पैसा देना, बहुत ज्यादा उनका समय और पैसा व्यर्थ जाता है। इससे एक नकारात्मक सोच डवलप होती है।

माननीय सभापति महोदय, जितनी भी सरकारी जमीन है, मैं तो इस सरकार से आग्रह करता हूं कि जितनी सरकारी जमीनें हैं, वह सब चिह्नित हैं चाहे स्कूलों की जमीन है, अस्पताल की जमीन है, सिवायचक जमीन है, जंगलात की जमीन है, वह रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है। उनको सरकार चिह्नित करके, अभियान चलाकर सरकार अपने कब्जे में तो ले। ऐसे-ऐसे लोग हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगती हुई सवाई माधोपुर की एक रणथम्भौर सैंक्चुअरी है। वह कहने को ही सैंक्चुअरी है, वहां पर बड़े-बड़े लोगों के होटल बने हुए हैं। मैं जानता नहीं, पर कोई कहते हैं कि बहुत बड़े नेता हैं भारी भरकम, कुछ लोगों के फार्म बने हुए हैं। यह लोगों को दे दो साहब, कि सैंक्चुअरी की जरूरत नहीं है। शेर वगैरह वैसे ही मर गये। शेर तो भाग गये, पता नहीं कहां चले गये। अभी पढ़ा था मैंने, 26 शेर मिसिंग हैं और शेर का, मुझे पता नहीं, मैं तो मीट खाता नहीं, यह रफीक खान साहब से पूछ लूंगा कि शेर का भी मीट खाते हैं क्या?

श्री सभापति: माननीय मीना जी, समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): माननीय सभापति महोदय, मेरा यह अनुरोध है कि इसको गंभीरता से लें। मैं मानता हूं हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, गरीबों की सरकार है। इसको गरीब लोगों ने वोट दिया है, इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में सरकार प्रशासनिक सुधार करेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप जी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-4, 5, 8 और 15 पर आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सदन के अंदर ..(व्यवधान)..

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आपकी तो आवाज यूं ही तेज है, माइक को क्यों तकलीफ दे रहे हो?

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आपके जलन हो रही है।

श्री सभापति: आप विराजो, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप विराजें। आपकी भी आवाज तो बहुत तेज है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): आवाज आपकी भी कम नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रशासन में बड़े सुधार की बात नहीं करूंगा, छोटे-छोटे सुधार आप कर लोगे तो उससे भी जनता को काफी लाभ मिलेगा। एक तो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह ट्रांसफर-पोस्टिंग वाली जो बीमारी है, इसके कारण से पटवारी, मैंने एस.डी.एम. को यह कहते हुए सुना है जिला कलेक्टर को यह कहते हुए सुना है कि क्या करें, आप जानते हो यह पटवारी तो हमारे से ऊपर से आर्डर करवाकर आ गये। इनकी यूनियन है। माननीय सभापति महोदय, यूनियन वाली जो बीमारी है, इसने प्रशासन का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस पर विचार करना पड़ेगा। आज चाहे ऊर्जा विभाग में ले लो, चाहे पी.एच.ई.डी. के अंदर ले लो, हैल्पर है, चाहे लाइनमैन है, करोड़ों-अरबों रुपये की स्कीम को बर्बाद करके एक हैल्पर छोड़ देता है। यह प्रशासनिक सुधार में ही आता है मामला। अब सुधार कैसे करोगे, यह आप जानो। अरबों रुपये खर्च होने के बाद में भी एक लाइनमैन की मर्जी नहीं हो तो 10 गांव प्यासे मरते हैं। यह मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। हकीकत में इसका सुधार तो सरकार ही करेगी।

सभापति महोदय, हम हर चीज का निर्णय वोट के ऊपर करते हैं। एक आदमी के पास गांव में 100 वोट हैं, अगर वह गुवाड़ के अंदर रुड़ी बनाए, कब्जा करे तो उसको कोई नहीं रोकेगा। यह क्या प्रजातंत्र है? यह क्या बीमारी आ गई? इसमें हमें सुधार लाना पड़ेगा। वोट की चिंता छोड़ो। अपने कार्यकाल की चिंता करो। छाप छोड़ जाओ ताकि आपको लोग याद करें। भविष्य में आएंगे कि नहीं आएंगे, यह चिंता छोड़ो।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय आप बैठे हो, राजस्व में 6 और 7 के अंदर नियम बदलने की चर्चा चली थी। यह हाथी वाली जो पोस्ट है आरएए की, इसका तो सदन में बहुत विरोध हुआ था। यह सफेद हाथी है। किसानों के लिए आरएए वाली पोस्ट मौत है। इसमें बहुत लूट होती है।

दूसरा, हमारे जो रेवेन्यू के कानून हैं, एक किसान एप्लीकेशन लेकर के एसडीएम के पास जाएगा कि मेरी भूमि नपवानी है। दो फुट, चार फुट दब गई। आप उसकी प्रक्रिया देखो। एसडीएम से वह तहसीलदार के पास जाएगा। तहसीलदार से नायब, फिर कानूनगो, गिरदावर, पटवारी तक जाएगा। अगर सुविधा शुल्क एक हजार रुपए दे दो तो वह पटवारी आदेश ले आएगा, नहीं तो उस किसान को इस प्रक्रिया में एक हफ्ते तक घूमना पड़ेगा। गांव से आने का

(श्री रामप्रताप कासनियां)

किराया लगता है। इस तरह की जो छोटी-छोटी चीजें हैं, उसमें सुधार करने में सरकार के कोई बजट का खर्चा नहीं होता है। यह जो कागजी प्रक्रिया है, इसको कम कौन करेगा? यह नियम बनाएं किसने हैं? सदन ने। हम नए भी बना सकते हैं। इस प्रक्रिया को शोर्ट करो ताकि काश्तकारों को न्याय मिले।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं। आप ज्यादा फिर टाइम नहीं दोगे।

श्री सभापति: मैं तो सामने घड़ी को ही देख रहा हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सामने घड़ी को मत देखो। मेरा दिमाग हिल जाता है।

श्री सभापति: आपके सामने भी देख रहा हूं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान हो, रेवेन्यू के मामले में कुछ भी खर्चा होने वाला नहीं है। वर्षों से लोगों के खातेदारी वाली समस्या पड़ी हुई है। टी.सी. की है। मैंने पहले भी हाउस में बोला था। टी.सी. से पुख्ता जो डी-कालोनी एरिया है, सन् 1970 के नियम में तहसीलदार के पास पावर है। आप सिर्फ उनको आदेश दो।

सभापति महोदय, इसके अलावा कुछ राइडर लगे हुए हैं। राइडर क्या हैं? जैसे सूरतगढ़ शहर के नजदीक 10 किलोमीटर पैरीफेरी, प्लानिंग क्षेत्र, अब बड़े-बड़े लोग शहर में जगह तो लाते हैं हास्पिटल के लिए और बाद में होटल चलाते हैं। वहां पता नहीं उनके लिए कैसे कानून चेंज हो जाते है? किसानों पर सब तरह के राइडर लागू हैं। वही जमीन अगर हम किसी पूंजीपति को देते हैं शहर के नजदीक तो वह 2 दिन के अंदर ही खातेदारी ले आएगा। मैं प्रमाण पेश कर दूंगा। सूरतगढ़ के इर्द-गिर्द कुछ धन्ना सेठों ने टी.सी. की भूमि खातेदारी करवाई है। मंत्री महोदय, मुझे पूरे राजस्थान का तो पता नहीं, इसलिए मैं बखान नहीं करूंगा। मैं मेरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं। वहां आज भी टी.सी. की, 55 से पूर्व और बाद की भूमि खरीद रखी है। जो असली काश्तकार हैं, उनके साथ बड़ी भारी लूट-खसोट हो रही है। मैं चाहता हूं कि जो ओरिजनल काश्तकार हैं, उसको खातेदारी मिलनी चाहिए। इस लूट-खसोट को रोको।

सभापति महोदय, 55 से पूर्व और बाद की जो भूमि है, सरकार ने

(श्री रामप्रताप कासनियां)

पहले से ही आदेश निकाल रखे हैं कि तहसीलदार स्वयं उसको जमाबंदी में खातेदार दर्ज करे लेकिन उसको दर्ज कर नहीं कर रहे हैं। तरमीम, यह क्या है? काश्तकार खसरों में बैठा है, हजार बीघा, दो हजार बीघे के खसरे हैं। भूमि तरमीम नहीं है। काश्तकार को यह पता नहीं है कि कहां बैठा है? जब से अलाट हुई है, तब से लेकर के आज दिन तक काश्त कर रहा है।

सभापति महोदय, एक यह पैमाइश वाली बीमारी है। खसरे में काश्तकार को पता नहीं लगता। कोई बंटे तो हैं नहीं, तरमीम है नहीं, खसरे कोई काश्तकारवाइज अलग-अलग नहीं हैं। काश्तकार बैठा है 9 नंबर में और उसको अलाट 10 नंबर है। ऐसे लोगों को खातेदारी नहीं दी जा रही है। उसमें काश्तकार की क्या गलती है? काश्तकार को आपने पट्टा दिया है। लगान लिया है। काश्तकार को यह पता नहीं है। यह गलती प्रशासन की है। उनको रोकना चाहिए था कि यह खसरा आपका नहीं है बल्कि अमुक खसरा है।

इस तरह से मेरे यहां का एक उदाहरण बता रहा हूं कि पीपासर गांव है, राजियासर चक अमरपुरा गोदारान, मालेर इस तरह से 40 वर्षों से हाई कोर्ट से लेकर के रेवेन्यू बोर्ड तक यह केस चला है। उदाहरण के लिए जैसे मेरे नाम 2 मुरब्बा भूमि थी। पैमाइश वालों ने उसको मौके पर काबिज नहीं हो, ऐसे करके उसको भूमिहीन बना दिया। उसकी पूरी जमीन उड़ा दी जबकि मौके पर वह आज भी काश्त कर रहा है। इस तरह के सैकड़ों, हजारों मामले हैं। यह बीमारी खसरा भूमि में सभी जगह है।

सभापति महोदय, इसके अलावा बालिग पुत्र, स्माल पेज और एक बीमारी और है गजट, यह जो पटवारी होते हैं, यह जमाबंदी में नाम तक बदल देते हैं। जैसे मेरा नाम रामप्रताप है, उसकी जगह रामप्रसाद लिख दिया। 2 वर्ष बाद जाओ, काश्तकार को तो पता धीरे-धीरे लगता है कि नाम बदल गया। वह चेंज करवाने के लिए जाता है तो कहता है कि आपको दुरुस्ती का दावा करना पड़ेगा एसडीएम के यहां पर। अब दुरुस्ती का दावा कब तक काश्तकार कर-करके पीछा छुड़ाएगा। पटवारी की शिकायत करो तो लिपिकीय भूल है। मानवीय भूल है। यह क्या है? इस पर रोकथाम नियमों में जब तक नहीं लगेगी, तब तक यह लूट-खसोट जारी रहेगी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): अभी?

श्री सभापति: हां, हो गई 10 मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मौलिक बात कह रहे हैं।

श्री सभापति: इनका 10 मिनट हो गया।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, अब क्या करूं? विषय से भटका दिया। मैं इतना विद्वान नहीं हूं।

श्री सभापति: यह व्यवस्था ही ऐसी है। क्या करें? आप कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि पौंग डैम के जो अलाटी काश्तकार हैं। पिछली सरकार ने उनको आबंटित करने के लिए कुछ कीमत लगाई थी। वह कीमत भी उन लोगों ने जमा करवा दी। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि वह लोग दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। वह इसलिए फिर रहे हैं कि एक रिटायर्ड तहसीलदार था। हिमाचल वालों की जमीन खरीदकर के सुप्रीम कोर्ट में अकेला चला गया। सामने से सरकार की तरफ से कोई पैरवी नहीं हुई। इसके कारण से वह सारे के सारे काश्तकार बर्बाद हो गए। आज हिमाचल और राजस्थान के बीच में यह मामला लटक रहा है। उन काश्तकारों को भी राहत देनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रशासन ने भूमि अलाट की। काश्तकार को तो पता नहीं था कि यहां वन विभाग की भूमि प्रस्तावित है। अब खातेदारी देने पर रोक है। कहते हैं कि वन विभाग की भूमि प्रस्तावित है। वहां एक भी पेड़ नहीं है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): काश्त हो रही है। सभापति महोदय, एक और है।

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पैरीफेरी, प्लानिंग क्षेत्र और वन विभाग प्रस्तावित वाला राइडर हटाओ। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं।

श्री सभापति: एक ही निवेदन कर दो आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सूरतगढ़ को जिला बनाओ। आप मंत्री महोदय वहां गए हुए हो। वहां पर छावनी है, वहां हवाई अड्डा है। इसके

(श्री रामप्रताप कासनियां)

अलावा वहां थर्मल है, श्री सीमेंट फैक्ट्री है। जो नोर्म्स जिला बनाने के लिये चाहिये वह सबसे ज्यादा सूरतगढ़ में है। आज की तारीख में कोई जिला बनने के लायक है तो उसका नाम सूरतगढ़ है। बनाओ, नहीं बनाओ मर्जी आपकी, सरकार आपकी और भेदभाव करना बंद करो। काम करना शुरू करो।

श्री सभापति: ...(व्यवधान) कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य। श्री अविनाशजी। आपने इतना बड़ा काम बता दिया।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मंत्री महोदय, मुरब्बाबंदी, किलाबंदी, वर्षों से पानी लग रहा है, चालीस, चालीस वर्षों से खसरों में, मुरब्बाबंदी, चकबंदी लागू नहीं होने से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं इतना विद्वान नहीं हूं, आप बैठते हो और टोकते हो, राजेन्द्रजी भी टोकते हैं, करूं क्या? मेरा मुखबंद का प्रयोग है एक हफ्ते से, बिलकुल ही नहीं बोला। माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद, रोकने के लिये भी। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, दो एमएलए की बात बताना चाहता हूं, यहां धर्मेन्द्रजी ने कानून व्यवस्था की बात उठायी, दूसरे दिन उनके घर पर चोरी हुई और फिर बलवीर सिंह लूथरा ने कहा कि मैं आपकी बात सदन में उठाऊंगा, कल उनका मोबाइल खोस लिया दिन दहाड़े। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अब आप ध्यान रखना, आज आपका दिन है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और अभिनन्दन कि आपने मांग संख्या 4 जिला प्रशासन, मांग संख्या 5 प्रशासनिक सेवाएं, मांग संख्या 8 राजस्व और मांग संख्या 15 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर बोलने का अवसर दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं निश्चित समय में अपनी बात को खतम करूंगा क्योंकि मैं एक ऐसे विधान सभा क्षेत्र से उन महारथियों को लोकतंत्र के इस महापर्व में हराकर आया हूं और उस क्षेत्र की, जैतारण की जनता की लगभग तीन लाख मतदाताओं की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मेरे कंधों पर जो दायित्व है, मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि उसका

(श्री अविनाश)

निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करूं। माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब हम लोग विधायक नहीं थे तो हमने सुना था कि इस विधान सभा का रखा हुआ एक-एक मुद्दा, एक-एक विषय जिस पर कार्यवाही होती है, पर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि पिछले चौदह महीनों में इस विधान सभा में रखे हुए एक भी मुद्दे पर आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसके ऊपर इस राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की, सिर्फ इतनी-सी हमारी उपलब्धि हो सकती है कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को हम आप लोगों के बीच रख सकते हैं और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से, अख़बार में न्यूज दिलाकर हम लोग जनता के बीच इतना महसूस करा सकते हैं कि हमने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा। इसलिये मेरा इस सरकार से विशेष रूप से निवेदन रहेगा कि हमारे क्षेत्र की मांगों को, समस्याओं को आप लोग समय पर पूरा करने की ईमानदारी के साथ में डायरी में लिखें, उस पर कार्यवाही करें।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मैं पूरे राजस्थान प्रदेश की बात तो नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरे जैतारण क्षेत्र की समस्याओं की बात करूंगा। मुझे पता है कि मेरे से बहुत ज्यादा विद्वान माननीय सदस्यों ने आज भी बोला है और आगे आने वाले समय में भी बोलेंगे। मैं अपने आप को सीमित रखूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण पर जहां जिला प्रशासन के अंदर बात करना चाहूंगा कि मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में सीमेंट के बहुत बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें अवैध जल दोहन का मामला जिसकी मैंने पहले भी बात रखी, जिला प्रशासन को बार-बार शिकायत की लेकिन अवैध जल दोहन का आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ और इसकी वजह से आज हमारे क्षेत्र के लोगों के लिये पीने के पानी की बहुत समस्या आ गयी है। नैचुरल सोर्सेज में पानी बहुत है लेकिन फैक्ट्रीज द्वारा अवैध जल दोहन की वजह से उन्होंने पाइप लाइन अवैध तरीके से डाले हैं, अवैध बोरिंग करा रखे हैं, अवैध ट्यूबवैल लगा रखे हैं जिससे क्षेत्र की जनता को पीने का पानी तो नहीं मिल रहा है, जानवरों के पीने के पानी की बहुत समस्या आ रही है। आज उद्योग धंधों में वह पानी अवैध तरीके से ले जाया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि इस पर भी कार्यवाही करे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ में हमारे क्षेत्र में चूंकि उद्योग धंधे लगे हुए हैं उनमें स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने का मुद्दा हो, मैं शुरू

(श्री अविनाश)

से इस बात की पैरवी करता आया हूं स्थानीय क्षेत्र में जहां-जहां उद्योग लगे हैं वहां पर स्थानीय व्यक्तियों को उनमें रोजगार मिले लेकिन बड़े दु:ख का विषय है कि ये उद्योग धंधे उनके मालिक, उनके मैनेजमेंट हमारे स्थानीय व्यक्तियों को जैसे वे उस क्षेत्र के अपराधी रहे हों, उनको रोजगार देने के मामले में कभी उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया। जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए वेज बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी सरकार द्वारा बनाया जाता है लेकिन यह भी बड़े दु:ख का विषय है कि आज तक इन फैक्ट्रीज में वेज बोर्ड का गठन नहीं हो पाया है जिसकी वजह से मजदूरों की चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो कोशिश की जाती है कि उनके साथ में सरकार द्वारा और उस वेज बोर्ड के गठन के माध्यम से उनकी आवश्यक सुख-सुविधाओं का ख्याल रखा जाएगा, इसके अंदर भी कुछ नहीं हुआ। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि वेज बोर्ड का गठन करें जिससे मजदूरों को फायदा मिले।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में इन उद्योगों के द्वारा प्रदूषण की समस्या अत्यधिक रूप से हावी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदूषण की समस्या की वजह से किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान होता जा रहा है और जो उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है और सरकारी जमीनों पर इन लोगों ने वेस्ट मैटेरियल डालकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है। ऐसा ही मुद्दा मैं बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में अम्बूजा सीमेंट लिमिटेड का बहुत बड़ा प्लांट है और उसमें उन्होंने निजी रेलवे लाइन को अभी स्वीकृति दी है, उस निजी रेलवे लाइन को एक गांव वालों के द्वारा शिकायत की जाती है और शिकायत के ऊपर एसडीओ नापजोख का आर्डर करते हैं, तहसीलदार की टीम वहां जाती है, स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि यह जिस जगह पर रेलवे लाइन निकल रही है वह अतिक्रमण का मामला है, जिस खसरे के अंदर निकलनी चाहिये जो अलाटेड है, उस पर नहीं निकलकर पड़ौस वाले खसरे पर निकलती है। सिर्फ इसलिये कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर उस पर कब्जा हथियाने के लिये वह अतिक्रमण किया जाता है। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को लिखा, लेकिन आज दिन तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय राजस्व मंत्रीजी यहां बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जो अतिक्रमण की जद में आ रहा है उस अतिक्रमण को तुरन्त हटाया जाये और जितने भी सरकारी गोचर हैं, उसके ऊपर जिन-जिन लोगों ने अतिक्रमण किये हैं, उनको भी हटाने का आप लोग प्रयास करें।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक नियम पहले से बना रखा है कि सिवाय चक की जमीन पर जिन-जिन लोगों के कब्जे हैं उन लोगों के कब्जे का नियमन किया जाये। मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी मगरा क्षेत्र की कुछ पंचायतें थीं, जिनके बीघा, डेढ़ बीघा के जो काश्तकार हैं, जिनकी जमीन है, बीघा, डेढ़ बीघा की उनकी कृषि की जो जमीन है उसको नियमित किया जाये और जिन लोगों ने वहां पर पक्के मकान बना रखे हैं, उनको पक्के मकान बनाकर उनके पक्के मकान अलाट कर दिये जाएं ताकि उनको सभी सरकारी सुविधाओं का फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आना चाहूंगा जिला प्रशासन की एक और मांग पर। आज सर्दी का मौसम है, इस सर्दी के मौसम में जैतारण के अंदर पीने के पानी की समस्या आपको बताऊंगा, दस दिन, पन्द्रह दिन, बीस दिन में एक दिन पानी की सप्लाई होती है मुश्किल से एक घण्टे के लिये जबकि मेरे वहां 315 करोड़ रुपये की जवाई जल परियोजना स्वीकृत हो रखी है। आज जिला प्रशासन कोई ध्यान उस पर नहीं दे रहा है। वह परियोजना पिछले बारह महीने से बंद पड़ी है लेकिन सर्दी के मौसम में पानी की सप्लाई पन्द्रह दिन में होगी तो गर्मी के मौसम में इसका तकाजा आप लोग देख सकते हैं, इसकी चुनौतियों को आप स्वीकार कर सकते हैं कि गर्मी के मौसम में किस तरह के हालात बनेंगे इसलिये मेरा जिला प्रशासन के माध्यम से निवेदन है कि पानी की सुचारु व्यवस्था, सप्लाई को सुचारु रूप से किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मेरे वहां सीवरेज की परियोजना है, मैंने पहले भी मांग उठायी थी कि सीवरेज परियोजना जो 47 करोड़ की राज्य सरकार ने बहुत अच्छी बनायी थी लेकिन उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ, इसकी शिकायत भी मैंने की थी। शिकायत के ऊपर आपने जांच का भी भरोसा दिलाया लेकिन उस जांच के अंदर आपने कुछ नहीं किया और आज भी चैम्बरों के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी पासआउट नहीं हो रहा है। जो एसटीपी बनी हुई है वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा है और गंदा पानी बीच सड़क पर फैलता जा रहा है और किसानों की खातेदारी जमीन पर फैलता जा रहा है, इस पर भी आपने आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कल

(श्री अविनाश)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर मैं दु:खी हूं तो अवैध बजरी खनन को लेकर दु:खी हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन से और सरकार से कि आज पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है वह अवैध बजरी खनन के रूप में सामने आ रही है और मैं कहना चाहता हूं प्रशासन और बजरी माफिया की मिलीभगत से कल आपने बड़ी आसानी के साथ कह दिया कि पांच करोड़ रुपये प्रति माह किसको मिलते थे। मैं कहना चाहता हूं कि आज वो पैसे किसे और किस माध्यम से मिलते हैं और अगर आपने पैसे नहीं लिये होते, अगर आपके हाथ बंधे हुए नहीं होते तो अवैध बजरी खनन का मामला आज से 14 महीने पहले ही बंद हो जाता लेकिन आप भी उसके अंदर कहीं न कहीं शामिल हैं। आप उस अवैध बजरी खनन को बंद नहीं करना चाहते, उसका कारण मैं बताना चाहता हूं कि मेरे वहां पर नदियां बहुतायत में है। इस बार बारिश भी बहुत अच्छी हुई बारिश की वजह से कुओं का जल स्तर भी बहुत बढ़ा लेकिन आज जिस तरीके से बजरी माफियाओं ने ट्रकों में भरकर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अवैध बजरी खनन करके बाहर के क्षेत्रों में परिवहन किया जा रहा है, अवैध गोरखधंधा चरम पर है। आने वाले समय में अगर समय रहते इसको बंद नहीं किया गया तो पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला जाएगा और आम जन के साथ में जानवरों के पीने का पानी भी नहीं रहेगा, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे मगरा क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले मैंने आवाज भी उठायी कि वहां पर जंगली जानवर बहुत अधिक संख्या में हैं और किसान खेती करते हैं, अपनी फसलों की रक्षा के लिये जाते हैं, फसल कटाई के लिये जाते हैं लेकिन जंगली जानवर इतनी बहुतायत में वहां पर हैं कि वह आये दिन रात को, दिन को हमला कर देते हैं। अभी तीन दिन-चार केसेज ऐसे हुए, मैंने सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया, लेकिन यह सरकार कुम्भकर्णी नींद में सो रही है और आज दिन तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और न उन मरीजों को मुआवजा मिला है न उस पर कोई कार्यवाही हुई है तो इस पर कार्यवाही करने की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में अभी लेटेस्ट की बात बता रहा हूं कि पुलिस प्रशासन अपराध रोकने की दृष्टि से बिलकुल निष्क्रिय है, नींद में सो रहा है। कल रात को सात जगह पर ताले टूटे। कल दिन में तीन ताले टूटे। जो महिलाएं हैं, उनकी कंठियां लूटी जा रही

(श्री अविनाश)

हैं। प्रशासन नींद में सो रहा है। एक ही दिन में, एक ही रात में लगभग दो दर्जन से अधिक जगहों पर चोरी हो जाती है। पिछले तीन-चार महीने से यह सिलसिला निरंतर चल रहा है, लेकिन आज तक प्रशासन एक भी चोरी की गुत्थी खोलने में नाकाम रहा है। यह आपकी प्रशासनिक असफलता नहीं तो और क्या है? प्रशासन इस पर पूर्ण रूप से कार्यवाही करे। अभी अघोषित बिजली कटौती से विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं, महिलाएं शाम को चूल्हा-चौका करती हैं और किसान इस समय रात को फसल पिलायी का काम भी करते हैं। अघोषित और असामयिक बिजली कटौती से उन्हें बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): शादियों का सीजन भी है। जितने भी लोग हैं, उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। समय पर बिजली नहीं मिलती है तो विद्यार्थियों को पढ़ने में परेशानी होती है, और भी बहुत समस्याएं हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): दो मिनट में खतम कर रहा हूं। एक और विशेष निवेदन। जो मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति का मामला है, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि ऐसे मामले बहुत समय तक लम्बित रहते हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है। उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जल्दी से जल्दी नियुक्ति देने का काम करें।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): सिर्फ आधा मिनट में खतम करूंगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप बीपीएल सर्वे कराकर बीपीएल परिवारों को लाभ प्रदान करें। ग्रामीण बस परिवहन सेवा जो कि जिला प्रशासन का काम है, उसे भी शुरू करें। एक और निवेदन करना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने सरकार से निवेदन किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तात्कालिक ईओ को एक भ्रष्टाचार के मामले में डीएलबी की जांच टीम ने दोषी ठहराया, लेकिन उसे 17 सीसीए का नोटिस देकर इतिश्री कर ली गयी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप 17 सीसीए का नोटिस देने के बाद उसे निलम्बित करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। विराजें आप। माननीय सदस्य, विराजें। श्री गणेश घोघरा।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, एक अंतिम बात कहकर अपनी बात को खतम करूंगा कि अभी राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा और शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति के जो आदेश हैं, उन पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के साथ पूरे पाली जिले में देखें, जिला शिक्षा अधिकारी स्थानीय सीबीओ के द्वारा अपनी मनमर्जी से...

श्री सभापति: आप मंत्री जी को लिखकर दे दें यह। कृपया समाप्त करें अब। अंकित नहीं होगा। आप विराजें अब। अंकित नहीं होगा। श्री गणेश घोघरा।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं प्रशासनिक सेवा में पूरे टीएसपी की बात करूंगा। आप भी वागड़ से आते हैं, टीएसपी के लोगों की लम्बे समय से मांग है कि प्रशासनिक सेवा में राज्य में साढ़े बारह में से साढ़े पांच या छह प्रतिशत आरक्षण टीएसपी को पृथक से दिया जाए। इसके लिए कई बार धरने-प्रदर्शन भी किये गये।

(16.33 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

आंदोलन भी किये गये और कई बार राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया। सीएम साहब को भी ज्ञापन दिया गया। हमारे पूरे टीएसपी क्षेत्र के लोगों की एक ही मांग है कि हमें प्रशासनिक सेवा में 5.5 पृथक से आरक्षण दिया जाए।

दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारे वहां पर कलेक्टर आते हैं, एसडीओ आते हैं, लेकिन वे दूरी के कारण वहां कुछ समय के लिए रहते हैं और ट्रांसफर करके चले जाते हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे वहां पर लोकल लोग लगाये जाएं तो वे वहां पर रहेंगे, हमारे वहां आदिवासियों का विकास हो सकेगा और जो भी सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ आम गरीब को मिल सकेगा।

सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले में 14 थाने हैं, लेकिन वहां पर मात्र एक एसटी का थानेदार लगाया गया है। यह हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी से

(श्री गणेश घोघरा)

निवेदन करना चाहता हूं कि 14 थानों में से कम से कम एससी-एसटी के 8 थानेदार लगने चाहिए। यह मेरी मांग है सरकार से। हमारे वहां पर आदिवासी लोग जंगलों, पहाड़ों में रहते हैं, छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं और सात-सात, आठ-आठ पीढ़ियां हो गयीं, बरसों से रहते हैं। उस जमीन पर आज तक उनके पास कोई पट्टा नहीं है, कोई खातेदारी हक नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि टीएसपी क्षेत्र में आदिवासियों के लिए हर पंचायत में विशेष शिविर लगाये जाएं और उन्हें खातेदारी हक दिलाये जाएं। यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

मैं डूंगरपुर नगर परिषद् की बात करूंगा। कल भी मैंने बजट भाषण में कहा था और आज भी बोलूंगा कि डूंगरपुर नगर परिषद् पूरे राज्य और देश में स्वच्छता के नाम पर ढोल पीट रही है और नाम कमा रही है लेकिन वह नाम गरीबों के झोंपड़े गिराकर और उनकी जमीनें हड़पकर कमा रही है। आज जो सभापति जी बैठे हुए हैं, शूरपुर के पास आदिवासियों की जमीन है, वहां पर बरसों से मकान बने हुए हैं, गेहूं की फसल उगी हुई है इन सभापति महोदय जी ने बीजेपी के कार्यालय के लिए उस जमीन का आबंटन कर दिया है। मैं चाहता हूं, नगर परिषद् ने जिस गांव में, जिस पंचायत में बिना पंचायत की एनओसी से भूमि अधिग्रहित कर ली है, उस भूमि को वापस गरीबों को दिलाया जाए, आदिवासियों को दिलाया जाए। नगर परिषद् की जो भूमि है, उसे निरस्त कराया जाए। मैं यह सरकार से मांग करता हूं।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, आपने कब दिला दी जमीन?

श्री सभापति: बैठिए, विराजिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): आदिवासी बस्ती बिखरी हुई बस्ती है। सभापति महोदय जी, एक मकान इस पहाड़ी पर है, दूसरा मकान उस पहाड़ी पर है। मैं चाहता हूं कि सरकारी योजनाओं का उन्हें तब फायदा मिलेगा, जब उन्हें मकान का पट्टा मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है, वनाधिकार के लिए कई बरसों से बैठे हुए हैं। मालमाथा, कालापानी, खजूरी, डेंडली, मेवाड़ा, कई वनाधिकार के लिए आदिवासी बैठे हुए हैं। आज तक वे पट्टे का इंतजार कर रहे हैं। कई पटवारी, कई तहसीलदार आये, आपको खातेदारी हक दिलाएंगे, यों करके उन्होंने पैसे भी ले लिए, पर आज तक उन्हें खातेदारी हक नहीं मिला। मेरा सरकार से निवेदन है कि इन आदिवासियों के लिए कुछ योजना बनायी

(श्री गणेश घोघरा)

जाए और इन्हें हक और अधिकार दिलाये जाएं।

सभापति महोदय, इसी के साथ पेंशन के बारे में बात करूंगा। हमारे टीएसपी एरिया में जो ई-मित्र चला रहे हैं, ई-मित्र के माध्यम से आदिवासी गरीब, अनपढ़ के साथ जो शोषण हो रहा है, उसका मैं विरोध करता हूं। वह अनपढ़ जाता है। उसका अंगूठा लगाते हैं और फिर कहते हैं कि आपके पैसे नहीं आये। दूसरी बार और लगाते हैं। दो बार पैसे निकाल लिये जाते हैं। उसे पांच सौ रुपये दिये जाते हैं, पाँच सौ रुपये ई-मित्र वाला अपनी जेब में रख ले जाता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे ईमित्र वालों का लाइसेंस निरस्त करें। इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

आज जो सरकारी कर्मचारी बार्डर पर हैं, जो दिन-रात मेहनत करते हैं, उन्हें एक आस है कि हमें पेंशन मिलेगी। आज जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की गयी है, यह उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पुरानी पेंशन इन्हें दी जाए तो बुढ़ापे में इनके बच्चे इन्हें देखेंगे। अगर पेंशन ही नहीं मिलेगी तो इनके बच्चे इनकी सेवा नहीं करेंगे। आपसे निवेदन है कि पुरानी पेंशन इनके लिए लागू की जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर बोलने का मौका दिया। जिला प्रशासन, प्रशासनिक सेवाएं, राजस्व, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्त लाभ। प्रशासन की जहां बात आती है, क्योंकि कोई भी नीति जब निर्धारित होती है, जब सरकार की नीति बनती है तो वह इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से उसे जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अगर नीति और नियम बनाएं और उसमें परिवर्तन करें वक्त के हिसाब से कि आज वक्त क्या है तो ये स्थितियां नहीं आएंगी। जैसे आरपीएससी की जितनी भी भर्तियां होती हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आरपीएससी और एसएससी के जरिये जो भी परीक्षाएं होती हैं कोई-सी भी ग्रेड की, फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड, इसमें क्या होता है कि जब किसी का सलेक्शन दो-दो जगह हो जाता है तो वह उसे छोड़ देता है, जिससे वह पद वापस से रिक्त का

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

रिक्त ही रह जाता है। इसलिए कृपया इसमें वेटिंग लिस्ट रखनी चाहिए जिससे कि दूसरे युवा जो पीछे नीचे रह गये हैं उनका भी नम्बर आ जाए तथा जगह भी खाली नहीं रहे।

सभापति महोदय, चाहे प्रेरक हो, चाहे लैब असिस्टेंट हों, चाहे संविदाकर्मी हों, चाहे अन्य कैटेगरीज के हों, ये आये दिन धरना-प्रदर्शन करते हैं तो क्यों नहीं इनकी मांगों को बैठकर या संविदाकर्मी हों तो उन्हें किस तरह से परमानेंट किया जाए तो कोई नीति सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए। सभापति महोदय, प्रशासन का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि पिछली सरकार में एक टीचर के पति को कैंसर हो गया, उसके स्थानान्तरण के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाई और सदन में उठाया तब तो उसका स्थानान्तरण हुआ और उसके बाद में वहां के जो बीईईओ और डीईईओ के पास कागज बनवाने गई तो उससे पूछा कि आप विधवा हैं, उसका क्या सबूत है। उसने कहा कि मैंने मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए तो सभापति महोदय, इस तरीके की जो हरकत है वह नहीं हो। प्रशासन इस तरह की हरकतें नहीं करे। मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं तो वे इनकी मीटिंग लें कि इस तरीके की हरकत नहीं हो और कम से कम अब तो उसके कागज बनवाकर उसको राहत प्रदान करने का काम करें कि अब अपना राज आ गया है क्योंकि मंत्री जी से कहा तो मंत्री जी ने कहा कि मैंने कह दिया पर वह मान ही नहीं रहा है। इस तरीके से नहीं हो और अब उसके कागज बनवा दिये जाने चाहिए जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाए।

हमारे अलवर जिले में मिनी सचिवालय स्वीकृत हुआ था, वह पांच मंजिल का हुआ। पिछली सरकार ने उसकी मंजिल घटा दी लेकिन पूरे पांच साल में आज तक उस मिनी सचिवालय का कार्य पूरा नहीं हुआ है। सभापति महोदय, इस तरीके की प्रतिद्वंद्विता रखते हुए पिछली सरकार ने उसको पूरा नहीं किया इसलिए अब उसकी जांच करवाकर उसको कमप्लीट करवाने का कष्ट करें।

पेंशन के लिए एक यहीं का सरकारी कर्मचारी, सदन का भी मैटर था, मैंने 131 में उठाया था तो उसके बाद ही उसकी पेंशन की प्रक्रिया हुई। चाहे बाद में मिलने वाली हो, सेवानिवृत्ति होने के बाद जब उसको परिलाभ दिये जाते हैं या किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन के लिए

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

परिजनों को जो चक्कर काटने पड़ते हैं इसके लिए उसके डिपार्टमेंट का कोई एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाना चाहिए कि एक या दो महीने में वह पूरी कार्यवाही करके उसका निस्तारण कर सके जिससे कि आमजन की समस्या का समाधान हो सके। परिवहन विभाग में इतनी पेंशंस पैण्डिंग हैं कि आये दिन लोग आकर मिलते हैं इसलिए इनका भी समाधान होना चाहिए।

पुरानी पेंशन योजना कार्मिक विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों के लिए लागू होनी चाहिए। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पेंशनर्स को दवा लेने के लिए उन बुजुर्ग आदमियों को इधर-उधर परेशान नहीं होना पड़े।

सभापति महोदय, पेंशन के लिए गांवों में, ग्राम पंचायत में, पंचायत समिति में भी आये दिन बुजुर्ग लेकर घूमते रहते हैं कि हमारी बन्द हो गई, हमारी चालू हो गई तो क्यों नहीं ग्राम सेवक को या पटवारी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए और जिम्मेदारी तय होगी तभी किसी समस्या का समाधान होगा, नहीं तो वह व्यक्ति चक्कर पर चक्कर काटता रहेगा। एक कैटेगरी तय करें कि जिनके माता-पिता नहीं हैं उन बच्चों की पेंशन हो और पेंशन के साथ-साथ उस ग्राम पंचायत के राशन डीलर को पाबन्द किया जाए कि उसको वह राशन का सामान प्रत्येक महीने घर पर ही पहुंचाये क्योंकि उनके और कोई सहारा नहीं होता है इसलिए इस तरीके का प्रोविजन होना चाहिए।

सभापति महोदय, बानसूर विधान सभा क्षेत्र और प्रदेश में भी इतने दिनों से गांवों का आबादी विस्तार नहीं हुआ और आबादी विस्तार नहीं होने के कारण गांवों के विकास पर रोक लगी हुई है। इसलिए गांवों की आबादी विस्तार में यदि किसी में परिवर्तन करना हो तो अब परिवर्तन करने का वक्त इतने दिनों से आ गया है। पिछली सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया था कि आने वाले 40-50 वर्ष बाद यहां पर शिक्षा का हब होगा, यहां गार्डन बनेगा, इस योजना के तहत गांव का आदमी अगर अपने खेत का अपने नाम पट्टा लेने आता है तो उसे कहते हैं कि आपका खेत तो आज से 40 साल बाद एक बड़ा ग्रीन बैल्ट बनेगा या शिक्षा का हब बनेगा। बिना सोचे-समझे आफिसर्स ने यहां आफिसेज में बैठकर नक्शे तय कर दिये। उसके लिए हमने आवाज भी उठाई और एक-एक आदमी को छह-छह महीने, साल-साल भर एक पट्टे के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं इसलिए इसकी जांच करवाई जाए।

सभापति महोदय, गांवों में सबसे बड़ी समस्या एक और है कि

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

प्राचीनकाल से, सैकड़ों वर्षों से स्कूल बने हुए हैं, अस्पताल बने हुए हैं, श्मशान बने हुए हैं, गौशालाएं बनी हुई हैं और रास्ते बने हुए हैं। सभापति महोदय, उन बने हुए रास्तों में, श्मशान घाट, स्कूल, कालेज जो भी पुराने काल से, सैकड़ों वर्षों से बने हुए हैं वह भूमि किसी भी किस्म की हो, अब श्मशान को उठाकर आप गांव में तो ले जा नहीं सकते या किसी के खेत में भी नहीं रख सकते। इसलिए वह किसी भी किस्म की हो, चाहे वह वन क्षेत्र हो, अब्दुल रहमान हो, कस्टोडियन हो, नदी-नाले हो, सिवाय चक हो, पहाड़ हो, तालाब हो, किसी भी क्वालिटी की हो, उनका पट्टा मिलना चाहिए। सभापति महोदय, गांवों में यह सबसे बड़ी समस्या है इस तरीके के श्मशान का भी विकास नहीं हो सकता, वहां कोई पैसा नहीं लगा सकता इसलिए उनको पट्टा देने का कष्ट करें। एक कोई नई नीति, नियम बनाएं जिससे कि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके, रजिस्ट्री हो जाए, पट्टा मिल जाए। ऐसी गौशालाएं भी हैं, नीमूचाना है, हरसौरा है, कुड़ी गौशाला है, बड़ा गांव है, इनमें गौशालाएं हैं जिनमें 500 से 1000 तक गायें हैं। इसलिए कृपा करके ऐसी कोई नीति निर्धारित करें जिससे कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, इनको पट्टा मिल जाए तो इनका विकास हो सकेगा। पिछली सरकार के ढर्रे पर नहीं चलें कि चलते रहो, चलते रहो और काम के नाम पर जीरो।

सभापति महोदय, ये जब उत्तर देते थे तो उसमें दो लाइन होती थी, 'जी नहीं, संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य स्वीकृत किए जाएंगे।' 'जी नहीं, गुण और अवगुण के आधार पर इस पर विचार किया जाएगा।' सभापति महोदय, पूरे पांच वर्ष में एक भी प्रश्न के उत्तर में यह नहीं दिया कि 2013 से 2018 के बीच में हमने ये कार्य किये। या तो दो अक्षर का देते या फिर बीस किलो का देते और बोरी भरकर वह उत्तर जाता और आज यह कहते हैं कि आपने क्या किया, एक साल में क्या किया, छह महीने में क्या किया। इनसे पूछा जाए कि आपने क्या किया? पूरे पांच साल सारी नीतियों को तहस-नहस कर दिया। जो परिवार जमीन पर रह रहे हैं और खेती करते हैं, कई बार गांव वालों में आपस में जब फूट हो जाती है तो वे केस कर देते हैं और परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं तो जो किसान 100-150 वर्षों से जहां रह रहा है, खेती कर रहा है, वहां उसका मकान है तो सर्वे लगाकर, कैम्प लगाकर उसको भी पट्टा देने की कृपा करें। गैर खातेदारों के लिए खातेदारी के कैम्प लगाने का कष्ट करें।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सभापति महोदय, मेरे वहां एक रायली गांव है, ग्राम पंचायत भग्गु का बास है और उसके स्कूल की पूरी जमीन मुण्डावर तहसील में है। ऐसे जो गांव हैं उनमें न तो एमएलए लैड का पैसा लग पाता है, न सरकारी पैसा लग पाता है और स्कूल बड़े सैकण्डरी तक हैं, खेल का मैदान भी है पर पट्टा नहीं है। उनके लिए कैम्प लगाकर या सतर्कता समिति की मीटिंग में ऐसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके इसलिए उनका निर्धारण होना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात और है। शहीद जगदीश की पत्नी सरोज है और उसको जमीन आबंटित हुई। अब वह जमीन आबंटित हुई तो फोरेस्ट विभाग यह कह रहा है कि यह जमीन हमारी है और अगर आपको अलाट की जाती है तो इसमें दस लाख रुपये के पौधे हैं, आप दस लाख रुपये का पेमेंट करो तब उसको वह जमीन दी जाएगी। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि आप एसडीएम, तहसीलदार को फोन करके यह कहें जिससे उस शहीद की पत्नी को वह जमीन मिल सके। वह आफिसों के चक्कर पर चक्कर नहीं काटे, ऐसी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जितने शहीद हुए हैं उनकी जमीन जो स्मारक के नाम से है उनको भी शहीद के नाम से पट्टे मिले और स्कूलों का नामकरण शहीदों के नाम से हो। बानसूर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को राजस्व गांव बनाने के लिए जिला स्तर पर कैम्प लगाकर राजस्व गांव बनाया जाए जिससे कि गांवों का विकास हो सके, पटवार घर जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उनकी मरम्मत के लिए, जमीनों के नक्शे, गलतियों में सुधार, निस्तारण करना, जो सैटलमेंट में।

सभापति महोदय, यह सबसे बड़ी समस्या है गांव के आदमी की कि सैटलमेंट में एक दूसरे के नाम खेतों की जमीन चढ़ गई और अब उसको सही कराने के लिए दुरुस्ती के लिए जब केस करते हैं तो इतना समय लग जाता है कि वह आदमी चक्कर काटता रहता है, पैसे की बर्बादी होती है। क्यों नहीं हमारी सरकार सैटलमेंट में एक दूसरे के नाम चढ़ गई, भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए, जिससे की किसान चक्कर नहीं काटे, कैम्प लगाकर नामांतरण सही हो जाए और उनके नक्शे और पट्टे सही मिल जाएं। किसकी जमीन कहां पर है, किस किस्म की है, उनका निराकरण हो सके।

बानसूर विधान सभा क्षेत्र में राजस्व विभाग की तरफ से मेरा अनुरोध है मंत्री महोदय से कि कृपा करके सरिस्का वन क्षेत्र की जमीन उधर और कितनी हमारे बानसूर की है, कितनी सिवाय चक है, इसका सीमांकन हो जाए

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

क्योंकि, वहां कम से कम सैकड़ों गांव हैं, पचास बड़े गांव हैं, जिनको मैं गिनवाऊं तो बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं हाजीपुर है, हमीरपुर है, रामपुर हैं, रतनपुरा, बालावास, सबलपुरा, काली पहाड़ी, इधर गढ़ी, खरखड़ी, छीन, लेकड़ी, बामणवास, कांकड़, मुण्डावरा, बहु त सारी पंचायतें मेरी ऐसी हैं जहां पर फोरेस्ट विभाग काम ही नहीं करने देता तो उनका सीमांकन हो जाए जिससे कि गांव वालों की समस्या का समाधान हो सके। रजिस्ट्री और इंतकाल लगभग 6 महीने से नहीं हो पा रहे हैं। किसानों को नो ड्यूज नहीं मिल रहा है जिससे उनको क्रेडिट कार्ड का लोन लेने में परेशानी हो रही है। इसका भी जल्दी से जल्दी समाधान करने का कष्ट करें। प्रत्येक पंचायत स्तर पर या तहसील स्तर पर एक कैम्प लगाया जाए। मेरी पांच-सात पंचायत कस्टोडियन भूमि की है, जिससे कि उनको पट्टे मिल सके और खातेदारी मिल सके, कई दिनों से यह लंबित मांग चली आ रही है जिसमें यह भी रखा गया था कि इनको कैम्प लगाकर के कस्टोडियन भूमि की खातेदारी किसान को दी जाएगी और ऐसे लंबित जो केस हैं, उनको खातेदारी दिलवाने का मंत्री महोदय कष्ट करें। ऐसे कैम्प लगाये जाएं, ऐसे कैम्प अगर 6 महीने में भी एक-एक लग जाएंगे तो गांव वालों की समस्या, किसान की समस्या, गरीब की समस्या दूर हो जाएगी।

एक मुख्य मंत्री राहत कोष के जितने भी केसेज हैं, चाहे अग्निकाण्ड के हैं, दुर्घटना के हैं, तो ऐसे जो केस हैं, उनमें जल्दी से जल्दी भुगतान होना चाहिए।

सभापति महोदय, मांग के लिए बानसूर में एसीएम का पद कई दिनों से रिक्त है, उसे भरने की कृपा करें। नारायणपुर में तहसीलदार लगाना है, पटवारी, ग्राम सेवक के कई पद रिक्त हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): दो मिनट। उनमें डे फिक्स करवा दें आप, कोई दिक्कत नहीं रिक्त रहे लेकिन, उनके डे फिक्स हो जाएं कि तीन दिन आप इस पंचायत में बैठेंगे या दो दिन इस पंचायत में तो बच्चों को उनके पीछे-पीछे नहीं भागना पड़े, तीन-तीन दिन लग जाते हैं, जिनकी नौकरी लग जाती है, उनको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने में चक्कर काटने पड़ते हैं। उनके डे फिक्स हो जाएं कि इस पंचायत में आप इतने दिन बैठेंगे।

नारायणपुर तहसील, जो उप तहसील भी हमारी सरकार ने बनाई, तहसील भी बनाई, उपखण्ड खोलने का मेरा अनुरोध है। बानसूर तहसील है,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

वह थोड़ी जर्जर अवस्था की है, कस्बे के अन्दर है, बहुत एरिया बाजार का है तो इसलिए बाहर जमीन भी स्वीकृत कर दी।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उसके लिए आपको धन्यवाद है। वहां पर तहसील भवन बनाया जाए। एसडीएम और तहसीलदार आवास बनाये जाएं। सभापति महोदय, दो मिनट, एसडीएम और तहसीलदार आवास वहां बन जाएंगे, तो आफिसर्स के बाहर हमको दूसरी जगह चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद और जहां जिले बनाने की बात आ रही है। सभापति महोदय, भिवाड़ी नहीं बने, मंत्री महोदय वह तो सीमा राजस्थान की पूरी पार करके हो जाएगा। अगर नहीं बने, तो हमारी बानसूर को ही बना देना। धन्यवाद साहब।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया गया।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, कई लोगों को बाहर जाना है, तो 8 बजे तक पूरा करवा ही दें।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

अनुदान की मांग पर विचार

मांग संख्या 4, 8, 5 व 15 पर विचार

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 4, 5, 8, 15 पर चर्चा चल रही है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी को, राजस्व मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं पिछले बीस साल से देख रहा हूं। उपखण्ड स्तर पर एसडीएम कार्यालय पर सरकारी अध्यापकों की

(श्री बाबूलाल नागर)

व्यवस्था से काम चलता था और बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह कनिष्ठ सहायक और सूचना सहायक का पद सृजित किया है, निश्चित रूप से इसका लाभ गरीबों को और आम जनता को मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 2017 से पहले, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, अन्य पार्टी की सरकार रही, उस जमाने में प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग पूरे राज्य में पांच वर्ष में दो तीन बार शिविर लगते थे, कैम्प लगाये जाते थे। जो लोग सिवायचक जमीनों में बस जाते थे, उन लोगों की जमीनों को नियमन करके, आबादी की जाती थी, 200 रुपये में नि:शुल्क पट्टा दिया जाता था और वे लोग स्थाई रूप से अपना मकान बनाकर रह रहे थे।

सभापति महोदय, 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। उस समय राजस्व विभाग के अधिकारियों ने अपने मनमर्जी तरीके से दो परिपत्र निकाले। एक 07 सितम्बर, 2017 और एक 30 नवम्बर, 2017, सभापति महोदय, इन पत्रों में यह आदेश जारी कर दिया कि जो जमीन सिवायचक से आबादी की है, उसका जो पट्टा है, डीएलसी दर पर दिया जाएगा। विभाग आज तक इस बात की समीक्षा नहीं कर पा रहा है कि राजस्थान में इन तीन वर्षों में कितनी जमीन सिवायचक से आबादी हुई, कितने लोगों ने पट्टा लिया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर पूरे राजस्थान का भी सर्वे कराया जाए तो एक्सेप्शनल कोई दो-चार लोगों ने डीएलसी दर पर पट्टा लिया है, नहीं तो तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच लाख रुपये आम गरीब आदमी, आम गांव में रहने वाला व्यक्ति उसको पट्टा नहीं मिला और सरकार का भी नुकसान हो गया। सरकार को भी राजस्व नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि राजस्व विभाग का जो 2017 का परिपत्र है, उसको संशोधित करना चाहिए।

सभापति महोदय, इसी तरह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चरागाह भूमि पर वर्षों से जो काबिज थे। एक निश्चित डेट तय करके, वर्ष तय करके, उनकी जमीन आबादी में कन्वर्ट होती थी, तीस-तीस, चालीस-चालीस साल से लोग रह रहे थे। अचानक 2011 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया, जगमाल सिंह बनाम पंजाब सरकार और उस आदेश में मेंशन किया कि चरागाह पर व्यक्तिगत उपयोग पर पाबंदी लगाई गयी है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा अगर किसी गरीब को जो वर्षों से पचास-पचास, साठ-

(श्री बाबूलाल नागर)

साठ साल से चरागाह में रह रहा है, बेटे हो गये, पोते हो गये, वहां से हट नहीं सकता, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसमें अगर आबादी परिवर्तन का मामला, यह कोई व्यक्तिगत उपयोग नहीं है, ये अधिकारी लोग भ्रमित करते हैं। सभापति महोदय, प्रोविजन दिया है राजस्व विभाग द्वारा कि चरागाह के बदले में सिवायचक जमीन दे देते हैं, चरागाह की क्षतिपूर्ति कर देते हैं तो वह जमीन आबादी में कन्वर्ट हो जाती है लेकिन अधिकारी लोग उस गेंद को इधर उधर फेंकते रहते हैं और सिवायचक वहां होने के बावजूद भी प्रस्ताव आने के बाद भी वह आबादी नहीं होती है। इसी तरह कई लोग बस रहे हैं। उन्होंने ऐसी पत्रावलियां राजस्व विभाग में भेजी हैं, मंत्री जी पधार गये हैं। ऐसी पत्रावलियां भेजी हैं, जो अपनी कृषि भूमि के बदले, अपनी कृषि भूमि उतनी देना चाह रहे हैं, हम यहां पचास साल से रह रहे हैं, साठ साल से रह रहे हैं, जितनी जमीन पर हम यहां रह रहे हैं

(17.00 बजे)

उतनी हमारी कृषि भूमि आपको दे रहे हैं लेकिन वो पत्रावलियां भी पैंडिंग हो रही हैं, वह लोग बेघर होते जा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा, आपका जो सीमाज्ञान कराता है, जब मई जून में खेत खाली होता है, उस समय जरीब डालकर सीमाज्ञान करते हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा वह किसान जिसको जमीन का सीमाज्ञान कराना है, 10 महीने तक मई जून का इंतजार करता रहता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा ईटीएस मशीन से सीमाज्ञान कराने के निर्देश दें जिसमें जमीन खाली होने की आवश्यकता नहीं पड़े तो किसान को जब जरूरत पड़ जाए। ईटीएस का अगर आदेश करते हैं तो तत्काल उस जमीन का सीमाज्ञान भी हो जाए।

सभापति महोदय, इसी तरह सरकार को चरागाह का विकास का अभियान चलाना चाहिये। नरेगा में भी सरकार द्वारा मेड़ बंदी वगैरह दी जाती है। वृक्षारोपण कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिये। जिस तरह से जेडीए में पुलिसकर्मी होते हैं उसी तरह चरागाह पर कोई भी अतिक्रमण करता है, इसी तरह कलेक्टर के पास भी 30-30, 40-40 पुलिसकर्मी हर जिले में सरकार को देने चाहिये, जिले में जहां भी अतिक्रमण हो, जब भी कोई शिकायत आती है, फैसला भी हो जाता है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए लेकिन कहीं पुलिस नहीं मिलती है और इस वजह से वह अतिक्रमण होता ही रहता है।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा हजारों लाखों रैफरेंस आपके राजस्व में चल रहे हैं। मौके पर न कभी, 100 साल पहले नदी नाला रहा था, मौके पर न कभी आवक रही थी और उस भू-प्रबंधक विभाग द्वारा बिना मौके पर गये ही, बिना मौका देखे हुए ही उसको जल प्रवाह क्षेत्र, नदी नाला दर्ज कर दिया और अब उसकी खातेदारी में नदी नाला बोल रहा है और वह चिल्ला रहा है, मुकदमे कर रहा है, आगे प्रकरण दर्ज करवा रहा है। मैं चाहूंगा मंत्री जी, आप तो किसान नेता हो, किसानों का भला सोचते हो, करते हो, आपको पूरे राजस्थान में सर्वे करवाना चाहिये जहां 100-150 साल पहले भी कभी नदी नाला नहीं रहा और जमाबंदी की प्रविष्टि में नदी नाला दर्ज है। आप अब्दुल रहमान प्रकरण की चर्चा कर देते हैं, उससे प्रभावित बता देते हैं और नदी नाले की प्रविष्टि उससे हटती नहीं है जबकि नदी नाला बहुत सी जगह है, मेरे क्षेत्र में भी कई ऐसी जगह हैं, मैं तो वहां 20-25 साल से ही हूं, जो 80-80 ,100-100 साल के लोग हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि कभी यहां नदी नाला था क्या, इसमें यह नदी नाला दर्ज है, यहां कभी आवक थी क्या, कहते हैं कि जब से हम पैदा हुए हैं हमने तो कभी देखा ही नहीं है, फिर आपका कौनसा सैटलमेंट हो गया जिसमें नदी नाले दर्ज कर दिये।

इसी तरह से, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा आपने ऑनलाइन रजिस्ट्री साफ्टवेयर डवलप किया है। आप राजस्थान में तहसीलों को ऑनलाइन करने का काम कर रहे हैं फिर इसके बाद जब नामांतरण खोलते हैं तो वह किसान पटवारियों के चक्कर लगाता रहता है। पंचायतों में चक्कर लगाता रहता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसको नामांतरण का इंतजार ही नहीं करना पड़े, नामांतरण में जो भ्रष्टाचार होता है, वह भ्रष्टाचार ही नहीं हो। आपका जो रजिस्ट्री साफ्टवेयर है, उसी को आप नामांतरण साफ्टवेयर बनाकर ऑनलाइन कर दें तो जैसे ही रजिस्ट्री होती है तो तत्काल उस साफ्टवेयर में कन्वर्ट होकर आपका नामांतरण खुल जाए। इससे मैं समझता हूं कि उस किसान को भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिलेगी, उस किसान को दर-दर भटकने से भी मुक्ति मिलेगी।

सभापति महोदय, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी में अवैध कब्जे को मुक्त करने के संबंध में समय सीमा 90 दिन का प्रावधान है। प्रकरण दर्ज होता है, न्यायालय में चलता है, लंबे समय तक चलता है लेकिन उसमें अधिकतर गरीब लोग, दलित समाज के लोगों की जमीनों पर

(श्री बाबूलाल नागर)

कब्जा होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह 183 (बी) है, इसमें आवश्यक रूप से ऐसे प्रोविजन किये जाएं कि जब आपका राजस्व अधिकारी कोई फैसला करे, चाहे आपका आरएए फैसला करे, पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराने का उसमें प्रोविजन होना चाहिये। 183 (बी) में जब अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी होता है तो पुलिस जाब्ता का भी उसमें आदेश आ जाता है तो उसको इधर उधर डोलना नहीं पड़ेगा।

सभापति महोदय, अनुसूचित जनजाति की जमीनों पर जिन प्रभावशाली लोगों ने रास्ता रोक लिया है, मेरा निवेदन है पूरे राज्य में आपको अभियान चलाना चाहिये, जमीन उनकी है, हजारों साल से वे लोग वहां हैं और उस जमीन पर कब्जा किसी और का होता है, कई बार वह जा नहीं पाते हैं, रास्ता कटा हुआ नहीं है, सभापति महोदय, आपको अभियान चलाकर उनको कब्जा दिलाना चाहिये।

सभापति महोदय, मेरे यहां दूदू में जिला स्तर के जितने भी दफ्तर थे, इन 22 सालों का मेरा तजुर्बा है, उपखण्ड स्तर से ऊपर जो दफ्तर हैं, करीब-करीब सब दूदू में खुल गये हैं केवल राजस्व का एडीएम कार्यालय बचा है, वर्ना एडिशनल एसपी भी है, जिला परिवहन कार्यालय भी है, चूंकि वह हाईवे पर है, तीन संभाग का मामला है, वहां आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए मुख्य मंत्री जी ने एक ब्लड बैंक भी दे दिया है, सारे ही विभागों के एक्सईएन भी वहां दे दिये हैं, केवल एडीएम कार्यालय वहां नहीं है। मंत्री महोदय, मैं निवेदन करूंगा जब पिछला बजट पेश हुआ था, मैंने ही नहीं बहुत से लोगों ने समर्थन किया था, पीड़ा थी कि राजस्थान के तीन संभाग के लोग अजमेर-दूदू हाईवे से होकर आते हैं, हमारे वहां कालेज का तो आबंटन हो गया लेकिन जिला अस्पताल और ब्लड बैंक का था, कितने ही लोगों की मृत्यु हो जाती है, कोई छोटा-मोटा भू-माफिया टाइप का प्रापर्टी डीलर जो कालोनी काटता है और उसने किसी को थोड़ा सा प्रतिफल दे दिया और झूठा अड़ंगा लगाकर पहले उसने यह आफर दिया, हमारे कलेक्टर को भी आफर दिया, हमारे सीएमएचओ को भी दिया कि मैं यहां भवन बनवा देता हूं, 20-30 लाख खर्च कर देता हूं, आप यहां उप जिला अस्पताल बना लीजिए।

श्री सभापति: समाप्त करें आप।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि एक

(श्री बाबूलाल नागर)

वह हमारा पैंडिंग है। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, खाद्य सुरक्षा में आपको पता है अधिकतर जमीनें पैरेंट्स के नाम होती हैं। इसमें आपने दो हैक्टेयर का प्रोविजन कर रखा है। जितनी उसके बाप-दादाओं की जमीन है और वह उन बेटे-बेटियों के नाम नहीं है लेकिन नोशनल शेयर में वह अधिकारी हैं। वह लोग उस जमीन को बेच नहीं सकते हैं जब तक उसकी सहमति नहीं होती है। आपकी जो खाद्य सुरक्षा की रिपोर्ट है, वह आपको राज्य में जारी करनी चाहिये कि नोशनल शेयर के अनुसार जितना उसका हक बनता है उसके अनुसार करे।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बैकलाग बहुत बड़ी समस्या है। मुझे कहते हुए खुशी है 24.02.2020 हमारे कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने एक आदेश निकाला है। सभापति महोदय, मैं केवल इसको पढ़ना चाहता हूं। मैं यह चाहता हूं कि यह रिकार्ड पर रहे। उन्होंने आदेश निकाला है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये आरक्षित बैकलाग रिक्तियों को भरने के संबंध में। सभापति महोदय, कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश प 15(24)/कार्मिक/क-2/75 दिनांक 09.10.2000 एवं समसंख्यक परिपत्र आदेश दिनांक 14.12.2000 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देश प्रदान किये गये थे कि अनुसूचित जाति, जनजाति दोनों के लिये सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में बैकलाग रिक्तियों को एक अलग तथा विशिष्ट समूह के रूप में माना जाएगा तथा इन्हें जिस वर्ष में भरा जा रहा है, उस वर्ष में होने वाली कुल रिक्तियों के आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा।

इसी क्रम में अनुसूचित जाति, जनजाति के पदों को भरने तथा बैकलाग रिक्तियों की सही प्रकार से गणना करने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 01.07.2015 जारी किया गया है, जिसके क्रम में समय-समय पर निर्देश भी प्रदान किये गये हैं। राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि बार-बार निर्देशों के बावजूद कतिपय विभागों और नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति की बैकलाग रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण विभागों में बैकलाग रिक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, आज मैं मान रहा हूं, सरकार ने संवेदनशीलता से कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो जानते हो, एससी/एसटी के बैकलाग की कांग्रेस हमेशा ही हिमायती रही है और यह आपके विभाग, आपके यहां बहुत डायनेमिक सब मंत्री यहां बैठे हैं, आपके विभागों ने इस बैकलाग का सारा हाल बेकार कर रखा है। रोज एससी/एसटी के लोग दर-दर भटक रहे हैं। मैं आपसे चाहूंगा कि आपने यह 24.02.2020 को परिपत्र निकाला है, आप सख्ती से पूरे राजस्थान में इसको लागू करवाएं और बैकलाग जो हमारा बकाया है, वह चाहे भर्ती में हो और चाहे पदोन्नति में हो, वह जारी करवाया जाए। सभापति महोदय, मुझे आपने जितना भी समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

सूचना

ब्यावर के ग्राम रूपनगर में धर्मान्तरण कराने की सभा करने का प्रयास

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इंफोर्मेशन के तहत आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि ब्यावर के पास में एक रूपनगर गांव है, वहां पर बाहर के लोग आकर के और धर्मांतरण करने के लिए एक सभा बुला रहे हैं, जो 1, 2 और 3 तारीख को बिना परमिशन नहीं हो पाएगी। अभी इसी प्रकार से रावलावाड़ा में भी 2018 में हुआ था, उसको भी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी और इसमें भी कलेक्टर से मेरी बात हुई है वह कहीं इसके परमिशन देने के पक्ष में हैं। अगर कहीं ऐसा होता है तो वहां पर कोई भी जनहानि हो सकती है, कोई विवाद हो सकता है, बहुत-बड़ा बखेड़ा हो सकता है। धर्म परिवर्तन के नाम पर है। थोड़ा सीरियसली लें, कलेक्टर को पाबंद करवाएं।

श्री सभापति: विराजिए। श्री जगदीश चन्द्र।

अनुदान की मांग पर विचार

मांग संख्या 4, 8, 5 व 15 पर विचार

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर अपने सुझाव रखने का मुझे मौका दिया, उसके लिए

(श्री जगदीश चन्द्र)

धन्यवाद। हिन्दुस्तान की आजादी के बाद में जिस तरीके के प्रशासनिक सुधार होने चाहिए थे मुझे लगता है, नहीं हुए और सारा सदन इस बात के लिए सहमत होगा। सारा का सारा प्रशासनिक सिस्टम हमें विरासत में मिला है। एक माननीय सदस्य वारेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल की चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने इस देश में कलेक्टर की व्यवस्था लागू की। ब्रिटिश हुकूमत थी। अंग्रेजी राज में कलेक्टर होते थे और अंग्रेज ही कलेक्टर हो सकता था। कलेक्टर का काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना और हुकूमत को देना। आजादी के बाद इस बात की चर्चा हुई कि इस व्यवस्था को रखा जाए या नहीं रखा जाए। समय-समय पर देश में अनेक प्रशासनिक आयोग बने, अनेक कमेटियां बनीं। राजस्थान में भी अनेक प्रशासनिक सुधार की कमेटियां बनीं, जिन्होंने अपने सुझाव दिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आजादी के 72 साल बाद भी, 72 साल हो गए आज आजादी को, एक आईपीसी की धारा को चैंज करने में भी 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। एक सीआरपीसी के सैक्शन को अमैंडमेंट करने में भी समय लगता है तो जिस प्रकार का हमें प्रशासनिक ढांचा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, उन तत्कालीन परिस्थितियों में वह ढांचा ठीक था और आज दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्कों में इसी आधार पर प्रशासन चल रहा है। उनका अपना सिस्टम था। सिस्टम को उन्होंने डवलप किया था और कुछ मुल्क जो बाद में आजाद हुए जो उनके अंडर नहीं थे उन्होंने अपना एक सिस्टम डवलप किया था। जरूरत थी देश की परिस्थितियों के हिसाब से, सामाजिक बदलाव के हिसाब से इसे बदलने की आवश्यकता थी। मुझे याद है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी सरकार की, जब 2014 में नरेन्द्र मोदी जी प्रधान मंत्री बने हिन्दुस्तान के, तब एक सैक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई गई और सैक्रेटरीज के माध्यम से इस देश के प्रशासन को कंट्रोल करने की उन्होंने तैयारी की। पता नहीं किस एडवाइजर ने उनको राय दी और कौन उनका पोलिटिकल एडवाइजर था कि प्रधान मंत्री सीधा सैक्रेटरीज की मीटिंग बुलाकर के डायरेक्ट इंटरएक्शन उनसे कर रहे हैं और पिछली सरकार की, जो 2014 से लेकर 2019 के बीच में सरकार रही है दिल्ली की, उस सरकार में स्थिति यह थी केन्द्र सरकार के मंत्रियों की, वह स्थिति मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह न तो लोकतंत्र के हित में था, न ही देश के हित में था। आज आपने चर्चा के लिए यह विषय रखा है। निश्चित तौर पर बहुत चिंता की

(श्री जगदीश चन्द्र)

बात है कि जनता को न्याय मिलना चाहिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। जनता के माध्यम से सरकारें बनती हैं और न्याय जनता के दरवाजे पर हो। हर वह व्यक्ति जो आखिरी लाइन का है, न्याय उसको भी मिलना चाहिए, जिसको कोई पोलिटिकल व्यक्ति जानता नहीं है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति जानता नहीं है। वह कहां जाए, वह सरकार से, प्रशासन से उम्मीद करता है कि उसकी बात सुनी जानी चाहिए और उस पर गौर होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जिले में कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और ग्रामसेवक, यह एक चेन है जिले की, इस चेन के माध्यम से कोई फरियादी अगर दरख्वास्त लेकर कलेक्टर के दफ्तर में जाता है तो वह सीधा मार्क करता है एसडीएम को और एसडीएम करता है पटवारी को और पटवारी जो रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट के आधार पर फैसले होते हैं। वह जो भी रिपोर्ट देता है, वह सही है या गलत है इस बात का न तो फिजिकल कोई वैरिफिकेशन होता है न कलेक्टर वैरिफिकेशन करता है, न एडीएम वैरिफिकेशन करता है। जो पत्रावली, जो कागज, जो प्रतिवेदन उसको दिया जाता है, उसके आधार पर फैसले करते हैं, पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते हैं, न्याय-अन्याय की बात नहीं होती है। जो कागज में लिखा हुआ है उसी आधार पर फैसले होते हैं और जहां तक रेवेन्यू का सवाल है, रेवेन्यू के सारे के सारे पहले लिखित में फैसले होते हैं, उस लिखित फैसले में जिसके पक्ष की रिपोर्ट होती है, जो प्रभावशाली व्यक्ति होता है, वह अपने हिसाब से फैसले को प्रभावित करने का प्रयास करता है। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस तरीके की पैंडेंसी रेवेन्यू कोर्ट के अंदर, एसडीएम कोर्ट के अंदर और इसके साथ-साथ तहसील और सब डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर जो पैंडेंसी है, 20-20, 30-30 साल से लोग धक्के खा रहे हैं, किसी के रास्ते का झगड़ा है, किसी का खाले का झगड़ा है, किसी का खातेदारी का झगड़ा है, किसी का खाता तकसीम का झगड़ा है। यह सारे के सारे झगड़े अगर 10-10, 15-15 साल तक चलेंगे तो मैं समझता हूं जनता को न्याय नहीं मिल सकता। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जब 1998 में पहली बार मुख्य मंत्री बने थे गहलोत साहब तो उनका प्रयास था कि उस व्यक्ति को न्याय मिले, जो जिले के काम हैं, जो तहसील के काम हैं उनके लिए उस व्यक्ति को जयपुर में नहीं आना पड़े। दोबारा इस बात को फिर उन्होंने दोहराया है कि जो छोटे-मोटे काम हैं, जो हर छोटे-मोटे काम के लिए व्यक्ति जयपुर आता है 5-5, 7-7 दिन यहां

(श्री जगदीश चन्द्र)

धर्मशाला में, होटल में जहां जिसकी व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में आकर वह रुकता है और अपने न्याय के लिए वह प्रयास करता है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय सभापति महोदय, कि 1958 में जब रेवेन्यू की कोर्ट, जब राजस्व मंडल का गठन किया गया था स्टेट बनने के बाद में जयपुर में एक कोर्ट थी। जयपुर के बाद में एक अमैंडमेंट आया, 30 नवम्बर 1949 को उसके बाद रेवेन्यू कोर्ट को शिफ्ट करके अजमेर में कर दिया गया। आज अजमेर में रेवेन्यू कोर्ट चल रही है। रेवेन्यू कोर्ट में 20 तक सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित। मंत्री जी बैठे हैं आपके बीच में, माननीय मंत्री जी, मेरा सुझाव है कि आप इसको बाइफरकेट करें रेवेन्यू बोर्ड को और डिवीजनल हैडक्वार्टर राजस्थान के छह हैं, आप क्यों नहीं बाइफरकेट इसको करते हैं? कम से कम व्यक्ति को अजमेर नहीं आना पड़े और उसके काम का समाधान कम से कम डिवीजनल हैडक्वार्टर पर हो जाए। आदमी पहले एसडीएम कोर्ट में जाता है, फिर आरएए में जाता है, फिर अपील के लिए रेवेन्यू कोर्ट में जाता है, उसके बाद में फिर हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो यह इतनी लंबी चैन है, इस लंबी चैन को आप खतम करना चाह रहे हो। आप का मन है, आपकी मंशा ठीक लग रही है मेरे को, सरकार की नीयत ठीक है तो कम से कम रेवेन्यू बोर्ड को बाइफरकेट करके डिवीजनल हैडक्वार्टर पर रेवेन्यू कोर्ट खोलने का मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे ज्यादा जो समस्या है जो क्षेत्र के अंदर, वह क्षेत्र खाता तकसीम की है। सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था प्रशासन गांवों के संग। उसमें गांव में एसडीएम जाता था, सारे डिपार्टमेंट के लोग होते थे और काफी छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान तो वहां कर दिया जाता था लेकिन जो असली मुद्दा था जिसमें चार पैसे की आमदनी हो सकती थी उसमें जानबूझकर उसको पैंडिंग करके एसडीएम उसको अपने यहां बुलाता था। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रशासन गांवों के संग जो कार्यक्रम था, वह दोबारा से उसको व्यवस्थित करके और छोटे-मोटे रोजमर्रा के काम आने वाले जो कागज-पत्र हैं किसान के उनका समाधान गांवों में, गांव की पंचायत में हो, ताकि लोगों को नहीं आना पड़े। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिला हैडक्वार्टर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर बैठते हैं, जब जिले के डीएलओज की मीटिंग होती है और कलेक्टर उस मीटिंग को हैड करता है, सरकार का प्रभारी सैक्रेटरी हैड करता है, सरकार

(श्री जगदीश चन्द्र)

का प्रभारी मंत्री भी हैड करता है, उस मीटिंग में जो फैसले होते हैं उन फैसलों पर 4-4, 5-5 महीनों से किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती। वे फैसले लिख लिए जाते हैं, प्रोसीडिंग में लिखे जाते हैं और उसके बाद में एक चिट्ठी आती है, माननीय विधायक जी ने फलां सुझाव दिया, उसको उचित कार्यवाही हेतु विभाग को भेजा जा रहा है। अब वह कार्यवाही कब होगी, इस बात का किसी को नहीं पता लेकिन कम से कम आप कलेक्टर को पाबंद करें सरकार के माध्यम से कि डीएलओज की मीटिंग में जो फैसले होते हैं, उसकी कंप्लायंस हो और नीचे तक लोगों के पास जाना चाहिए कि आपके विधायक ने, जन प्रतिनिधि ने जो बात रखी है, उस बात पर कहीं न कहीं अमल हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी एक माननीय सदस्या रात्रि चौपाल के बारे में बोल रही थीं, वह अच्छा सुझाव है और बिलकुल ठीक सुझाव है कि रात्रि चौपाल भी होनी चाहिए लेकिन रात्रि चौपाल के साथ-साथ उस कलेक्टर और उस संबंधित अधिकारी की एकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करें कि रात को जो मीटिंग होती है, शाम को पांच-छह बजे के आस-पास जो चौपाल होती है, घंटे-दो घंटे चौपाल चलती है। लोग एप्लीकेशंस लेकर आते हैं। एप्लीकेशंस ले लीं, उन्हें मार्क करके संबंधित विभाग को भेज दिया, लेकिन उसके बाद उस कागज का क्या हुआ? वह आज तक किसी को पता नहीं चलता। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब बैठे हैं, कल्ला साहब बैठे हैं। रात्रि चौपाल का जो कन्सेप्ट है, वह निश्चित तौर पर अच्छा कन्सेप्ट है। हमारे राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है और जिस तरह से जमीनों का बाइफरकेशन हुआ है। उसमें छोटी-मोटी समस्याएं, पीएचईडी की समस्याएं, सड़क की समस्या, ग्राम पंचायत की समस्या, उस समस्या का कम से कम रात्रि चौपाल में तीन-तीन, चार-चार गांवों की चौपाल जब इकट्ठी करेंगे तो कोई न कोई समाधान निकल सकता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि रेवेन्यू एक्ट का जो सैक्शन 103 जिसका क्लाज 'बी' है, उसमें आबादी एरिया और आबादी की जमीन, इस पर माननीय मंत्री जी, अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि जोहड़ पायतन की जमीन पर लोग आकर बस गये हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि जोहड़ पायदान की जमीन पर आप कब्जा नहीं कर सकते, उस पर बसावट नहीं कर सकते, लेकिन 50-60 साल से गांवों में जमीनें खतम हो गयी हैं। सिवायचक जमीन गांव में नहीं है। जो लोग बसे हुए हैं, या तो उनके लिए

(श्री जगदीश चन्द्र)

सरकार कोई अल्टरनेट व्यवस्था करें या जोहड़ पायतन की जो जमीन है, उसको रेगुलराइज करने का कोई न कोई प्रावधान करे ताकि जो बैठे हुए लोग हैं, अब सरकारी जमीन पर तो गरीब आदमी बैठा हुआ है, कोई बड़ा आदमी तो बैठता नहीं है। जिसके एक झुग्गी होगी, 30 बाई 40 का प्लाट होगा, उसके दो झुग्गी होगी, तीन झुग्गी होगी, वह आदमी कहां पर छोड़कर जाए क्योंकि वह गांव का मजदूर है, गांव में काम करता है, खेतों में काम करता है। इसलिए सरकार को कोई न कोई समाधान करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर बैठे हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है, खासकर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की और राजस्थान हिस्सों की। जब आप टीनेंसी एक्ट लेकर आये थे। तब उस समय परिस्थितियां अलग थीं। 22 स्टेट रियासतों को इकट्ठा करके राजस्थान बनाया गया था। जमीन के मालिक राजा थे, जब आजादी के बाद देश आजाद हो गया तो यह टीनेंसी एक्ट आप लेकर आए। आज इस टीनेंसी एक्ट में बदलाव की जरूरत है। जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के अंदर किसान को जमीन का मालिकाना हक दिया गया है, राजस्थान में जमीन का किसान को मालिकाना हक नहीं है। जमीन की मालिक राजस्थान सरकार है। किसान को मात्र खातेदारी का अधिकार दिया गया है। जमीन को काश्त करने का अधिकार दिया है। इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। आप इसे खतम करें ताकि रोज के जो कोर्ट कचहरी के झगड़े हैं, आपस के झगड़े हैं, कम से कम वे खतम हों। इसमें किसान को मालिकाना हक देने का मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मंत्री जी से एक निवेदन और है कि रेवेन्यू एक्ट, 1956 का है। कितने साल हो गये? कितनी सामाजिक परिस्थिति बदल गयी है? परिवारों का डिवीजन हो गया है और वह का वह एक्ट प्रिवेल कर रहा है। आप अपनी लीडरशिप में कोई न कोई कमेटी बैठाकर इस रेवेन्यू एक्ट में बदलाव करें, मैं यह आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज परिस्थिति बदल चुकी है। उस जमाने में किसी के पास जमीन 100 बीघा थी। आज उसके पास 10 बीघा जमीन बची हुई है। पिछली दफा 2013 में राजस्थान में एक प्रचार किया गया कि राजस्थान में सीलिंग एक्ट आ रहा है। वह प्रचार किन लोगों ने किया है, सभापति महोदय, मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाह रहा हूं। उस प्रचार की कापी पूरे गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में फैलायी गयी कि सीलिंग एक्ट आ रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा। इम्पोर्टेंट बात है। उस सीलिंग एक्ट का प्रचार किया गया कि सीलिंग एक्ट आ रहा है। जमीन स्टेट का सब्जैक्ट है, यह सैंट्रल गवर्नमेंट का सब्जैक्ट नहीं है। सैंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। जब राजस्थान में एक दफा सीलिंग एक्ट आ गया तो दोबारा कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जमीनें हैं ही नहीं। जमीन होगी तो सीलिंग एक्ट आएगा। हम लोगों को बताते-बताते थक गये थे, लेकिन लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गयी कि सीलिंग एक्ट आ रहा है। कांग्रेस की सरकार आ गयी तो राजस्थान में सीलिंग एक्ट आएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेवेन्यू मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम यह बयान जरूर दें कि राजस्थान में किसी प्रकार का कोई सीलिंग एक्ट नहीं आने वाला है।

मैं एक निवेदन और करना चाह रहा हूं। खासकर हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, मैं उनके बारे में जरूर चर्चा कर रहा हूं। आपने जिले लेवल पर ट्रांसफर/पोस्टिंग दे रखा है। वे लोग 30-35 साल से जमे हुए हैं। जिले के जो अधिकारी हैं, वे जिले में जमे हुए हैं। इनका कम से कम आप यह फैसला करें कि राजस्थान लेवल पर इनकी ट्रांसफर/पोस्टिंग हो गयी तो आप इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप पांच-सात दिन पहले भी मैंने नियम 295 के जरिए सदन में यह बात रखी थी कि लालगढ़, जोगीवाड़ा, 9एलजी और 10एलजी के गांव हैं, जहां आर्मी की एक ओर कमांड में आ रही है, आर्मी की एक और यूनिट आ रही है। किसानों की जमीन को एक्वायर कर रहे और जमीन का जो भाव है, वह डीएलसी रेट पर दिया जा रहा है। डीएलसी रेट बहुत कम है। किसान बर्बाद हो जाएंगे। कृपया उनकी जो वाजिब जमीन है वह बाजार के रेट के हिसाब से उनको मिले, ताकि किसानों को बसाने में कोई दिक्कत नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, आखिर में क्षेत्र की दो समस्याएं हैं, जो मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। सादुलशहर विधान क्षेत्र बोर्डर का क्षेत्र का है। हमारे यहां 20 से 30 परसेंट जो किसान हैं, वे पाकिस्तान से माइग्रेट करके आये थे आजादी के बाद। वे कस्टोडियन की लैंड पर बैठे हुए हैं। कस्टोडियन डिपार्टमेंट भारत सरकार का गृह मंत्रालय देखता था। गृह मंत्रालय ने सारी की सारी जो कस्टोडियन फाइल्स हैं, वह कंसर्न स्टेट को भेज दी हैं।

(श्री जगदीश चन्द्र)

कंसर्न स्टेट में एसडीएम उसको देखता है। आज भी ज्यादा नहीं तो हजार की तादाद में एसडीएम कोर्ट में केस पैंडिंग हैं सनद के लिए। कृपया राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा संदेश कराएं ताकि उनका समाधान कर सकें। इसके साथ-साथ, उस जीरो लाइन के ऊपर कुछ किसानों की जमीन है। पांच बजे के बाद रात को जब खेत में पानी देना होता है तो वे खेत में नहीं जा सकते, बीएसएफ और डिफेंस की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कम से कम उन किसानों का कुछ न कुछ समाधान कर सकें, ताकि वे अपनी फसल पका सकें, यही मैं निवेदन कर रहा था।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मैं आखिरी बात के ऊपर आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं। कुछ गांवों की जमीन दो-दो जिलों में है। कुछ हनुमानगढ़ में है, कुछ गंगानगर में है। आज भी किसान गंगानगर में रहता है तो फसली ऋण की बात आती है तो फसली ऋण उनको नहीं मिलता है। वे कहते हैं कि साहब, आपकी जमीन हनुमानगढ़ में पड़ती है, आपकी रिहायश गंगानगर में पड़ती है। कम से कम इसका कुछ समाधान करिये, जमीन तो इसके पास है। चाहे हनुमानगढ़ की जमीन हो, चाहे गंगानगर की जमीन हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। किसान को वाजिब ऋण मिलना चाहिए व ऋण उन लोगों को देना चाहिए। सभापति महोदय ... (व्यवधान)

श्री सभापति: ऐसे नहीं।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र गंगानगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। एडीजे कोर्ट नहीं है, एडीजे कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के कुछ नोर्म्स हैं, हाई कोर्ट ने कुछ केसेज की कंडीशंस लगा रखी है तो राज्य सरकार उसको नहीं छेड़ सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि राज्य सरकार यह जरूर कर सकती है कि कम से कम एक कैम्प कोर्ट जरूर हो, ताकि लोगों को दूर नहीं जाना पड़े। मैं इस आखिरी बात के लिए माननीय राजस्व मंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि आपने इतना महत्वपूर्ण बिल रखा है और निश्चित तौर पर दोनों एक्ट में बदलाव करके किसानों को लाभ देने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: श्री गोपी चन्द मीणा।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर आपने बोलने का अवसर दिया, इस बात के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्व विभाग की मांग है। जिला प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि 2010 में जनजाति छात्राओं के आश्रम छात्रावास हेतु भूमि का आबंटन किया गया था। श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश निकाला था कअ/12(2)34आरए2010/3776 दिनांक 09.09.2010 को, जमीन आबंटन होने के बाद भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई और विभाग को हैंडआवर नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वह जनजाति बहुल क्षेत्र है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विगत लंबे समय से पटवारियों के पद रिक्त हैं। गिरदावर के पद रिक्त हैं। जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में पारौली और खजूरी में 2013 में भवन का निर्माण हो चुका है। नायब तहसील कार्यालय का भवन बन चुका है, लेकिन आज स्थिति यह है कि भवन पर करोड़ों रुपये लगने के बाद भी वह भवन खण्डहर की अवस्था में है, जर्जर अवस्था में है। कोई देखरेख करने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नायब तहसीलदार और स्टाफ की व्यवस्था की जाए ताकि वहां सुचारु रूप से किसानों को लाभ मिल सके। वहां लंबे से चल रहे रिक्त पदों को भरा जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला, उपखंड और तहसील कार्यालय में मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती की जाए ताकि हमारे यहां एससी, एसटी का जो बैकलाग है, वह भी समय पर भरा जाए।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, उदाहरण के तौर पर भीलवाड़ा जिले में एक सुखपाल मीणा हैं, उनके साथ भर्ती होने वाले भाई तहसीलदार बन गये, लेकिन अभी वे कार्यालय सहायक के पद पर हैं। इसलिए समय-सीमा तय की जाए प्रमोशन में बैकलाग कोटा भरने की। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी राजस्व के प्रकरण हैं, उपखंड अधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय द्वारा किसानों को आदेश जारी कर दिये जाते हैं। किसानों के सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी के आदेश। वह किसान बार-बार चक्कर काटता रहता है। पटवारी के पास जाता है,

(श्री गोपी चन्द मीणा)

पटवारी कहता है कि मैं आज आफिस में हूं, आफिस में जाता है तो कहता है कि मैं वहां हूं। तीन-तीन, चार-चार जगह पटवारियों को चार्ज दे रखा है जिससे किसान का समय खराब होता है। समय पर पत्थरगढ़ी नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि समय सीमा निर्धारित की जाए, पत्थरगढ़ी और सीमाज्ञान समय पर हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहाजपुर में बहुत सारी सरकारी जमीन राजकीय भवनों हेतु आरक्षित पड़ी हुई है। चाहे श्मशान की भूमि हो या सिवायचक भूमि हो चरागाह भूमि हो, इसमें बहुत ज्यादा बड़े भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार चिन्हित करके सारी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने का प्रयास करे ताकि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए खेल मैदान और अन्य सरकारी प्रयोजनार्थ जमीन मिल सके।

मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में नरेगा या पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो सड़कें बनवाई गई हैं, उन सड़कों को आप राजस्व विभाग में तरमीम करें ताकि किसान बार-बार अवरुद्ध कर देता है, कटान भूमि में सड़कें तो निर्माण हो चुकी लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से आने वाले समय में किसान मुआवजा मांग करेंगे, नहीं देने पर वह रास्ता रोकेंगे, हमें परेशानी आएगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी भी सड़कें हैं, पूरे प्रदेश की समस्या है, नरेगा योजना में बनी हो या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से बनाई गई हो, किसी भी योजना से बनाई गई है, उसको राजस्व रिकार्ड में तरमीम करने की व्यवस्था की जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन के बारे में बताना चाहता हूं कि एक पद के विरुद्ध, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, जिला प्रशासन के आदेश निकलते हैं कि विकास अधिकारी कोटडी, वो ही विकास अधिकारी जहाजपुर, वो ही एईएन की पोस्ट पर जहाजपुर और वो ही एईएन की पोस्ट पर कोटड़ी पदस्थापित होता है। चार-चार पदों पर एक ही आदमी को पदस्थापित करना, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। जिला प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, सीईओ साहब से कहते हैं तो वह कहते हैं कि हाई कमान का आदेश है, हम क्या करें? कांग्रेस सरकार इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रही है और करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने पहले भी शिकायत की है कि कोटड़ी में करोड़ों रुपये विड्राल कर लिए गए हैं। शिकायत करने पर बताया जाता है कि हम क्या करें? हाई कमान का

(श्री गोपी चन्द मीणा)

आदेश है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोटड़ी पंचायत समिति में जिला प्रशासन के द्वारा बीडीओ को चार्ज दिया जाता है बार-बार, जो वहां पदस्थापित होता है, उसको एपीओ करा दिया जाता है, ट्रांसफर करा दिया जाता है। वही पंचायत समिति कोटड़ी में एईएन फर्जीवाड़ा करने के लिए अकाउंटेंट को छुट्टी भेज देते हैं और बिजौलिया पंचायत समिति से अकाउंटेंट लगाकर करोड़ों रुपये की फर्जी तरीके से सैंक्शन निकाली जाती है। मैं इसकी जांच कराने की मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजनैतिक द्वेषता से मेरे विधान सभा क्षेत्र में नरेगा से जो निर्माण कार्य स्वीकृत हो गये थे, पूर्व से चल रहे थे, उन निर्माण कार्यों को वर्तमान में बंद कर दिया गया है जिससे सैकड़ों-हजारों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। द्वेषता से कार्य बंद कर दिये गये हैं, इसकी मैं जांच कराने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, नामान्तकरण की समस्या है, अभी भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन, डिजिटल किया जा रहा है नक्शा ट्रेस पर, किसान बार-बार चक्कर काट रहे हैं। अक्टूबर माह से जमाबंदी राजस्व रिकार्ड तहसील में जमा है और किसान चक्कर काट रहे हैं। पूरे जिले की समस्या है। मैं निवेदन करता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि इसको समय रहते ऑनलाइन किया जाए।

महात्मा गांधी जन-सहभागिता योजना के तहत दानदाताओं के द्वारा पूरे जिले में जन सहयोग के द्वारा करोड़ों रुपये जिला परिषद् में जमा हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह जन-सहयोग से राशि तो जमा है दो-तीन साल से लेकिन राज्य सरकार से एक फूटी कौड़ी का भी बजट आबंटन नहीं हुआ। वे इंतजार कर रहे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बजट आबंटन करें जिससे विकास के कार्य हो सकें हमारे क्षेत्र में। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पारोली ग्राम पंचायत में देवस्थान विभाग महावीर भगवान की जमीन है, उस 1 बीघा 17 बिस्वा भूमि में भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है। तहसीलदार ने आदेश दे दिया, एसडीओ ने आदेश दे दिया लेकिन अभी भी अतिक्रमण नहीं हटा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि देवस्थान विभाग की भूमि पर अतिक्रमण हटाकर देवस्थान के पक्ष में कब्जा सुपुर्द किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण प्रदेश में पटवार भवन जर्जर अवस्था में हैं। ऐसे जर्जर भवनों के लिए

(श्री गोपी चन्द मीणा)

व्यवस्था की जाए ताकि हमें आधुनिक भवन मिलें और पटवारी और आम किसान वहां जाकर बैठ सकें, सुविधायुक्त भवन बन सकें। इसके लिए मेरे जिले में डीएमएफटी फंड में 830 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मूलभूत सुविधाएं किसानों के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, ये राशि समय पर स्वीकृत करके किसानों को लाभ दिया जाए।

अंत में, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाता हूं कि अभी माननीय सदस्य जगदीश जी कह रहे थे कि रात्रि चौपाल, रात्रि चौपाल का विषय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी आमंत्रित सदस्य था, कलेक्टर साहब वहां रात्रि चौपाल में आए लेकिन 200-250 की फोर्स पहले तैनात कर रखी थी और हिस्ट्रीशीटर, जो व्यक्ति कभी चुनाव नहीं लड़ा, किसी पद पर नहीं रहा, आपराधिक प्रवृत्ति का है, हिस्ट्रीशीटर है, मुकदमे दर्ज हैं, विभिन्न थानों में फोटो लगे हुए हैं, वह आदमी वहां खड़ा था और मंच पर, डायस पर बैठा हुआ था और मेरे से अभद्रता की। ऐसे व्यक्ति को, जिला प्रशासन की इस कार्यशैली पर मैं आरोप लगाता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी वर्तमान में यही स्थिति जो मैंने अवगत कराई, पंचायती राज चुनावों में एसटी/एससी का एक गरीब सरपंच दलित व्यक्ति जो पदभार ग्रहण करने के लिए ग्राम पंचायत में जाता है, प्रशासन को सूचना थी, एसएचओ को मैंने फोन किया, एसपी को मैंने फोन किया फिर भी ज़ाब्ता उपलब्ध नहीं कराया और पदभार ग्रहण कार्यक्रम से पहले हमला कर दिया जाता है। आज तक उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं मांग करता हूं कि दलित विरोधी सरकार है समय रहते, वर्ना उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

अंत में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायतों हेतु जो व्यावसायिक हेतु भूमि आबंटन की जाती है, उद्योग या व्यापार के लिए, उसमें सरलीकरण किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग उद्योग धंधा स्थापित कर सकें। ग्राम पंचायतों के द्वारा एनओसी दे दी जाती है। कलेक्टर साहब को मना कर दिया जाता है फिर दोबारा एनओसी मांगते हैं। इसका सरलीकरण किया जाए ताकि उद्योग धंधे की व्यवस्था हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 4, 5, 8, 15 जिला प्रशासन, प्रशासनिक सेवाएं, राजस्व, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर चर्चा हो रही है, चर्चा में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला। प्रशासनिक मामले में माननीय सब सदस्यों की बात को मैंने सुना। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का यह तीसरा कार्यकाल है। उनके दो कार्यकाल में और इस कार्यकाल में प्रशासनिक सुधार के मामले में जितने सख्त से सख्त कदम अशोक गहलोत जी ने उठाए हैं, राजस्थान के किसी मुख्य मंत्री ने नहीं उठाए हैं। मुख्य मंत्री जी के राज में कभी-भी प्रशासनिक गोलियां नहीं चलीं, कभी-भी किसानों की मौत नहीं हुई और मुख्य मंत्री जी ने पांच साल संवेदनशील सरकार और जनता के प्रति जवाबदेही समझकर के जनता को पांच साल, जब भी सरकार रही और जो सरकार चल रही है, उसमें लाभ देने का प्रयास किया।

रात्रि चौपाल की बात चल रही है, भीलवाड़ा कलेक्टर के लिए माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि भीलवाड़ा जिले का कलेक्टर रात्रि चौपाल सभी जगह कर रहा है और रात्रि चौपाल में जो उनका सिस्टम देखा है, सिस्टम बड़ा बेहतरीन है। जितने भी काश्तकार समस्याओं को लेकर आते हैं, उन सारे काश्तकारों को उनके काम की रिसीट दी जाती है। रिसीट देकर के उन कामों को तत्परता से टाइम बाउंड किया कि सात दिन में यह अतिक्रमण हटाओगे, दस दिन में इसके नामांतरण का काम होगा, सात दिन में सीमाज्ञान होगा तो सारा टाइम बाउंड काम भीलवाड़ा जिले में जिला कलेक्टर के माध्यम से हो रहा है।

उप खण्ड अधिकारी भी रात्रि चौपालें कर रहे हैं। रात्रि चौपालों में काश्तकारों को लाभ मिल रहा है। रात्रि चौपालों के साथ-साथ जिला कलेक्टर ने, उप खण्ड कार्यालय ने जन सुनवाई के लिये सरकार के निर्देशों से समय निश्चित कर रखा है कि इतने बजे से इतने बजे तक आम जनता की सुनवाई होगी। कलेक्टर्स और एस.डी.ओ. जन सुनवाई कर रहे हैं, तहसीलों में सुनवाई हो रही है।

मुख्य मंत्रीजी की सोच के अनुसार, जनता को सुलभ न्याय मिले, इस बजट में कई न्यायालयों की घोषणा की और पूर्व के कार्यकालों में भी कई तो रेवेन्यू विलेज बनाये, कई उप तहसीलें खोलीं, कई उप खण्ड बनाये। इससे जनता को न्याय नजदीक मिले, कम दूरी तय करनी पड़े और समस्याओं का

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

समाधान लोकल स्तर पर हो सके। ऐसी सोच माननीय मुख्य मंत्रीजी की थी। मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में डी.एल.सी. दरों में 10 प्रतिशत की कमी की और कमी के साथ एक वादा और किया कि 2020-21 में डी.एल.सी. की कोई दर पूरे राजस्थान में नहीं बढ़ेगी, जो स्वागत योग्य कदम है।

स्टाम्प ड्यूटी पर, जो हम लोग पंचायतों से पट्टे बनाते, निकायों से पट्टे बनाते, पुश्तैनी पट्टे बनाते, प्रक्रिया यह चल रही थी कि राजस्थान में ढाई सौ रुपये का पट्टा पंचायत बनाकर दे रही थी, उस पट्टे पर पांच हजार रुपये उस भूमि की कीमत, बाजार कीमत या डी.एल.सी. जोड़ करके उन लोगों से राशि वसूल की जाती थी। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि मंत्रीजी ने एक आदेश निकाला। आदेश निकाल करके यह फैसला किया क्योंकि मंत्रीजी जमीन से जुड़े नेता हैं, किसान की समस्याओं को समझते हैं, किसान के बेटे हैं। उन्होंने एक आदेश निकाला कि बाजार मूल्य भी नहीं, डी.एल.सी. भी नहीं। किसान से पैसा वही लिया जाएगा, जो पट्टे की राशि है। उसी राशि की रजिस्ट्री की जाएगी। यह एक बहुत स्वागत योग्य कदम सरकार का है। काफी स्टाम्प प्रकरण लम्बित पड़े हैं। स्टाम्प प्रकरणों के मामले में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि उन पर जो शास्ति लगी है, जो उनका ब्याज चढ़ा हुआ है, 30 जून, 2020 तक अगर कोई भी काश्तकार अपना मूल स्टाम्प का पैसा जमा कराता है तो 100 प्रतिशत उसको शास्ति और ब्याज में छूट देने का एमनेस्टी के माध्यम से फैसला किया है, यह भी बड़ा स्वागत योग्य है।

दूसरा यह था कि सारे अभियान और कैम्प लगते हैं, लोग-बाग पट्टों के लिये दौड़ते हैं कि पट्टे बनाओ, पट्टे बनाओ। रेवेन्यू रिकार्ड में जो जमीनें हैं, वह गैर मुमकिन आबादी की दर्ज है। मेरी पोटला पंचायत थी, रायपुर में, सराड़ा में, सुनेड़ा में, जिन पंचायतों में गये, यह समस्या सामने आई थी। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ही आदेश निकाला और जितनी भी जमीनें गैर मुमकिन आबादी थी, उन सबको पंचायत की आबादी में दर्ज करने का आदेश दिया, उस आदेश के तहत आमजन को उसकी भूमि का, उसके मकान का पट्टा मिलने में बहुत बड़ा सराहनीय कदम इस सरकार का रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कलेक्टर साहब की वी.सी. में चला गया था। सी.एम. साहब भी ले रहे थे, मंत्रीजी भी बैठे थे। मैं सुन रहा था, जो अभी

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की, कई प्रकरण तीन से दस वर्ष से पैंडिंग चल रहे हैं, कई प्रकरण पांच से दस वर्ष के पैंडिंग चल रहे हैं। उसके लिये मंत्रीजी ने और मुख्य मंत्रीजी ने निर्देश दिये कि यह छह महीने और साल भर में इन प्रकरणों का निस्तारण करके जनता को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराओ। सरकार का यह कदम भी स्वागत योग्य है।

दूसरा, सभापति महोदय, सीमांकन, पत्थरगढ़ी और 251-ए, राजस्थान में उप खण्ड मुख्यालय पर जितने भी मुकदमे हैं, उनमें सबसे अधिक रास्ते के झगड़े हैं। मुख्य मंत्रीजी अपने पूर्व के कार्यकाल में इन मुकदमों को निपटाने के लिये बहुत बड़ा एक कानून, 251-ए लाये। इस कानून में मुख्य मंत्रीजी की जो भावना थी कि हर खेत को रास्ता मिले और काश्तकार उसका डी.एल.सी. से पैसा जमा कराये। पैसा जमा करके एस.डी.एम. तुरन्त गति से उसका फैसला करके उसको खातेदारी में रास्ता दे, और डी.एल.सी. का पैसा उस काश्तकार को पहुंचाये। फिर भी इसमें जो मुकदमे लम्बित हैं तो उस वी.सी. में, मैं मुख्य मंत्रीजी के निर्देश सुन रहा था। उन्होंने कहा कि 90 दिन, सभी एस.डी.ओज. को मैं कह रहा हूं कि 90 दिन के अन्दर आप लोगों की ड्यूटी है कि आप इसका फैसला करें। यह भी मुख्य मंत्रीजी का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। सारे उप खण्ड मुख्यालयों पर, अभी बजट में जो घोषणा हुई है, उस बजट में एक तो सूचना सहायक और एक कनिष्ठ सहायक, ये दो पद उप खण्ड मुख्यालय पर लगने से उप खण्ड मुख्यालय पर काम के अन्दर मुस्तैदी आयेगी और न्याय प्रक्रिया में सरलीकरण होगा और लोगों के मुक़दमे जल्दी से जल्दी निस्तारित होंगे। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है।

दूसरा यह था कि सबसे बड़ा फैसला, जो देश की आजादी से चला आ रहा था, सरकारें चाहे हमारी रहीं, चाहे विपक्ष वालों की रहीं, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। जितने भी काश्तकार कन्वर्जन के मामले में, चाहे आबादी में कन्वर्जन कराना चाह रहे थे, चाहे वे लोग कामर्शियल में कन्वर्जन कराना चाह रहे थे, तो उस कन्वर्जन के अन्दर काश्तकार से यह लिखा लिया जाता था कि इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार आपकी भूमि रोड की इतनी भूमि छोड़ने के बाद ही सम्परिवर्तन की जाएगी तो यह भूमि फ्री में सरकार उससे ले रही थी। लेकिन अभी जो मंत्रीजी हैं, मंत्रीजी ने इस चीज को समझा और इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार भूमि लेने का जो पूर्व का निर्णय था, उसको निरस्त किया और वह भूमि बिना मुआवजे उस खातेदार के खाते

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

से नहीं कटेगी। यह आदेश आपने 17.09.2019 को जारी किया। यह काश्तकारों के हित में बहुत बड़ा कदम है नहीं तो बिना मुआवजे उन काश्तकारों की भूमि चली जाती थी।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के सारे बजट यहां बनते हैं, सारी योजनाएं यहां बनती हैं। नीचे के स्तर पर, धरातल पर जिलों में कलेक्टर उनकी मोनिटरिंग करते हैं और उप खण्ड मुख्यालयों पर उप खण्ड अधिकारी उनकी मोनिटरिंग करते हैं। उप खण्ड अधिकारी के पास अन्य विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का पावर नहीं था लेकिन प्रशासनिक माध्यम से मुख्य मंत्रीजी ने यह आदेश निकाला है कि किसी भी विभाग का कर्मचारी अगर सरकार की योजना में लापरवाही बरतेगा तो उप खण्ड अधिकारी को यह पावर दिया जाता है कि वे उसको 17 सी.सी.ए. का नोटिस देकर के उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। इससे राज्य की योजनाओं को बहुत ताकत मिलेगी और समयबद्ध तरीके से राज्य की योजनाएं पूरी होंगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में सात साल पहले एन.एच.ए.आई. का काम चालू हुआ था, जब अध्यक्ष महोदय खुद भारत सरकार में सड़क और परिवहन मंत्री थे, भीलवाड़ा से कांकरोली का, उस समय किसानों की जमीनें ली गईं। जमीनें ले करके रोड का निर्माण हुआ। बहुत अच्छी बात है लेकिन आज तक जो मुआवजे का नियम है, नियम यह है कि या तो उसको डी.एल.सी. दर से भुगतान हो या उसको बाजार मूल्य से भुगतान हो, इन दोनों में से जो अधिक हो, उससे भुगतान हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मेरे क्षेत्र के जो जाट छात्रावास हैं, वहां से लेकर 132 ग्रिड तक के जितने भी काश्तकार हैं उनको आज तक उसमें मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि उन काश्तकारों के लिए आप कलेक्टर से बात करें, आप चीफ सैक्रेटरी से बात करें और सी.एम. साहब से भी बात करें कि उन काश्तकारों को मुआवजा तुरंत दें जबकि मुआवजा का नियम यह है कि उस रोड पर 75 परसेंट राशि एस.सी., एस.टी. के लोगों की, जिनकी जमीनें ली हैं, वह देकर के उसकी जमीन पर कब्जा एन.एच.ए.आई. को लेना चाहिए लेकिन एक फूटी

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

कौड़ी उन लोगों को एन.एच.ए.आई. ने नहीं दी है। इसलिए मैं नेता, प्रतिपक्ष से भी यह निवेदन करता हूं कि एनएच.ए.आई. के, भारत सरकार के जो अधिकारी हैं और माननीय सदस्या श्रीमती किरण माहेश्वरी ने भी यह प्रश्न लगाया हुआ है तो मैं श्रीमती किरण माहेश्वरी से भी यह कहना चाहता हूं कि आप भी इसमें एन.एच.ए.आई. के अधिकारियों को कहें कि उन काश्तकारों का, उन एस.सी., एस.टी. के गरीब लोगों का मुआवजा समय पर दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): इसी तरह से, माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाह रहा हूं कि पुराने समय में काश्तकारों को अस्थाई बाड़े आबंटन किये जा रहे थे और वह अस्थाई बाड़े गांवों में भी हैं और नगरपालिका क्षेत्र में भी हैं, शहरों में भी हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि उसमें नियमन में काफी बाधाएं आ रही हैं। वह लोग सारी जमीनों पर नियमन करवाना चाहते हैं तो उसमें आपने एक सिस्टम कर रखा है कि 100 वर्ग गज छोड़कर नियमन किया जाए। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब नेशनल हाईवे पर कोई भी आप कन्वर्जन करते हैं तो 132 फीट छोड़कर उसको आप कन्वर्ट करते हैं तो फिर यह नियम किस बात से आपने लगा रखा है? आप उसको 100 गज की जगह 100 फीट करें या 132 फीट करें ताकि उन काश्तकारों को इसका लाभ मिल सके और मुझे यह उम्मीद है कि आप किसान के बेटे हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं जमीन की तह को जानते हैं और किसान की समस्या को पहचानते हैं तो आप इस समस्या का निदान करेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज, सहयोग करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या?

श्री सभापति: सहयोग करें, समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सहयोग करें?

श्री सभापति: हां।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): हां, तो आप करो न, साहब।

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मैं मंत्रीजी को एक धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप धन्यवाद देकर समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मैं धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में साहूकारों के पचासपचास सालों के जो रहन-दर्ज थे, उन रहन-दर्ज के लिए, जैसे ही यह सरकार ने सहकारी समिति के ऋण माफी का कहा तो मैंने उन काश्तकारों को पूछा कि आपके भी ऋण माफ हुए या नहीं? तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारे तो आज तक कभी हुए ही नहीं। मैंने पूछा कि आपने ऋण लिया या नहीं? उन्होंने कहा कि हम ऋण लें कैसे, हमारे तो साहूकारों के रहन्दर्ज लिखा हुआ है और सरकार ने कई बार आदेश दिये लेकिन एस.डी.एम., कलेक्टर, तहसीलदार, पटवारी हटाते नहीं हैं। मैं मंत्रीजी का, मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि जैसे ही मैं आपकी जानकारी में यह चीज लाया, आपने आदेश निकालकर राजस्थान के समस्त कलेक्टर्स को यह आदेश दिया, हजारों किसानों को उससे फायदा हुआ, जिससे अभी 8 लाख ऑनलाइन जो काश्तकारों को मिला है, उसमें यह काश्तकार भी हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज समाप्त करें। ऐसे नहीं, समाप्त करें, प्लीज।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): एक मिनट साहब, मेरी मांग तो रख दूं।

श्री सभापति: सारी बातें हैं लेकिन समय की अपने आप सीमा है।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मेरा मंत्रीजी से यह निवेदन है कि गंगापुर में ए.डी.जे. कोर्ट है, एडिशनल एस.पी. का कार्यालय है, आप मेहरबानी करके ए.डी.एम. अगर वहां पर लगाएंगे तो उस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा और जैसा कि पूर्व में सरकार ने उप तहसीलें खोली हैं, आप पोटला, कोशीथल और मौखुन्दा में उप तहसीलें खोलें और पटवारियों के रिक्त पद तुरंत प्रभाव से भरें और भरने का आप प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए भी धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज अनुदान की मांग संख्या 4, 5, 8 एवं 15 पर काफी माननीय सदस्यों ने अपनी भावना प्रकट की और विशेषकर जिला प्रशासन, राजस्व, प्रशासनिक सेवाएं और पेंशन पर अपनी बातें कहीं। माननीय सभापति महोदय, कई बातें

(श्री मदन प्रजापत)

नहीं करें तो भी नुकसान और करें तो भी नुकसान लेकिन वह सामने महात्मा गांधीजी की बात देखता हूं तो मन में आता है कि सही सुझाव और सही बात कहना हर सदस्य का फर्ज है और यह कोई पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, यह अनुदान की मांग है।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करता हूं कि यह बात हमेशा सुनते हैं कि प्रोटोकाल के हिसाब से एम.एल.ए. मुख्य सचिव के ऊपर और बराबर होता है और वास्तविक आकलन करें, सभी माननीय सदस्य यहां पर विराजमान हैं, आज धरातल पर क्या वास्तविक स्थिति है, इनके ऊपर मंथन करना अति जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज लोग पटवारी से बात करने में घबराते हैं और डर लगता है परंतु मंत्रीजी से बात करने में उनको डर नहीं लगता क्योंकि अधिकारियों का, प्रशासन का जो जनता के प्रति बीच में गैप है, जो दूरी है, वह दूरी कम कैसे हो? सभी माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिये कि उन पर नकेल कसने की जरूरत है। पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी माननीय सदस्यों ने एक ही बात कही ईमानदारी की, भ्रष्टाचार कैसे मिट सकता है, इनके ऊपर अंकुश कैसे लग सकता है, अधिकारियों का जो गैप है, चाहे मीटिंग्स हों, चाहे कमेटियों की मीटिंग्स हों, वास्तव में उनके मन में अहम और अहंकार है और या काम का लोड होने की वजह से कुछ न कुछ व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत भी है और कार्य ज्यादा होने की वजह से या जो माननीय सदस्यों ने कहा कि मुझे तो जिंदगी भर का पट्टा है और उनके दिल और दिमाग में यह बात और भावना प्रकट होती है कि इस लोकतंत्र में जो चार स्तम्भ होते हैं, उन तमाम स्तम्भ का जो भार है, वह उनके ऊपर ही है, बाकी की कोई भागीदारी शायद उनको नहीं लगती है। यह वास्तविकता है और अगर अपन सभी माननीय सदस्य, मैं यह निवेदन करता हूं कि पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अगर गहराई से यह मंथन करें और ठान लें कि अपन को यह करना है तो इनको कौन रोक सकता है? चाहे ईमानदारी के मामले हों, सख्त निर्णय हों, चाहे भ्रष्टाचार के मामले में, इन दोनों मामलों में और अधिकारियों की और कई बातें जो आईं कि रात्रि चौपाल हो, जन सुनवाई हो, गांवों में अधिकारी जाएं, जो एक गरीब आदमी सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर तक नहीं जा सकता है, उनकी गांव में सुनवाई हो ताकि आम आदमी के छोटे-मोटे काम हो सकें। काम लगते तो छोटे हैं लेकिन अगर एक मजदूर, गरीब, काश्तकार है, उनके लिए तो चाहे छोटा-सा काम है, माननीय सभापति महोदय, अगर उनका

(श्री मदन प्रजापत)

काम रुकता है तो उनके लिए तो यह बहुत बड़ा काम है। इनके अलावा, तमाम माननीय सदस्यों ने यह बात कही और अगर इनके ऊपर कोई निर्णय और अगर सख्त निर्णय नहीं होता है तो शायद यह मजाक होगी कि अधिकारी यहां से जाने के बाद में कहेंगे कि यह चिल्लाते रहे, यह बातें करते रहे, अपना कौन बिगाड़ सकता है? यह मन में एक मजाक-सा हो जाएगा। या तो आप बात कहो मत और अगर अपने कही है तो इनके ऊपर वास्तव में नकेल कैसे कसी जा सकती है, यह निर्णय करने की जरूरत है। कौनसी अपनी कमजोरी है, क्यों अपन नहीं कर सकते हैं? अपन कोई अन्याय की बात नहीं कर रहे हैं जो संविधान में है, जो नियम में है, उन नियमों के तहत निर्णय करना अपना सबका दायित्व है और इनके ऊपर अपन सभी मिल-जुलकर इस बारे में कोई सुझाव और फैसला करें।

मैं हकीकत में कहता हूं कि कई पत्रों के जवाब तक नहीं आते हैं कई जिला कलेक्टर्स के, यह हकीकत में वास्तविकता है और अगर वास्तव में इनके ऊपर अलग से मीटिंग की जाए कि किन-किन जिला कलक्टर्स ने माननीय सदस्यों के पत्रों के जवाब नहीं दिये हैं, इनके ऊपर क्या कार्यवाही हो सकती है, आज के समय वह करने की जरूरत है।

(18.00 बजे)

इनके ऊपर क्या कार्यवाही हो सकती है? आज इस समय वह करने की जरूरत है ताकि विधान सभा से एक संदेश जाएगा कि यह पत्र नहीं देने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपने इधर की कमी बता दी, हमने उधर की कर दी और यह इधर और उधर के कारण वह यही चाहते हैं कि यह समय बर्बाद हो जाए और कोई सख्त निर्णय नहीं हो ताकि वह वाहवाही करके और मजाक करके चले जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैंने जिले में यह भी देखा है कि अधिकारी एक मंत्रीजी की वाहवाही, जी-हजूरी और चमचागीरी करके यह साबित करते हैं कि मंत्रीजी हमारे से राज़ी हैं, हम मंत्रीजी से राज़ी हैं और हमारा क्या बिगड़ने वाला है। यह लोकतंत्र है, जो सभी लोग जीतकर आये हैं, कोई हल्का-भारी नहीं होता है, कोई छोटा-बड़ा नहीं होता है और अगर किसी के मन में अगर यह भाव है कि हम तो स्थायी आये हैं तो यह विधान सभा है, यहां कई आये हैं और कई जाएंगे। कोई स्थायी नहीं है। अहंकार किसी का नहीं चला और

(श्री मदन प्रजापत)

जिसने भी अहंकार किया है, पहले बात अलग थी और यहां आने के बाद में लगभग कई लोगों के मन में यह भाव आ जाते हैं कि मेरा तो पट्टा हो गया। पट्टा शायद आज दिन तक, माननीय सभापति महोदय, किसी का स्थायी नहीं रहा है। अपना फर्ज है, क्योंकि अपन सरकार में हैं और सरकार में कोई कमी है तो कोई भी सुझाव देना हर माननीय सदस्य का दायित्व है। आज वास्तविकता यह है और यह गंभीरता, माननीय सभापति जी कह रहे थे कि आज की चर्चा बड़ी गंभीर है, लेकिन गंभीरता इनके ऊपर होनी चाहिए, जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज जिला स्तरीय बजट यह फालतू के निर्णय होने की वजह से कई जगह पड़े हैं। वह पैसा आज समय पर खर्च नहीं हो रहा है। समय पर मीटिंगें नहीं होने से फैसले नहीं होते हैं और कई कमेटियां भी जो बनानी हैं, उनका निर्णय जल्दी करें ताकि उनके बजट का आबंटन हो सके और कई सम्पत्तियां पड़ी हैं, माननीय सभापति महोदय, यह निर्णय लेने की वजह से या प्रशासन की लापरवाही के कारण करोड़ों-अरबों रुपयों की सम्पत्तियां खण्डहर में तब्दील हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। कई भू-माफिया अतिक्रमण कर रहे हैं। इनके ऊपर सख्त निर्णय की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा रिक्त पदों की जो बात आयी। मंत्रीजी को सुझाव भी दिये और यह बात नई नहीं है कि पटवारियों के राजस्थान में पद रिक्त हैं। सवाल यह है कि इनको कैसे भरा जा सके। मेरा एक सुझाव है, मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि यह जो तीन सालों से ऊपर कोई भी पटवारी कहीं पर लगा हुआ है, तो सवाल ट्रांसफर का नहीं या हमारी किसी से बदले की भावना नहीं है, उस तहसील में दूसरे पड़ौसी पटवार सर्कल में ट्रांसफर करें ताकि जमीनों की कीमतें बढ़ गयी हैं और कई पटवारियों ने, जो 15-15 सालों से वहां बैठे हैं और कई बड़े गबन और घोटाले किये हैं, उनका पर्दाफाश हो सके और जो तीन-चार साल से पहले का कोई भी पटवारी है, उनको पड़ौसी पटवार सर्कल में परिवर्तन करना आज के समय की जरूरत है।

इसके अलावा, माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि हमारे यहां जो हाईवे निकल रहा है और यह अधिकारियों की भूल के कारण, हमारा जो एक गांव है बिट्ठुजा, जो डबल क्रोप गांव है और बाड़मेर का सबसे टापमोस्ट, एक नंबर पर हरियाली है और डबल क्रोप, होने के बावजूद भूल से वहां लिख दिया सिंगल क्रोप तो वह जनता और किसानों की तो गलती है नहीं, माननीय सभापति

(श्री मदन प्रजापत)

महोदय, उनको मुआवजा सिंगल क्रोप जमीन का मिल रहा है। मेरा सुझाव है कि गलती किसी ने की हो, भूल किसी ने की हो और उसका खामियाजा किसान क्यों भुगते? किसान आंदोलन कर रहे हैं। उनकी भूल सुधार करके सिंगल क्रोप की जगह डबल क्रोप करें। यह ग्राम बिटुजा तहसील पचपदरा का मामला है।

माननीय सभापति महोदय, कृषि भूमि के रास्तों का निस्तारण तुरंत हो और लूणी नदी, जो मरू गंगा के नाम से जानते हैं, माननीय सभापति महोदय, इतने अतिक्रमण हो गये हैं कि उन्होंने नदी को भी नहीं छोड़ा। कई बार लिस्टें बन गयीं। कई बार अतिक्रमियों को चिह्नित कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, किसका दबाव है, कौन सपोर्ट कर रहा है? जो नदी में अतिक्रमण किये हैं, चाहे मेरा भाई भी हो, लूणी नदी, जो एकमात्र मरु गंगा, सबसे बड़ी नदी है, माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि आप युवा हैं और सख्त निर्णय लेकर यह साबित करें कि यह लूणी नदी अतिक्रमण मुक्त होगी। आज कमजोर पैरवी के कारण चाहे भू-माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, प्रशासन की ढिलाई और कमजोर रवैये के कारण यह जो पनप रहे हैं, इनके ऊपर भी अंकुश की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, एक बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। लोगों में एक यह धारणा बन गयी कि जमीन, रेवेन्यू का मामला है तो आपका तो तीन पीढ़ी भी निर्णय नहीं हो सकता तो क्या कमी है? माननीय जगदीश जी, और भी कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये, तो तीन पीढ़ी क्यों लग रही हैं? 60 साल पहले के नियम हैं तो उन नियमों में ऐसा संशोधन किया जाए ताकि कम समय में कैसे फैसला हो। अगर चालीस साल के बाद में भी वही फैसला आता है तो आज चार सालों में क्यों नहीं आ सकता, इस बारे में गंभीरता से विचार कर यह लोगों की जो धारणा है कि जमीन के मामले में तो तीन पीढ़ी लगेगी। यह धारणा गलत है और इनके ऊपर भी आप विचार करें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि अभी हाल ही जो प्रमोशन हुआ आरआई. से नायब तहसीलदार बने। मैंने ध्यानाकर्षण भी लगाया, पर्ची के माध्यम से भी अपनी बात कही। कई माननीय सदस्यों ने भी यह सवाल उठाया। मैं चाहता हूं कि आप अपने जवाब में बताएं कि किस अधिकारी ने आपको अंधेरे में रखकर यह आरोप लग रहे हैं कि जो पात्र व्यक्ति है, आज वह नायब तहसीलदार नहीं बना और अपात्र

व्यक्ति नायब तहसीलदार बन गया। यह क्या कारण है? इसका भी आप जवाब देकर खुलासा करें। लोग कोर्ट में भी जाने वाले हैं। आज अपना फर्ज बनता है, अपन अपने ऊपर लेकर फैसला करके यह साबित करें कि यह अधिकारियों की भूल है, जो हम न्याय करेंगे और जो हकदार है नायब तहसीलदार का, हमने पहले भी मांग की। इसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है?

माननीय सभापति महोदय, एक ओरण के मामले में भी मेरा निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, भर्ती के मामले में, आज मांग भी है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग परीक्षा भर्ती कैलेण्डर जारी कर यह क्लियर कर दिया जाए कि संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर करें ताकि युवा दर-दर की ठोकरें नहीं खाएं और उनको मालूम पड़े कि कब परीक्षा है और संविदा पर लगे हुए हैं, उनके लिये भी कुछ न कुछ क्लियर और निर्णय किया जाएगा तो यह युवाओं के हित में और पेंशन वाले मामले में ..(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आधा मिनट लूंगा। हर पंचायत समिति में पेंशनधारियों के लिये एक दुकान अधिकृत की जाए ताकि उनके हित में होगा और बेरोजगारों के लिये समय पर भर्ती का विज्ञापन और परीक्षा का कैलेण्डर बनाया जाए।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, एक मैं एक कहानी के माध्यम से निवेदन करता हूं। पुराने भजनों में भी एक कहावत है कि एक बादशाह की दासी थी बानी और वह रोज बिस्तर लगाया करती थी फूलों की सेजों से। एक दिन उन्होंने सोचा कि बादशाह यहां रोज सोते हैं, कैसी नींद आती है? भूल से उसको नींद आ गयी। बादशाह ने देखा और 35 डण्डे उसके मारे तो जिसके डण्डे मारते हैं वह रोता है, लेकिन वह जोर-जोर से हंसने लगी। बादशाह ने कहा कि डण्डे लगने पर दुनिया तो रोती है और आप हंस रही हो। दासी ने जवाब दिया कि बादशाह, जिंदगी भर आप यहां सो रहे हैं, मुझे तो 10 मिनट भूल से यहां नींद आ गयी, तब 35 डण्डे पड़े तो आप जिंदगी भर यहां सोये, कितने डण्डे पड़ेंगे, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। इसलिए अहंकार किसी का नहीं चलता और जो अहंकार कर रहे हैं, हृदय के ऊपर हाथ रखकर यह मंथन करें कि स्थायी कोई नहीं आया है और अगर किसी की कोई भूल है तो यह सही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): राज चाहे किसी का हो, यह बोलने का असर जो सुझाव आये, माननीय सभापति महोदय, यह निर्णय और कुछ न कुछ इस बात पर गंभीरता होनी चाहिए। नहीं तो बात भले करें या नहीं करें, इस बात का लोकतंत्र में जो चार स्तम्भ है, यह आज समय ऐसा आ गया कि एक-दूसरे को बड़ा दिखाने के लिये, एक-दूसरे को कमजोर किया जा रहा है। बाकी दायित्व है कि एक-दूसरे का सपोर्ट करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करें और भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए और पुन: माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि मैं इंतजार करूंगा कि आप आर.आई. से नायब तहसीलदार के मामले में क्लियर करें कि किसने यह घोर पाप किया है, जो पात्र लोगों के साथ में अन्याय किया है। आप ईमानदार आदमी हैं, जवाब दें और हम अन्याय नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से, बोलने वाले जो वक्ता हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वह समय का थोड़ा ध्यान रखें। 10-12 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: अगर नहीं तो इनसे मिलकर के कल सुबह तक का समय कर लें। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बलजीत जी, एक मिनट।

कहानी, किस्सों की बजाय जिस मकसद से आज यह इश्यू रखा गया है, उसके संबंध में सुझाव दें कि सुधार कैसे हो। खराबी क्या है, यह तो हम सबको पता है। इसमें सुधार कैसे हो सकता है, यह बताइए आप। कहानी, किस्सों से थोड़े ही काम चलेगा। सुझाव दीजिए और सार्थक सुझाव दें, ताकि इसमें सुधार हो। श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, मैंने काफी मेरे साथी सदस्यों की पीड़ा को सुना। मुझे सदन में आए हुए एक साल से ज्यादा समय हो गया। अभी मदन प्रजापत जी अपनी पीड़ा बता रहे थे। इसमें मुझे ऐसी कोई चीज लगी नहीं, मुझे एक साल में ही समझ में आ गया। ऐसी गहरी बात नहीं लगी कि आपको समझ में नहीं आई हो।

(श्री बलजीत यादव)

सभापति महोदय, मैंने महसूस किया कि जो भी व्यक्ति सत्ता में आता है, वह यह भूल जाता है कि उसको सत्ता में जनता ने भेजा है, लेकिन वह वकालत में लग जाता है सरकारी अधिकारियों की। वह यह भूल जाता है कि सरकारी अधिकारी, यह भ्रष्टाचारी, किसी के सगे आज तक ही नहीं हुए हैं तो आपके कहां से होंगे। जो विपक्ष में चला जाता है, उसको फिर याद आता है कि गड़बड़ हो गई अपने से, यह तो बड़े गंदे लोग थे। हमने इनकी वकालत की और जनता में खराब हो गए। यह तो अब दूसरे के एजेंट बन गए। मैं कहना चाहूंगा कि आप दुःखी मत हो, यह तो चलता आ रहा है। समझेंगे तब समझेंगे लेकिन अपना काम करते रहो कि हम तो पाप में भागी नहीं हैं। उसी में आप संतुष्टि रखो। मानव स्वभाव हो गया। आप पाप के भागी मत बनो। बस इतना-सा ही ध्यान रखो।

सभापति महोदय, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह अधिकारी जान-बूझकर सुधार करना नहीं चाहते या जनता को परेशान करने में इनको आनंद आता है? मैंने गांवों में एक छोटी-सी चीज महसूस की। किसान केसीसी कार्ड बनवाता है। किसान को बैंक के द्वारा 6 (1) के 3 प्रोफार्मा दिए जाते हैं। उनकी 3 प्रतियां दी जाती हैं। उन प्रतियों को भरकर उसे तहसीलदार को देनी होती है। तहसीलदार उस पर नामांतरण खोलने के लिए पटवारी को आदेशित करता है। वह व्यक्ति फिर पटवारी के पास जाता है। पटवारी नामांतरण खोलकर उसको गिरदावर के पास भेजता है। वह व्यक्ति पटवारी को गाड़ी में बैठाकर के जैसे-तैसे हाथा-जोड़ी करके, पैसे, टके देकर गिरदावर के पास मिलान के लिए ले जाता है। मिलान कर लेता है, वह फिर पटवारी के पास आ जाता है। वह फिर वापस तहसीलदार के पास जाता है। तहसीलदार उसको स्वीकृत करता है। तहसीलदार उसको वापस पटवारी के पास भेज देता है। पटवारी उसके नामांतरण में रहननामा दर्ज करता है। उसके बाद वापस तहसीलदार के पास जाता है। तहसीलदार उस पर साइन करके, आदेशित करके बैंक को देने के लिए देते हैं। इस प्रक्रिया के लिए नियम तो बना रखा है कि 15 दिन में यह हो जाना चाहिए लेकिन अगर हम इसको व्यावहारिक रूप से देखें तो इसमें डेढ़ से 2 महीने लग जाते हैं। वहां एक वकील बैंक का होता है। उसके पास भी जाकर के लिखवाना पड़ता है। एनओसी लानी पड़ती है कि इसमे कोई केस, टंटा नहीं है। हजार, पंद्रह सौ रुपए वह वकील खोस लेता है।

(श्री बलजीत यादव)

पटवारी और उनकी चाय, नाश्ता-पानी में और डोलाफिरी में उस किसान से 8-10 हजार रुपये लूट लिए जाते हैं। इसमें डेढ़-दो महीने लग जाते हैं। किसी-किसी को तो 4-4 महीने भी लग जाते हैं।

सभापति महोदय, मैं इसमें राजस्थान सरकार को इतना-सा सुझाव देना चाहता हूं कि इसमें बैंक ऑनलाइन तहसीलदार को भेज दे और तहसीलदार उसको 7 दिन में ही ऑनलाइन रहननामा, म्युटेशन करके बैंक को भेज दे। इससे उस काश्तकार को लुटना, पिटना न पड़े। उसको चक्कर खाने न पड़ें। उसकी एनर्जी वेस्ट न हो। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता कि यह क्यों नहीं हो पा रहा है।

अभी झुंझुनूं में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। बैंक ऑनलाइन सब रजिस्ट्रार को भेज देगा और सब-रजिस्ट्रार बैंक को भेज देगा। वह आराम से हो रहा है। अच्छे से हो रहा है। 4 महीने पहले किया था। वह बिलकुल सक्सेसफुल है। मैं चाहूंगा कि इसको पूरे राजस्थान में लागू किया जाए। जिससे कि किसान को राहत मिले। 20 हजार रुपये एक बीघा के ऊपर उसको लोन मिलता है। 2-2 बीघा जमीन है। छोटी-छोटी काश्त हैं। 2 बीघा में 40 हजार लोन मिलता है और 8-10 हजार लुटेरे उसके लूट लेते हैं। कुछ मिलता नहीं है। उस आदमी का, उस किसान का इतना ज्यादा हरेसमेंट होता है, इतना ज्यादा अपमानित होता है तो राजस्थान की सरकार उसे बचाए। यह मैं आशा रखता हूं।

सभापति महोदय, दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि 1947 में देश आजाद हुआ। तब सैटलमेंट विभाग द्वारा आबादी का सर्वे करवाया गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि हम लोग चुन-चुन करके आ रहे हैं। हमसे पहले 7-7 बार के सदस्य आए हुए हैं। राजेन्द्र जी हैं, कटारिया जी हैं, मुझे नहीं पता कि यह इतने दिन यहां पर क्या कर रहे थे? लेकिन मेरी समझ में यह आया कि 1947 में सर्वे हुआ था। जनगणना हुई 1951 में। तब राजस्थान की आबादी 1 करोड़ 60 लाख थी। यानी 1947 में डेढ़ करोड़ के लगभग आबादी होगी। तब वह सर्वे हुआ था। अब राजस्थान की आबादी लगभग साढ़े 7 करोड़ होगी। लेकिन आज भी वह लाल डोरा जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं, वह 1947 वाला ही चला आ रहा है। सभापति महोदय, अब आबादी इतनी बढ़ गई तो

(श्री बलजीत यादव)

किसान कहीं न कहीं बसेगा। वह खेत में बस गया। अब उसको पट्टा नहीं मिल रहा है। अगर वह मकान को कन्वर्ट कराए तो जोइंट अकाउंट हैं। उसका खाता फटता नहीं है। वह कन्वर्ट भी नहीं हो सकती। अब उसको न लोन मिल सकता, न कुछ और हो सकता है। ऊपर से मन में आए जब उससे लूट-खसोट अधिकारी और कर लेते हैं कि आपने तो खातेदारी में मकान बना लिया, ढाणियां बस गईं। मैं यह चाहता हूं कि एक बार सरकार दुबारा से सर्वे कराए। इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं है कि सरकारों को समझ में ही नहीं आ रहा है। दुबारा सर्वे करवा लें। जहां आबादी है, उसको आबादी घोषित कर दें और उनका कन्वर्ट कर दें। उनका कुछ नोमिनल चार्ज भी रखें तो सरकार को फायदा ही होगा। लेकिन पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि दुबारा आबादी का सर्वे करवाया जाए। उस लाल डोरे का दुबारा निर्धारण हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार को जनता की बात बताना चाहता हूं कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में बना। इसमें 1962 में अमैंडमेंट हुआ। इसकी धारा 44 (ख) में एससी, एसटी की जमीन जनरल को नहीं बेच सकता लेकिन जनरल की जमीन किसी को भी बेची जा सकती है। तब उस टाइम की परिस्थितियां अलग थीं। तब यह था कि एससी, एसटी के लोगों को धमका करके उनकी जमीन को कोई खरीद लेता है। मैं जहां तक समझता हूं, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन अब राजस्थान की स्थिति तो कम से कम ऐसी नहीं है कि कोई एससी, एसटी के आदमी को दबा रहा हो। ईवन उसकी आड़ में मुझे तो यह लगता है कि कुछ लोगों का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि उस एक्ट में कोई बदलाव नहीं हो रहा। आज एससी, एसटी के आदमी की जमीन 25 परसेंट रेट पर बिकती है। अगर जनरल की है तो 75 परसेंट में बिकती है। उसको क्यों नहीं यह अधिकार दे दिया जाए कि एससी, एसटी का आदमी भी किसी को जमीन बेच सकता है, किसी की खरीद सकता है। एससी के किसी आदमी ने यदि जनरल की जमीन खरीद ली तो खरीदने के बाद उसकी जमीन की कीमत 25 परसेंट हो जाती है। यह उसके साथ इस वक्त अन्याय हो रहा है। उस वक्त सपोर्ट के लिए हुआ था। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो

(श्री बलजीत यादव)

वर्तमान परिस्थिति है, उसको देखते हुए सरकार यह बिल लाए। सरकार इसके अंदर संशोधन करे कि एससी, एसटी के लोग भी जनरल की तरह किसी को भी अपनी जमीन बेच सकते हैं। इससे मैं समझता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी। उनकी जमीनों की रेट बढ़ेगी जिससे उनको फायदा होगा। उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। उनका नुकसान नहीं होगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से हमारे बहुत ही काबिल शिक्षा मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि शिक्षक का काम शिक्षा देना होता है। हम भी जब पढ़े तो एक ही काम था शिक्षा देना। अभी वास्तव में आप देखेंगे, पिछली सरकारों ने पता नहीं क्या किया कि इतनी सूचनाएं उनसे मांगी जाती हैं कि वह गुरुजी पढ़ाना तो भूल गए। वह उन सूचनाओं को भेजने में ही दिन भर लगे रहते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, थोड़ा-सा समय और चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूंगा शिक्षा मंत्रीजी को कि अभी उनसे एक रिपोर्ट मांगी गयी कि टीएलएम में कितना पैसा पिछले दस वर्ष में आया, कितना खर्च हुआ, इसकी रिपोर्ट दीजिये। अब इसकी रिपोर्ट यहां पर जो समसा का कार्यालय है, उसके पास हर साल का रिकार्ड होता है, हर साल का होता है, वह दे सकता था। विधान सभा में किसी ने जानकारी मांगी, वह भी नहीं दे तो जिले में कार्यालय होता है समसा का, वह दे सकता था, उसके पास आंकड़े होते हैं लेकिन उसने भी नहीं दिया, उसने ब्लाक में भेज दिया। ब्लाक वाला दे सकता था, उसने भी नहीं दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): उसने नीचे मास्टरजी को भेज दिया। अब गुरुजी उसकी रिपोर्ट बना रहे हैं कि कितना खर्च हुआ, क्या आया। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह खामियां हैं व्यवस्था की, आपने कहा कि सुझाव दें, तो मैं सुझाव दे रहा हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। श्री अमित चाचाण।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापित महोदय, मैं इसलिये कह रहा हूं कि इसमें यह कहा जाए कि जो जरूरी हो तो ही उससे मांगी जाए सूचना। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम के अंदर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया सहयोग करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में खतम कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, पेंशन स्कीम पहले अलग थी, अब नयी पेंशन स्कीम में दस परसेंट सरकार देती है और दस परसेंट कर्मचारी का लेते हैं। रिटायर होता है तो चालीस परसेंट पैसा उसका शेयर मार्केट में लगा देते हैं, साठ परसेंट देते हैं, अगर वह मर गया थोड़े दिन में ही तो वह चालीस परसेंट सरकार जब्त कर लेती है, हड़प लेती है जैसे कोई लुटेरा हड़प लेता है। अब पहले आदमी नौकरी में लगता था तो यह कहता था पत्नी को कि तू घबराना नहीं, तुझे किसी के भरोसे नहीं रहना है, मैंने पढ़-लिखकर सरकारी नौकरी हासिल की है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं मर भी गया तो तुम्हें पेंशन मिलेगी। बच्चों को कहता था कि मैं मर भी गया तो तुम्हारी मां रहेगी तो सेवा करना, तुम्हारी मां तुम्हारी मदद करेगी। माननीय सभापति महोदय, सरकारें होती हैं वे जनता की सेवा करने के लिये होती हैं कोई कमाने-खाने के लिये थोड़े ही होती हैं?

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): 000

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

जिला प्रशासन, प्रशासनिक सेवाएं, राजस्व, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। जिला प्रशासन और प्रशासनिक सेवाएं वह कड़ी है कि धरातल पर जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलायी जाती हैं उनको पंक्ति के अंतिम छोर पर पहुंचाने का काम ब्लाक लेवल के अधिकारियों का, जिला प्रशासन का होता है। वह जनता के सामने किस तरह से राजस्थान की

(श्री अमित चाचाण)

सरकार काम कर रही है, किस तरह से उसकी छवि है इसका प्रदर्शन जिला लेवल के अधिकारी और ब्लाक लेवल के अधिकारी प्रदर्शित करते हैं। अगर वे सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, आमजन की भावनाओं को देखते हुए काम करें, सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाकर आमजन तक पहुंचाने का काम करें, तब राजस्थान की जनता की नजरों में आता है कि यह राजस्थान की सरकार संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी सरकार है, जवाबदेह सरकार। माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने अपने शासनकाल में सदैव यह प्रयत्न किया कि प्रदेश लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल तक का उनका अधिकारी सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करे। ऐसा नहीं है कि आज हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारी, सच्चाई के साथ काम करने वाले अधिकारियों की कमी है। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे अधिकारी हैं, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। कुछ ऐसे अधिकारी जो लालच में आ जाते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं पूरी सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। धरातल पर बैठा हुआ कोई भी कर्मचारी अगर कोई छोटी गलती करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसकी बदनामी का कलंक पूरी सरकार पर लगता है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बार-बार मीटिंगें कीं, अभी जो वीसी की, उन्होंने जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिये कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे कि पूरी सरकार पर बुरा असर पड़े और देश-विदेश में यह जाए कि राजस्थान के अंदर बैठे प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व के जो पांच साल का शासन रहा, तानाशाह सरकार रही, उन्होंने उनको बेलगाम कर दिया, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हम जन प्रतिनिधियों की भी होती है क्योंकि जब तक हम जन प्रतिनिधि ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तब तक शायद प्रशासनिक अधिकारी भी ईमानदारी से काम नहीं कर पाएगा। पिछले पांच साल के उनके कार्यकाल में प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से कुम्भकर्णी नींद में सोये रहते थे कि जब तक कि कोई बड़ा जन आंदोलन न हो जाए, घटना न घट जाए, तब तक वह शायद जिले के प्रशासनिक अधिकारी और ब्लाक लेवल के प्रशासनिक अधिकारी कुम्भकर्णी नींद से नहीं जागते थे।

माननीय सभापति महोदय, इन चौदह महीनों में बहुत से ऐसे कार्य

(श्री अमित चाचाण)

हुए, मैं मानता हूं कि कोई छोटी गलती भी की होगी लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री की वजह से हमारे प्रशासनिक और हाई लेवल के अधिकारियों की वजह से संवेदनशीलता के साथ जो भी काम में अड़चनें थीं, उनको दूर करने का काम किया। इसमें जिन भी अधिकारियों ने लापरवाही की, उसको दूर करने का काम किया, उसको सज़ा देने का काम किया, उसको हटाने का काम किया। ऐसी संवेदनशील और जवाबदेह सरकार हमारी रही है।

माननीय सभापति महोदय, पूरे तंत्र को सुदृढ़ करने के लिये हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अनेकों भर्तियां की हैं। चाहे 34682 नियुक्तियां की गयीं, 82000 प्रक्रियाधीन हैं, बजट घोषणानुसार 53 हजार भर्तियां की जाएंगी। जब तक हम इस तंत्र को मजबूत नहीं करेंगे, शायद तब तक हर जन कल्याणकारी योजना पंक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचाना मुश्किल होता है। इस बार मुख्य मंत्रीजी ने भर्तियों का जो पिटारा खोला है उससे युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, सैकड़ों-हजारों घरों में चूल्हे भी जलेंगे और आमजन के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने में भी आसानी रहेगी। इसके लिये भी मैं पूरे सदन की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो पटवारियों की भर्ती निकाली, नायब तहसीलदारों के जो काफी समय से रिक्त पद थे, उन पर नियुक्तियां दीं और जो तहसीलों को ऑनलाइन करने का काम किया जिससे कि काश्तकारों को बार-बार काश्तकारों को पटवारियों के चक्कर काटने पड़ रहे थे, उनको सुविधा मिलेगी और घर बैठे ही ऑनलाइन तरीके से वह हर तरीके से काम कर सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, समय का अभाव है, इसलिए मैं राजस्व मंत्रीजी को मेरे क्षेत्र की बात भी बताना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के नोहर और भादरा के लगभग 1800 काश्तकार ऐसे हैं जिनके 29430 बीघा जमीन गैर खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों में संशोधन करते हुए उनको कम दर में जमीनें आबंटित की जाएं जिससे कि उनको खातेदारी का हक मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, हनुमानगढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव है, फेफाणा, जहां पर लगभग बीस हजार

(श्री अमित चाचाण)

की आबादी है उसमें उप तहसील खोली जाए। हमारे नोहर विधान सभा क्षेत्र में पल्लू ऐसी उप तहसील है जो मेगा हाईवे पर आती है, जहां माता का भी वहां बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर लाखों श्रद्धालु भी पहुंचते हैं जिससे गांव की तहसील की दूरी 70 किलोमीटर हो जाती है तो पल्लू को उप तहसील को तहसील का दर्जा दिया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री अमित चाचाण (नोहर): आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों, जो बोलने वाले वक्ता हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को सात बजे बोलना है, मेहरबानी करके जो बचे हुए वक्तागण हैं, वह पांच-पांच मिनट में अपनी बात कहेंगे और सुझाव देंगे। (व्यवधान) ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपके दो घण्टे बोलने से कोई बहुत बड़ी धरती नीचे से ऊपर होने वाली है। (व्यवधान) क्या मतलब है? सुझाव कोई दे नहीं रहा है, कथा वाचक की तरह से कथा कर रहे हो। (व्यवधान) विराजिए। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। आपका अंकित नहीं होगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री सभापति: आप विराजिए, और बहुत दिन पड़े हैं बाकी, ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा इस तरह से। माननीय सदस्य, श्री रामलाल शर्मा। समय का ध्यान रखें, रामलालजी। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 4, 5, 8 और 15, जिला प्रशासन, प्रशासनिक सेवाएं, राजस्व, पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ की मांग पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि आज इस मांग के ऊपर जितने भी माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही है, सबसे पहले मंत्रीजी इस बात के लिए सुनिश्चित करें कि जिन भी माननीय सदस्यों ने जो बिन्दु उठाये हैं चाहे वे अपने विधान सभा क्षेत्र के हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के हों, उन सब माननीय सदस्यों को मंत्री महोदय के द्वारा एक पत्र

(श्री रामलाल शर्मा)

ऐसा जाए कि आपके मुद्दों को कार्यवाही करने के लिये और इस मुद्दे पर इतनी कार्यवाही हुई है, यह सुनिश्चित किया जाए तो मेरे ख्याल से आज की इस बहस का शर्तिया परिणाम निकलेगा।

माननीय सभापति महोदय, जहां बात अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कही थी, जयपुर जिला प्रशासनिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा जिला है। जहां आज से पन्द्रह-बीस साल पहले पूरे जयपुर जिले का एक ही कलेक्टर हुआ करता था, एक ही एसपी हुआ करता था लेकिन आज अगर इस तंत्र को देखें तो जिला कलेक्टर आज एक ही है और पुलिस महकमे को देखें तो जयपुर ग्रामीण का अलग एसपी बैठने लग गया, चार डीसीपी बैठने लग गये, ट्रैफिक का अलग डीसीपी बैठने लग गया, इसके अलावा भी अन्य एडिशनल एसपी के पद भी सृजित किये गये लेकिन जिला कलेक्टर का पद आज भी एक ही है। मैं चाहूंगा कि इसी बजट सत्र के दौरान इस बार घोषणा इसकी सरकार करे कि प्रशासनिक दृष्टि से एक और कलेक्टर हम जयपुर में और बैठाएंगे ताकि सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उन लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि जितने भी राजस्व न्यायालय हैं, चाहे वे तहसील से स्टार्ट होकर, चाहे वह तहसील है, एसडीएम है, एडीएम है, संभागीय आयुक्त हैं, राजस्व न्यायालय हैं, इनके अंदर लाखों प्रकरण आज भी पैंडिंग पड़े हैं। उन प्रकरणों का निस्तारण सरकार अभियान चलाकर करे या सरकार कोई न कोई प्रक्रिया इस प्रकार की निकाले कि उन प्रकरणों का निस्तारण एक सुनिश्चित तिथि के अंदर हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन आपके माध्यम से है। प्रशासनिक अधिकारी की दोहरी भूमिका होती है। एक तो वह प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करता है और एक प्रशासनिक न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करता है, लेकिन सभापति महोदय, जब न्यायिक अधिकारी के रूप में उस अधिकारी के सामने कोई भी प्रकरण आता है तो उस प्रकरण के सारे तथ्य दे दिये जाते हैं। उन तथ्यों के बाहर जाकर वह अधिकारी निर्णय करता है। आखिरकार, आप तो यह कहेंगे कि इसमें तो निर्णय कर दिया। आप

(श्री रामलाल शर्मा)

अपील में चले जाएं, उसमें जो होगा, वह देखा जाएगा, लेकिन सभापति महोदय, यह भी तो सुनिश्चित करें कि जिस प्रशासनिक अधिकारी ने न्यायिक अधिकारी के रूप में जो निर्णय किये हैं, सारे तथ्यों को दरकिनार करके निर्णय किये हैं तो कम से कम एक विजिलेंस की टीम ऐसी तो बने जो कि उन अधिकारियों के निर्णयों की समीक्षा करे कि उन्होंने जो निर्णय किये हैं न्यायिक रूप से, वे प्रलोभन के आधार पर किये हैं या मैरिट के आधार पर किये हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान में इस प्रकार की प्रक्रिया भी शुरू हो ताकि निर्णय करते समय अधिकारी के मस्तिष्क में यह बात हो कि मैं अगर तथ्यों के बाहर जाकर निर्णय कर रहा हूं तो उस पर कार्यवाही हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कई बार प्रशासनिक अधिकारी, जो लोक कल्याणकारी कार्य हैं, जमीन आबंटन के मामले हैं या कोई विकास के कार्य हैं, उनमें बिना सुनवाई किये अपना एक आदेश पारित कर देते हैं। सरकार के लाखों-करोड़ों रुपयों की योजनाएं डम्प हो जाती हैं। कई बार आबंटन के प्रस्ताव, कई माननीय सदस्य इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि ये हमारे स्कूलों के प्रस्ताव हैं, हमारे हास्पिटल के प्रस्ताव हैं, वे समय-सीमा में पूरे नहीं हो पाते। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के सरकार के लोक कल्याणकारी कार्य जो हैं, वे भी एक निर्धारित समय-सीमा में तय हों।

सभापति महोदय, जितने भी विकास कार्य हैं, जो जिला परिषद् के द्वारा किये जाते हैं, उनकी कोई मोनिटरिंग नहीं होती। कितने करोड़ का बजट किसने लगाया, कोई सड़क एक पंचायत में पांच साल चलती है और दूसरी पंचायत में एक साल में टूट जाती है तो वही विधायक कोष का पैसा, वही सांसद निधि का पैसा, दोनों जगह अंतर कैसे? जो काम गुणवत्ता के आधार पर नहीं हो रहे हैं, उनके ऊपर भी कम से कम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा। आज जिला कलेक्टर को इतना पंगु कर दिया, अगर आज मैं कहूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी के बहाव की वजह से सड़क टूट गयी, जिला कलेक्टर के पास पैसे नहीं, पीडब्ल्यूडी के एईएन-एक्सईएन कोई गड्ढा नहीं भरवा सकते तो कम से कम कुछ बजट इन्हें देकर, आज पीएचईडी की ऐसी स्थिति है मंत्री महोदय कि आपके पीएचईडी के एईएन को यह कह दें कि चार पाइपों को जोड़कर इस

(श्री रामलाल शर्मा)

पेयजल समस्या का समाधान करना है तो आपका एईएन कहता है कि साहब, बजट ही है। चार पाइप डालने का बजट नहीं है। कम से कम अपने नीचे के अधिकारियों को तो आप बजट दें कि इमरजेंसी सेवा के काम तो वे कर सकें।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन और करूंगा। जो पंचायतों के पुनर्गठन की बात सभी माननीय सदस्यों ने कही है, आज जयपुर में जब जिला कलेक्टर ने आठ प्रस्ताव पंचायत समितियों के बनाकर भेजे, सात प्रस्तावों की स्वीकृति होती है, आठवां प्रस्ताव रोक दिया जाता है, 49 पंचायत समितियां होने के बावजूद भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में दूसरी पंचायत समितियों का गठन नहीं हुआ।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, कई पंचायत समितियां ऐसी हैं, जिनका 2016-17 में भी गठन हो गया।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, बस दो मिनट।

श्री सभापति: समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। कोई जरूरत नहीं है इसकी। अंकित नहीं होगा। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: आप उनका समय ले रहे हैं। मैं पांच मिनट बाद उन्हें भी बैठा दूंगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोवरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, कम से कम आठ मिनट दे दें, इतना मेरा निवेदन है। मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर आज चर्चा हो रही है। इस पर बोलने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

का मौका देने के लिए धन्यवाद। सभी जन प्रतिनिधियों ने अपने मन की पीड़ा को आज यहां उजागर किया है और यह सही है कि जन प्रतिनिधि और अधिकारी मिलकर किसी भी प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर अधिकारी और जन प्रतिनिधियों के बीच में गैप रहा तो निश्चित है कि क्षेत्र का विकास कतई सम्भव नहीं है और इसी का एक जीता-जागता उदाहरण मैं आज यहां पेश करना चाहूंगी। मैं 2008 से 2013 में भी कांग्रेस राज में विधायक रही। 2013 से 2018 तक में भी रही, लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसका भी जब हनन हो जाए, आज 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, माननीय जिलाधीश महोदय को फोन की तो दूसरी बात है, लेकिन कार्ड भेजने में भी डर लगता है। आज तक एक वर्ष में जो भी कार्यक्रम हुए 14 महीने में, मुझे कोई पत्र नहीं मिला, कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला। मैं इस बात को यहां उजागर करना चाह रही हूं।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाह रही हूं व्यवहार की कि अधिकारियों का व्यवहार किस तरह का होता है। मैं उस हाड़ौती से आती हूं जहां से माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी जो कि मंत्री रहे, रघुवीर सिंह जी कौशल जो कि मंत्री रहे और हमने अधिकारियों को इस हालत में उनके सामने खड़े हुए देखा है, अगर किसी गरीब का काम बता दिया और अगर उसे गुमराह कर दिया तो हमेशा एक ही बात उनके मुंह पर होती थी कि हम नियमों को बनाने वाले हैं और अधिकारी हमें ही नियमों का हवाला देते हैं। आज किसी किसान को, गरीब को जिला कलेक्टर के कार्यालय में भेज दें तो दो-दो, तीन-तीन घंटे तक खड़े रह जाएं, चार दिन गुजर जाएं, तब भी मिलना सम्भव नहीं है। यह हालत है। कम से कम सरकार को इस बात पर विचार तो करना चाहिए कि जन प्रतिनिधियों की भी बात रखी जाए। जहां कहीं प्रोटोकाल का सवाल आता है तो जन प्रतिनिधि को सम्मान दिया जाए। सत्ता किसी की भी हो, उससे अधिकारियों को डर नहीं लगना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

मैं साथ ही कहना चाहती हूं, आज पटवारियों के क्या हालात हैं? मेरे 12 पटवार मण्डलों में कम से कम आधे से ज्यादा खाली हैं। यह हालत है। मेरा निवेदन है कि जो हमारे राजस्व के मामले आते हैं, जहां बहुत सारी बातें

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

आती हैं, पटवारी कुछ नहीं कर सकते। एक-एक किसान को जब आवश्यकता पड़ती है फसली ऋण के लिए तो ऑनलाइन तो दूर की बात है नकल लेने की, लेकिन पटवारियों के नकल लेने के लिए चक्कर काटते रहते हैं तो कम से कम इस स्थिति पर भी हमें काबू पाना चाहिए।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में जो अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश का कोर्ट चल रहा है, वह रैगुलर चल रहा है बून्दी के माध्यम से। मेरा निवेदन है कि उस कोर्ट को स्थायी किया जाए। अभी अस्थायी चल रहा है वह। तीन दिन चलता है। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1377 वहां पर हमारे केस आते हैं। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगी कि प्राइवेट क्षेत्र हमारे जितने भी हैं, जहां जो पेंशन कर्मचारियों को मिलती है, अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसकी पत्नी को वहां से किसी तरह की पेंशन नहीं मिलती। पहले मैंने बहुत सारी जगहों पर देखा है कि एसडीएम ने अपने आदेशों से कुछ जगह शुरू की थीं, लेकिन वापस पिछले एक वर्ष से वह पेंशन बंद कर दी गयी है, जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात मैं बता रही हूं। कम से कम वह पेंशन चालू की जाए, क्योंकि प्राइवेट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर को सिर्फ 1400 रुपये पेंशन मिलती है, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।

साथ ही, चाहे हम हाड़ौती की बात करें या प्रदेश की बात करें, जो हमारे कर्मचारी रिटायर होते हैं, उनके परिवार में मैंने एक ऐसी महिला को देखा है कि बारह महीने होने के बावजूद, हमारे राजस्थान में बारह महीने तक महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती जब पति की मृत्यु होती है और कोई कमाकर खिलाने वाला नहीं है तो उस महिला का क्या हाल होता होगा? आज तक पेंशन चालू नहीं हो पायी है। कोटा का एक मामला मेरे पास आया है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उनकी जगह जो पेंशन उनकी पत्नियों को मिलती है, वह तुरंत प्रभाव से चालू हो। जहां कहीं भी कागजी कार्यवाही की बात है, उसे हम बाद में पूर्ण करेंगे।

साथ ही निवेदन करना चाहती हूं, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (आरटीयू) की बात है। जो कर्मचारी हैं, पूर्व में स्वीकृत राज्य सरकार की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

पेंशन योजना में 2004 के पूर्व में कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय में एनओसी की वजह से राज्य सरकार अगर एनओसी दिलाती है तो उन कर्मचारियों को पेंशन लाभ मिलेगा, वर्ना किसी तरह का कोई पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

साथ ही निवेदन करना चाहती हूं, हमारा लाखेरी एसडीएम कार्यालय बना हुआ है और वहां से अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी परेशानियां आती हैं। लगातार बार-बार में एसडीएम का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से हमारे इतने काम बाधित हो रहे हैं, केशोवरायपाटन में मैंने देखा, लाखेरी में देखा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, तीन मिनट बोली हूं मैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): एम्पावर कमेटी जो हमारी एक बनी हुई है, उसकी जो हमारे एसडीएम अध्यक्ष होते हैं, वे समय पर मीटिंग नहीं करते और इसकी वजह से पट्टे वितरित नहीं हो पाते तो मेरा निवेदन है कि सरकार एक ऐसा आदेश निकाले, जिसकी वजह से तुरंत प्रभाव से लोगों को पट्टे मिल सकें।

श्री सभापति: समाप्त करें आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, मुझे तीन मिनट दिये हैं आपने। तीन मिनट दिये हैं मुझे।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, विराजिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: मैं आपको बार-बार कह रहा हूं। अभी छठे मिनट बोल रही हैं आप। पांच मिनट बोल चुकीं आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साथ ही, मेरा निवेदन है कि सैटलमेंट के माध्यम से, जितने सैटलमेंट होने के बाद में जो खामियां रहीं, उसकी वजह से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं और सैटलमेंट की कमी की वजह से आज किसानों की जमीन पर इतने लोग फर्जी तरीके से नामांतरण खुलवा-खुलवाकर वहां पर दादागीरी से काबिज होने के लिए आते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार एक इस तरह का आदेश निकाले कि जो भी सैटलमेंट की कमियां थीं, उन्हें एक शिविर लगाकर तुरंत प्रभाव से दुरुस्त करें जो खाता संख्या उनकी गलत हो रही है, यह भी मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। साथ ही मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जिला परिषद् की मीटिंग हो, चाहे पंचायत समिति की मीटिंग हो, चाहे हमारी जन सुनवाई हो....

श्री सभापति: समाप्त करें। समाप्त करें, हो गया, काफी हो गया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): उसमें कोई अधिकारी, एसडीएम तक मीटिंग में नहीं आते तो इसका भी आदेश निकाला जाए।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल। प्लीज, अब समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। श्री नारायण बेनीवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिए। प्लीज, शांति रखें। (व्यवधान)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। लगभग सारी बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तारपूर्वक अपने-अपने दिल की जो वेदना थी वह भी आपको बता दी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: इनकी धमकी भी मेरे लिए तो आदेश ही है। बोलने दें उनको, प्लीज। (व्यवधान) बिलकुल डरता हूं। चौमूं के नाम से ही थरथर कांपने लगता हूं मैं।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): संविधान के जो तीन पहिये हैं वे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है। आज देश की आजादी के 72वें साल में हमें इस बात पर गहराई से सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और मैं संक्षिप्त शब्दों में यह बात जरूर कहूंगा कि विधायिका और कार्यपालिका का जो गठजोड़ था या आपस में जो अच्छा कम्युनिकेशन था, वह कहीं न कहीं

(श्री नारायण बेनीवाल)

डिस्टर्ब हुआ है। उसी के कारण से आज जितने भी पूर्व वक्ताओं ने जो अपने मन की व्यथा बतायी उसका सबसे बड़ा कारण मैं इसको मानता हूं कि कहीं न कहीं विधायिका और कार्यपालिका में आपसी सामंजस्य की बहुत बड़ी कमी हुई है। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि इस मामले को बहुत गम्भीरता से लेकर, क्योंकि जब तक विधायिका और कार्यपालिका साथ नहीं चलेगी, जब तक इनमें अच्छा सामंजस्य नहीं होगा तब तक समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को यदि न्याय दिलाने की बात करते हैं तो बिलकुल बेमानी है। हम सबका मिलकर यह प्रयास होना चाहिए कि कहीं न कहीं प्रशासनिक सेवाओं में बैठे लोग और राजनीतिक रूप से जो जन-प्रतिनिधि हैं इनमें आपस में तारतम्य बिठाकर ऐसी कोई ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, जो पूर्ववर्ती सरकार 2008 से 2013 में थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 लेकर आये थे, बड़ा अच्छा लगा। उस समय के अखबारों के माध्यम से भी यह लगा था कि अब किसान और समाज के हर तबके को कहीं न कहीं उचित समय पर न्याय मिलेगा, लेकिन उस अधिनियम की भी हालत बहुत खराब हुई। इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासनिक अकर्मण्यता की बात तो है ही, उसके अलावा कहीं न कहीं हम जन-प्रतिनिधियों की भी नैतिक रूप से जिम्मेदारी है। आपके माध्यम से सब लोगों ने अपनी व्यथा बता दी, लेकिन कहीं न कहीं सरकारी सिस्टम में भी ऐसा होना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी और जन-प्रतिनिधिगण, इनके आपस में सामंजस्य कैसे बैठे, कोई ऐसा अभियान चले, ऐसे किसी की जिम्मेदारी तय की जाए ताकि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को हम लोग न्याय दिला सकें।

माननीय सभापति महोदय, कोटा से आने वाली विधायक चन्द्रकांता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उप खण्ड स्तरीय रात्रि चौपाल या जन सुनवाई के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने का आदेश आप जरूर पारित करें, यह मैं आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि छोटी-मोटी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाए। इसके अलावा जो गांव में व्यक्ति बैठा है वह अपने दिमाग में सिस्टम के प्रति, प्रशासन के प्रति बिलकुल नकारात्मकता लिये बैठा है तो उसकी उदासीनता दूर कैसे हो, सिस्टम के प्रति उसकी अच्छी सोच कैसे विकसित हो, इस पर गौर करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

(श्री नारायण बेनीवाल)

मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक कार्यालयों में नवीन जनसंख्या के अनुपात में जो कार्य बढ़ गये हैं उनके त्वरित निपटान हेतु विभिन्न वर्गों के पद सृजित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। इसके लिए भी कोई ठोस कार्ययोजना बने। माननीय सभापति महोदय, सार्वजनिक जवाबदेही कानून सही स्तर से लागू नहीं हो रहे हैं तो इसको लागू करवाने का आदेश सरकार से पारित करवाएं।

इसके अलावा प्रशासनिक सेवा और कर्मचारियों की भर्ती का जो सिस्टम है वह बुरी तरह फेल हुआ है चाहे वह हमारा आरपीएससी हो या कर्मचारी चयन आयोग हो, इन पर भी हर व्यक्ति कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इनकी परीक्षा का निर्धारित कार्यक्रम नहीं होने से और इसके अन्दर बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की बातें भी जब हम कहीं जाते हैं तब जरूर करते हैं इसलिए इसके लिए भी कोई ठोस कार्ययोजना की बहुत बड़ी आवश्यकता मैं समझता हूं।

मांग संख्या 8 पर जो राजस्व का मामला है, माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान जैसे प्रदेश में, जो बहुत बड़े भूभाग वाला प्रदेश है और इसका सबसे बड़ा विभाग राजस्व विभाग है जिसके अन्दर बहुत बड़ी तकलीफें भी हैं, लाखों मुकदमे लम्बित पड़े हैं। कलेक्टर और सम्बन्धित एसडीएम, हालांकि यह बात भी ठीक है कि प्रशासनिक दूसरे काम भी उनके पास बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी समय निकालकर जो राजस्व अधिकारियों के कार्य हैं वे उनको पूरा करना चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): इसके अलावा जो मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि कई जमीनें सिवायचक घोषित हो गईं तो अब्दुल रहमान वाले प्रकरण में मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था और इस काम को त्वरित दिखाकर हमारी जनता को न्याय कैसे मिले, इसके लिए कोई ठोस कार्ययोजना की जरूरत है। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सभी जो माननीय वक्ता हैं उनसे मेरा विनम्र आग्रह यह है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जो समय आपको मिलना है वह नहीं मिल पाता है। मुझे भी कोई खुशी नहीं होती कि मैं आपको बीच में टोकूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, इसलिए पांच-पांच मिनट। जो बाद में

(श्री सभापति)

वक्ता बचे हुए हैं उनको यह लगता होगा कि पहले तो 15 मिनट बोल लिये और हम पांच मिनट क्यों बोलें, यह आपका सोचना वाजिब है, लेकिन कई बार परिस्थितियां होती हैं। माननीय श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया, बड़े दु:ख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है....

श्री सभापति: दु:ख मत व्यक्त करिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): सभापति महोदय, हम विधान सभा प्रारम्भ होने से पहले आते हैं और अन्तिम समय तक बैठते हैं। सात करोड़ लोगों में से 200 लोग बड़ी मुश्किल से चुनकर आते हैं और जब से माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था कर दी कि यू-ट्यूब पर आपके क्षेत्र के वासी देखेंगे, आज मेरा इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था वह छोड़ा है। मैंने कहा कि हम वहां दूसरा वकील खड़ा नहीं कर सकते हैं, आप कोर्ट में तो दूसरा वकील नियुक्त कर सकते हो लेकिन यहां पांच साल तक आप दूसरा वकील नियुक्त नहीं कर सकते इसलिए, सभापति महोदय, यह बड़े दु:ख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम इस तरह से अपने आपको प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं कि जो पहले बोलते हैं वे एक-एक घण्टे तक बोल जाते हैं। हां, हम ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, वे ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन, सभापति महोदय, इसका मायना यह तो नहीं हुआ कि हम कोई योग्य नहीं हैं। हमारे जिस क्षेत्र की जनता ने हमारे से उम्मीद की है, आप लोगों ने नहीं की होगी, लेकिन उनकी उम्मीद पर तो हम हमारी बात रख सकें, खरा उतर सकें। धन्यवाद, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक। माननीय सदस्य, विराजें। आपको इतना व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): व्यथित होने वाली ही बात है।

श्री सभापति: विराजिये आप। मुझे अच्छा नहीं लगा, आप मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं। कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं चाहता कि आप अपने क्षेत्र की अपनी बात नहीं कहें लेकिन कई बार ऐसा होता है। अभी काफी टाइम बचा हुआ है, आप बोलें और यदि मैं इस चेयर पर बैठा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पहले दो-तीन लोगों के बीच में बुलाऊं। श्री सुरेश टाक। अभी

(श्री सभापति)

टाइम नहीं बढ़ेगा, प्लीज। माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बोलना है। आप विराजिये। श्री सुरेश टाक। अभी बहुत समय है।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): समय देख लेना 6.50 हुए हैं। धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं सीधे-सीधे मेरी बात पर आऊंगा क्योंकि समय कम है और मैं नहीं बोल पाऊंगा तो मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों की बात आपके सामने नहीं रख पाऊंगा।

श्री सभापति: आप बोलिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिले में आमजन की विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान, निस्तारण के लिए जन अभाव अभियोग सतर्कता समिति बनाई हुई है जो मेरे जिले में हर माह के दूसरे गुरुवार को बैठक होती है। मैं यह जानना चाहता हूं और आपसे यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि इस समिति में आये हुए प्रकरणों का शायद जल्दी निस्तारण हो इसलिए यह समिति बनाई गई है। यह समिति इसलिए बनाई गई है कि जहां उप खण्ड में या मेरे विधान सभा क्षेत्र के अधिकारी उस काम को नहीं कर पाये, वह जिला कलेकटर के पास जाएं और जिला कलेक्टर उन कामों को अपनी अध्यक्षता में उन अधिकारियों को निर्देशित करें और उन कामों का निस्तारण कराएं लेकिन, बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल, दो-दो साल, तीन-तीन साल बीत जाते हैं तो भी प्रकरण का निस्तारण नहीं होता। ये सतर्कता समिति जो जिले की सबसे बड़ी समितियां हैं उनका भी यही हश्र है तो फिर हम क्या शासन दे पाएंगे। हमें नहीं लगता कि हम कहीं गुड-गवर्नेंस दे रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जवाबदेही और पारदर्शी सरकार, हमारे मुख्य मंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं और वे चाहते हैं कि हम सब मिलकर जनता के दु:खों का, जनता की तकलीफों का निस्तारण करें।

मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा और माननीय मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि आप जिला कलेक्टर महोदय को निर्देशित करें। जो अधिकारी यहां बैठे हैं, वे इस बात को विशेष रूप से नोट करें कि कम से कम सतर्कता समिति के अंतर्गत जो प्रकरण आते हैं, उनका निस्तारण समय सीमा पर सुनिश्चित हो, यह तय करें। ऐसे अधिकारी जो समय सीमा पर इन कामों का

(श्री सुरेश टाक)

निस्तारण नहीं करते हैं, उनको दंडित भी करें। उनसे कारण भी पूछें, बिना कारण के वे देरी करते हैं, पक्षपात के रूप में या और किसी कारण से तो उनको दंडित भी करें। कहीं न कहीं हमारा मजाक उड़ता है कि हम लोग उनकी बात को ठीक ढंग से नहीं कह पाते हैं। अतिक्रमण के मुद्दे हैं, बहुत सारे जो सरकार के हित की बात है, चाहे वह श्मशान हो, चाहे वह चरागाह, चाहे खेल के मैदान हों, पूरा का पूरा गांव कलेक्ट्रेट के बाहर आकर खड़ा होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वे खुश होकर जाते हैं। वे हमेशा हर दिन तारीख लेकर जाते हैं, अगली तारीख, अगली तारीख् अगली तारीख ये कब तक होगा। कोई तो इसका समाधान करें कहीं तो, ये बैठकें सुनिश्चित हों, तय समय सीमा पर हों, बहुत सारी जगह में बहुत सारे जिलों में ये बैठकें नहीं हो रही हैं। कम से कम सतर्कता की बैठक समय पर हो और एक निवेदन और चाहूंगा, जिस तरह से पंचायत समिति में जन सुनवाई होती है, उपखण्ड अधिकारी और सारे विभाग के अधिकारी आते हैं। उसी तरह उपखण्ड में भी, शहरी क्षेत्र में भी सारे अधिकारियों के साथ उपखण्ड अधिकारी महीने में एक दिन जन सुनवाई करें, विधायक के साथ बैठकर, ताकि जनता की समस्याओं का निस्तारण हो सके।

जो सरकार की मंशा है हम लोगों की समस्याओं को कम करे या समाधान करे, वह सुनिश्चित हो। हमारी यह बात जनता तक पहुंचे और ऐसे ही एक यातायात समिति की बैठक होती है। बैठक होती है जिले में, मुझे 15 महीने हो गये, एक बार वह बैठक हुई है। पूरे जिले में यातायात सलाहकार समिति की एक बैठक हुई है 15 महीने में, क्या कारण है सर, एक बार पता तो करें कलेक्टर महोदय से, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ये बैठकें नहीं होंगी तो कैसे यातायात ठीक होगा, कैसे दूसरे विभागों से हम समन्वय करेंगे, किस तरह से काम होंगे, हम गुड गवर्नेंस नहीं दी पाएंगे। मेरा निवेदन है आपसे डीएमएफटी की बैठकें भी नहीं हो पा रही हैं। ये भी होनी चाहिए, डीएमएफटी एक अलग तरह का है, जहां पर खनन हो रहा है, वहां की सड़कें टूट रही हैं, वहां के डवलपमेंट के काम डीएमएफटी को करने हैं पर ये बैठकें नहीं होने से वे काम भी नहीं हो पा रहे हैं। केवल एकमात्र बैठक हुई है आज तक हमारे चुनाव जीतने के बाद तो मैं चाहूंगा सरकार कम से कम ये बैठकें समय पर सुनिश्चित करे।

मेरे विधान सभा क्षेत्र अरांई में एक उपखण्ड कार्यालय नवसृजित हुआ है। अभी तक न उपखण्ड अधिकारी वहां लगे हैं, न कोई कर्मचारी लगा है।

(श्री सुरेश टाक)

मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां पर स्टाफ लगा दें ताकि जनता को इस बात का फायदा मिले। हमारे मुख्य मंत्री की जो घोषणा हुई उस घोषणा का जनता को फायदा मिले और अधिकारी लगने से उन लोगों के कामों का निस्तारण वहां होने लग जाएगा और बहुत सारे ऐसे राजस्व के मामले हैं। जिनका निस्तारण दो अलग-अलग उपखण्ड तहसीलों में होने लग जाएगा तो शायद उपखण्ड अधिकारी का भार कम होगा।

एक मेरा निवेदन है छोटा-सा, छोटा लाम्बा एक मेरा गांव है अरांई पंचायत समिति का, माननीय मंत्री महोदय इसको थोड़ा विशेष तौर से सुन लें, बहुत साल से वहां का राजस्व नक्शा नहीं है जिसकी वजह से लोगों का सीमा ज्ञान, लोगों के लोन में दिक्कत आ रही है, छात्रों को दिक्कत आ रही है, आमजन को बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। छोटा लाम्बा का राजस्व नक्शा, मैं लगातार 15 महीने से चिट्ठियां लिख रहा हूं कलेक्टर साहब को, लगातार तहसीलदार जी को लिख रहा हूं लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। मैं आपसे निवेदन करता हूं इस राज्य के सबसे बड़े मंदिर में यह बात कह रहा हूं कि ऐसे किसानों का, ऐसे गांवों का जिनके राजस्व नक्शे नहीं हैं, उनके राजस्व नक्शे उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

तहसील में पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक इनके जो रिक्त पद हैं। उनका भी आपसे निवेदन करूंगा और बहुत सारी जगह आपने लगाये भी हैं। मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने मेरे यहां तहसीलदार भी लगा दिया, नायब तहसीलदार भी लगा दिये, लेकिन पटवारी और भू-अभिलेख निरीक्षक अभी भी बहुत सारे कम हैं। सर, जहां लगे हैं, वे आते ही नहीं, अपने मुख्यालय पर बैठते ही नहीं हैं इसलिए, जनता बार-बार चक्कर काट रही है। कम से कम इस काम को, क्योंकि यह एक कामन शिकायत है..

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): पूरे सदन ने यह बोला है। जी सर, खतम कर रहा हूं। इसीलिए, मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूं, ये कामन है। इस बात पर आप विशेष ध्यान दें, मेरा आपसे निवेदन है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा। मेरे किशनगढ़ में एक डाक बंगला बना हुआ है, वहां पर बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है जो किसी काम की नहीं है। न डाक बंगला काम आता है, न और कोई काम आता है, वह शहर के

(श्री सुरेश टाक)

बीचोंबीच है। उस जगह अगर विभाग स्वीकृति दे और वहां पर पार्किंग की सुविधा हो जाए तो मेरे शहर में यातायात की सुविधा ठीक हो जाएगी। खाली कार पार्किंग वहां हो जाए, हम कोई जमीन लेना नहीं चाह रहे हैं, न हम जमीन लेंगे, लेकिन शहर की सुविधा के लिए अगर वहां पर कार पार्किंग की सुविधा हमें उपलब्ध करा दी जाए, लोगों की कारें पार्क हो जाएं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): तो शहर की भीड़ खतम हो जाएगी।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सर, अंतिम बात बोल रहा हूं। पेंशन के मामलों में मेरा आपसे एक निवेदन है कि पेंशन के प्रकरणों की निस्तारण की समयावधि तय की जाए। आज भी पेंशन के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के मेडिकल की राशि नहीं आ रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिसने राज्य सरकार की सेवा की है, उनके मेडिकल की राशि नहीं आ रही है। उनको समय सीमा में किया जाए। आपने समय दिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज की डिमांड पर बोलने का मौका दिया। जब हमारी मां की कोख से हमारा जन्म होता है, तो पंचतत्वों से बनकर यह मानव शरीर बनता है और पंचतत्वों की जब मैं बात करूं तो हमारा सबसे पहला भगवान हमारे मां-बाप होते हैं। जो हमारा निर्माण करते हैं और निर्माण करने वाले भगवान में 'भ' मतलब भूमि, 'ग' मतलब गगन, 'व' मतलब वायु, 'आ' मतलब आग, 'न' मतलब नीर। इन पंचतत्वों से मिलकर जो मानव का शरीर होता है, वह भगवान का रूप होता है। जब हमारी 21 साल की उम्र हो जाती है और चुनाव लड़ने की उम्र में हम आ जाते हैं तो हमारे मतदान का, हमारे चुनाव का फैसला मतदाता करते हैं, जिनमें महिला और पुरुष शामिल होते हैं। मैं आप पर भी आऊंगा, साहब। एक दिन मैंने भगवान से पूछा कि मैं तेरी पूजा कैसे करूं तो भगवान बोले तू खुद भी मुस्कुरा और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह दे, मेरी अपने आप पूजा हो जाएगी।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

मित्रों, मैं इस भाव से कहना चाहता हूं सदन में जो बैठे हुए लोग हैं। वे जनसेवक हैं और दर्शक दीर्घा में बैठे वे लोग सेवक हैं। जब उस महिला और पुरुष के सांसारिक जीवन के 7 करोड़ की जनसंख्या के बारे में चिंता करने लगेंगे, लोक सेवक और जन सेवक मिलकर के उस भगवान रूपी मानव की सेवा करने का अपने आप मन बना लेंगे। राजस्थान की दशा अपने आप सुधरती चली जाएगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं चाहे लोक सेवक हो, जन सेवक हो, एक दूसरे को मान सम्मान देने की जरूरत है। जहां लोक सेवक को मान की जरूरत है, वहां लोक सेवक को भी मिलना चाहिए और जहां लोक सेवक को सम्मान मिलने की आवश्यकता है वहां जन सेवक को भी सम्मान मिलने की आवश्यकता है। कई बार जन सुनवाइयां होती हैं, अधिकारी देरी से पहुंचते हैं, जन सेवक, जन प्रतिनिधि को थोड़ा-सा बुरा लगता है, अखरता है। इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है।

मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले सीधे मैं अपनी मांगों पर आ जाता हूं, उससे पहले आप मुझे विराम डालें। राजस्व मंत्री जी बैठे हुए हैं, ऊर्जावान हैं और मुख्य मंत्रीजी के भी बहुत करीबी हैं। मैं आज यह कहना चाहता हूं कि मेरे यहां मण्डावर ऐसा उपखण्ड है, जहां पंचायत समिति इस पुनर्गठन में बननी चाहिए थी, इसमें करीब 45 ग्राम पंचायत शामिल हैं। उसके बाद भी पंचायत समिति नहीं बनी है। यह दु:ख का विषय है लेकिन उसके सब्स्टिट्यूट में मैं चाहूंगा कि मण्डावर को उपखण्ड बना दिया जाए और बैजूपाड़ा जो उप तहसील है, उसको तहसील बनाने की कृपा करें। साथ में बालाहेड़ी और खेड़ला बुजुर्ग से लम्बे से हमारे हरिसिंह जी महुवा विधायक रहे हैं, चार बार इस सदन में प्रतिनिधित्व किया है, उनका गांव है बड़ा कस्बा है। मैं निवेदन करूंगा आपके चरणों में कि उसको भी आप उप तहसील बनाने की कृपा करें।

आदरणीय सभापति महोदय, जब दौसा जिले का गठन हुआ था, जब महुवा तहसील को सवाई माधोपुर से हटाकर के दौसा में लगाने की बात आ रही थी तो बहुत सारे विवाद खड़े हुए थे। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आसपास वैर, कठूमर, लक्ष्मणगढ़ और महुवा मिलाकर, महुवा को जिला बना दिया जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, जिससे एक अलग टैरिटरी हो जाएगी, हम लोग वहां लड़ते, झगड़ते रहेंगे आराम से।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ठीक इसी तरह से हमारे जो लोक सेवक हैं, चाहे वह छोटा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, मैं आग्रह करूंगा एक छोटी सी बात का कि एक खाता जब उसका नामांतरण उसके बच्चे के नाम होता है और पटवारी जी की गलती से, जो सम्माननीय पटवारी जी हैं उनकी गलती से नाम में छोटी-मोटी गलती हो जाती है तो उसको 136 का दावा करना पड़ता है। उसमें आराम से संशोधन नहीं हो सकता है। इस पर भी हमको विचार करने की आवश्यकता है।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में खसरा नम्बर 765, माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को समझता हूं बहुत अच्छी तरह से जो लोग इस सदन में नहीं हैं, उन पर कोई भी आरोप लगाते हैं तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए, मैं नाम न लूंगा और न कोई ऐसी चर्चा करूंगा जिससे आपत्तिजनक हो, फिर भी मेरा आग्रह है आपसे, खसरा नम्बर 765 जो अजय सिंह जी राजपूत साहब के नाम है।

(19.00 बजे)

खसरा नंबर 815 जो श्रीमती पिंकी गुप्ता पत्नी श्री सुरेंद्र गुप्ता के नाम है जिस पर पीडब्ल्यूडी ने अतिक्रमण करके हेलीपैड बना दिया। 2006 में ढाई लाख रुपये प्राइवेट जमीन पर खर्च कर दिए। माननीय सभापति महोदय, मैंने 2 दिन पहले भी बात कही थी, आपने कहा अंकित नहीं होगा। मैं नियम और जो आपकी किताब रखी है उसके अनुरूप ही बोलने की कोशिश करूंगा लेकिन मेरा यह राइट है जो गुप्ता फैमिली जिनका पलायन होना शुरू हो गया था महुवा से जो लोग थे वह जयपुर जाना उनका शुरू हो गया था आज वह लोग कह नहीं सकते और मैं जबर्दस्ती उनके हेलीपैड बना दूं। माननीय सभापति महोदय, नगर विमानपत्तन विभाग से परमिशन लेने की आवश्यकता है और यह भी सच है कि कोई भी हेलीपैड बनाने के लिए इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं उनको फालो करना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): सभापति महोदय, बस एक मिनट बच रहा है मेरा। उनको फालो करना चाहिए। मैं आग्रह करूंगा कि उस गुप्ता फैमिली का क्या कसूर है जो उन्होंने जबर्दस्ती हेलीपैड बना दिया 29.05.2017 को। आपके नगर विमानपत्तन विभाग ने एक गाइडलाइन दी है, इस गाइडलाइन में फार्म डी भरना होगा और डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन विभाग से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके जिले का अधिकारी वहां जाएगा, चैक करेगा और मैं आपसे कहना चाहता हूं...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): एक मिनट। वर्तमान परिवेश में भारत और पाकिस्तान के कैसे संबंध हैं? कोई भी उस हेलीपैड पर हथियार डाल गया तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई बम डाल गया तो हमारा पूरा विधान सभा तहस-नहस हो जाएगा, क्या हाल होगा? मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, प्रशासन से, माननीय मुख्य मंत्री महोदय और राजस्व मंत्री जी से कि इस पर ठोस कार्यवाही करें और जिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने इसमें मिलीभगत करके और विधायक कोष से 2006 में जो निर्माण किया है, उसकी जांच हो और जांच होकर के दोषी अधिकारियों को सस्पैंड किया जाए और मैं तो आपसे यही अंत में कहना चाहूंगा कि हमारा जो राइट है, उस गुप्ता फैमिली की जमीन छूटे, राजपूत फैमिली की जमीन छूटे, उस बैरवा फैमिली की जमीन छूटे, जिन पर हमारे लोगों ने कब्जा कर रखा है जो अपने आपको बहुत-बड़ा आदमी समझते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज। विराजिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय सर्व समाज।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज सुबह से चर्चा हो रही है और जो चार महत्वपूर्ण मांगें हैं वह जनता से जुड़ी हुई हैं। जनता का जो भी काम हो, इन्हीं मांगों के आधार पर होता है। जिले के अंदर काम होता है और जिले के जो अधिकारी/कर्मचारी लगे हुए हैं, उनका सुधार कैसे हो, उनके नियमों में बदलाव कैसे हो वह प्रशासन के अंदर राजस्व पूरा जनता से जुड़ा हुआ है और पेंशन, जो अधिकारी/कर्मचारी नौकरी करके, उनका टाइम पूरा होने के बाद उनको पेंशन मिलती है, उसके अलावा जो सरकार द्वारा वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन है, उनके सुधार के लिए यह मांगें हैं। बहुत महत्वपूर्ण मांगें हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, राजस्व मंत्री महोदय और प्रशासनिक सुधार मंत्री महोदय कल्ला साहब विराजमान हैं, मेरा पहला निवेदन यह है कल्ला साहब से कि जो संविदा कर्मचारियों के लिए आपने कमेटी बनाई है उसकी 5 मीटिंगें हो

(श्री पदमाराम)

गई हैं, अभी तक उस पर क्या निर्णय ले रहे हो और आगे स्थाई करने की बात है, वह नहीं हो सके, अगर सरकार के पास संसाधन नहीं हो, तो उनके वेतन के अंदर तो बढ़ोतरी करो, यह मेरी मांग है।

दूसरी मेरी मांग है कि कर्मचारी, विद्‌यार्थी सब हड़ताल पर बैठे हैं जो एससी/एसटी का बैकलाग है, वह बैकलाग भरा नहीं गया, पीछे उनका चयन हो गया और आज दिन तक उनका चयन नहीं हो रहा है। उसके अंदर क्या कमियां हैं, उनको दूर करके मेहरबानी करके इसका सुधार करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि जो ग्रामीण इलाकों के अंदर पटवारी हो, ग्रामसेवक हो, वह लगे हुए हैं। पटवारी कई सालों से एक ही स्थान पर लगे हुए हैं और गांव के अंदर चुनाव होता है चुनाव के अंदर पार्टियां होती हैं, पार्टियों के अंदर एक-दूसरे के अंदर अनबन भी होती है और पटवारी वहां 15-20 साल से रहता है और किसी कारणवश किसी का नामांतरण करना हो, किसी का बंटवारा करना हो, उसके अंदर धांधली हो जाती है और धांधली होने के उपरांत नामांतरण का सुधार 20 साल तक नहीं होता है, 30 साल तक नहीं होता है तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसके अंदर कुछ नयापन करें, इसका कुछ सुधार करें। यदि किसी से गलतीवश हो गया और वह प्रूफ पेश कर दे और पूरा उसका परिवार उसके अंदर सहमत हो तो उसका शुद्धिकरण करने के लिए प्रावधान करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि गांव के अंदर एक ही नाम के कई लोग होते हैं और उनकी एक-दूसरे की जमीन की गलती से रजिस्ट्री हो जाती है जैसे जालौर के अंदर ऐसे कई मामले हैं और रजिस्ट्री गलती से हो गई, यदि अधिकारी की जानकारी में नहीं है या जान बूझकर कर दी, फिर वह तो जिंदगी भर की गई, उस जमीन पर वह काबिज है, काश्त वह कर रहा है, सब कुछ करने के बाद भी उसका सुधार नहीं होता है। रजिस्ट्री खारिज नहीं होती है तो, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसके बारे में नया प्रावधान लाएं, नया कानून लाएं, इस विधान सभा के अंदर अपन कानून बनाने वाले हैं तो इसका शुद्धिकरण करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पाकिस्तान से जो लोग यहां आए हैं उनको नागरिकता मिल गई है, उनको अपन ने जमीन दी, सब कुछ किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर ऐसे सौ-डेढ़ सौ लोग हैं, जिनको जमीन अलाट हो

(श्री पदमाराम)

गई थी। उस समय उनको नागरिकता नहीं मिली हुई थी और उस कारण से उनकी जमीन अलाट हुई खारिज हो गई। आज 50 साल से वह इस चीज के अंदर मांग कर रहे हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसके अंदर संशोधन करें। उनको नागरिकता मिल गई है, वे वहां रह रहे हैं और उस जमीन पर काश्त भी वे लोग कर रहे हैं, उनको जमीन अलाट करने की व्यवस्था करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि डीएमएफटी के अंदर जो जमीन अलाट हुई थी उसका अभी तक नामांतरण नहीं हुआ है। जमीन अलाट हो गई है, उसका कब्जा नहीं मिल रहा है। उसका कई बार हमने निवेदन कर दिया है। कई सरकारें आईं, उस साइड की आईं, इस साइड की आईं, आईं और चली गईं, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो मेरा निवेदन है कि इसके अंदर विचार करें।

तीसरा मेरा निवेदन यह है कि हमारी सरकार में 2008 के अंदर माननीय हेमाराम जी रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन्होंने आने-जाने के रास्ते के लिए एक कानून बनाया था। कानून तो बन गया, उस कानून के अंदर आज...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, मैं टाइम के अंदर ही बोलूंगा, ज्यादा नही बोलूंगा। आज समस्या यह है कि उस कानून के अंदर हर किसान की जमीन रहन है, उसकी जमीन लाखों रुपये की है और यदि एक बिस्वा, 2 बिस्वा जमीन देने के लिए भी अधिकारी/कर्मचारी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री पुखराज।

श्री पदमाराम (चौहटन): इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके अंदर सुधार किया जाए। आपने बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति जी, अभी जो प्रशासन की बात चल रही है तो जिला प्रशासन की जिला स्तर पर जो भी कमेटी बनी हुई है, चाहे सतर्कता समिति की हो, चाहे डीएमएफटी की हो, उसकी मीटिंग समय पर हो और उसमें जो भी पीड़ित आते हैं, उनका तुरंत निस्तारण होना चाहिए। वहां अधिकारी जो भी एप्लीकेशन आती है उसको कंसर्न बाबू को मार्क करके छोड़ देते हैं तो मैं समझता हूं यह जो मीटिंग है जिला स्तर की जिलाधीश की अध्यक्षता में जो

(श्री पुखराज)

होती है वह समय पर हो और उसमें जो भी एप्लीकेशन आए उसका तुरंत निस्तारण होना चाहिए ताकि गरीब जनता को न्याय मिल सके।

दूसरा मैं चाहूंगा हम सुशासन और पारदर्शिता की बात करते हैं गांव के अंदर, जैसे मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा जो पटवारी है उनके 50 परसेंट पद खाली पड़े हैं, तो निचले स्तर पर जो भी किसानों की समस्या है, चाहे रास्ते की हो, चाहे बंटवारे की हो, चाहे और कोई जमीन की समस्या हो, वह सारी समस्याएं लेकर किसान घूमता रहता है। एक पटवारी के पास में 3-3, 4-4 पटवार हल्कों का चार्ज है। कभी वहां जाते हैं, कभी वहां जाते हैं और परेशान होते हैं और उनको किसी तरह का न्याय नहीं मिलता है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जितने भी पटवारियों के पद खाली हैं, उनको तुरंत प्रभाव से भरा जाए।

दूसरी मैं मांग करना चाहूंगा मंत्री जी से आपके माध्यम से कि जो गरीब, दलित लोग हैं, जब यह सरकार बनी तब उनको बहुत खुशी हुई कि कांग्रेस की सरकार बनी है और हमें कम से कम रहने के लिए जो एक छोटा-मोटा मकान बनाने के लिए जो प्लाट है, जो कब्जा करके बैठे हैं, उसका पट्टा मिलेगा। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी गांव में उन गरीब और दलितों के रहने के लिए कहीं आवासीय जमीन नहीं है, या तो वह आगोर में बैठे हैं या गोचर में बैठे हैं या और किसी गैर मुमकिन जमीन के अंदर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरकार उन गरीबों के हित में एक ऐसा निर्णय ले ताकि वह जहां जिस जमीन पर काबिज हैं, उनको पट्टा मिले ताकि उनका भी अपने मकान का सपना पूरा हो।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी बंजारा वाले प्रकरण में नागौर पधारे थे, तब मंत्री जी ने उन पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों को रहने के लिये 300 वर्ग गज का यहां जमीन का पट्टा देंगे। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बारे में भी जल्दी ही कोई निर्णय करें ताकि उन गरीब परिवारों को न्याय मिल सके।

सभापति महोदय, ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनमें न्यू पेंशन स्कीम

(श्री पुखराज)

लागू होने के बाद जो टीचर्स और बहुत सारे कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन मात्र 1000-1100-1500 बन रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि वापस ओल्ड पेंशन लागू की जाए ताकि कर्मचारियों को उसमें लाभ मिल सके, उनको नौकरी का पूरा फायदा मिल सके।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): सभापति महोदय, एक बात और बताना चाहूंगा कि कम से कम उपखण्ड कार्यालय स्तर पर जो भी विधायक मीटिंग रखे उसमें उस उपखण्ड के सारे अधिकारी उपस्थित रहें, ऐसी एक व्यवस्था आपके माध्यम से होनी चाहिये। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री सुरेश मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व के कटौती प्रस्ताव पर सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। महोदय, भूमिहीन कृषकों को कृषि योग्य भूमि आबंटित करने के लिये राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन नियम 1970 में व्यापक प्रावधान दिये गये हैं जिसमें प्रतिवर्ष उपखण्ड अधिकारी द्वारा इस आशय की उद्घोषणा जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने के प्रावधान हैं तथा इसके पश्चात् आमंत्रित प्राप्त आवेदन पत्र आबंटन सलाहकार समिति के समक्ष परामर्श हेतु रखे जाते हैं जिसमें संबंधित माननीय विधायक, प्रधान, सरपंच, विकास अधिकारी, तहसीलदार एवं राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई एक व्यक्ति सदस्य होते हैं। इनके द्वारा नियमानुसार पात्र व्यक्तियों को नियम में उल्लिखित शर्तों पर भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आबंटन किया जाता रहा है। परंतु वर्तमान में इस प्रकार की न ही उद्घोषणा जारी होती है न ही आबंटन कमेटी का गठन होता है एवं न ही भूमि आबंटन काफी समय से किया जा रहा है। अत: प्रतिवर्ष नियमानुसार उपरोक्त बैठकें किया जाना अनिवार्य किया जाए, यह मेरा आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन है। मेरे पिताजी चार बार विधायक रहे, मैंने बहुत से कृषकों को और भूमिहीनों को आबंटन होते हुए देखा है, इसीलिए मुझे इस नियम का ध्यान है।

इसी नियम 1970 के उप नियम 20 में वर्षों से राजकीय भूमि पर काश्त कर काबिज व्यक्तियों को भूमि के नियमन के भी व्यापक प्रावधान हैं। जो व्यक्ति 20-30 वर्षों से राजकीय सिवायचक भूमियों पर भूमि सुधार कर

(श्री सुरेश मोदी)

अपने परिश्रम से काश्त योग्य बनाकर कृषि कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनको इन भूमियों के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने चाहिये थे परंतु आबंटन सलाहकार समितियों की समय पर प्रतिवर्ष बैठक नहीं होने से पात्र व्यक्ति इससे वंचित रह रहे हैं। अतः प्रतिवर्ष आबंटन एवं नियमन हेतु सलाहकार समिति की बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य किया जाए।

नीमकाथाना उपखण्ड क्षेत्र में इस प्रकार की अधिकांश भूमियों की किस्म प्रथम जमाबंदी में गैर मुमकिन पहाड़ अंकित है, जबकि मौके पर पहाड़ नहीं होकर काश्त योग्य भूमियां हैं। अतः गैर मुमकिन पहाड़ अंकित भूमियों के आबंटन, नियमन के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का श्रम कराएं।

महोदय, नये जिले बनाने में सरकार यह कह रही है कि 2021 की जनगणना के बाद नये जिले बनेंगे, तब तक मेरा निवेदन है कि नीमकाथाना की परिस्थितियों को देखते हुए एडीएम कार्यालय की स्थापना तुरंत की जाए। महोदय, सर्वे और सैटलमेंट के कर्मचारी सड़क की जमीनों को पीछे की जमीन व पीछे की जमीन को सड़क पर कर देते हैं। खातेदारों को उसकी दुरुस्ती के लिये बहुत परेशानी होती है। भारी केसबाजी करने के बाद ही वह सही हो पाती हैं। आम आदमी उसे ठीक नहीं करा पाता है। ऐसे मामले सामने आने पर उनकी जवाबदेही निश्चित होनी चाहिये कि यह कार्यवाही किस व्यक्ति ने की एवं जवाबदेही तय होने पर उसे सज़ा मिलनी चाहिये। चरागाह व वन भूमि में बसे हुए लोगों को रैगुलराइज किया जाए। वर्षों से लोग बसे हुए हैं बिजली, पानी के कनेक्शन हैं, सरकारी भवन भी उनमें बने हुए हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कोई नीति लाकर इन लोगों को नियमित किया जाकर पट्टे दिये जाएं। चरागाह व वन भूमि उनके बसने के बाद भी कई जगह डिक्लेयर कर दी गई है। नदी नालों की जमीन अधिकारियों द्वारा क्रेशर मालिकों व अन्य को आबंटित कर दी गई है। ऐसे मामलों की शिकायत करने पर तुरंत कार्यवाही की जाए, ऐसे निर्देश दिये जाने का मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं।

अंत में मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी जगह नोन जुडीशियल स्टाम्प की कमी है। खास तौर से डिमोनेशन के स्टाम्प की कमी है, इसके लिये जनता को ज्यादा पैसा देना पड़ता है, इनकी कमी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना।

सूचना

नदबई के कला विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा की मृत्यु

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत बोलने का मौका दिया। मेरे विधान सभा नदबई के हैडक्वार्टर पर अभी मेरी जानकारी में आया है कि कला विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसमें देवनारायण छात्रावास योजना के तहत बच्चियां शिक्षा ग्रहण करती हैं, वहां पर एक बच्ची जिसकी उम्र मात्र 17 साल है, अंकिता मीणा पुत्री घमण्डी सिंह, गांव धनोड़ा, बाड़ी, धौलपुर की रहने वाली बताई गई है, जिसकी अभी मौत हो गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आत्महत्या हुई है या हत्या हुई है, इसकी जांच कराई जाए। इस कला विद्या मंदिर में देवनारायण छात्रावास योजना के तहत अध्ययन करते हैं। इसकी पूरी अनियमितताओं की जांच हो और उस जांच में जो भी प्रबंधक दोषी पाये जाएं, उनके खिलाफ कार्यवाही हो। जो मेरी जानकारी में आया है अभी उस बच्ची का शव भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिये गया हुआ है। मैं मांग करता हूं कि बच्ची के शव की बोर्ड से जांच कराई जाए।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): पिछले दिनों इसी विद्यालय के परिसर में एक बच्चा, जिसकी उम्र मात्र 6 साल की थी, नरेन्द्र जाट पुत्र मानसिंह, जो कक्षा दो का छात्र था, उसकी भी आंख फोड़ी गई जिसमें जांच रिपोर्ट हुई थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती इन्दिरा देवी।

विधान सभा सदस्य के साथ मेड़ता में जिला अधिकारियों का आचरण

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे मेड़ता क्षेत्र में किसी की जमीन किसी के नाम हो गई, मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी उनका निरीक्षण करना चाहिये। दूसरा, जो शौचालय के दो हजार रुपये दे

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

दे उनके तो शौचालय बन जाते हैं और जो नहीं देता उसके शौचालय नहीं बनता। मैंने पूरे फार्म इकट्ठे करके दे दिये, उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं हास्पिटल में निरीक्षण करने के लिये गई थी तो पुलिस प्रशासन एक एमएलए को धमकी दे रहा है कि आपको 151 में बंद कर दूंगा। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि आपने ऐसे-ऐसे अधिकारी लगाकर बिठा दिये जो एक एमएलए को नहीं जानता कि एमएलए क्या होता है। 26 जनवरी को मैं गई थी, एसडीएम को यही पता नहीं कि एमएलए है या कौन है। मुझे साइड में बैठा दिया और जब तक झण्डारोहण नहीं हुआ तब तक मेरे को याद नहीं किया। ऐसे-ऐसे अधिकारियों को आपने बैठा दिया। मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि ऐसे अधिकारियों पर आपको जरूर ध्यान देना चाहिये। सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। आप सबको पता है कि मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूं और न ही बोलना जानती हूं, तो भी मैं आपके सामने इतनी कोशिश कर रही हूं कि सरकार को मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि मुझे माफ करें और मेरा काम मैं जो बोलूं उसे जरूर पूरा करें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा ...(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): 000

श्री सभापति: विराजिए, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। अंकित नहीं होगा। बैठिए। सरकार के संज्ञान में बात आ गयी, विराजिए। सुश्री दिव्या मदेरणा। बोलेंगी आप?

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): नहीं।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

अनुदान की मांग पर विचार

मांग संख्या 4, 8, 5 व 15 पर विचार

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष जी को और कार्य सलाहकार समिति को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि कई वर्षों के बाद आज इस मांग को हम इस सदन में डिस्कस कर रहे हैं। आज मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो समस्या उन्होंने अनुभव की, उसको बहुत अच्छे ढंग से यहां रखने का प्रयत्न किया है। मेरी आगे भी आप सबसे प्रार्थना है। जब सरकार के वोट का सवाल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आए तो आप अपने-अपने दायरे में रहकर वोट करें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन जब जनता की समस्या आती है, उस समय हमारे दिल और दिमाग खुले होने चाहिए कि हमको सुधार करना है तो पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं है। हम सब मिलकर कैसे सुधार कर सकते हैं? मुझे बहुत पीड़ा है, आज मैं कह रहा हूं कि कितने सालों के बाद मांग संख्या 4, 5, 8 और 15 पर डिस्कशन हो रहा है। दुर्भाग्य देखिए कि गैलेरी में न तो आपका कोई संभागीय आयुक्त है, न आपका कलेक्टर, न विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी है। हम यहां चिल्ला-चिल्लाकर दीवार को ठोक रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। आप और हम सब समझने का प्रयास करें।

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपके कहने के बाद रेवेन्यू सैक्रेटरी और डीओपी के सैक्रेटरी साहब सुबह से यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): जितने लोगों का पास बनता है, उतने ही लोग आते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या फर्क पड़ता है? अगर हम अपनी पीड़ा को कह रहे हैं तो यहां पर संभागीय आयुक्त और कलेक्टर बैठकर सुन रहे होते तो अपने विधायकों ने जो कुछ कहा, उससे कुछ तो उनको शर्म आती। एक महिला सदस्य ने जिस ढंग से अपनी पीड़ा का वर्णन किया है, अगर वहां का कलेक्टर यहां पर बैठा होता और वह सुनता तो मैं सोचता हूं कि वह भविष्य में कम से कम ऐसी गलती नहीं करता, लेकिन हमने इतना प्रभावी, इस मांग को रखा तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान की 70 प्रतिशत आबादी इन लोगों के अलावा किसी के पास नहीं जाती। सम्पूर्ण प्रशासन जो घूमता और जो लोगों की आवश्यकता महसूस होती है, वह आपके इन्हीं सब कर्मचारियों से है।

आप पक्ष और विपक्ष पर न जाएं, मैं बोल रहा हूं इसलिए इसको गलत मत समझिए। मैं बहुत ही खुले दिमाग से बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गांव के हर साधारण आदमी को इस प्रशासनिक ढांचे से जब काम पड़ता है तो उसके सुधार के लिए यदि हम सब मिलकर प्रयत्न करें तो क्या है? आपका और हमारा जनता हर पांच साल में रिनुअल करती है तो वापस इसी जगह आते हैं। इन लोगों का रिनुअल कौन करेगा? मैं आज आपको सुझाव दे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहा हूं कि अगर आपको इन प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर नीचे तक के लोगों को ठीक करना है तो रेडिकल चेंजेज करने की जरूरत है, जो हमने 72 सालों में नहीं किया है।

हर दस साल के बाद चाहे वह आई.ए.एस. हो, चाहे आई.पी.एस. हो, चाहे पटवारी हो, उसके कामों का कोई न कोई विश्लेषण और मूल्यांकन होना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो केन्द्र सरकार को भी अपनी सिफारिश भेजनी चाहिए। यह सब आप और हम सब भुगत चुके हैं। हमने यहां सात-आठ बार आकर झक मारी है। हमारा जब इन अधिकारियों से काम पड़ता है तो तब कौन टेलीफोन उठायेगा, कौन नहीं उठायेगा, कितने दिन के बाद उठायेगा? मतलब आपने इनको ऐसा बना दिया, जिस गरीब जनता की खून-पसीने से, आपको और हमको पहली तारीख को तनख्वाह देते हैं, वह भिखमंगे की तरह इनके सामने जाकर खड़ा होता है और हमको इसका दर्द नहीं होता। हमको इसका दर्द होना चाहिए। आप और हम उनको सर/माथे ढोकते-ढोकते, वह गाली देता हुआ आता है तो भी हम उसे प्यार से बुलाकर, बैठाकर उसको सुनने का प्रयास करते हैं। वह हमें दो ऊटपटांग बातें कहता है, तभी हम जन प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हमको पांच साल बाद उस जनता के दरवाजे पर जाना है, पर ये सारे के सारे लोग यह समझकर बैठ गये हैं कि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए आज की यह चर्चा, केवल चर्चा बनकर न रह जाए, न पक्ष और विपक्ष बनकर रहे। मैं दोनों मंत्री महोदय से प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, सदन से कर रहा हूं, आपसे कर रहा हूं कि निश्चित रूप से जब तक कार्यपालिका का काम करने वाले लोगों को ठीक नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता।

कल मैंने जो भाषण दिया था, उसमें क्या था? आपने अपना बजट पास कर दिया। आपने अपना बजट पास करके इनके हाथों में सुपुर्द कर दिया। अगर ये दो करोड़ के स्टेडियम का टेंडर नहीं लगा सके, नहीं निकाल सके तो यहां पर अपमान मंत्री जी का हुआ है। इनका क्या बिगड़ा? हम इतनी मेहनत करके सब चीजों को करने का प्रयास करते हैं, कहां-कहां से पैसा जुटाते हैं? कहां-कहां से पैसा निकलवाने का प्रयास करते हैं? उसके बाद जिनको कार्य रूप में परिणत करना है, वह बिलकुल सांप बनकर बैठ गये। इस पर गहराई से विचार करना जरूरी है। मेरी बात कड़वी हो सकती है लेकिन कई बार लगता है कि इनमें भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर हमें अपना तंत्र सुधारना है तो आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एसपी और कलेक्टर दो अच्छे लोग लगा दें, आपका जिला टनाटन हो जाएगा। इसको ध्यान में रखें। ये दो ही तो आधार हैं, जिसके कारण आपका सारा प्रशासन चलता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम इसको ठीक नहीं करना चाहते हैं। हम सब लोग, आपने और मैंने कितनी न्यूज़ें पढ़ी हैं कि मंत्री का सैक्रेटरी से टकराव। मंत्री कुछ बोलता है, सैक्रेटरी कुछ बोलते हैं। हम कुछ कहते हैं, वह कुछ कहता है। यह तमाशा नहीं है तो क्या है? यह लोकतंत्र का अपमान है। मंत्री महोदय, यह आपका अपमान है, यह लोकतंत्र का अपमान है। जो सात करोड़ जनता ने आपको और मुझे यहां चुनकर भेजा है, वह आपसे और मुझसे कुछ उम्मीद करती है। अगर हम गलत हैं, अगर हम बेईमान हैं तो हमारे खिलाफ कार्यवाही करें, कोई चिंता की बात नहीं। हममें से यदि कोई जन प्रतिनिधि बेईमानी करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन उसके कारण से सारे लोकतंत्र को अपमानित करने का अधिकार, एक परीक्षा क्या पास कर ली, जैसे कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां हो गया। क्या हमने इतने साल तक झक मारी है? मुझे बहुत पीड़ा होती है, एक छोटा-सा, अदना-सा आदमी, पटवारी आपको टिका देता है। पटवारी आपको टरका देता है। यह प्रशासनिक पकड़ होनी चाहिए। इसको करने का प्रयास करें, बाकी आप और हम सब प्रयत्न कर-कर थक गये, नीचे तक परिणाम इसलिए नहीं जाता है कि यह जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका को कोई चिंता नहीं क्योंकि इनको तो 30-35 साल का रजिस्टर्ड स्टाम्प मिल गया। आपको और मुझे नहीं मिलता, इसलिए बार-बार चिंता करते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज अगर यहां पर चीफ सैक्रेटरी बैठा होता तो उसके दिमाग में लगता, हम यहां पर झक मारने के लिए नहीं आते हैं। सवेरे से रात तक इसलिए नहीं बैठते हैं। हम चाहते हैं, चाहे सरकार आपकी हो या हमारी हो, वोट पड़े तब आपके अपने दायरे में रहें, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि कांग्रेस के लोगों ने भी उन हकीकत को जनता की तकलीफ को यहां पर रखने का प्रयत्न किया है। मैं माननीय सदस्य आपसे फिर प्रार्थना करता हूं कि सच्चाई को रखने का प्रयास करें। यह नहीं कि हमारी आलोचना कर दी, हम उस सच्चाई तक पहुंचने का प्रयत्न करें। मैं फिर अध्यक्ष जी को और कार्य सलाहकार समिति को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को हर साल रखिये। इन सब कलेक्टर को बैठने की जगह नहीं हो तो बैठने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की जगह दें। इनको पता लगे कि तुम्हारे द्वारा राजस्थान का नक्शा कैसा बनना चाहिए और कैसा बन रहा है? छोटी-सी गलती के कारण से आपको और हमको कितना उलाहना सुनना पड़ता है? इसको सुधारने का प्रयत्न करें।

आपने देखा होगा, न्यायालय के मुकदमों के बारे में आपको और हम सबको कहा है। इसके बारे में आपको कोई तो हल निकालने का प्रयत्न करना पड़ता है। मुझे बहुत दुख है कि कार्मिक विभाग में 16 सीसीए की कार्यवाही। मंत्री महोदय, अगर आप सारी फाइलों को निकलवाएं तो आदमी रिटायर्ड होकर घर चला गया, लेकिन उसका 16 सीसीए का निर्णय नहीं होने के कारण से उसके बच्चे पेंशन के मोहताज हैं। यह अनुभव उसको होता है। आप उसको फांसी लगाना है तो लगा दें। उसके साथ और कुछ करना है तो कर डालें, लेकिन उसे पैंडिंग रखकर उसको सताने का प्रयास मत करो, वह भी कभी तुम्हारे ही डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। कोई दुश्मन नहीं है। अगर उसकी गलती है तो दंड देना चाहे तो वह दंड दें, लेकिन उसको पटक कर रखने के कारण से, आपने देखा होगा कि मेरे यहां पर कई पैरा डिस्कस होते हैं। जब हम सज़ा देने की स्थिति में आते हैं तो हमको पता लगता है कि उसको रिटायर हुए तीन साल हो गये हैं। इसलिए कि वह पड़ा ही रहता है, फाइल वैसी रहती है, वह जब होता है तब दब जाती है ताकि उसके तीन साल पूरे हो जाएं, उसके बाद वह अमरया बनकर आपको मुझे और जनता को लूटकर निकल जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। कितनी ही बार इनको बुला-बुलाकर मोनिटरिंग करके थक गये, लेकिन फिर कोई न कोई टल्ला देकर फिर निकल जाते हैं। ये 16 सीसीए की कार्यवाही क्यों नहीं होती है? किस कारण से नहीं होती है?

एक और कड़वी बात कहता हूं मृतक राज्य कर्मचारी के बच्चे आपके और मेरे पास डेढ़-डेढ़, दो-दो साल तक भटकते हुए रोते हुए आते हैं। जिसके घर का कोई आदमी मर जाता है और खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसका बच्चा अगर हकदार है तो उसे नौकरी देने में कहां दिक्कत है। इस डिपार्टमेंट में नहीं तो उस डिपार्टमेंट में दे दो, इसमें खाली नहीं है तो उसमें दे दो लेकिन उसकी रोजी-रोटी तो चले। उसकी बूढ़ी मां को रोटी तो दे सके लेकिन कोई चिंता नहीं। इनको तो आया जो ही चल रहा है, वो नहीं मिला, ये नहीं है, बाबू नहीं है, फलां नहीं है, किसी को वेदना नहीं होती है कि अगर तुम मर जाओ और आपके बच्चे की यह दुर्दशा हो जाए तो तुमको कैसा लगेगा?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपने ऊपर विचार करके सोचो कि आखिर वह बच्चा आपसे क्या मांगने आया है? लेकिन उसका निर्णय नहीं होता है, टल्ला देते हैं इधर से उधर, यहां खाली नहीं है, वहां खाली नहीं है। ऐसे लोगों को प्रायोरिटी के आधार पर लेकर देखना चाहिए। जो रिटायर हो गया, वह पेंशन के कागज लेकर दो-दो साल तक दफ्तरों में रोता फिरता रहता है। इन्हीं के साथ बैठकर काम करता है और इनमें से ही कई लोग हैं, जो बड़े-बड़े आफिसर रहे हैं लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाता है तो इनका बाबू भी टल्ला देता है और इनको घुमा कर खड़ा कर देता है, उस दिन पता लगता है कि आफिसरी क्या होती है और काम करना क्या होता है? इस पीड़ा को समझने का प्रयास नहीं करते हैं।

जन-प्रतिनिधियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? यह आप और मेरे साथ ठीक व्यवहार करते होंगे क्योंकि हम पुराने हो गए, हमारी पहचान हो गई, हमको जानते होंगे इसलिए करते होंगे परंतु जो नये प्रतिनिधि बनकर आते हैं, इनकी तो छोड़ो, गांव का सरपंच भी जनता चुनकर भेजती है, सम्मान का तो हकदार है। वह किस पार्टी का है और किस पार्टी का नहीं है, यह अपनी जगह है। फिर मिलने का कोई समय तय नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपने इतना प्रयत्न किया तो कम से कम आपकी मर्जी हो जो सप्ताह में एक दिन रखो, दो दिन रखो, चार दिन रखो, कम से कम जनता को और जन-प्रतिनिधि को सुन तो लो। आपकी मीटिंग है तो कम से कम फोन से यह तो कह दो कि आज हमारी मीटिंग है, मैं दो बजे मिलूंगा। आपका एमएलए उस कलेक्टर के बाहर खड़ा रहता है डेढ़ घंटे तक। यह लोकतंत्र का सम्मान है? आज अगर यह कलेक्टर होते तो इनको पता लगता। ये सोचते हैं कि सारी चाबी हमारे हाथ में हैं, इसलिए चाबी इनके हाथ में हैं कि हम कमजोर हैं? बाकी इनकी नाक पकड़कर रगड़ सकते हैं, याद रखना। मजाक हो रही है, क्या हो रहा है? एक छोटा-सा अदना-सा आदमी हमको जिस तरह से धक्का देकर बाहर निकाल देता है कि आप हमारे आफिस में कैसे घुस आए? एक एमएलए को, सम्मान से कह दें कि अभी मैं मीटिंग में हूं, आप थोड़ी देर बाद में आना। निकल जाओ-निकल जाओ, ये शब्द बोलता है। ये लोकतंत्र का सम्मान है? अगर इस तरह से लोकतंत्र, ये सामने खड़े होते तब इनको लगता वास्तव में लोगों की पीड़ा क्या है, इसको समझना है।

दुर्भाग्य है कि ये जितने बड़े-बड़े अधिकारी ट्रैप हुए हैं और जिनकी आय से अधिक सम्पत्ति है, आधा-आधा पेज का अखबारों में जिनका छपा है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उनमें से एक भी व्यक्ति दंडित नहीं हुआ है। यह है हमारी व्यवस्था और छोटा-मोटा चपरासी आ जाता है तो बापड़े को बलि का बकरा बनाकर गिनती करा देते हैं कि हमने इतने लोगों को कर दिया। एकाध मारो तो शेर मारो रे। क्या गरीब को मारते हो? कर क्या रहे हो? जिस तरह से बात करते हैं, हर साल अधिकारियों की सम्पत्ति के बारे में इनको अपना एक कागज भेजना पड़ता है भरकर, कागज कौन-सा भेजते हैं, वो ही जो पिछली साल भेजा, वो ही इस साल भी भेज देते हैं, खाली-खाली, सम्पत्ति का विवरण। मेरी गारंटी है, मैं इतने साल के अनुभव के बाद बहुत इत्मीनान से कह रहा हूं कि आपके जितने भी कलेक्टर और अधिकारी हैं, जिस-जिस जिले में रहे हैं, अगर उनकी प्रापर्टी का आकलन करो, चाहे इसके नाम से हो या उसके नाम से हो, खान उनके पास होगी, प्लाट उनके पास होगा, जमीन उनके पास होगी और आप हमको ढूंढ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वास्तव में जिस प्रकार के हालात हैं उन हालातों को आपको समझना पड़ेगा। सम्पत्ति का जब ब्यौरा देते हैं तो कम से कम कुछ तो टैस्ट करो, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। नाराज मत होना, अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल हमारी एसीबी ने पकड़ा, उनको धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम उन्होंने वहां तक पहुंचने की कोशिश तो की। मैं चाहता हूं सरकार अगर वास्तव में इनको हिलाना चाहती है तो जो आइडेंटिफाइड लुटेरे हैं आपके विभागों में, जो आप जानते हैं और मैं जानता हूं, जनता जानती है, उनको डालो ट्रेकिंग में। कम से कम उनका भी चार महीने-पांच महीने ट्रेकिंग में डालकर साल में पांच-दस को उलटा कर दो तो तीन दिन में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है? तब जाकर प्रशासन सुधरेगा, बाकी नहीं सुधरेगा। बाकी तो ये मौका मिलेगा तो आपको और मेरे को उलटा टिका देंगे। हम इतना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जमीन पर मजबूती से खड़े हैं, इस कारण से, बाकी कौन इन पर माथा मारे? पता नहीं कल सवेरे जाकर के कौनसा घर सीज कर आए, इनको क्या है? बदला लेना ही इन्होंने सीखा है।

मैं सोचता हूं कि प्रधान मंत्री जी को भी हमारी विधान सभा की भावना की प्रोसीडिंग वहां भेजिए और उनको कहिए, निश्चित रूप से कानून में जहां बदलाव करना हो, हर दस साल के बाद इनका भी वापस मूल्यांकन हो और मूल्यांकन के आधार पर इनकी सर्विस को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा आदमी हो, उसका सम्मान करो, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन जिस प्रकार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के दागी लोगों ने इस सारे के सारे प्रशासन को गंदा कर रखा है। अभी आप देखें सबकी गाड़ियों में चिप लगाई है। आपकी और हमारी गाड़ी कहां घूम रही है? इसका तो पता लग सकता है। अब तो साधन आ गया, लगाओ यह कहां-कहां घूमते हैं? किसकी जगह जाते हैं? रोज शाम को आपकी जितनी बड़ी होटलें हैं, उसमें अगर आप शाम को 9 बजे जाओगे तो आपके कई अधिकारी वहीं मिलेंगे। मेरी गारंटी है। क्या दुर्भाग्य है इस देश का? जिस तरह के हालात बनाकर के रख रखे हैं, आप चिप लगाकर देखिए। अच्छी सेवाएं देने वाले को, मैं आज भी राय दे रहा हूं आपको रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, जो अच्छी सेवाएं देते हैं, उनको कलेक्टर साहब को बुलाएं, चाहे वह चपरासी ही क्यों न हो? साल में कम से कम एक फंक्शन जिला हैडक्वार्टर पर उन अच्छे काम करने वाले 10-15-20, एक फंक्शन के द्वारा लगे, ताकि अच्छे लोगों के आगे बढ़ने का मानस बने और लोगों को उसमें कुछ कम्पीटिशन होने की स्थिति पैदा हो, तब तो कुछ हो।

हम सब लोग ट्रांसफर के कारण से दुःखी भी हैं और सोचते भी हैं। मैं सोचता हूं कि जब हम किसी को तय करते हैं तो तीन साल से अधिक क्यों रहे? चाहे वह आपका पटवारी हो, चाहे मास्टर हो, चाहे कोई बढ़िया हो, अच्छा हो परंतु उसकी जगह बदल दीजिए। उसके कारण से नीचे कितना कचरा इकट्ठा हुआ है, उसका कुछ पता लगे। अब आप में से मैं कहना नहीं चाहता हूं, अगर आप लिस्ट उठाएंगे तो कुछ अधिकारी आरएएस हो, आईएएस हो, घूम-घूम कर वहीं जाते हैं। आखिर उनकी सीमा ये पद नहीं तो दूसरा पद, ये नहीं तो वहां, इस बीमारी को नीचे से लेकर ऊपर तक पटवारी तक, अगर आप वास्तव में प्रशासनिक सुधार चाहते हैं तो चाहे कोई मेरा भाई हो, मेरा लड़का हो, उसको यह तय होना चाहिए कि मुझे तीन साल में अपनी जगह छोड़नी है। अगला जो चाहे उसकी मनचाही जगह पर दे दो। 90 परसेंट तो मनचाही जगह में आपस में एक-दूसरे से बदला-बदली हो जाएगी लेकिन उस जगह से उनको हिला दो ताकि प्रशासनिक पकड़ अच्छी तरह से रहे। कई पोस्टिंग पर, फाइलों पर लगा हुआ है कि इस अधिकारी को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए। आप भी लगाते हैं, हम भी लगाते हैं। लेकिन वह सब इतने तगड़े कलाकार हैं, आप एक बार उन फाइलों को देखना कि किन-किन के यह नोट लगा हुआ है और कौन-कौन उसके बाद में फिर फील्ड पोस्टिंग में चला गया? तो फिर प्रशासन क्या आपको और मुझे मानेगा? कुछ नहीं समझ में आता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मैं सोचता हूं कि आपने उपखण्ड तहसील कार्यालय बड़ी संख्या में खोल दिए हैं। एक साल के लिए रुक जाओ। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं कर सकते हैं तो रुक जाओ। कोई आसमान नहीं पड़ेगा। इतना समय निकला है, कुछ और निकल जाएगा लेकिन इस पोस्ट को पूरी भरो ताकि जनता को जहां जाकर टकराव होता है, वहां कम से कम उस व्यक्ति को संतोष मिले कि मेरे को जो पीड़ा है, उस पीड़ा का हल है। खाली तो दो पोस्ट हैं, ये है ही नहीं, ये वहां चला गया, ये वहां चाय पी रहा है। इस हालत को बदलने की कोशिश करने का आपको और मेरे को प्रयत्न करना चाहिए, मेरे हिसाब से।

अभी आपने पटवारी और भू-अभिलेख का कम्प्यूटराइज्ड तो कर दिया लेकिन ये कम्प्यूटराइज्ड पूरा हुआ नहीं। इसके कारण से किसान बहुत भटकता है। कोशिश कीजिए कि जब आपने इतना अच्छा एक रास्ता निकाला है कि कम्प्यूटराइज्ड सिस्टम के आधार पर लोगों को उनकी नकल मिल जाएगी, बाकी चीजें मिल जाएंगी। अगर इसमें कुछ पैसा खर्च होता है तो इतना कर्जा तो हो ही गया, पांच-पचास हजार करोड़ रुपया और होना है तो हो जाए, कम से कम एक बार सिस्टम सुधरेगा तो हम एक साल में कमा कर वापस खजाना भर देंगे। हमारा लीकेज इतना है, उस लीकेज को भी रोकने का प्रयत्न करें तो हम खजाना भर देंगे। आपका और हमारा मन होना चाहिए कि खजाना कहां-कहां से भरा जाना चाहिए। हमारी करोड़ों रुपये की सम्पत्ति पर लोग बैठे हुए हैं, अरबों-खरबों, अकेला मैं यह कह सकता हूं आपको, देवस्थान विभाग कभी मेरे पास भी रहा है। देवस्थान विभाग की सम्पत्ति और उसके गहनों को ही अगर कोई ईमानदारी से एक जगह इकट्ठा कर ले तो खरबों रुपये की सम्पत्ति है, लेकिन उसमें कौनसा बदल गया और क्या हुआ? वो ईश्वर जानता है, कोई नहीं जानता। मतलब कोई देखने की कोशिश नहीं करता।

मैं सोचता हूं कि जाति प्रमाण पत्र और ये सब चीजें आपने ऑनलाइन की हैं, लेकिन आज भी लोगों को जिस तरह से टल्ला दे करके घुमाते हैं या तो वह आदमी आपको लिखे कि मैं इस आफिस में चार बार जाति प्रमाण पत्र के लिये गया। ऐसा कोई सिस्टम बना दो, जहां वह अपनी शिकायत डाल सके। फिर उसकी आप चैकिंग करें कि उसको चार बार वहां क्यों जाना पड़ा। तब तो आपको समझ में आएगा। एक छोटा-सा, साहब बाहर गये हैं, साहब बाहर गये हैं, ऐसा कह करके उसको, वह कहां, कोटड़ा से आया है और कोटड़ा से आकर वापस कोटड़ा जाएगा। उसकी पीड़ा को समझने की कोई कोशिश करेगा कि नहीं करेगा?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिला कलेक्टर को आपने इतना लाद दिया है, इतनी कमेटियों का मैम्बर है, कोई भी जिला कलेक्टर, चाहे मैं गुलाब चन्द कटारिया ही भले बन जाऊं, मैं ईमानदारी से उन कमेटियों की मीटिंग्स और अपना न्याय नहीं कर सकता हूं, कोर्ट में नहीं बैठ सकता हूं। मैं सोचता हूं कि आप इस बारे में दिमाग लगाइये, इस बारे में सोचिये कि अब जिले में, जो बड़े जिले हैं, वहां आपको दो कलेक्टर, विकास के लिये एक अलग कलेक्टर दे करके, वहां भी आपने जितने सी.ई.ओ. लगाये हैं, वे भी सारे के सारे आई.ए.एस. हैं। मैं सोचता हूं सिस्टम को इम्प्रूव करिये, ताकि वर्क लोड कैसे कम पड़े, तब तो जा करके, कुछ अच्छे कलेक्टर भी हैं, जो वास्तव में पूरी मेहनत करते हैं। पूरी मेहनत करते हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन वे अच्छे कलेक्टर भी दब जाते हैं उन कुछ लोगों के कारण से, जिनके कारण से जिला कलेक्टर की इतनी कमेटियां बना दीं कि वे वास्तव में मीटिंग्स में ही घूमते रहते हैं।

स्थानान्तरण जो है, अब इन पोस्ट्स पर भी स्थानान्तरण छह महीने में तीन बार हो जाएगा। यह जो आप और मैं, मैं भी उसमें दोषी हूं, मैं अपने आपको अलग नहीं करता हूं लेकिन कुछ अपने को मन बनाना पड़ेगा, अगर कुछ सुधार करना है तो, अगर आदमी को लगाओ तो उसकी योग्यता के आधार पर लगाओ। चाहे उसके बाद कोई भी सिफारिश करे तो उसकी इच्छा है, वह जो भी चाहे तो चाहे।

राजस्व अभियान हम लोगों ने चलाया था। आप लोगों ने न्याय आपके द्वार के रास्ते से, हमने लगभग दो-ढाई लाख छोटे-छोटे मुकदमे, यानी किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा है तो उसके बारे में है, नामांतरण नहीं हुआ तो उसके बारे में है। उसकी निशानदेही है तो उसके बारे में है, रास्ते के झगड़े हैं तो उसके बारे में है। इतने केस निपट गये, मैं सोचता हूं इस प्रक्रिया को आप जिस लेवल पर भी ले जा सकते हैं, ले जाएं ताकि कम से कम उसको तुरन्त वहीं का वहीं न्याय मिल जाए तो वह जिस प्रकार से भटकता है, वह नहीं भटकना पड़े।

स्टाफ के बारे में तो मेरा फिर आपसे एक बार निवेदन है, अगर अपन दूसरे डिपार्टमेंट, जिसमें इतनी आवश्यकता नहीं है, इसको पूरा कमप्लीट कर दो, ताकि वास्तव में हम जहां से अर्निंग करना चाहते हैं और जहां सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, उसको अच्छी प्रकार से करें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिला कलेक्ट्रेट में अगर आप जाओगे तो चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी मिलेंगी। कारण क्या है कि जो जिला कार्यालय हैं, वे बहुत पुराने हैं। वहां कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। उसके कारण से, वह जितना अव्यवस्थित दिखता है, तो जब कलेक्ट्रेट कार्यालय भी व्यवस्था में नहीं आ सकता है तो बाकी दफ्तर क्या व्यवस्था सीखेंगे? कोशिश करिये, या तो उनको अण्डरग्राउण्ड पार्किंग दीजिये और नहीं तो उनको शिफ्ट करके दूसरी जगह करिये।

आज जिस जगह उदयपुर का कलेक्ट्रेट है, अगर आप उसको बेचेंगे तो उससे इतना पैसा आयेगा कि आपकी पांच किलोमीटर दूर का कलेक्ट्रेट उसी पैसे में बन जाएगी, यह मेरी गारंटी है। लेकिन मन बनाना पड़ेगा, तब जा करके इस सिस्टम को सुधार सकेंगे। अब ये जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता की कमेटियां हैं, कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बैठने की व्यवस्था नहीं है। जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वे मापदण्ड के अनुसार नहीं हैं। सिर्फ अनुमोदन, मैं यह नहीं समझ पाया। सी.ई.ओ. जिस बात की सैंक्शन निकालता है, उसकी कंफर्मेशन के लिये कलेक्टर के पास भेजता है। क्या जरूरत है? उसके कारण से फाइल डिले होती है। मतलब उस फाइल को डिले होने से बचा सकते हैं। वहां भी आपका सी.ई.ओ., जहां भी लगा हुआ है, वह आई.ए.एस. आफिसर है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ होगी। मैं सोचता हूं कि उसके कारण से कामों में जो डिले होता है, वह किसी प्रकार से रुक जाएगा।

मैं आपको यह कहता हूं कि पेंशन, आप और मैं जब कभी यहां से निकलेंगे न तो इस पेंशन के भरोसे ही अपना बुढ़ापा गुजरेगा। जो आदमी पेंशन के लिये निकलता है न, वह उस उम्र में जाकर निकलता है कि फिर उसके पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं होता है। उसमें भी आपने देखा होगा कि 2016 के पहले के जो लोग रिटायर हो गये, 2016 के बाद में जो लोग रिटायर हुए हैं, आपका डिपार्टमेंट उनकी पेंशन तय कर देता है, उनको जो भी, आपका डी.ए. बढ़ा है, यह बढ़ा है, उसका जो लगाना है, लगा देता है, लेकिन इससे पहले के जो पेंशनर हैं, वह आज भी आपके जिला कलेक्ट्रेट में जाता है। अब आप उठा करके देखना,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपकी हर जिला ट्रेजरी में हजारों केस पैंडिंग पड़े होंगे और छोटे से काम के लिये, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनके पास इतना स्टाफ नहीं है, उनके पास इतना काम नहीं है। वह आदमी तो इंतजार कर रहा है कि उसको पेंशन समय पर मिल जाए।

अब आपने देखा होगा कि पहले हमने पेंशनर्स को कुछ हास्पिटल्स के लिये अलाउ कर रखा था। जैसे मैं तो उदयपुर की कहता हूं, उदयपुर में गीतांजलि हास्पिटल उसके लिये था, अमेरिकन हास्पिटल उसके लिये था, चौधरी हॉस्पिटल उसके लिये था, एक और हास्पिटल उसके लिये था। आपने केवल उसका रिन्युअल नहीं किया, केवल कितना सा कागज है कि उसको वापस आपने अधिकृत नहीं किया। उसके कारण से वे चक्कर मार रहे हैं। अब कितना सा काम है, बहुत छोटा-सा काम है। इससे कई लोगों को रिलीफ मिल जाता।

अभी आपने देखा होगा कि यह जो स्टेट गवर्नमेंट हैल्थ सर्विस है, इसके तहत हास्पिटल्स का जो आपका काम है, जो कहीं जा करके जांच कराता है, जांच कराता है तो उसको केवल और और केवल गवर्नमेंट हास्पिटल की जो रेट है, वह रेट देते हैं। अब आपने अलाउ तो कर रखा है, जिन हास्पिटल्स को, 52 हास्पिटल्स में जांच का जो पैसा लगता है, उसकी रसीद भी वह पेश करता है, लेकिन आपका डिपार्टमेंट यह कहता है कि हम तो केवल उतना ही देंगे, जितना सरकारी अस्पताल में इसका पैसा मिलता है। यह न्याय नहीं है। या तो आप उनको बिलकुल मना कर दें कि आपको जो भी जांच करानी हो, वह सरकारी अस्पताल में ही करानी पड़ेगी, हम आपको दूसरों का पैसा नहीं दे सकते। अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ घोटाला है, कहीं गलत चीज हो रही है तो उसको सुधार लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये हास्पिटल इस स्तर के हैं तो फिर आपको उनके अनुसार पैसा देना पड़ेगा।

अब पेंशनर्स की दवाइयां हैं। ये आपका सहकारी उपभोक्ता भण्डार देता है। अगर वहां नहीं मिलती है तो एक पर्ची देता है। उस पर्ची के आधार पर वह बाहर से, कहीं से भी खरीद सकता है। खरीद तो लेता है लेकिन खरीदने के बाद जब वह बिल लगा करके आपको सब्मिट करता है तो आपका डिपार्टमेंट 10 प्रतिशत उसमें से कटौती कर लेता है। अब मैं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सोचता हूं कि इससे ज्यद्दा तो वह क्या प्रूफ रखेगा, जो उसके पास बिल है, वही तो आपको लगा रहा है। अगर इसमें भी कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करें। पर इस सिस्टम के कारण से यह 10 प्रतिशत अपनी जेब से उस बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद भर सकेगा क्या? जिसको कि ज्यादा दवाइयां जो है, वह एक सर्टेन उम्र के बाद दवाइयों की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कारण से उसकी मजबूरी हो जाती है। अभी जो बड़े हास्पिटल हैं, कम से कम वहां वृद्धों के लिये, जब पेंशनर लाइन में खड़े होते हैं, आप और मैं भी कभी हास्पिटल जाता हूं, उस 80 साल की उम्र में न तो वह खड़ा रह सकता है, न कुछ कर सकता है। लाइन में खड़ा रहता है तो उसका नम्बर चला जाता है। उसके लिये कोई अलग से सिस्टम बना दो और कम से कम एक वार्ड ऐसा बना दो ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): एस.एम.एस. में हमने शुरू कर दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ठीक है।

नहीं तो एक वार्ड अलग बना दो, जिस वार्ड में कम से कम उसको सुविधा मिल जाए और उसके अनुसार, मैं सोचता हूं केवल सिस्टम चेंज करना है, आपको जहां जगह खाली हो, कम से कम बड़े हास्पिटल में आप अलग से वार्ड बना दें, जहां वे रखे जा सकें। अगर कोई बीमारी विशेष है कि वहां रखना सम्भव ही नहीं है तो उसके बारे में छोड़ दीजिये। इसके कारण से भी आप पेंशनर्स को बहुत बड़ा आराम दे सकते हैं।

मैं सोचता हूं कि जितना भी है, अगर शत-प्रतिशत भुगतान हो, मेरी फिर प्रार्थना है, मैं मन से बेहद खुश हूं कि आज अध्यक्षजी ने और कार्य सलाहकार समिति ने इस डिमांड पर कई सालों के बाद डिस्कस करने का मौका दिया। इसको आप हर साल लगाइये और इन सब बड़े-बड़े अधिकारियों को हमारे मन की पीड़ा सुनने के लिये यहां बैठाइये ताकि कम से कम इनके अन्दर अपनी इंसानियत जगेगी कि जो अपना पेट काट करके तनख्वाह से आपको और मेरे को पाल रहा है, वह कम से कम अपना माई-बाप है। वह यहां ठोकरें खाता फिरे और हम उसको टल्ला देते फिरें। यह हमारी इंसानियत नहीं होगी। मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात खतम करता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

व्यवस्था

विधान सभा सदस्य के साथ मेड़ता में जिला अधिकारियों का आचरण

माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य श्रीमती इन्दिरा देवी ने अपनी जो पीड़ा सदन के समक्ष रखी है, मैं चाहूंगा कि आप पूरी तरह से उनको बुला करके उन्हें सुनें, उसका संज्ञान लें।

मुख्य मंत्री महोदय की पहली प्राथमिकता है गुड गवर्नेंस और इसी भावना को देखते हुए माननीय अध्यक्ष और कार्य सलाहकार समिति ने जो आज की खास तौर से मांगें रखी हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रशासन चुस्त-दुरुस्त हो, और सुशासन की जो उनकी कल्पना है, वह पूरी तरह से साकार हो। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह चाहूंगा कि सारे प्रशासनिक आफिसर्स की मोटिवेशनल ट्रैनिंग हो, उनमें यह भावना पनपे कि यह स्टेट उनका है, sense of belonging हो और अकाउंटेबिलिटी तय हो, इसके लिए विशेष रूप से मोटिवेशनल कैम्प और मोटिवेशनल ट्रैनिंग सारे प्रशासनिक आफिसर्स की आप निश्चित रूप से लगाएं क्योंकि पूरे सदन की जो पीड़ा है, मैं भी यहां पर पूरे समय तक बैठा रहा हूं, सदन का हर माननीय सदस्य यह प्रसव पीड़ा चाहे इधर के हों, चाहे से उधर के हों, हर माननीय सदस्य पहले पीड़ा से गुजरा है और भविष्य में भी गुजरेगा। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि मैंने जो अपनी बात रखी है, आप माननीय मुख्य मंत्री महोदय तक पहुंचाएं और एन्श्योर करें कि मोटिवेशनल ट्रैनिंग और sense of belonging पैदा हो और अकाउंटेबिलिटी पैदा हो।

श्री हरीश चौधरी।

अनुदान की मांग पर विचार

मांग संख्या 4, 8, 5 व 15 पर विचार

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं माननीय सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मांग संख्या-8 राजस्व विभाग में अपने-अपने बहुत अमूल्य सुझाव दिये हैं इसलिए मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्दजी कटारिया साहब, नेता, प्रतिपक्ष ने भी अपने काफी अनुभव के आधार पर वहां से लेकर और तमाम विधायक महोदय ने जो बात कही है, मैं यही विश्वास सदन को दिलाना चाहता हूं कि तमाम विधायकों की जो बात है, उसको गंभीरता से मेरा राजस्व विभाग लेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

पक्ष और प्रतिपक्ष यह तो लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था है। लोकतंत्र पक्ष और प्रतिपक्ष से ही चलेगा। रेल के चीलें जैसे पक्ष और प्रतिपक्ष रहता है अगर पक्ष और प्रतिपक्ष में से एक भी चला जाएगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा इसलिए विपक्ष का भी मैं बहुत आदर करता हूं। विपक्ष की भी जो भावना है उसकी भी मैं कोशिश सच्चे मन से करूंगा कि आपकी भावनाओं को मेरे विभाग के अंदर कैसे लागू कर सकूं, इसका पूरा प्रयास करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, काफी सम्माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, मैं सभी का जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समय सीमा आपने तय की हुई है। मैं कोशिश करूंगा काफी विषयों के ऊपर अपनी बात करने के लिए बाकी सभी माननीय सदस्यों को मैं लिखित के अंदर जवाब भेज दूंगा।

श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, नेता, प्रतिपक्ष ने जो बातें कही हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो बात कही कि एस.डी.एम. के आफिस, तहसील के आफिस, कलेक्ट्रेट के अंदर जो पद रिक्तता है, उसको सबसे पहले प्राथमिकता से भरा जाए, जिससे प्रशासनिक जो व्यवस्था है, वह मजबूत हो और उसके तहत एक अच्छी तरह से गवर्नेंस हो सके। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह बात मैं सरकार के अंदर, कैबिनेट के अंदर जरूर रखूंगा और मुझे विश्वास है कि यह संवेदनशील सरकार है श्री अशोक गहलोतजी के नेतृत्व के अंदर, इसके ऊपर जरूर अनुकूल फैसला करेंगे।

(श्री हरीश चौधरी)

जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना, आज जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके प्रति भी आपका अनुभव रहा है, एक लंबा अनुभव रहा है, उस लंबे अनुभव के अंदर आपने आई.ए.एस. के संदर्भ में जो भावना व्यक्त की है, मेरा तो अनुभव गवर्नेंस का सिर्फ 12-13 महीने का ही है तो इसके बारे में भी गंभीरता से, गहराई से हम लोगों को सोचना चाहिए और उसी के अनुरूप हमको ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि एक पूरी की पूरी व्यवस्था collaborative approach से उठे। सभी का साथ हो, सभी एक दूसरे को समझें, विभाग के अंदर कोई अधिकारी किसी की नहीं मानता है, मैं सदन को यह कहना चाहता हूं कि हर विभाग का जो एग्जिक्यूटिव हैड है, वह मंत्री ही है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर भी हम सिर्फ एक पब्लिक रिप्रजेंटेटिव ही नहीं हैं, एक एग्जिक्यूटिव हैड की तरह भी है। हम लोगों का अपने विभाग के अंदर प्रशासन सुचारु कैसे हो, इसके बारे में हम लोगों की जिम्मेदारी है। सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी कुछ नहीं करे, इससे हम लोगों की जिम्मेदारी विमुक्त नहीं होती है।

मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि 13 महीनों के अंदर हम लोगों ने प्राथमिकता से कम्प्यूटराइजेशन का कार्य किया। आज यह टैक्नोलोजी का युग है और उस टैक्नोलोजी के युग से हम लोग आम लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके, राजस्व विभाग की यह प्राथमिकता रही। कितना सफल है, कितना असफल है, यह मैं अपने आपकी पीठ तो नहीं थपथपा सकता हूं, यह तो आने वाला समय बताएगा पर कुछ प्रयास किये हैं, मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं।

तरमीम के संदर्भ में काफी माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर की है। जनवरी, 2019 को जिस दिन यह सरकार बनी थी, 13 लाख 12 हजार 267 तरमीमें पैंडिंग थीं। एक वर्ष के अंदर 5 लाख 81 हजार 331 तरमीमें और पैंडिंग हो गईं। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि पूरे साल के अंदर 16 लाख 52 हजार 554 तरमीमें राजस्थान के अंदर हुई हैं और वह पैंडेंसी सिर्फ 2 लाख 41 हजार 44 बची हैं और 2 लाख 41 हजार जो तरमीमें बाकी बची हैं, वह भी हम लोगों के लिए, मैं कोई श्रेय नहीं ले रहा हूं, यह भी हम लोगों की कहीं न कहीं कमी है, जिसके कारण 2 लाख 41 हजार किसानों की तरमीमें पैंडिंग हैं। यह जीरो, शून्य कैसे हो, यह लक्ष्य हम लोगों का है और कोशिश करेंगे कि यह तरमीमें शून्य तक पहुंचें।

(श्री हरीश चौधरी)

नामांतरणकरण के अंदर भी यही स्थिति थी कि जनवरी, 2019 के अंदर 2 लाख 33 हजार 630 नामांतरण पैंडिंग थे, एक साल के अंदर 4434 और पैंडेंसी बढ़ी और पूरे साल के अंदर 2 लाख 28 हजार 122 नामांतरण राजस्व विभाग ने किये हैं और आज के समय के अंदर सिर्फ 9942 नामांतरण शेष रहे हैं राजस्व विभाग के।

अपावादित खाते के भी 43605 जनवरी, 2019 के अंदर पैंडेंसी थीं, एक भी पैंडेंसी पूरे साल में नहीं बढ़ी और आज मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि 3315 ही पैंडेंसी बाकी बची हुई हैं, इसका श्रेय मैं नहीं ले रहा हूं। इसका जो भी कार्य हुआ उसका श्रेय राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं, परिवार है, उनको मैं देना चाहता हूं और जो कमी रही है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूं कि जो कमी रही है उसको भी आने वाले समय में शून्य कैसे करें।

ऑनलाइन तहसीलों की जो व्यवस्था की गयी है, 338 तहसीलों के अंदर 192 तहसीलें ऑनलाइन हो गयी हैं, शेष बची हुई जो तहसीलें हैं 146, वह भी जल्दी से जल्दी कैसे ऑनलाइन हों, ऑनलाइन तहसीलें होने के बाद में आम लोगों को काफी सुविधा, यह जो व्यवस्था बदल रही है, उस व्यवस्था बदलने के अंदर एकदम परफैक्शन तो नहीं है, कमियां जरूर हैं, वह कमियां कैसे दुरुस्त कर सकें, मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसके संदर्भ में अपने जो भी अनुभव हैं, सुझाव हैं, वह राजस्व विभाग को दो, जिससे हम लोग वह कमियां, धरातल के अंदर जो कमियां हैं, उनको दूर कर सकें।

ऑनलाइन नकल की जो प्रतिलिपि की व्यवस्था की गयी, उस ऑनलाइन नकल से जो ई-धरती पोर्टल से भू-नक्शा सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से जो व्यवस्था हुई है। नियमों में परिवर्तन करके प्रमाणित ईसाइन की प्रति जो कोई भी इस देश और दुनिया के अंदर लेना चाहता है, वह 10 रुपये शुल्क से ऑनलाइन प्रति ले सकता है। जो-जो तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी हैं उनसे, बाकी वाले में आज भी वह पुरानी व्यवस्था है। ऑनलाइन गिरदावरी की व्यवस्था भी शुरू हो चुकी है। म्युटेशन, जो नामांतरणकरण है, वह भी ऑनलाइन शुरू हो चुका है। तहसील चौमूं जिला जयपुर में एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर म्युटेशन, आटो म्युटेशन कैसे हो, उसकी शुरूआत हुई है तो मैं माननीय विधायक महोदय जो चौमूं से आते हैं, उनसे यह निवेदन

(श्री हरीश चौधरी)

करना चाहता हूं कि आपके जो कोई भी अनुभव है, उसके बारे में आप मुझे अवगत कराएं और जो सुधार हो सके वह पूरा का पूरा राजस्थान उस सुधार से फायदा ले सके, उसके लिए आप सहयोग करें। नामांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी की गयी है।

बैंक रहन को कृषि ऋण की जो सुगमता की व्यवस्था की गयी है, वह भी मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कृषि ऋण पोर्टल के माध्यम से जो सुविधा हुई है उसमें भी व्यवस्था परिवर्तन करके किसान को मदद करने की इस सरकार ने व्यवस्था की है। माडर्न रिकार्ड रूम, जो तहसीलें, जिसका समस्त लीगेसी रिकार्ड है, उसकी स्केनिंग कराकर माडर्न रिकार्ड रूम के अंदर किया गया है। यह लगभग 218 तहसीलों के अंदर हो गया है, शेष जो तहसीलें हैं, उनके अंदर भी माडर्न रिकार्ड रूम की व्यवस्था कराकर यह व्यवस्था करायी जाएगी।

(20.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि मेरा विभाग सर्वे-री-सर्वे का कार्य आने वाले समय के अंदर करेगा। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में आप गहराई से अध्ययन करके, पता करके और सहयोग करना। सर्वे-री-सर्वे के माध्यम से जो हमारे राजस्व विभाग के अंदर वाद है, जो पैंडेंसी है, उसमें भी बहुत बड़ी कमी आएगी और आमजन को सर्वेरी-सर्वे के बाद में जो कठिनाइयां आ रही हैं, उसके अंदर भी काफी राहत मिलेगी। मेरा यह आप सब लोगों से निवेदन है कि इसके बारे में आप जरूर सहयोग करना।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व अभिलेखों, राजस्व नक्शे और मौके पर वर्तमान स्थिति है, इसके अंदर काफी एक-दूसरे से भिन्नता है। जैसे ही सर्वे-री-सर्वे के लिये यह जो हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेज के माध्यम से पूरे के पूरे राजस्थान के नक्शे का जैसे विभाग ने लिये हैं, अब जो राजस्व रिकार्ड है, उस राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे और हर राजस्व गांव के अंदर जाकर वह भी कार्य शुरू हो चुका है। कई तहसीलों के अंदर पायलट के तौर पर और यह भी आगे बढ़ाने के लिये तीनों का मिलान करके हर राजस्व गांव इकाई रखे जाएंगे। राजस्व गांव के अंदर प्रत्येक किसान के पास जाकर वह पर्चा उसको देंगे और वही राजस्व गांव के अंदर ही सुनवाई करेंगे। जैसे इसमें भिन्नता के कारण कई किसानों को पीढ़ियों से संघर्ष करना पड़ रहा है तो वन टाइम इस समस्या का समाधान हो जाए, यह प्रयास सर्वे-री-सर्वे के माध्यम से

(श्री हरीश चौधरी)

किया जा रहा है तो मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप सहयोग जरूर करें।

माननीय सभापति महोदय, सब-रजिस्ट्रार आफिस, जो पंजीयन कार्यालय है, इसके अंदर भी कम्प्यूटराइजेशन हो रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। उसके अंदर भी सुधार किया जा रहा है। समय कम है, नहीं तो यह सब मैं डिटेल से बताता। पर मेरा वापस निवेदन है कि सर्वे-री-सर्वे के बारे में अगर हम लोग सफल हो गये तो जो किसान के सामने सबसे बड़ी तकलीफ रहती है कि अपनी जमीन का सीमाज्ञान करना, जमीन का जो इतिहास है, जमीन की जो वर्तमान स्थिति है, उसके संदर्भ में बड़ी पारदर्शिता आ जाएगी। इसलिए सर्वे-री-सर्वे किसान को राहत पहुंचाने के लिये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर से आने वाली विधायक महोदया ने रेवेन्यू बोर्ड के संदर्भ में बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। जो उनके सुझाव थे रेवेन्यू केसेज के संदर्भ में, ऑनलाइन केसेज के संदर्भ में उनके सुझाव थे। वह अभी सदन में मौजूद नहीं हैं, पर राजस्व विभाग के अंदर तमाम जो केसेज हैं, उनको ऑनलाइन आर.सी.एम.एस. पोर्टल पर करने की अनिवार्यता की हम लोगों ने व्यवस्था की है कि वह तमाम केसेज ऑनलाइन हों। चाहे उसका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे उसके पेशी की तारीख हो, चाहे फैसले हों, वह तमाम केसेज ऑनलाइन हो जाएं जिससे कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, उसके बारे में जानकारी ले सकें। ऐसी व्यवस्था पूरे राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हर जगह 100 प्रतिशत बिलकुल परफेक्ट हो गयी है, पर काफी इसके अंदर सुधार हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, रेवेन्यू केसेज हम लोगों के लिये सबसे बड़ी चुनौती है। आज भी मैं सदन के अंदर इस बात की जिम्मेवारी लेता हूं कि इसके अंदर जो प्रगति होनी चाहिए, वह संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है, यह मैं स्वीकार करता हूं। मेरे प्रयास रहेंगे विभाग के, कि यह रेवेन्यू राजस्व वाद है, इसके अंदर कमी कैसे आए। जगदीश जी ने भी बात की, राजेन्द्र राठौड़ जी ने भी बात कही, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात कही। एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह उन्होंने दी कि कामनसैंस के आधार पर हम लोगों को गवर्नेंस करनी चाहिए, फैसले करने चाहिए। सबसे बड़ा आधार और योग्यता कोई है तो वह भैरोंसिंहजी शेखावत जी ने इनको सलाह दी और आज हम लोगों को इन्होंने

(श्री हरीश चौधरी)

सबको दी, उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कामनसैंस से बड़ा कोई भी नियम नहीं है, कोई भी परम्परा नहीं है, जो हमारा खुद का कामनसैंस है, उसके आधार पर उस पर विश्वास रखते हुए वही हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, टिड्डी के संदर्भ में आपने बात कही कि जिला कलेक्टर को सूचना मिली और उसके बाद वह नीचे व्यवस्था नहीं होने के कारण आगे उसको नहीं पहुंचाने के कारण भी परेशानी हुई। मैं आज सदन को गर्व से बताना चाहता हूं कि राजस्थान के किसानों को मैं आज धन्यवाद ही नहीं देना चाहता हूं, साधुवाद भी देना चाहता हूं। टिड्डी का जो आक्रमण हुआ, उसके अंदर राजस्थान के किसानों ने योगदान किया। मैं राजनीति से ऊपर उठकर बताना चाहता हूं। शायद दुनिया के अंदर ही कोई ऐसा उदाहरण होगा, जो बार्डर के जिलों के अंदर राजस्थान के किसानों ने टिड्डी के आक्रमण को रोका।

एक और बात भी मैं सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान को और देश को बताना चाहता हूं कि टिड्डी के संदर्भ में जो लाल सागर है, उसके अंदर काफी खतरनाक स्थिति बनी। यू.एन. ने चेतावनी भी दी हुई है। हम पक्ष-विपक्ष आपस में आरोप-प्रत्यारोप नहीं करते हुए आज उस व्यवस्था को वहीं कैसे कंट्रोल करें, मेरा सदन से नम्र निवेदन है। इसके बारे में हम लोग प्राथमिकता से कुछ न कुछ प्रयास करें जिससे वह टिड्डी, जो लाल सागर है, उससे वापस हम लोगों के यहां तक नहीं पहुंचे, उसके बारे में जरूर हम लोगों को एक दिन चर्चा करके प्रयास करने चाहिए कि राजस्थान सरकार, केन्द्र सरकार, इन पर आरोप-प्रत्यारोप न करते हुए हम लोग यू.एन. तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं? एफ.ए., जो उनका संगठन है, वहां पहुंचाकर इस टिड्डी का नियंत्रण करें। टिड्डी के संबंध में विशेष गिरदावरी का फैसला किया गया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बहुत समयानुसार हो गया और किसानों को जो आदान अनुदान की व्यवस्था है, वह भी पूरी कर दी गयी है। संतोष तो हम लोगों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसानों को नुकसान बहुत हुआ। उसके अनुपात में किसानों को अनुदान नहीं मिला, यह हम सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। उनके अंदर भी हम लोगों को क्या बदलाव करना चाहिए, वह भी राजनीतिक दलों से, विचारधारा से ऊपर उठकर हम लोगों को इसका प्रयास करना चाहिए।

(श्री हरीश चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, आज हर सरकारों के पास सीमित संसाधन हैं। सीमित संसाधनों के अंदर मेरा निवेदन है किसान, मजदूर, गांव को हम विवादों से ऊपर उठकर उनको कैसे मदद करें। यहां हम भारत जिन्दाबाद की बात करें, आशीर्वाद की बात करें और उसके अंदर किसान और मजदूर पीछे रह जाएं तो फिर वह भारत जिन्दाबाद नहीं हो सकता। मेरा नम्र निवेदन है कि फैसलों के वक्त भी हम लोगों की प्राथमिकता किसान, मजदूर रहना चाहिए जिससे कि इस तरह की प्राकृतिक आपदा के अंदर हम लोग उसकी मदद कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, राजेन्द्र राठौड़ जी संयम लोढ़ा जी की प्रशंसा करते हैं, संयम लोढ़ा जी राजेन्द्र राठौड़जी की प्रशंसा करते हैं। मेरा मानना है कि सभी 200 के 200 विधायक योग्य हैं लोकतंत्र के अंदर। संयम लोढ़ाजी ने भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि गवर्नमेंट कौन है? संयम लोढ़ाजी, गवर्नमेंट कौन है, कोई अदृश्य नहीं है। आपको भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, आप भी लॉ के स्टूडेंट हो। यह गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट है कैबिनेट और कैबिनेट के मुखिया मुख्य मंत्री, हम लोगों के नेता हैं तो गवर्नमेंट कैबिनेट। इसके अंदर आपको किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। यह सदन के अंदर आपको जो संशय है, उसको मैं दूर करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट और कोई नहीं है, कैबिनेट गवर्नमेंट है। यह मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं है। यह पूरे के पूरे दस्तावेज, रूल्स रैगुलेशन के अंदर हैं, इसलिए गवर्नमेंट कौन है, इसके बारे में किसी को चिन्तित होने की जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, कलेक्टर की लीडरशिप के बारे में भी उन्होंने बोला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कई कलेक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर मैं उनका नाम लूंगा और कभी व्यवस्था बदलेगी तो उनके ऊपर नजरें, जो व्यवस्था है कि एक पक्ष के अंदर ज्यादा प्रशंसा हो जाती है तो दूसरा पक्ष अपने आप ही उसके खिलाफ नकारात्मक रवैया रखता है। पिछले 13 महीने में जो मैंने अनुभव किया है, वह मैं आज साझा करना चाहता हूं। बहुत अच्छे कलेक्टर भी हैं। टिड्डी के संदर्भ में मैं कई जिलों के अंदर गया। कई कलेक्टर तो खुद जमीन के ऊपर किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले भी थे। सुओमोटो, अपने आप जाकर किया। कई कलेक्टर ऐसे भी थे जिन्होंने अपने दफ्तर भी नहीं छोड़े। किसी ने बोल दिया तो उनको इस बात

(श्री हरीश चौधरी)

की चिंता ही नहीं है। दोनों तरह के लोग हमारी इस प्रशासनिक सेवा के अंदर हैं। बेहतरीन अफसर भी हैं।

संयम लोढ़ा जी, आज पूरे समाज के अंदर यह बड़ी चिंता का विषय है कि लीडरशिप की तरफ समाज नहीं बढ़ रहा है। एक मैनेजरियल मोड की तरफ समाज बढ़ रहा है। आप में हम लोग अपने आपको कैसे जिंदा रख सकें और जो व्यवस्था बनी हुई है, उसको आगे बढ़ा सकें। यह समाज की संरचना हुई है। लीडरशिप की सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों में ही कमी नहीं आई है। हर वर्ग के अंदर लीडरशिप की कमी आई हुई है। यह चिंता का बहुत बड़ा विषय है। वह लीडरशिप जो पहले की पीढ़ियों में हुआ करती थी। वह वापस हम कैसे समाज के अंदर व्यवस्था बनाएं कि जो अच्छी लीडरशिप दे। उनको हम लोग कैसे प्रोत्साहित करें। उनकी हम लोग कैसे कद्र करें।

पटवारियों की वैकेंट पोस्ट के बारे में बोला। अब्दुल रहमान केस के बारे में बोला। रिजर्व प्रोसेशन के बारे में भी बोला। काफी लंबा-चौड़ा बोला। किरण माहेश्वरी जी ने भी बोला।

बहुत ज्ञानी और अनुभवी सदस्य हरीश मीना जी ने, जिनका प्रशासन में भी अनुभव है, लोक सभा का भी अनुभव है, आज विधान सभा में भी अपना अनुभव साझा किया। चरागाह के संदर्भ में उन्होंने नियमन की बात की। स्कूलों की जमीन के संदर्भ में बोला। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चरागाह के संदर्भ में जल्द ही सरकार कोई फैसला करेगी। सबसे जमीन से जुड़ी हुई बात रेवेन्यू बोर्ड की, जैसा मैंने बोला कि अनिता जी ने कहा।

सभापति महोदय, विवाद तो बहुत करते हैं रामप्रताप जी। हल्ला भी बहुत करते हैं लेकिन आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मूल किसान की समस्या है, उसको अगर किसी ने बिलकुल बारीकी से रखा है तो वह आपने रखा है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने नियम बदलने के संदर्भ में बात की। खातेदारी टी.सी. के संदर्भ में बात की। यह राइडर किसानों पर ही क्यों? यह राइडर किसानों के अलावा बाकी किसी के लिए नहीं है। अगर बड़ा पूंजीपति निवेश करने आए, कोई भी सरकार हो, उसको लाल कालीन बिछाकर के, आयोजन करके, हजारों करोड़ रुपये खर्च करके, उसको कहते हैं कि आप आओ। हमारे यहां निवेश करो और सब कानूनों से ऊपर, एक विशेष कानून, नियम बनाएंगे जिससे कि आपको यह सुविधा मिले।

(श्री हरीश चौधरी)

किसान के लिए हम लोगों ने नियमों के अंदर पाबंदियां लगाई हुई हैं।

यह सिर्फ सूरतगढ़ के संदर्भ में नहीं हैं। ये पाबंदियां किसानों के लिए हर जगह लगी हुई हैं। यह हमको स्वीकार करना चाहिए। इसके नियमों में हम लोग किस तरह से शिथिलता प्रदान कर सकें, यह हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सूरतगढ़ के अंदर टी.सी. भूमि के संदर्भ में आपने बात की। तरमीम के बारे में जो आपने चिंता जाहिर की, वह मैंने आंकड़े बताए ही हैं। शून्य कैसे करें, यह हम लोगों का लक्ष्य रहेगा। पैमाइश के संदर्भ में की।

सभापति महोदय, पोंग डैम के संदर्भ में बहुत गंभीर स्थिति हुई है। हम लोगों के पास समय नहीं है। लेकिन उन किसानों की जो पोंग विस्थापितों के कारण आज उनकी स्थिति हुई है, वह बहुत ही दयनीय है। यह अलग बात है कि वह सबजुडिस मैटर है। पिछली सरकार ने भी नियमों के अंदर बदलाव किया लेकिन उन नियमों का बदलाव कोर्ट में जाकर, उसके बारे में जो फैसला हुआ है, उसके लिए बाध्यता आ रही है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि हम बैठकर, कानूनी तौर पर, एक योग्य ए.जी. राजस्थान को मिले हुए हैं, और भी कई वकील हम लोगों के पास हैं, वह कानूनी बाध्यता हम कैसे दूर कर सकें और पोंग बांध वाली समस्या कैसे हल कर सकें, यह मेरी प्राथमिकता रहेगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

वन विभाग प्रस्तावित आदि, यह सब प्रस्तावित व्यवस्था किसानों के लिए ही क्यों? बाकी दूसरों के लिए नहीं है। बाकी कोई रिसोर्ट बनाना चाहे, बिलकुल वन विभाग की पैरीफेरी के अंदर, तो उसके लिए कोई भी पाबंदी नहीं है लेकिन किसानों के लिए वन विभाग प्रस्तावित है। वन विभाग के पास भूमि है, उससे खातेदारी के अंदर जो अड़चन आ रही है, उसके नियमों के अंदर भी शिथिलता देनी चाहिए। यह मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है।

प्रश्न काल के अंदर बीड़ क्षेत्र की भी बात आई। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस संदर्भ में फैसला ले लिया गया है। बाकी तमाम जो गैर खातेदारों को खातेदारी देने का है, उसकी सूचना भी एकत्रित कर दी गई है। वह चाहे कैंप के माध्यम से, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था जो रोजमर्रा की है, उसके संदर्भ में, वह खातेदारी भी देने के लिए आने वाले समय में प्राथमिकता से काम करेंगे।

सभापति महोदय, शकुन्तला रावत जी ने भी बात की। इन्होंने एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर की कि सरिस्का फोरेस्ट का डिमार्केशन नहीं हुआ है

(श्री हरीश चौधरी)

जिसके कारण वहां के किसानों को तकलीफ है। मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने भी नेशनल पार्क हैं, उन तमाम के डिमार्केशन आने वाले समय में प्राथमिकता से फोरेस्ट विभाग और राजस्व विभाग, दोनों मिलकर बिलकुल पारदर्शी ढंग से करेंगे। कोई भी कर्मचारी या कोई भी एजेंसी उन किसानों को हैरेस नहीं करे। यह व्यवस्था की जाएगी। जो भी नेशनल पार्क हैं, उनके डिमार्केशन करा दिए जाएंगे। शहीद के बारे में भी आपने चिंता की। सैटलमेंट के समय एक-दूसरे के नाम पर जो जमीन हो गई, उसके बारे में भी आपने चिंता जाहिर की।

बाबूलाल जी नागर ने भी बात की कि सैटलमेंट में नदी, नाला, तालाब दर्ज हो गया और कभी भी वहां नदी, नाला, तालाब रही ही नहीं। लेकिन राजस्व रिकार्ड में वह है। इसका सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो रखा है। इसका क्या रास्ता निकल सकता है, बैठकर के इसका कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। इसका वापस रीसैटलमेंट या किसी भी तरह से जो जमीन के ऊपर हकीकत है, उसके हिसाब से हम इसको कैसे कर सकें। ऑनलाइन नामांतरण की बात की, वह हो चुकी है। टीनेन्सी एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट को बदलने की भी बात की। काफी और सदस्यों ने भी कहा है।

हमारे माननीय मंत्री महोदय जी का आदेश है कि बस हो चुका। जब किसान, मजदूर, आम लोगों के लिए बात होती है तो बस हो चुका है। अपने आप ही हो चुका है। बड़े लोगों के लिए हो तो वह लंबे समय से उसके अंदर कामा, फुल स्टाप लगाने की व्यवस्था ही नहीं है। यही मैं आपसे चिंता जाहिर करना चाहता हूं। मैं असफल हुआ हूं इस चिंता को प्राथमिकता में बदलने के लिए। बस यही मैं कह सकता हूं।

सभापति महोदय, राजेन्द्र राठौड़ जी से मेरा ज्यादा संवाद होने का मुझे सौभाग्य नहीं मिला। जितना बाकी दूसरे माननीय सदस्यों को मिला है। राजेन्द्र राठौड़ जी ने एक बात कही कि भैरोंसिंह शेखावत साहब जब मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने एक बात कही कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट और टीनेन्सी एक्ट हैं, वे अपने आपमें बहुत बड़े हैं। उनको सरल करके छोटे कैसे करें, सरल कैसे करें, जिससे आम किसान को, आम लोगों को सहूलियत मिल सके। मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूं कि एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक कमेटी, आपने बोला, उसके बाद मैंने अपने राजस्व परिवार के लोगों से चर्चा

(श्री हरीश चौधरी)

की कि हम कर सकते हैं, कितने दिन के अंदर कर सकते हैं? मुझे हर्ष है कि मेरे खुद के राजस्व विभाग ने, मैं ज्यादा समय की बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे खुद के प्रिंसिपल सैक्रेटरी, रेवेन्यू ने कहा कि 60 दिन के अंदर वह कमेटी बन रही है। उस कमेटी की रिपोर्ट लेकर, उसके अंदर मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने सुझाव जरूर देना। बस हो चुका है, यह भाव आप उसके अंदर नहीं रखना। आपके अगर कुछ सुझाव रहेंगे तो हम लोगों को उसमें सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। मैं तमाम सदन को, बाकी भी जो संस्थाएं हैं, किसान हैं, चाहे वकील हैं, उन सबसे मैं इस सदन के मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जो भी सुझाव हों, वे सुझाव इस टीनेन्सी एक्ट और लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत रखें।

सभापति महोदय, एक और बात कटारिया साहब ने बोली कि जो हमारे अच्छे, काबिल सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हम लोगों को रिवार्ड देना चाहिए। उनको हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं आज सदन को बताना चाहता हूं कि 15 अक्टूबर का दिन राजस्व दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा करता हूं। इसके लिए 15 अक्टूबर ही क्यों? 15 अक्टूबर इसलिए कि इस दिन टीनेन्सी एक्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंदर लागू हुआ था। इस कारण से 15 अक्टूबर का दिन हमारे विभाग ने मुकर्रर किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के अंतर्गत ही हम लोगों को खातेदारी का अधिकार मिला। आज मैं जो यहां खड़ा हूं, उसका अगर एकमात्र कोई कारण है तो वह खातेदारी का अधिकार ही है।

जो भैरोंसिंह शेखावत साहब ने इच्छा जाहिर की थी, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अशोक गहलोत जी की सरकार में, उनके नेतृत्व में वह कार्य करने का हम प्रयास करेंगे। आप सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें हमारी मदद करें।

बाकी भी राजस्व विभाग के अंदर कई बातें और कई और चीजें हैं, अगली बार जब कभी भी चर्चा करेंगे तो जरूर एक बार फिर इसकी चर्चा करेंगे। मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक सदस्य ने चिंता जाहिर की कि अधिकारियों के रवैये के संदर्भ में, लोकतंत्र के अंदर जन प्रतिनिधि का जो

(श्री हरीश चौधरी)

मान सम्मान होना चाहिये, चाहे वह पक्ष में हो, चाहे वह विपक्ष के अंदर हो, चाहे वह वार्ड पंच हो, चाहे वह देश के सर्वोच्च स्थान पर हो। व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ एमएलए, एमपी का ही नहीं, वार्ड पंच का भी हम लोगों को वह का वह मान सम्मान करना चाहिये तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। यह प्रण पूरे सदन को लेना चाहिये। हम लोग भी कोई भी जन प्रतिनिधि, मंत्री के तौर पर हो चाहे विधायक के तौर पर आए, कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो यह व्यवस्था को स्वीकार नहीं होना चाहिये, यह मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। लेकिन हम भी किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, इसका भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिये। यह हमारी स्वयं की ताकत नहीं है, जनता की ताकत से हम लोग आते हैं, तो एक आदर्श हम लोग अपने आचरण से बनाएं कि हम लोग किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। अगर किसी की बात से हम सहमत नहीं हों तो व्यवस्थाओं और नियमों में उसका प्रावधान है, सदन के अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत दी हुई है नियमों के अंदर, मेरा निवेदन है कि उन ताकतों, उन नियमों से आप लोग अपने साथ जो भी अन्याय हुआ हुआ है उसको न्याय के अंदर बदलो। उसमें दुर्व्यवहार करके अपन सही नहीं होंगे और वह गलत नहीं होगा कि वह गलत आचरण करे, अपन भी वैसा ही गलत आचरण करें।

माननीय सभापति महोदय, आदर्श के तौर पर, जन प्रतिनिधि के तौर पर अपना कर्तव्य पहले बनता है कि हम लोग अपने व्यवहार में अपनी भाषा में शालीनता रखें और मजबूत रखें। विचलित होने की जरूरत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया ने आज बड़ी मजबूती से बात क्यों की, क्योंकि गहराई से वह अपने राजनीतिक जीवन में ईमानदारी से यहां तक पहुंचे हैं इसलिये इनके पास अथोरिटी है तो ये अपने आप में मजबूती से बात कहते हैं। यह अलग बात है कि कई लोग करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं। पर हम लोगों से जनता ज्यादा समझदार है, उनको ज्यादा अच्छी तरह से पता है कि करने और बोलने के अंदर अंतर किसमें है। पक्ष और प्रतिपक्ष तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यह भी किसी के साथ नहीं होना चाहिये। कोई भी जन प्रतिनिधि किसी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी नहीं करे, शालीनता रखे, मर्यादा रखे, यह जिम्मेदारी भी हम लोगों की ही है। हम लोग सिर्फ पोलिटिकल माइलेज लेने

(श्री हरीश चौधरी)

के लिये चीजें कर रहे हैं, इसलिये आज इस व्यवस्था के अंदर जन प्रतिनिधि की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है। उसका दोष किसी और को देने की आवश्यकता नहीं है, उसका दोष अगर किसी को दें तो सर्वप्रथम अपने आप को देना चाहिये। पक्ष और विपक्ष के अंदर अपन दोषारोपण करके ही आज जन प्रतिनिधि की विश्वसनीयता कम कर चुके हैं। इससे क्या कम करें, धरातल पर तो आ चुके हैं। नकारात्मक, उसमें भी आ चुके हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अपन इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं?

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, रोका नहीं इसके लिये आपको धन्यवाद। पूरे सदन ने गम्भीरता से सुना, धन्यवाद। अंत में हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम हमारी प्राथमिकता में किसान और मजदूर को रखें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बुलाकी दास कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का मांग संख्या-5- प्रशासनिक सेवाएं, मांग संख्या 15- पेंशन तथा दो अन्य मांगों के बारे में कुल 31 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनके सकारात्मक सुझावों के बारे में मैं बहुत ही हृदय से मंथन करके इनके कटौती प्रस्तावों का आने वाले समय में माननीय सदस्यों को प्रत्युत्तर भिजवा दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रशासनिक सेवाएं राजकीय व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हमारे संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन प्रमुख व्यवस्थाएं दी गयी हैं। कार्यपालिका एग्जीक्यूट करती है, विधायिका कानून बनाती है और न्यायपालिका कार्यपालिका में कहीं कोई दोष होता है, त्रुटि होती है तो उसको न्याय देने का, न्यायालय में जाने पर न्याय देने का काम करती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशासनिक सेवाओं में भी सब तरीके के लोग हैं और जब-जब प्राकृतिक आपदाएं राजस्थान में आयी हैं, बाढ़ हो, अकाल हो, चाहे कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप उन्होंने अपनी प्रशासनिक

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

दक्षता और कुशलता का परिचय दिया है। जहां तक सवाल है आरक्षण का, बहुत से माननीय सदस्यों ने आरक्षण की बात यहां पर की। आरक्षण जो जितना संविधान के अनुसार दिया हुआ है, उसकी पूरी पालना कार्मिक विभाग करवा रहा है। बैकलाग के बारे में माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं, एससी, एसटी का जो बैकलाग है, उसको दूर करने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में एससी, एसटी का बैकलाग बहुत कम है और अभी 24 फरवरी को कार्मिक विभाग ने एक परिपत्र जारी करके निर्देश दिये हैं कि जिस-जिस विभाग में बैकलाग है, उसको तत्काल दूर किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों ने भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है, उसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी स्वयं हर महीने कार्मिक विभाग के साथ और अन्य विभागों के साथ समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा करके उन्होंने भर्ती की प्रक्रियाओं को तेज किया है। जब भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो नियुक्ति देने की कार्यवाही की जाती है, और की भी जा रही है।

इसके साथ-साथ एक बिन्दु जो राज्य प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त परीक्षा सीधी भर्ती नियम, 1999 के नियम 15 के क्रियान्वयन की जटिलता के कारण न्यायिक विवाद हुए तथा भर्तियों में विलम्ब हुआ, इसका समाधान करने का कार्य भी सरकार कर रही है। राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि निकट भविष्य में कम से कम प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती कैलेण्डर के आधार पर समयबद्ध तरीके से हो।

माननीय सभापति महोदय, टीएसपी क्षेत्र में आरएएस की परीक्षाओं में और अन्य में रिजर्वेशन के लिए कुछ माननीय सदस्यों ने मांग की। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जैसे राज्य सेवाओं में टीएसपी क्षेत्र के निवासियों के लिये पृथक् आरक्षण की बात है, आरएएस की परीक्षा एक अलग प्रकृति की है और पूरे राजस्थान की उसकी प्रकृति, भूमिका, उसका उत्तरदायित्व अलग-अलग है, इसलिये वर्तमान में यह सम्भव नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा प्रशासनिक सेवाओं की दक्षता और कार्य प्रणाली के बारे में अपने विचार व्यक्त किये गये। हमारी सरकार माननीय सदस्यों की चिंता से पूर्णत: सहमत है और इसमें कोई संदेह

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

नहीं कि राज्य की नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता प्रशासनिक सेवाओं की दक्षता और उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करती है इसलिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में घोषणा की थी कि इनसर्विस ट्रैनिंग हम शुरू करवाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि एचसीएम रीपा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के लिये मध्यावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिये हैं। उनको व्यावहारिक ट्रैनिंग, ह्यूमन बिहेवियर और उसके साथ-साथ जन प्रतिनिधियों के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिये, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिये, उसके बारे में पर्याप्त मात्रा में ट्रैनिंग दी जाएगी। मैं इस सबन्ध में खास तौर से यह कहना चाहता हूं कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को चुस्तदुरुस्त और कमियों को दूर करने के बारे में जो-जो सुझाव आप लोगों ने दिये हैं, उनको हम निश्चित रूप से सकारात्मक भाव से लेते हैं और उनका पालन कराने का प्रयत्न करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान प्रदेश की पेंशन के बारे में खास तौर पर आपको इसलिये कहना चाहता हूं कि राजस्थान देश का ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर पेंशन के लिये अलग से विभाग की 1 दिसम्बर, 1979 को स्थापना की गयी थी, पहले महालेखाकार के द्वारा पेंशन दी जाती थी लेकिन अब जब से विभाग बना है, बराबर इस काम का निस्तारण कर रहा है। 1993 से 1996 के बीच में जयपुर के अलावा जो डिवीजनल हैडक्वार्टर्स थे, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, इन स्थानों पर भी संभागीय कार्यालय खोले गये और जब भरतपुर संभाग बना तो भरतपुर में भी संभागीय कार्यालय खोला गया। मैं इस अवसर पर यह बताना चाहता हूं कि अधिकारियों, कर्मचारियों, आरएएस, आईएएस की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, मूल एवं संशोधित पेंशन अधिस्वीकृतियां जारी करने, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने, नकद राशि अधिकृत करने, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्व मण्डल, राजस्थान नहर मण्डल, कर बोर्ड आदि के अध्यक्ष, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगरपालिका, नगर विकास न्यास के कर्मचारियों की पेंशन और उनके कल्याण का काम हमारा पेंशन विभाग कर रहा है और इसका निष्पादन बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 2020-21 में अभी वर्तमान बजट में पेंशन हेतु 21350 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

वर्ष 2019-20 में नवीन पेंशन के 20288 मामले आये। उनमें अब

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

तक 17210 का निस्तारण कर दिया गया है। पेंशन रिवीजन के मामलों में 26 फरवरी, 2020 तक कुल 256736 मामले आये थे, उनमें से 231920 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी हम 25 हजार की मासिक पेंशन दे रहे हैं। उन्हें 5 हजार रुपये मेडिकल के लिए प्रतिमाह दे रहे हैं। प्रकरणों की मोनिटरिंग, मासिक मीटिंग, वीडियो कान्फ्रेंसिंग हो रही है। व्हाट्सएप पर पेंशन का ट्रेजरी ग्रुप बनाया गया है और इसके साथ-साथ पेंशन विभाग में इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा कार्य का निष्पादन करने में प्रगति की जा रही है। इस एप पर कोई भी व्यक्ति एसएमएस करता है तो उस एसएमएस के आधार पर उसका निस्तारण करके उसे सूचना दी जाती है। माननीय सभापति महोदय, आगामी कार्ययोजना के अनुसार पेंशनर्स के उपयोग हेतु मोबाइल एप का निर्माण कर दिया गया है। पेंशनर्स से सम्बन्धित सभी अधिकृतियों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम ईपीपीओ से जारी कर उन्हें ई-मेल एड्रेस पर मैसेज करना, पे-मैनेजर के माध्यम से पेंशनर्स का डाटा प्राप्त कर पेंशन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करना, अवकाश नकदीकरण हेतु वांछित बजट की राशि पेंशन अधिकृत जारी होते ही सोफ्टवेयर के माध्यम से कार्यालय अध्यक्ष को उपलब्ध कराना, ये हमारी आगामी योजनाएं हैं।

माननीय सदस्यों ने जो कट-मोशन्स दिये हैं, उनके आधार पर मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने रैडिकल चेंज का सुझाव दिया, अच्छा सुझाव दिया, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। कार्यपालिका के बारे में आपने काफी मुद्दे उठाये। एसपी-कलेक्टर्स अच्छे लगा दिये जाएं तो सारा कार्य हो जाएगा। मैं समझता हूं कि कार्मिक विभाग की यह कोशिश रहती है कि अच्छे लोग लगें और जो अच्छा काम नहीं करते हैं, उन्हें पनिश भी करते हैं। जो भ्रष्टाचार करते हैं, एसीबी की उन पर नजर रहती है और इसके साथ-साथ आपने 16 सीसीए की कार्यवाही के बारे में जो बातें कहीं तो उसमें आप जानते हैं कि पहले उसको नोटिस दिया जाता है, वह उसका जवाब देता है, फिर इन्क्वायरी कमीशनर बैठता है। इन्क्वायरी कमीशनर जो रिपोर्ट देता है, यह क्वासी-जुडीशियल मैटर है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आठ-आठ सालों से पैंडिंग हैं।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हां तो हमें तो एक ही साल हुआ है। पांच साल तो आपके ही हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): रखें, आप पैंडिंग रखें और।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): नहीं, नहीं, पैंडिंग नहीं, मैं तो जब डीओपी मिनिस्टर था, रोज का काम रोज करता था और कम से कम रोजाना 200 से 250 फाइलें निपटायी हैं। आप पता कर लें भले ही डीओपी में। जो बैकलाग निकाला है, सम्भवत: आपके कार्यकाल में नहीं निकला होगा, क्योंकि आपकी मुख्य मंत्री जी व्यस्त थीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): व्यस्त कहां थीं, यह भी तो बता दें आप मंत्री जी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अब यह तो आप सब जानते हैं।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को मुझे याद है, एक महीने से ज्यादा समय नहीं लगने देता था, लेकिन बुरा मत मानिये, आपके कार्यकाल में डेढ़-डेढ़, दो-दो साल तक नहीं मिलता था। आज जब पद खाली होता है उस विभाग में तो उसे अनुकम्पात्मक नियुक्ति मिल जाती है और अनुकम्पात्मक नियुक्ति उस विभाग में पद नहीं खाली होता है तो दो साल बाद मिल जाती है। हम इस नियम पर भी पुनर्विचार कर रहे हैं कि जहां भी खाली पद हों, उसे लगाने का प्रयत्न करेंगे।

जहां तक आपने एमएलए से व्यवहार के बारे में चिंता जाहिर की और सदन के काफी माननीय सदस्यों ने कहा, वक्तन-वक्तन इस बारे में आप जानते हैं कि परिपत्र जारी किये गये हैं। बहुत कम ऐसे केसेज आते हैं, जहां जन प्रतिनिधियों के साथ कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है। इस प्रकार के यदि मामले हमारे सामने स्पेसिफिक आएंगे, मैं निश्चित रूप से ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा। जो मेड़ता से आने वाली माननीय सदस्या ने चिंता व्यक्त की है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को स्वयं इस घटना के बारे में अवगत कराऊंगा।

जहां तक आय से अधिक सम्पत्ति के मामले हैं, आप स्पेसिफिक मामले बताएं, हम उन पर कार्यवाही कराएंगे। जहां तक मेडिकल डिपार्टमेंट से सम्बन्धित मान्यता के मामले हैं एम्पैनलमेंट के, उनमें 85 अस्पताल हैं

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

राजस्थान के, उन्हें एम्पैनलमेंट में लिया हुआ है, 15 बाहर के लिये हुए हैं। उदयपुर के मामले में जो आपने केस उठाया, इस सम्बन्ध में सबसे पहले मेडिकल कालेज या सम्बन्धित संस्था द्वारा एप्लीकेशन दे दी जाती है, वह मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाती है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने निर्धारित मापदण्डों के आधार पर उसे एसीएस फाइनेंस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, उसके पास भेजता है और वह मैरिट के आधार पर उस पर निर्णय करता है। जहां तक आपने उपभोक्ता भण्डार के बारे में बताया, उपभोक्ता भण्डार यदि एनओसी दे देता है तो फिर पेंशनर दूसरी जगहों से अपना बिल पास करवा सकता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): दस प्रतिशत उसमें से कट जाता है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपके राज में नहीं होता था क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं, किसी के भी राज में होता हो, यह कमी है, इसे सुधारना चाहिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हां तो उसका दिखवा देंगे हम। यह तो वही बात हो गयी- आप तो बैंगन खाएं, दूसरा नै परमोद बतावै। इन्होंने ठीक किया नहीं और हमें बता रहे हैं।

श्री सभापति: सुधार की सम्भावना है तो सुधार करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हां, हां, वह ठीक बात है। जहां तक इन्होंने जो रीएम्बर्समेंट की बात की, पहले दस हजार रुपये तक की दवाओं का रीएम्बर्समेंट होता था, हमारे मुख्य मंत्री जी ने आदेश जारी करके 20 हजार रुपये तक पेंशनर्स को दवाई देने की सुविधा दी है। ज्यादा बीमारी होने पर जिलाधीश उसे 50 हजार रुपये तक कर सकता है और इससे ज्यादा होने पर स्टेट लेवल पर दो लाख रुपये तक की दवाएं उसे मिल सकती हैं और जो हार्ट के मामले, किडनी के मामले और अन्य मामले हैं, उनमें उनको बराबर रीएम्बर्समेंट गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार दिया जाता है।

श्री सभापति: आपको जाना भी है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने फैसले लेने के बारे में जो अनुभव की बात बतायी, मैं आपको

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का उदाहरण देता हूं। उन्होंने कहा, फैसला करने से पहले यह देखें कि आपका फैसला गरीब के हित में है, कलम चला दें और यदि आपको लगता है कि फैसला गरीब के खिलाफ है तो उस कलम को रोक दें।

उन्होंने कहा, जस्टिस, इक्विटी एण्ड गुड कान्शियसनैस के आधार पर फैसले लें। फैसला ऐसा लें जो सबके लिए समान हो और जिससे न्याय मिले। विवेक और न्याय के हिसाब से फैसले लें। जहां तक आपने यह कट-मोशन दिया है, संविदा कर्मियों को जो तीन वर्ष से अधिक हो गये हैं, उन्हें रैगुलर करो, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य पांच वर्ष तक उस कमेटी के अध्यक्ष रहे, आपने पांच साल तक कुछ नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब आप भी कुछ नहीं करेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हम तो कर रहे हैं। हम आपकी पटरी पर नहीं चलेंगे। हम अपने हिसाब से चलेंगे।

श्री सभापति: फैसला करने से पहले अपने आपको पीड़ित के स्थान पर रखें कि पीड़ित को क्या तकलीफ है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था कि कलेक्टर्स आठ वर्ष बाद लगाने चाहिए। वैसे तो जो हमारे डिवीजनल हैडक्वार्टर्स हैं, उनमें सीनियर लोगों को कलेक्टर लगाते हैं लेकिन कई जगह पर चार वर्ष बाद जैसे ही वे चार वर्ष की सीनियरटी प्राप्त करते हैं, उनको कलेक्टर लगाने की परम्परा रही है। भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जयपुर, कोटा, उदयपुर में ट्रांसफर जो हो जाते हैं और उसके बाद स्टे ले लेते है, स्टे तो जुडीशियरी का है। मैंने बताया था विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अपना-अपना काम करती है, न्यायपालिका स्टे दे दे, इसमें हम क्या कर सकते हैं।

राजसमन्द से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि संवेदनशीलता का अभाव नहीं होना चाहिए, सिटीजन विंडो शुरू करनी चाहिए। संवेदनशील प्रशासन, आपने देखा होगा, हमारा प्रशासन संवेदनशील है, हरेक की बात सुनता है। हम घर पर जन सुनवाई करते हैं, पीसीसी में करते हैं और जहां भी हमारा बस चलता है। यहां पर भी आप देखते हो, पक्ष और विपक्ष के लोग आते हैं, सबको सुनते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान के सबसे गरीब आदमी की भी सुनो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हां, सबकी सुनते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने रेवेन्यू अपीलेंट अथोरिटी का पद खतम करने की बात कही, कइयों ने कहा कि इस पद का स्थानांतरण हमारे यहां कर दो। रेवेन्यू अपीलेंट अथोरिटी है, अपने आपमें ऐसी अथोरिटी है जो रेवेन्यू के मामलों का फैसला करती है। इस पद को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी जगह पर इस पद की आवश्यकता है तो उसके ऊपर हम मैरिट के आधार पर फैसला कर लेंगे। वैसे तो पेंशन और डीओपी के बारे में, बहुत ज्यादा विचार व्यक्त नहीं किये। मैं माननीय सभापति महोदय, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाएं और मांग संख्या-15 पेंशन के बारे में, जो मांगें मैंने रखी हैं। उसको पारित किया जाए।

श्री सभापति: माननीय राजस्व मंत्री जी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि मांग संख्या-4 जिला प्रशासन व मांग संख्या-8 राजस्व पारित की जाए।

अनुदान की मांग का पारण

मांग संख्या 4-जिला प्रशासन

श्री सभापति: सारी बोल दी क्या? आपने मांग संख्या 4, 5 जो भी। आप सबकी छूट रही है ट्रेन, चौमूं वाली ट्रेन को तो मैं कह दूंगा, रुकेगी वह।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4-जिला प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,61,89,74,000/- (पांच अरब इकसठ करोड़ नवासी लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5-प्रशासनिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,72,76,37,000/- (दो अरब बहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख सैंतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 8-राजस्व

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8-राजस्व के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,84,86,91,000/- (आठ अरब चौरासी करोड़ छियासी लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 233,91,70,05,000/- (दो सौ तैंतीस अरब इक्यानवे करोड़ सत्तर लाख पांच हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 02 मार्च 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.45 बजे दिनांक 2 मार्च 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत लाभान्वित शिक्षित बेरोजगार

252. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षित बेरोजगारों को 3500 रु. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत देने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त योजनान्तर्गत कुल कितने पात्र बेरोजगारों को लाभान्वित किया जा रहा है तथा इस पर कुल कितना वार्षिक बजट भार आता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में 1 जनवरी, 2020 तक कुल कितने आवेदन पत्र सरकार को प्राप्त हुए तथा उनमें से कुल कितने लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजनान्तर्गत पात्रताधारी कितने बेरोजगारों ने विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीयन करवा रखा है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत सभी शिक्षित बेरोजगारों को 3500 रु. प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है। रोजगार कार्यालय में पंजीकृत स्नातक तथा योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले बेरोजगार आशार्थियों को 01 फरवरी 2019 से पुरुष आशार्थियों को 3000 रुपये प्रतिमाह तथा महिला, विशेष योग्यजन व ट्रांसजेण्डर आशार्थियों को 3500 रुपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत वर्तमान में 1,59,728 पंजीकृत स्नातक बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कुल 524 करोड़ रुपये की बजट राशि का प्रावधान किया गया था जिसमें से जनवरी 2020 तक रु. 255.86 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण भरे गये कुल 3,17,293 आवेदन विभागीय पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं। 01

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

जनवरी, 2020 को भत्ता स्वीकृति हेतु जांच में सही पाये गये 28,120 आवेदन लम्बित हैं और 57645 आवेदन पात्रता/दस्तावेजों की जांच हेतु लम्बित हैं। इस प्रकार कुल 85765 आवेदन लम्बित हैं। विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की पात्रता की शर्तों के अनुसार रोजगार भत्ता प्राप्त करने हेतु रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है। अत: 31 दिसम्बर, 2019 तक योजनान्तर्गत पात्रता संबंधी जांच में सही पाये गये सभी 1,87,848 (159728 स्वीकृत + 28120 लम्बित) आवेदनों के आवेदनकर्ता रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त 57645 पंजीकृत आशाथियों के लम्बित आवेदनों की जांच उपरान्त पात्रता सुनिश्चित किया जाना संभव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार

253. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला नागौर में विगत दो वर्षों में कितने बेरोजगारों को पंजीकृत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया एवं कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बेरोजगार को दो वर्ष के पश्चात् भी यदि रोजगार नहीं मिलता है तो क्या सरकार उनके जीवन यापन के लिए कोई योजना बनाने का विचार रखती है अथवा बेरोजगारी भत्ता ही दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में दो वर्षों में (जनवरी 2018 से दिसम्बर 2019 तक) कुल 43,104 विभिन्न योग्यताधारी बेरोजगार आशार्थियों ने जिला रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीयन करवाया है, जिनमें से 26391 पुरुष तथा 16713 महिला आशार्थी हैं।

(2) जिला रोजगार कार्यालय, नागौर में उक्त दो वर्षों में (जनवरी

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

2018 से दिसम्बर 2019 तक) पंजीकृत बेरोजगारों में से योजनान्तर्गत पात्र स्नातक 7443 बेरोजगार आशार्थियों को भत्ता स्वीकृत कर 9.33 करोड़ रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की गई।

(3) मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पात्र शिक्षित बेरोजगार द्वारा वर्तमान में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की अधिकतम समयावधि दो वर्ष है। इस समयावधि के उपरान्त बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने अथवा अन्य किसी प्रकार की योजना का प्रस्ताव विभाग स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बसेड़ी में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण

258. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की बसेड़ी पंचायत समिति में वर्ष 2002 से संचालित पशु चिकित्सालय के लिए भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जिला धौलपुर की पंचायत समिति बसेड़ी के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, बसेड़ी हेतु दिनांक 11.06.2009 को भूमि का आबंटन हुआ है। इस भूमि पर श्रीमती सुमन उर्फ किरणलता के द्वारा रास्ता बन्द हो जाने के कारण दावा करते हुए न्यायालय श्रीमान् भू-प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के यहां से अपील संख्या 10/09 (75) दिनांक 11.06.2009 द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त है, जिसकी पैरवी के लिए जिला कलेक्टर, धौलपुर द्वारा अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ है।

न्यायालय में लंबित वाद के निस्तारण होने के उपरांत ही भवन निर्माण करवाया जा सकेगा।

आहोर में बूंद-बूंद सिंचाई पर अनुदान

259. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र आहोर में बूंद-बूंद व फव्वारा सिंचाई पद्धति पर कितना अनुदान दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आहोर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में माह जनवरी 2020 तक बूंद-बूंद सिंचाई पर 11.57 लाख व फव्वारा सिंचाई पद्धति पर 5.37 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

पूर्व में संचालित भेड़ व ऊन विभाग की सम्पत्तियों का मालिकाना हक

260. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पूर्व में संचालित भेड़ व ऊन विभाग का समायोजन कब और किस विभाग में किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विभाग के भवन एवं अन्य सामग्रियों का वर्तमान में मालिकाना हक किसके पास है और जिला बाड़मेर के विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के उक्त विभाग की भूमि एवं भवन कहां-कहां पर स्थित हैं और वर्तमान में इनका क्या उपयोग हो रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त अनुपयोगी भूमि एवं भवन के रख-रखाव हेतु किसी सामाजिक संस्था या गैर सरकारी संस्थाओं को लीज पर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन शर्तों पर व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में पूर्व में संचालित भेड़ एवं ऊन विभाग का 01 अप्रैल, 2001 में पशुपालन विभाग में विलीनीकरण किया गया था।

(2) पूर्ववर्ती भेड़ एवं ऊन विभाग के भवन व अन्य सामग्री का मालिकाना हक वर्तमान में पशुपालन विभाग के पास है।

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के भेड़ ऊन विभाग की भूमि एवं भवन ग्राम मंडापुरा, असाडा एवं बालोतरा में स्थित है। वर्तमान में इनका उपयोग विभागीय गतिविधियों में नहीं हो पा रहा है।

(3) पशुपालन विभाग द्वारा किसी गैर सरकारी संस्था/सामाजिक संस्था को भूमि लीज पर दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

विभाग द्वारा अनुपयोगी भूमि को राजस्व विभाग को आवश्यकता अनुसार समर्पित की जाती है।

नवाचार हेतु किसानों को देय इनाम राशि में वृद्धि करने की योजना

261. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुरेश सिंह रावत)

(1) क्या यह सही है सरकार द्वारा प्रदेश में नवाचार हेतु कृषकों को इनाम राशि वितरित की गई? यदि हां, तो पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01-04-2015 से 31-01-2020 तक कितनी राशि किस मापदण्ड से स्वीकृत की गई? वर्षवार व लाभार्थीवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार कृषकों को देय इनाम की राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं कितनी राशि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (NMAET) सबमिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन (आत्मा) हरित कृषोन्नति योजना के अन्तर्गत श्रेष्ठ कृषकों का चयन जिले की जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित आत्मा शाषी परिषद् द्वारा किया जाकर पंचायत समिति स्तर व जिला स्तर के कृषक पुरस्कार दिये जाते हैं। राज्य स्तरीय पुरस्कार का चयन राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा श्रेष्ठ कृषकों का चयन कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त दिया जाता है। एक कृषक को एक ही बार इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 01.04.2015 से 31.01.2020 तक आत्मा योजना अन्तर्गत श्रेष्ठ कृषकों को कृषि नवाचार हेतु वितरित की गई कृषक पुरस्कार राशि का वर्षवार व लाभार्थीवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। आत्मा योजना के अतिरिक्त, कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यान विभाग द्वारा कृषकों को नवाचार हेतु दिनांक 01.04.2015 से 31.01.2020 तक पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कोई पुरस्कार/इनाम राशि वितरित नहीं की गई है।

(2) केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (NMAET) सबमिशन आन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन (आत्मा) हरित कृषोन्नति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कैफेटैरिया अनुसार ही श्रेष्ठ कृषकों को कृषि नवाचार हेतु कृषक पुरस्कार दिये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा में नये दुग्ध संकलन केन्द्रों की स्थापना

262. श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गजराज खटाणा)

(1) क्या सरकार जिला दौसा में नये दुग्ध संकलन केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2019-20 में उक्त जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति खोलने हेतु कितने आवेदन जयपुर डेयरी या दौसा दुग्ध अवशीतन केन्द्र पर लंबित हैं कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्तावधि में उक्त जिले में किन-किन स्थानों पर नई दुग्ध उत्पादक समितियां पंजीकृत की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर दुग्ध के दुग्ध संकलन की मात्रा अधिक होने व दुग्ध विपणन की मात्रा कम होने के कारण घी एवं पाउडर का स्टाक बढ़ता जा रहा है, जिससे दुग्ध भुगतान में आर्थिक परेशानी हो रही है। दुग्ध भुगतान हेतु ऋण लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दौसा दुग्ध अवशीतन केन्द्र पर वर्तमान में अवशीतन क्षमता से 30 प्रतिशत अधिक दूध संकलित किया जा रहा है।

उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान में जयपुर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र में नये दुग्ध संकलन केन्द्र खोलने का विचार नहीं रखती है।

(2) वर्ष 2019-20 में दौसा जिले से दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति खोलने हेतु कुल 70 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 40 समितियों के पंजीयन समिति स्तर से आक्षेपों की पूर्ति के अभाव में जयपुर दुग्ध संघ में लम्बित है (सूची प्रदर्श-अ पर संलग्न) तथा 02 समितियों के पंजीयन की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

(3) उक्तावधि व जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में 28 नई दुग्ध उत्पादक समितियां पंजीकृत की गई हैं जो निम्नानुसार है:-

महवा 02, दौसा 04, लालसोट 09, बांदीकुई 04, सिकराय 05 व लवाण पंचायत समिति की 04 नई दुग्ध उत्पादक समितियां पंजीकृत हुई हैं। (सूची प्रदर्श-ब पर संलग्न)

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झालावाड़ में दुग्ध अवशीतन केन्द्रों की स्थापना

263. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जिला झालावाड़ में दुग्ध अवशीतन केन्द्र लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। झालावाड़ जिले में जिला मुख्यालय से इन्दौर रोड पर 20000 लीटर क्षमता का डेयरी प्लांट पहले से ही स्थापित है एवं संघ द्वारा संचालित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों पर कुल 07 मिल्क बल्क कूलर स्थापित हैं।

खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार पर बजट का आबंटन

264. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के खनन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं विकास कार्यों के लिए सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट का गठन किया है? यदि हां, तो कब किन-किन कार्यों के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ट्रस्ट द्वारा विगत तीन वर्षों में प्रदेश में कितना बजट किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य होना शेष हैं? उक्त कार्यों के लिए किस-किसको कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत तीन वर्षों में उक्त ट्रस्ट की कितनी बैठकें कहां-कहां आयोजित की गयीं? दिनांकवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार को उक्त अवधि में उक्त कार्यों में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 09.06.2016 से प्रदेश के खनन प्रभावित क्षेत्रों एवं वहां के निवासियों के कल्याण के लिए प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट गठित किये गये हैं। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट नियम, 2016 के नियम 15(3) में उल्लेखित है। नियम की प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) विगत 3 वर्षों में कुल 8550 कार्यों पर राशि रुपये 1420.06 करोड़ का बजट आबंटन किया गया है। प्रत्येक कार्य का स्वीकृत बजट का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) विगत 3 वर्षों में 8550 स्वीकृत कार्यों में से 3325 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 5225 कार्य पूर्ण होना शेष हैं। उक्त प्रत्येक पूर्ण/प्रगतिरत कार्यों के भुगतान की राशि एवं कार्यकारी एजेन्सी के नाम का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर अंकित है।

(4) विगत 3 वर्षों में ट्रस्ट की गवर्निंग काउसिंल एवं मैनेजिंग कमेटी की बैठकों का दिनांक मय आयोजन स्थल के जिलेवार विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(5) उक्त बिन्दु के क्रम में जिला सिरोही में अनियमितता की एक शिकायत प्राप्त हुई, जिस पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि जिंसों की खरीद पर किसानों को देय बोनस

265. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में सरकार किन-किन जिंसों की खरीद पर कितना-कितना बोनस देती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चना, सरसों एवं गेहूं की खरीद पर किसानों को 200 रु. प्रति क्विंटल बोनस देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि जिंसों पर बोनस दिये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, यह निर्णय भारत सरकार के स्तर पर ही लिया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में किसी भी कृषि जिन्स की खरीद पर बोनस नहीं दिया जा रहा है।

(2) कृषि जिंसों पर बोनस दिये जाने का निर्णय भारत सरकार के स्तर पर ही लिया जाता है। राज्य सरकार के स्तर पर चना, सरसों एवं गेहूं की खरीद पर किसानों को 200/- रु. प्रति क्विन्टल बोनस देने का प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

उपभोक्ता संघ की दुकानों पर दवाइयों की आपूर्ति हेतु वितरकों की नियुक्ति

266. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकारी दवा दुकानों पर दवाइयों की आपूर्ति राज्य उपभोक्ता संघ द्वारा नियुक्त वितरकों द्वारा की जाती है? यदि हां, तो प्रदेश में किस-किस फर्म को वितरक नियुक्त किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि संघ के कर्मचारी भी वितरक कंपनियों में भागीदार हैं? यदि हां, तो कौन-कौन कर्मचारी किस-किस फर्म में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर में वर्तमान में कार्यरत किसी भी कर्मचारी के वितरक कम्पनियों में भागीदार होने की सूचना उपभोक्ता संघ स्तर पर नहीं है।

रोडवेज बसों में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा

267. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

क्या यह सही है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं व साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों व अभ्यर्थियों को निगम की बसों में यात्रा करने पर किसी प्रकार की छूट देय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त को राजस्थान रोडवेज की बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

UPSC, RPSC, RSMSSB द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार में राज्य के मूल निवासियों को उपस्थित होने हेतु राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण/द्रुतगामी बसों में नि:शुल्क यात्रा सुविधा आदेश क्रमांक एफ-4/मु/याता/लेखा(113)/2018/ 2111 दिनांक 22.05.2018 के द्वारा प्रदान की जा रही है। प्रति परिशिष्ट "1" पर संलग्न है

जन घोषणा पत्र 2018 के बिन्दु संख्या "10.9" के अनुसार "प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आने-जाने वाले बेरोजगार युवाओं को उनके परीक्षा पत्र दिखाने पर रोडवेज का किराया माफ किया जाना" के क्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलौदी के गांवों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ने की योजना

268. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों को पथ परिवहन सेवा से जोड़ने के उद्देश्य से ग्रामीण परिवहन बस सेवा प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र फलौदी के कितने गांवों को उक्त योजना के तहत लाभान्वित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सरकार की घोषणा "ग्रामीण परिवहन बस सेवा का विस्तार करते हुए दूर-दराज के गांवों/ढाणियों को बस सेवा से जोड़ना" के क्रियान्वयन हेतु 450 मिडी बसों को अनुबंध पर

(परिवहन मंत्री)

लिये जाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की गई थी जिस पर समुचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण निविदा पूर्ण नहीं की जा सकी। वर्तमान में सरकार की घोषणा के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण मार्गों का सर्वे कर संचालन हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अलवर के केन्द्रीय बस स्टैण्ड के विकास की योजना

269. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर में स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के केन्द्रीय बस स्टैण्ड की स्थिति ठीक नहीं होने की शिकायतें समय-समय पर प्रशासन को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या कारण है कि अब तक उक्त केन्द्रीय बस स्टैण्ड में सुधार नहीं किए गए हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त केन्द्रीय बस स्टैण्ड पर व्याप्त समस्याओं का निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा विगत एक वर्ष में अलवर स्थित केन्द्रीय बस स्टैण्ड के विकास हेतु कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अलवर शहर में स्थित केन्द्रीय बस स्टैण्ड के विकास हेतु बजट आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर शहर में स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड की स्थिति संतोषप्रद है तथा बस स्टैण्ड की स्थिति के सम्बन्ध में कोई शिकायत निगम को प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय बस स्टैण्ड अलवर पर यात्रियों के लिये पर्याप्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनकी स्थिति अच्छी है।

(2) प्रश्न का उत्तर खण्ड "1" में दिया जा चुका है।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा गत एक वर्ष में अलवर स्थित केन्द्रीय बस स्टैण्ड के विकास हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई तथा न ही कोई कार्य करवाये गये।

(परिवहन मंत्री)

(4) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण अलवर स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड का विकास करवाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

देवली-उनियारा में संचालित मदरसे

270. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार मदरसा बोर्ड के पैराटीचर का मानदेय बढ़ाने व स्थायीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में कितने मदरसे हैं एवं उनमें कितने पैराटीचर कार्यरत हैं? उक्त का कितना वेतनमान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.5(1)मम/2019 दिनांक 01.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु श्री बुलाकी दास कल्ला, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में मंत्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों के संबंध में चाही गई सूचना दिनांक 14.03.2019 एवं 16.01.2020 को मंत्रीस्तरीय समिति को प्रेषित की जा चुकी है।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में 20 मदरसे संचालित हैं, जिनमें 36 पैराटीचर्स कार्यरत हैं, जिन्हें न्यूनतम 7602 रुपये व अधिकतम 9475 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को पोषाहार का वितरण

271. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्र पर बच्चों को गरम पोषाहार व गर्भवती, धात्री एवं पात्र महिलाओं को विशेष पोषाहार देने का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के बाहर प्रतिदिन

(श्री अमृतलाल मीणा)

दिये जाने वाले पोषाहार का मीनू का चार्ट व महिलाओं को आंगनबाड़ी से दी जाने वाली सुविधाओं को प्रतिदिन साप्ताहिक, मासिक चार्ट के रूप में प्रदर्शित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। समेकित बाल विकास सेवाएं योजनान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों माध्यम से समस्त इच्छुक 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा 11 से 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली बालिकाओं को भारत सरकार द्वारा निर्धारित पोषणीय मापदण्डों के अनुरूप पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से श्रेणीवार लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का मीनू आंगनबाड़ी केन्द्रों के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करने हेतु पूर्व में ही विभागीय आदेश एफ 4 (1) ( )पो/एसएचजी/मबावि/2005/67923-68222 दिनांक 21.07.2006 एवं एफ4(1) (2) पो/आईसीडीएस/2009/9089-9425 दिनांक 03.02.2020 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र

272. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? विगत एक वर्ष में कितने नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्टाफ व भवन की कमी है? यदि हां, तो कौन-कौनसे केन्द्रों पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में रिक्त स्टाफ के पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में 271 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 54 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 325 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं तथा विगत एक वर्ष में कोई नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोला गया है।

(2) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्र पर रिक्त पदों का विवरण एवं किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है। मानदेय पद रिक्त होने पर उन्हें भरने की एक सतत प्रक्रिया है। मानदेय कार्मिकों के पद रिक्त होने पर विभागीय नियमानुसार ग्राम सभाओं/शहरी चयन समितियों के माध्यम से रिक्त मानदेय पदों को भरने की कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

छबड़ा में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

273. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में कितनी-कितनी वृद्धि की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं एवं उक्त पर पदस्थापित कार्मिकों के नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत 2 वर्षों में मानदेय में की गई वृद्धि का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के अन्तर्गत दो परियोजनाएं क्रमश: बाल विकास परियोजना छबड़ा एवं छीपाबड़ौद संचालित हैं, जिसके अन्तर्गत परियोजना छबड़ा में 178 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 50 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 228 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। परियोजना छीपाबड़ौद में 196 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 25 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 221 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण एवं उन पर कार्यरत मानदेय कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उद्योगों में चिमनी उत्सर्जन की ऑनलाइन मानिटरिंग

274. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खनन, जल, वायु एवं पर्यावरण प्रदूषित करने वाले उद्योगों को पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक हैं? यदि हां, तो दिसम्बर, 2018 से 31 जनवरी, 2020 तक कौन-कौन से उद्योगों द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किये गये हैं तथा उनमें से कितने उद्योगों को पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र किन-किन शर्तों पर जारी किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश के सभी जिला स्तर पर जिला स्तरीय विशेषज्ञ आंकन का गठन किया जा चुका है? यदि हां, तो उक्त समिति के समक्ष कितने प्रकरण दिसम्बर, 2018 के बाद दर्ज हुए और उनमें कितने प्रकरणों में उक्त समिति द्वारा अनुशंसा दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों के लिए विकास एवं चिमनी उत्सर्जन पर आनलाइन मोनिटरिंग की जा रही है? यदि हां, तो कितने उद्योग ऑनलाइन मोनिटरिंग में अमान्य पाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पर्यावरण विभाग, राजस्थान द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं जारी किया जाता। तथापि, भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं तत्संबंधी बने हुए नियमों के अन्तर्गत पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाती है। दिसम्बर, 2018 से जनवरी, 2020 तक 1603 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा 807 प्रकरणों को पर्यावरण स्वीकृति दी जा चुकी है (जिसमें दिसम्बर 2018 से पूर्व के आवेदन भी सम्मिलित हैं)। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

खनन इकाइयों एवं उद्योगों को जल/वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियमों के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सम्मति प्राप्त करना होता है। दिसम्बर 2018 से अब तक कुल 22381 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा इसी दौरान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 25897 आवेदनों का निस्तारण किया गया है (जिसमें दिसम्बर

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

2018 से पूर्व के लम्बित आवेदन भी सम्मिलित हैं)। समस्त उद्योगों को उनके उत्पाद, प्रकृति एवं निकलने वाले प्रदूषक तत्वों के आधार पर भिन्न-भिन्न शर्ते अधिरोपित की जाती हैं, जिन सबका उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण (वायु, जल, ध्वनि इत्यादि) रोकना होता है।

(2) समस्त जिला स्तर पर जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (DEIAA) जो कि बी 2 श्रेणी के खनन को पर्यावरण स्वीकृति का कार्य देख रहे थे, उनको माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश दिनांक 13.09.2018 व 11.12.2018 द्वारा निलम्बन कर दिया गया है।

(3) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 209 अत्यधिक प्रदूषक उद्योगों में चिमनी उत्सर्जन पर ऑनलाइन मानिटरिंग की जा रही है, जिनमें विगत 3 माह में 42 उद्योगों में समय-समय पर उत्सर्जित प्रदूषक तत्व निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मुकन्दरा टाइगर रिजर्व में खनन पर रोक

275. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मुकन्दरा टाइगर रिजर्व के कुल कितने किलोमीटर की परिधि में खनन पर रोक है तथा उक्त परिधि में वर्तमान में कितने खनन क्षेत्र आते हैं?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में अवैध खनन की कोई शिकायत विगत एक वर्ष में प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से एक कि.मी. की परिधि में खनन कार्य पर रोक है। खनिज विभाग के पत्र दिनांक 22.03.2016 के अनुसार एक कि.मी. की परिधि में 12 खनन पट्टे आते हैं, जिन पर वर्तमान में कोई खनन कार्य नहीं किया जा रहा है। खनन पट्टों की सूची संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी परिपत्र माह दिसम्बर, 2012 अनुसार सभी परियोजनाएं जिनके लिए पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक

(राज्य मंत्री, वन)

होती है (इनमें खनन परियोजना भी सम्मिलित है) में 10 कि.मी. परिधि के ईको-सेंसिटिव जोन में भी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात, ही खनन कार्य किया जा सकता है।

(2) मुकन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र से एक कि.मी. की परिधि में गत एक वर्ष में अवैध खनन की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना व परबतसर में पेड़-पौधे लगाने की कार्ययोजना

276. श्री रूपा राम (मकराना): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना व परबतसर में विगत पांच वर्षों में कितने पेड़-पौधे लगाये गये? उनमें से कितने पेड़ जीवित हैं और उन पर प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में क्या–क्या योजनाएं व कौन–कौन से कार्य उक्त वर्ष में प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना एवं परबतसर में विगत 5 वर्षों में कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर द्वारा रोपित पौधे, उन पर व्यय राशि तथा जीवितता संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट-ए अनुसार है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना एवं परबतसर में विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में करवाये जा रहे विकास कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-बी तथा वर्ष 2020-21 में करवाये जाने वाले विकास कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-सी अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर संभाग के तहसील मुख्यालयों पर स्टेडियम का निर्माण

277. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) समन्वित (आधारभूत खेल संरचनाएं) विकास कार्यक्रम के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

अन्तर्गत तहसील व पंचायत समिति मुख्यालयों पर क्रीड़ांगन (स्टेडियम) निर्माण एवं खेल मैदानों के विकास के लिए क्या आधार तथा मानदण्ड हैं? क्या सरकार की तहसील व पंचायत समिति मुख्यालयों पर खेल विकास की कोई योजना है? यदि हां, तो विवरण प्रस्तुत करें।

(2) उदयपुर संभाग के प्रत्येक जिले में कितनी तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालयों पर क्रीड़ांगन (स्टेडियम) बनाए गये हैं एवं कितने स्थानों पर निर्माण स्वीकृत है व कितने स्थानों पर निर्माणाधीन है?

(3) वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त संभाग में प्रत्येक जिले में क्रीड़ांगन निर्माण के लिए कितना बजट आबंटित किया गया तथा कितना स्वीकृत किया गया एवं कितना वास्तविक व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मापदण्ड के विवरण की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

जी हां। समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से बजट की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उनके निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

माननीय सांसदों द्वारा सांसद निधि कोष एवं माननीय विधान सभा सदस्यों द्वारा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास मद से राशि उपलब्ध करवाये जाने पर राज्य सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट दिये जाने का प्रावधान है।

(2) उदयपुर संभाग में राजसमन्द जिले के देवगढ़ तहसील मुख्यालय पर स्टेडियम निर्मित है। शेष जिले के जिला मुख्यालय पर ही स्टेडियम स्थित है। विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(3) वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 में उदयपुर संभाग हेतु स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कोई बजट आबंटित नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीलवाड़ा में युवा बोर्ड द्वारा संचालित गतिविधियां

278. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा सम्पन्न कराई जाने वाली गतिविधियों व क्रियाकलापों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला भीलवाड़ा में बोर्ड द्वारा संचालित गतिविधियों व क्रियाकलापों से दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक कब-कब किस-किस को कैसे-कैसे लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा सम्पन्न कराई जाने वाली गतिविधियों व क्रियाकलापों का विवरण निम्नानुसार है-

1. जागरूकता एवं शिक्षा कार्यक्रम
2. स्वच्छ और स्वस्थ जीवन शैली
3. रोजगार और कौशल विकास, अघमशीलता (स्टार्टअप)
4. साहसिक खेल एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम
5. युवाओं की राजनैतिक एवं शासन भागीदारी
6. सामाजिक मूल्यों का संवर्धन
7. युवाओं का विनियोजन

विस्तृत कार्ययोजना पताका क पर संलग्न है।

(2) जिला भीलवाड़ा में बोर्ड द्वारा संचालित गतिविधियों व क्रियाकलापों के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक निम्न गतिविधियों का आयोजन करवाया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में शुभशक्ति योजना के लाभार्थी

279. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर जिले में शुभशक्ति योजनान्तर्गत जनवरी, 2016 से

(श्री निर्मल कुमावत)

दिसम्बर, 2019 तक किन-किन ने कब-कब आवेदन किया? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुईं व कितनी बालिकाओं को आवेदन फार्म जमा करवाने के उपरान्त अब तक लाभान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बालिकाओं को कब तक उक्त योजना से लाभान्वित कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में मण्डल द्वारा संचालित शुभशक्ति योजना के अंतर्गत जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जयपुर जिले में मण्डल द्वारा संचालित शुभशक्ति योजना के अंतर्गत कुल 4121 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं एवं 15,002 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। विवरण परिशिष्ट-1 में समाहित है।

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपकर राशि का प्रयोग अधिनियम की धारा 22 (ए) से (जी) तक उल्लेखित विषयों पर बनाई गई योजनाओं में लाभ अन्य कल्याणकारी योजना की अपेक्षा प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में सीमित फण्ड उपलब्धता तथा संवेदनशीलता की दृष्टि से सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवेदनों को शुभशक्ति एवं सुलभ्य आवास योजना पर वरीयता देते हुए निस्तारित किया जा रहा है। शुभशक्ति योजना तथा सुलभ्य आवास योजना के 2016-17 में प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र श्रमिकों को हितलाभ देने के निर्देश दिनांक 08.01.2020 को जारी किये जा चुके हैं।

(3) लम्बित आवेदनों का प्रथम चरण में 30.03.2017 तक प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा तथा शेष आवेदनों का भी चरणबद्ध रूप से वरीयता के आधार पर ''पहले आओ पहले पाओ'' पद्धति से निस्तारण कर दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं में मुक्तकरवाये गये बाल श्रमिकों को सुविधाएं

280. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को श्रम व मजदूरी से निषेद्ध किया हुआ है? यदि हां, तो झुंझुनूं जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कितने बाल श्रमिक पकड़े गये हैं और उन संस्थानों के विरुद्ध कब-कब क्या कार्यवाही की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिले में पकड़े गये बाल श्रमिकों को मुक्त करवाकर श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के तहत नि:शुल्क शिक्षा, मिड-डे मील योजना, चिकित्सा इत्यादि की सुविधा प्रदान की गयी है? यदि हां, तो मुक्त करवाये गये श्रमिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को हर प्रकार के श्रम/मजदूरी से निषेद्ध किया हुआ है। झुंझुनूं जिले में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6 तथा वर्ष 2019-20 में कोई बाल श्रमिक नहीं पकड़े गये हैं। उन संस्थानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना में न्यूनतम 15 मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों का क्लस्टर होना आवश्यक है। उपरोक्त मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की संख्या 15 से कम है, अतः भारत सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं की सुविधा देय नहीं है। मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की सूची शिक्षा विभाग को भेजकर आवश्यकतानुसार शिक्षा से जोड़ने की कार्यवाही की जाती है। मुक्त कराए गए श्रमिकों की सूची परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गृह रक्षा स्वयंसेवकों के रिक्त पद

281. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभाग में आरक्षी से लेकर कम्पनी कमाण्डर तक कितने

(श्रीमती अनिता भदेल)

पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो, क्यों?

उत्तर

(1) गृह रक्षा विभाग में आरक्षी से लेकर कम्पनी कमाण्डर तक के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम 2020 की रचना प्रक्रियाधीन है। नियम बनने के बाद भर्ती की कार्यवाही शुरू की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

बांदीकुई शहर में पेयजल की समस्या

महोदय,

निवेदन है कि बांदीकुई शहर में सप्ताह में एक दिन ही पानी की सप्लाई की जा रही है और वह भी कड़वा पानी है जो पीने योग्य नही है। विभाग को उक्त के संबंध में बार-बार शिकायत करने के उपरांत भी विभाग द्वारा अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया है, जिससे आम जनता में भारी रोष व्याप्त है। जिन प्राइवेट नलकूपों से पेयजल की पूर्ति की जा रही थी, अब उनकी मात्रा भी घटा दी गई है तथा जिन टैंकरों की सप्लाई प्राइवेट व्यक्ति के टेंडर के माध्यम से कराई जा रही थी वे भी बंद हो गए है, जिस कारण परेशानी और बढ़ गई है। अतः मैं जल संसाधन मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि आगामी गर्मी के मौसम व पेयजल की कमी को मद्देनजर रखते हुए उक्त पेयजल की समस्या का उचित समाधान करवाते हुए यहां के निवासियों को पेयजल उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

गजराज खटाणा

(बांदीकुई)

देवास-प्रथम, अलसीगढ़ डैम का पानी लीकेज

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि देवास प्रथम अलसीगढ़ डैम के पानी से उदयपुर पिछोला झील को भरने के लिए एक टनल बना रखी है। उसमें गेट लगा रखे हैं और जब जरूरत पड़ती है तो गर्मी के समय में पीने का पानी गेट खोल कर लिया जाता है। मगर विभाग द्वारा इतनी लापरवाही की गई है, जो उदयपुर की झीलें भरी होने पर वह पानी रोका गया था, देवास का पानी गेट खराब होने की वजह से सारा पानी व्यर्थ चला गया। मैंने पूर्व में प्रश्न के माध्यम से व जिला परिषद् में व विभाग अधिकारियों को भी बताया मगर इस मीठे पानी को नहीं बचा सके और सरकार की तरफ से जो फ्री पानी मिल रहा था, उस पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उदयपुर की जनता को

गर्मी में पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस देवास प्रथम डैम के पानी को रोकने के लिए अभी गेट को तुरन्त ठीक करवाकर आने वाले पानी को रोकने का बन्दोबस्त करें।

मगर इस वर्ष का पानी व्यर्थ जाने दिया, इसमें दोषी अधिकारियों पर कोई सख्त कार्यवाही करें ताकि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करें ताकि सरकार ने जो सुविधाएं दे रखी हैं, उनका जनता को लाभ मिल सके।

सधन्यवाद।

फूल सिंह मीणा

(उदयपुर ग्रामीण)

जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट के कार्यों में अनियमितता

मान्यवर,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मैं राज्य सरकार का ध्यान जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट के कार्यों में बरती जा रही अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

1. जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट में अनियमितता कारित कर पुरानी दिनांकों में कनेक्शन दिये गये हैं।
2. 50 एम.एल.डी. औद्योगिक अपशिष्ट ट्रीट की क्षमता के विरुद्ध पूर्ण क्षमता के स्थान पर नाममात्र का अपशिष्ट ट्रीट किया जाता है और 50 एम.एल.डी. ट्रीट की खतौनी कर उसमें लगने वाले चूना, रसायन आदि का व्यय दर्शाकर अनियमितता कारित की जाती है।
3. यदि इनकी खतौनी अनुसार चूना की मात्रा काम में आती है तो उसके अनुसार उपचारण के बाद मिट्टी निकलती है, वह उसी अनुपात में निकलनी चाहिये, परन्तु ऐसा कभी भी नही होता है क्योंकि दर्शायी गई मात्रा में चूना कभी भी नहीं डाला जाता है। ट्रस्ट के हितबद्ध लोगों की फर्म से ही उक्त शोधन रसायन, चूना आदि की लगातार सप्लाई होती है।
4. अपशिष्ट शोधन का मूल कार्य जो.प्र.नि.ट्र. द्वारा नहीं किये जाने के कारण औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों पर प्रायः अपशिष्ट जल फैला रहता है, फैक्ट्रियों से टैंकर में भरकर सीधा ही अपशिष्ट जल रीको के नालों में डाल दिया जाता है जो कि आगे जाकर किसानों के खेतों में फैलता है। इसी कारण सालावास डोली-कल्याणपुर तक फैला यह अपशिष्ट

अनेक बार किसानों के धरनों आधार बनता है। किसान अपनी बेशकीमती भूमि के बंजर होने का दंश झेल रहे हैं।

5. जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट के क्षेत्राधिकार में बहुत ही खतरनाक स्तर का प्रदूषण फैलाने वाले रसायनों (जो कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित है) की अनेक फैक्ट्रियों का संचालन किया जा रहा है, परन्तु हितबद्धता के चलते जानबूझकर नजरअंदाजी की जा रही है।

अतः मेरी मांग है कि जोधपुर प्रदूषण निवारण ट्रस्ट के कार्यों की अविलम्ब उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए।

सूर्यकांता व्यास

(सूरसागर)

रायसिंहनगर कस्बे में गंदे पानी की निकासी न होने से आमजन को परेशानी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरी विधान सभा रायसिंहनगर के वार्ड नं. 25 में गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही है। इस वार्ड में प्राय: गरीब लोग निवास करते हैं। इस वार्ड में बड़े बड़े खड्डे बने हुए हैं, जहां पर पूरे शहर का गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है एवं बुरी तरह से बदबू मारता है। वार्डवासियों का जीना दूभर हो गया है। 26 जनवरी, 2020 को मैं मौके पर पहुंचा, वहां की हालत देखते हुए मन बहुत ही दुःखी हुआ। मैंने कुछ युवा लोगों को बुलाकर वार्ड की साफ-सफाई के लिए आग्रह किया और उन्होंने सहयोग करके वार्ड की साफ सफाई भी की। अभी भी वार्डवासी सहयोग करके वार्ड की साफ-सफाई कर रहे हैं। मगर गंदे पानी की निकासी वार्ड स्तर पर नहीं हो सकती। यह समस्या जस की तस बनी हुई है। इस वार्ड में गंदे पानी की वजह से गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि प्रशासन एवं नगरपालिका को निर्देशित कर वार्ड में गंदे पानी की निकासी की सुनिश्चितता करें।

बलबीर सिंह लूथरा

(रायसिंहनगर)

बरूंधन (बूंदी) में घोड़ा पछाड़ नदी पर पुलिया निर्माण

मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी की पंचायत समिति तालेडा के ग्राम पंचायत मुख्यालय बरूंधन में नदी पार बैरवा बस्ती में करीब 600-650 की आबादी है और सरकारी स्कूल भी नदी पार है। ग्राम बरूंधन एवं बैरवा बस्ती के मध्य घोड़ा पछाड़ नदी स्थित है। यहां पर पुलिया के अभाव में करीब 25 किलोमीटर का चक्कर काटकर जाना पड़ता है और इस दूरी से बचने के लिये स्कूली बच्चे व ग्रामवासी जोखिम उठाकर नदी में नाव को स्वयं चलाकर आते जाते हैं जिससे कभी भी भयंकर हादसा होने की सम्भावना है क्योंकि बारिश के मौसम में नदी में करीब 25 फुट पानी होता है। बैरवा बस्ती गांव व बरूंधन में नदी की तरफ से मात्र 200 मीटर की दूरी है परन्तु बाजार, विद्यालय, चिकित्सालय व गांव मे आने के लिये पुलिया नहीं होने से 25 किलोमीटर की दूरी है। यह इस क्षेत्र की अत्यन्त ज्वलंत समस्या है तथा विगत कई सालों से इसकी मांग सभी सरकारों में की जाती रही है परन्तु हमेशा बजट की अनुपलब्धता का हवाला दिया जाता रहा है।

अतः आमजन, किसानों, स्कूली विद्यार्थियों की सुविधाओं को देखते हुए बरूंधन के वार्ड 9, 10 व 11 के मध्य घोड़ा पछाड़ नदी पर पुलिया का निर्माण कराने के लिये अतिशीघ्र बजट आबंटन करा पुलिया निर्माण कराया जाए।

अशोक डोगरा

(बूंदी)

बड़ी सादड़ी के राउप्रावि एवं राप्रावि के जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्तमान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय जिन भवनों में संचालित हैं उनमें से अधिकतर भवन काफी पुराने एवं जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण जर्जर हो रहे हैं, जो कभी भी भयानक दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। उक्त भवन लगभग 15 से 20 वर्ष पुराने हैं। उक्त भवनों की छतों से वर्षाकाल में पानी टपकता है तथा आरसीसी की छतों में से लोहे के सरिये भी निकल गये हैं। जिस कारण से उक्त भवन

में अध्ययनरत विद्यार्थी असहज रूप से अध्ययन कर रहे हैं। भवनों की छतों के किसी भी समय गिरने का डर बना हुआ रहता है। छतों का प्लास्टर भी आये दिन गिरता रहता है जिससे विद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को चोट भी लगी है। ऐसे भी कई भवन हैं जो इतने खस्ताहाल हैं कि उनके कक्षाकक्षों में विद्यार्थियों को नहीं बैठाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राजकीय विद्यालयों में बच्चों का पढ़ना दूभर हो गया है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र उक्त जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों का मुआयना कर इनका जीर्णोद्धार कर क्षेत्रीय विद्यार्थियों को राहत प्रदान करें।

ललित कुमार ओस्तवाल

(बड़ी सादड़ी)

लूणकरणसर के लोगों को आवासीय पट्टों की स्वीकृति

महोदय,

निवेदन है कि लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के लूणकरणसर कस्बे के वार्ड नं. 2 व 3 में जो आवासीय भूमि है, उनका नियमितीकरण कर वहां के रहवासियों को आवासीय पट्टे दिये जाएं। वार्ड नं. 2 व 3 में जो भूमि है व गैर आबादी भूमि में है। यह वार्ड सत्र न्यायालय के समीप से रेलवे अण्डरब्रिज से सुरनाना मार्ग तक रहने वालों की संख्या सैकड़ों में है और लगभग 30 से 40 वर्ष से यहां जीवनयापन कर रहे हैं। इन वार्डों में मंदिर, मस्जिद, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, भाटों का बास व निजी विद्यालय भी हैं। वार्डवासी बिजली व पेयजल योजना से सदैव जुड़े रहे हैं। विभिन्न सरकारी आवासीय योजनाओं से मकानों का निर्माण भी यहां हुआ है। वर्तमान में पट्टे नहीं होने के कारण क्षेत्र के बाशिंदे जो आर्थिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति व अल्पसंख्यक जो इस वार्ड में सर्वाधिक निवास करते हैं, को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। पूर्व भाजपा सरकार में प्रयास किया गया, जिससे उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर की देखरेख में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें ग्राम पंचायत, राजस्व तहसील, पंचायत समिति, उपखंड कार्यालय के कर्मचारी रहे। इस कमेटी के द्वारा पूरे क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार की गई और इन वार्डों की लगभग 44 बीघा क्षेत्र को आबादी भूमि में लिया जाना उचित माना। कमेटी के द्वारा एसडीएम, लूणकरणसर के द्वारा सर्वे फाइल व अनुशंसा पत्र जिला कलेक्टर कार्यालय, बीकानेर को भेजी गई। वहां यह प्रस्ताव

राज्य सरकार के पास वर्तमान में लम्बित है।

मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा जिस तरह राजधानी जयपुर के पृथ्वीराज नगर व राजस्थान के समस्त जिलों में आवासीय पट्टे जारी किये गये, उसी तरह लूणकरणसर के वार्ड नं. 2 व 3 में आवासीय पट्टे जारी कर आमजन को राहत प्रदान करें।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सुमित गोदारा

(लूणकरणसर)

बिलाड़ा के डा. भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय का पी.जी. में क्रमोन्नयन एवं विज्ञान संकाय की स्थापना

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय, सादर निवदेन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा में नियमित छात्र -छात्राओं की संख्या 561 है जिसमें अधिकांश छात्र-छात्रा को स्नातकोत्तर की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण पढ़ाई छोड़ देने या अजमेर एवं जोधपुर अध्ययन के लिए जाना पड़ता है। बिलाड़ा के अनेक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान संकाय हैं परन्तु डा. बी.आर. राजकीय महाविद्यालय बिलाड़ा में विज्ञान संकाय नहीं होने के कारण लगभग 1000 छात्र छात्राओं को विज्ञान वर्ग में अध्ययन हेतु बाहर जाना पड़ता है और काफी छात्र-छात्राएं शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। ज्यादातर मजदूर एवं किसान वर्ग के छात्र अध्ययन करते हैं।

साथ ही पीपाड़ शहर में जोधपुर जिले की एकमात्र बालिका के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय संचालित है। उक्त महाविद्यालय में शिक्षा विकास समिति के माध्यम से सैल्फ मोड पर विज्ञान विषय शुरू कर दिया गया जिस कारण छात्राओं को महाविद्यालय में विज्ञान विषय अध्ययन हेतु 15120 रुपये देने पड़ रहे हैं। उक्त महाविद्यालय लगभग 25-30 गांवों से जुड़ा हुआ है और वहां के गरीब घर के परिवार की करीबन 822 छात्राएं इस महाविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। उनमें से विज्ञान विषय पढ़ने वाली छात्राओं को इतनी बड़ी राशि चुकाना बहुत ही मुश्किल है। इस कारण कई छात्राएं विज्ञान विषय पढ़ने की इच्छा होते हुए भी वंचित रह जाती हैं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की हैं, जिनमें से वर्तमान में बालिकाओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा की घोषणा भी की है।

अतः माननीय सभापति महोदय जी, छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए बिलाड़ा में बीआर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय की पी.जी. में क्रमोन्नयन एवं विज्ञान वर्ग खोलने एवं पीपाड़ शहर में राजकीय कन्या महाविद्यालय में विज्ञान वर्ग को नियमित करने की कार्यवाही कराएं।

हीराराम

(बिलाड़ा)

बीकानेर में डीएलसी दरों का पुनर्निर्धारण

महोदय,

बीकानेर जिले में डीएलसी दरों का निर्धारण 2013 में हुआ था। इसके बाद जमीन की बाजार दरों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है लेकिन डीएलसी दरों में परिवर्तन नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों से निकल रही भारतमाला परियोजना के लिए सरकार द्वारा किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं और जमीनों की डीएलसी दर का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 26 (3) के अन्तर्गत अवार्ड घोषित होने से पहले डीएलसी दरों का सरकार को पुनर्निर्धारण करने के बाद ही अवार्ड घोषित करना चाहिए, परन्तु भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग 754K के लिए जिला कलेक्टर, बीकानेर ने बिना डीएलसी दरों का पुनर्निर्धारण किये बिना ही अवार्ड घोषित कर दिया, जो कि उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 26 (3) के विपरीत है तथा उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 की धारा 28 के तहत जिला कलेक्टर बीकानेर ने किसानों की ट्यूबवैल, मकान, पेड़-पौधों की कीमत का सही निर्धारण तक नहीं किया है। यहां तक कि खेजड़ी के पेड़ की कीमत मात्र 15 रूपये आंकी गई है। सिंचित और असिंचित क्षेत्रों के मुआवजों के निर्धारण में भी कोई अंतर नहीं रखा गया है, जिसको लेकर सूरतगढ़ में 8 माह से बीकानेर में 5 माह से बागोड़ा (जालौर), बालोतरा (बाड़मेर) तथा लूणकरणसर में लम्बे समय से किसानों ने धरने और आंदोलन कर रखे हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत डीएलसी दरें 2013 के बाद आज तक पुनर्निर्धारित नहीं की गई हैं, वे दरें पुनर्निर्धारित करवाने के बाद ही तथा किसानों की संपदा ट्यूबवैल, मकानात, पेड़-पौधों का वर्तमान दर से सही आंकलन करवाने के बाद ही अवार्ड घोषित कर किसानों को डीएलसी दर से चार गुणा मुआवजा देने की व्यवस्था की जाए।

गिरधारीलाल

(डूंगरगढ़)

आमेर के वार्ड संख्या 3 में जासोलाई की तलाई एवं आस पास की ढाणियों में सड़क निर्माण

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर का वार्ड नम्बर 3 जो हाल ही में पुनर्गठन के पश्चात् जयपुर हैरिटेज नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आता है जिसमें जाजोलाई की तलाई में लगभग 10,000 व्यक्तियों की आबादी है। यहां पर वर्तमान में सरकारी सुविधा के नाम पर विद्युत सुविधा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जयपुर शहर से सटे हुए इस हैरिटेज इलाके की हालत यह है कि यहां पर सड़क के नाम पर रेत ही रेत व गहरे गड्ढे हैं जिनमें वाहन तो क्या पैदल चलना भी मुश्किल है। बरसात के समय पानी का बहाव क्षेत्र भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है जिससे छोटे-छोटे बच्चों का स्कूल जाना एवं उनके बह जाने का खतरा बना रहता है।

उक्त क्षेत्र में सड़क बनाने के नाम पर कई बार सर्वे हो चुका, लेकिन 70 साल की आजादी के बाद भी आज तक जाजोलाई की तलाई से बागड़ियों की ढाणी, पीपलीयाली ढाणी, पटेलों की ढाणी, भौम्या जी के मंदिर तक वाया पीली की तलाई जिसमें दस हजार की आबादी है अभी भी सड़क सुविधा से वंचित है। एक ओर जहां घर-घर को सड़क से जोड़ने की सरकार योजनाएं बना रही है, वही दूसरी ओर जाजोलाई की तलाई एवं इसके आस-पास की यह ढाणियां सड़क सुविधाओं से वंचित हैं। इस संबंध में नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण सहित सभी विभागीय अधिकारियों को स्थानीय जनता द्वारा समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है, किन्तु अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

अतः मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उक्त अविलम्बनीय

लोकमहत्व की समस्या पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाकर स्थानीय निवासियों को राहत प्रदान की जाए।

सतीश पूनियां

(आमेर)

लाखेरी की एसीसी सीमेन्ट फैक्ट्री में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार

महोदय,

निवेदन है कि केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में एसीसी सीमेन्ट फैक्ट्री उद्योग लगभग 100 वर्षों से स्थापित है। इस फैक्ट्री में काफी संख्या में अधिकारी, स्थायी व अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। फैक्ट्री प्रशासन द्वारा काफी वर्षों से नई भर्तियां बंद कर रखी हैं जिससे स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। बेरोजगार फैक्ट्री के चक्कर लगा रहे हैं। प्रशासन नई भर्ती न करके ठेका प्रथा को प्रोत्साहन दे रहा है जिससे योग्य बेरोजगारों का शोषण हो रहा है। फैक्ट्री प्रशासन द्वारा श्रम कानून का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। फैक्ट्री में स्थानीय व्यक्तियों को बहुत कम रोजगार उपलब्ध है, जिसकी जांच कराई जाना अति आवश्यक है। फैक्ट्री अनेक कार्य जैसे खनिज, परिवहन, पर्यावरण, सार्वजनिक जन सुविधाओं के कार्यों में अनियमितताएं कर रहा है जिसकी शिकायतें मिलती रहती हैं। लाखेरी नगर सीमेंट की डस्ट से परेशान है। मकानों पर सीमेंट की परतें जम जाती हैं। खानपान की दैनिक वस्तुओं में सीमेंट डस्ट उड़ने से स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारियां क्षेत्रवासियों को हो रही हैं। हर समय पड़ौस में होने वाली ब्लास्टिंग से खतरा बना रहता है। इसलिए सभी शिकायतों की जांच उचित एजेन्सी से कराया जाना अति आवश्यक है।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

चन्द्रकान्ता मेघवाल

(केशोरायपाटन)

उजाड़ नदी पर सड़क पर रपट की जगह पुलियाओं का निर्माण

महोदय,

झालावाड़ जिले को राजस्थान में चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। यहां पर औसतन बरसात 1300 MM होती है जिससे झालावाड़ जिले के

खानपुर विधान सभा क्षेत्र में आनी वाली रोडों पर रपट बने होने के कारण बहुत से गांव बरसात में संपर्क से कट जाते हैं। संपर्क कट जाने की वजह से गांव वालों को मूलभूत सुविधाओं (बीमार होने के कारण और डिलीवरी होने पर व बच्चों को शिक्षा से) वंचित रहना पड़ता है।

अतः निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खानपुर में उजाड़ नदी पर आने वाली रपटों की जगह पुलियाएं बनाई जाएं जिससे बरसात के समय पर सम्पर्क से कट जाने वाले गांव (पीपलिया नग्गा:-ग्राम पंचायत खेरिया, मरायता, रतनपुरा:-मोडी) के ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रहना पड़े।

नरेन्द्र नागर

(खानपुर)

बारां शहर की कालोनियों में घरों के ऊपर से निकल रही हाईटेंशन लाइनों का स्थानान्तरण

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 295 विशेष उल्लेख के तहत सरकार का ध्यान बारां शहर के जनहित के एक मुद्दे की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि बारां शहर की कई कॉलोनियों में छतों व घरों के आस पास से विद्युत करन्ट की हाईटेंशन लाइनें गुजर रही हैं, लेकिन विद्युत वितरण निगम के द्वारा इन हाईटेंशन लाइनों को नही हटाया जा रहा है। जिस कारण इन हाईटेंशन विद्युत लाइनों की जद में आने वाले सैकड़ों घर परिवारों की जान खतरे में है। आये दिन लोगों को करन्ट लगने की घटनाएं हो रही हैं। ऐसी घटनाओं के चलते अब तक कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बारां शहर में कोटा रोड पर स्थित 132 केवी जीएसएस से कृष्णा कालोनी, आदर्श नगर, साई बाबा मंदिर, कृष्णा सिटी, नटराज नगर, प्रताप नगर, बरसाना रेजीडेन्सी रिद्विका कालोनी, नन्द विहार, देवनगर, गणपति नगर, सरस्वती कालोनी, नाईयों की बाड़ी, विज्ञान नगर, राजीव नगर होते हुए कुंजविहार कालोनी क्षेत्र में मकानों के आसपास से 33 केवी करन्ट की लाइनें गुजर रही हैं। इसके अलावा पुराने बारां शहर के सर्राफा व चौमुखा बाजार क्षेत्र में हाईटेंशन लाइनें तो नहीं हैं लेकिन एलटी लाइनों की हालत ऐसी है कि घर व दुकानों से बिजली के खम्भे चिपके हुए हैं। शहर में कालोनाइजर जमीन से गुजर रही लाइनों को शिफ्ट कराये बिना ही

प्लानिंग काट रहे हैं। लोग परेशान होकर विद्युत निगम कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। विद्युत निगम के अधिकारी लोगों से नियम व प्रावधानों के तहत शिफ्टिंग चार्ज जमा करवाने को कह रहे हैं। भारी भरकम शिफ्टिंग चार्ज के कारण इन विद्युत लाइनों व खम्भों को शिफ्ट करने का कार्य नहीं हो पा रहा है। अतः मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि बारां शहर की इन कालोनियों में लोगों की परेशानियों को देखते हुए लोगों की जान पर हो रहे खतरे को देखते हुए नियमों में छूट देकर सरकार द्वारा ही इन हाईटेंशन विद्युत लाइनों और खम्भों को शिफ्ट करवाया जाए।

पानाचन्द मेघवाल

(बारां-अटरू)

भादरा की अमरसिंह ब्रांच व सिद्धमुख नहर के लिए बजट

महोदय,

भादरा की किसानों की जीवनदायिनी अमरसिंह ब्रांच व सिद्घमुख को अभी बजट की दरकार है। इस सिस्टम में अभी न तो स्टाफ है, न संसाधन है न ही टूटे हुए माइनरों का पुनर्निर्माण हो रहा है। अभी सिद्घमुख नहर क्षेत्र के जालों का निर्माण नहीं हुआ है तथा चकबंदी का काम भी पूरा नहीं हुआ है।

श्रीमान जी, जो खालों का निर्माण 10 वर्ष पूर्ण हो चुका है वे भी टूटने के कगार पर हैं। अतः उनके भी पुनर्निर्माण की जरूरत है। चनाण माइनर, बोमाला माइनर, शेरड़ा माइनर, रतनपुरा माइनर, गदरा माइनर आदि माइनरों की मरम्मत व पुनर्निर्माण की जरूरत है। अत: बिना बजट के न मरम्मत होती है, न ही वाचिंग हो पा रही है। सिंचाई कालोनी के अधिकारियों के पास गाड़ी तक की व्यवस्था नहीं है।

अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव में खाला निर्माण नहरों व माइनरों के मरम्मत, हैडवर्क्स के निर्माण की व्यवस्था व अन्य मदों की बजट की मांग की जाती है।

बलवान पूनियां

(भादरा)

राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम हैल्परों के मानदेय में बढ़ोतरी

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत

कुक-कम हैल्पर का मासिक मानदेय महज 1320 रुपये यानी 44 रुपये प्रतिदिन अर्थात् एक बच्चे का खाना पकाने के लिए 88 पैसे मात्र है जो कि आज की इस कमरतोड़ महंगाई के जमाने में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सरकार के द्वारा मिड-डे मील महत्वाकांक्षी योजना स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को तो कुपोषण से राहत दिला रही है, मगर इतनी कम राशि में बच्चों के लिए खाना बनाने वाली व दूध गर्म कर पिलाने वाली कुक-कम हैल्पर के घरों की आर्थिक हालत कुपोषित होती जा रही है। सम्भवतः सरकारी विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम हैल्पर देश में सबसे कम वेतन पाने वाले श्रमिक हैं। राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुक-कम हैल्पर में अधिकाश महिलाएं हैं। जो निर्धन, पिछडे़ वर्ग से अथवा विधवा हैं, जिन पर पूरे परिवार के भरण पोषण का जिम्मा है तथा रोज दो से चार किलोमीटर पैदल चलकर विघालयों में खाना बनाने पहुंचती हैं। एक कुककम हैल्पर को अधिकतम 50 बच्चों का खाना बनाना पड़ता है जिसमें रोज 5-6 घण्टे लग जाते हैं। महज 44 रुपये प्रतिदिन मानदेय से घर चलाना दूभर कार्य है। इतना मानदेय शायद किसी अन्य योजना में नही है। अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी का चौथाई भाग भी नहीं है। आपने जनघोषणा पत्र में कुक-कम हैल्पर के मानदेय में वृद्धि व नियमितीकरण करने का वादा किया था।

मैं आपके माध्यम से विशेष उल्लेख करते हुए राज्य सरकार से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत गर्मी में भट्टी के पास तपने वाली इन कुक-कम हैल्परों का न्यूनतम मानदेय अकुशल श्रमिकों के मानदेय के अनुरूप किया जाए।

पब्बाराम

(फलौदी)

परिशिष्ट-02

लिखित वक्तव्य

(मा. सदस्य श्री प्रतापसिंह (छबड़ा) द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर टेबल किया गया)

1. तहसीलदार छबड़ा द्वारा इन्तकाल तस्दीक होने के 9-10 साल बाद किस अधिकार के तहत रोड से 200 मीटर की दूरी को 40 मीटर की दूरी में बदलने का शुद्धि पत्र तस्दीक किया गया है?
2. किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज का स्वरूप बदलने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है। दस्तावेज का स्वरूप सिविल न्यायालय ही बदलने का आदेश या निर्णय दे सकता है।
3. दिनाक 08.08.2012 की मौका रिपोर्ट में भी श्रीनाथ क्रेशर प्रोपराइटर शकुन्तला मित्तल के आगे भी क्रेतागण व विक्रेतागण का कब्जा नहीं होना बताया है. इसके बावजूद बिना कब्जे के तरमीम करने का निर्णय देना विधि विरुद्ध है तथा तहसीलदार के द्वारा गैर शासकीय कार्य किया गया है, जो जांच का विषय है।
4. मेरे द्वारा दिनांक 13.09.2019 से पूर्व ही छबड़ा तहसीलदार की कार्यप्रणाली के विरुद्ध कार्यवाही करने बाबत मुख्य मंत्री महोदय, मंत्री महोदय व विभाग के प्रमुख अधिकारियों को शिकायतें भेजी थीं। उक्त शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं करने की वजह से तहसीलदार ने दिनांक 13.09.2019 को मनमाना कार्य कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने का निर्णय पारित किया, जो जांच का विषय है।
5. छबड़ा तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर गैर कानूनी कार्य किया गया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां द्वारा दिनांक 05.02.2020 को कार्यवाही स्थगित करने के आदेश प्रदान किए। जो पीड़ित पक्षकार श्रीनाथ स्टोन क्रेशर की प्रोपराइटर श्रीमती शकुन्तला मित्तल पत्नी सत्यनारायण निवासी कवाई, तहसील अटरू

द्वारा अपील पेश करना एक कानूनी प्रक्रिया है परन्तु सरकार एवं प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

6. अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि तहसीलदार छबड़ा को निलम्बित कर क्या ए.सी.बी. से जांच कराएंगे?

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 4 जिला प्रशासन पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 4 जिला प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री अमीन खां (शिव):

1. बाड़मेर जिले की तहसील शिव के गिरल गांव में खनिज में किसानों के घरों एवं मन्दिर, खेतों का मुआवजा न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. जिला बाड़मेर के गडरा रोड पर एस.डी.ओ. आफिस खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

3. जिला कार्यालयों में स्टाफ पूरा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

4. विधान सभा क्षेत्र दौसा के बैजूपाड़ा में उपखण्ड कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र दौसा के लवाण में उपखण्ड कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

6. अलवर शहर में ए.डी.एम. सिटी का एक और पद सृजित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

7. जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कर्मचारियों के तबादले होने पर भी रिलीव न करने के संबंध में चर्चा के लिये।
8. जिला कलेक्ट्रेट में वर्षों से जमे बैठे बाबुओं को दूसरी जगह लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।
9. जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा भादरा तहसील की नहरों के निरीक्षण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

10. जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ द्वारा सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मोनिटरिंग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

11. अजमेर शहर में जिला प्रशासन द्वारा अवैध खननकर्ताओं को संरक्षण दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
12. अजमेर जिला प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण लूटपाट, चोरी, हत्या एवं बलात्कार की घटनाओं में अचानक आई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
13. अजमेर जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार की ओर से चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न समस्याओं के समाधान पर चर्चा के लिये।
14. अजमेर जिला प्रशासन द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों को सूची में शामिल नहीं किये जाने से योजना का लाभ काश्तकारों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
15. अजमेर जिला प्रशासन द्वारा भू-माफियाओं को संरक्षण दिये जाने से गरीब काश्तकारों एवं अशिक्षित खातेदारों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

16. ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं से स्वीकृत कर बंद पड़े विद्यालयों को पंचायत को सौंपने के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
17. राजसमन्द जिला प्रशासन को ग्राम सभाओं से स्वीकृत कर पंचायतों द्वारा चरागाह जमीन की क्षतिपूर्ति जमीन देने के बावजूद चरागाह जमीन को बिलानाम में परिवर्तन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।
18. जिला प्रशासन द्वारा रात्रि चौपाल कभी-कभी ही करने, प्राप्त शिकायतों का निराकरण नहीं होने तथा प्रशासन द्वारा निगरानी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
19. राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा किसानों को भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं दिलाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

20. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में तहसील भवन को नये स्थान पर स्थानान्तरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पटवारी व ग्राम सेवकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

22. सिरोही में सर्किट हाउस के पास की सरकारी भूमि पर मिनी सचिवालय के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

23. आबूरोड में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

24. सरकारी अर्बुद गौशाला सिरोही की भूमि पर जिला प्रशासन की मिलीभगत से हुए अतिक्रमण के संबंध में चर्चा के लिये।

25. सिरोही जिले के ग्राम भूजेला में खसरा नं. 1/146 में जिला प्रशासन की मिलीभगत से हुए अतिक्रमण के संबंध में चर्चा के लिये।

26. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पिंडवाड़ा द्वारा नियम विरुद्ध दिये गये तरमीमी दुरस्ती आदेश के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा कार्रवाई न करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

27. चौमूं तहसील की ग्राम पंचायत सामोद की सार्वजनिक भूमि को भू-माफियाओं से बचाने तथा सरकारी भूमि का गलत नामान्तरण खोलने वाले अधिकारी के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

28. ग्राम मोरीजा की सीलिंग भूमि को खुर्द-बुर्द करने वाले तत्कालीन एस.डी.एम., तत्कालीन संभागीय आयुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा इस भूमि को बचाने के लिए संबंधित विचाराधीन न्यायालयों में मजबूत पैरवी की जाए तथा सरकारी भूमि को बचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. जयपुर जिले में अग्नि पीड़ितों व मुख्यमंत्री सहायता कोष राशि के

लम्बित मामलों का निस्तारण अविलम्ब करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधायक कोष की राशि वर्ष 2018-19, 2019-20 में प्रस्तावित अनुशंसाओं के अविलम्ब निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. जिला प्रशासन के अधीन आर.ए.ए., ए.डी.एम. व डी.एम. के अधीन लम्बित पत्रावलियों का निस्तारण शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

32. जिला प्रशासन में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

33. जन सूचना पोर्टल पर जिला स्तर पर व्यक्तिगत लाभकारी योजना सहित फ्लैगशिप योजना का डिस्प्ले किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. उपखण्ड स्तर पर राइट टू हियरिंग की पालना सुनिश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

35. चूरू उपखण्ड कार्यालय में जन सुनवाई के लिए कक्ष बनाने तथा जन सुनवाई का समय निश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. जिले में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के वाहनों में जी.पी.एस. ट्रेकिंग सिस्टम के माध्यम से मोनिटरिंग किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. चूरू जिले में विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

38. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के बालोतरा जिला परिवहन कार्यालय को नवनिर्मित भवन में संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

40. जिला प्रशासन द्वारा डार्क जोन में अवैध रूप से पानी का दोहन करने पर पाबन्दी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

41. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में रिक्त प्रशासनिक पदों पर चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

42. विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) मुख्यालय पर मिनी कलेक्ट्रेट भवन बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

43. उदयपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत नाई में उप तहसील खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

44. कार्यपालिका के अधिकारियों कलेक्टर, अतिरिक्त एवं सहायक कलेक्टर, एस.डी.एम. एवं तहसीलदार आदि जिनके पास एग्जीक्यूटिव व जुडीशियल कार्य भी हैं, में से न्यायिक कार्य पृथक कर उसके लिये पूर्णकालिक अलग पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. कलेक्टर के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों के समय पर न आने व समय पूर्व जाने तथा कार्यालय समय में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

46. जन कल्याणकारी योजनाओं की समस्त जानकारियों को जन सम्पर्क पोर्टल पर जिला एवं तहसील स्तर पर डिस्प्ले करने के संबंध में चर्चा के लिये।

47. जिला कलेक्टर में स्थित कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

48. जिला प्रशासन के कार्यालयों में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने से जनता के मुकदमों को निपटाने हेतु समय नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

49. जिला प्रशासन में लम्बे समय से पदस्थापित अधिकारियों को बदलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

50. जिला प्रशासन को चुस्त दुरुस्त कर बेहतर सेवाएं देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

51. जिला प्रशासन के जिला स्तर के विभिन्न विभागों में पदस्थापित अधिकारियों में आपसी समन्वय का अभाव होने के कारण सरकारी योजनाओं के क्रियान्विति में आ रही बाधाओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

52. कोटा में जिला कलेक्टर के सप्ताह में दो दिवस ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था देखने हेतु दौरे पर रहने के संबंध में चर्चा के लिये।

53. कोटा जिले में पृथक से जिला कलेक्टर ग्रामीण का पद स्वीकृत करने बाबत चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

54. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अति. जिला कलेक्टर कार्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सेमारी में उप खण्ड कार्यालय खोलने पर चर्चा के लिये।

56. जिला प्रशासन द्वारा हस्तक्षेप कर सलूम्बर में बजरी भू-माफियाओं को रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जिला प्रशासन द्वारा पंचायत समिति सलूम्बर को भूमि की खातेदारी हक दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जिला प्रशासन द्वारा तहसील सलूम्बर, सराड़ा व सेमारी में अवैध ईंट-भट्टों को बन्द कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

59. विधान सभा क्षेत्र रेवदर से संबंधित राजस्व प्रकरणों के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में लम्बित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते विभिन्न विभागीय योजनाओं, स्कीम्स, व्यक्तिगत टारगेट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. जिला प्रशासन सिरोही के मोनिटरिंग के अभाव में रेवदर विधान सभा क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति एरिया में विभिन्न विभागीय योजनाओं के लक्ष्य अधूरे रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

62. जिला प्रशासन सिरोही की शिथिल कार्य प्रणाली के कारण रेवदर में बाढ़-अतिवृष्टि में टूटी सड़क, पुल, रपट के पुन: निर्माण में संबंधित विभाग द्वारा बरती जा रही लापरवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र रेवदर जिला सिरोही के लिए आयल कम्पनियों की ओर से स्वीकृत पैट्रोल पम्पों की पत्रावली कलेक्ट्रेट कार्यालय सिरोही में लम्बित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

64. जयपुर जिले के सांगानेर में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

65. सांगानेर में जन समस्याओं के निस्तारण हेतु मिनी सचिवालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

66. प्रदेश में जिला प्रशासन में प्रशासनिक कार्यों में अधिकारियों के व्यस्त होने के कारण जनता के मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

67. सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए जिला एवं उपखण्ड स्तर 'जन सम्पर्क पोर्टल' डिस्प्ले करने के संबंध में चर्चा के लिये।

68. प्रदेश के जिला कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक तरीके से करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू):

69. जिला प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील एवं पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

70. दिनांक 28/08/2019 को सीकर में छात्राओं पर पुरुष पुलिस द्वारा की गई मारपीट की संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा की गई जांच पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

71. जिला प्रशासन में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने से जनता के मुकदमों को निपटाने में समय नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

72. जिला कलेक्ट्रेट में स्थित कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

73. जन कल्याणकारी योजनाओं की समस्त जानकारियों को जनसम्पर्क पोर्टल पर जिला एवं तहसील स्तर पर डिस्प्ले करने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. कलेक्टर के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कर्मचारियों/अधिकारियों के समय पर न आने व समय पूर्व जाने एवं कार्यालय समय में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

75. राज्य सेवा अधिकारी/कर्मचारियों को अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

76. अजमेर जिले में डी.एम.एफ.टी. की बैठकें समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. अजमेर जिले में यातायात सलाहकार समिति की बैठकें समय पर नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

78. अजमेर जिले में सतर्कता समिति में लिये गये प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा निर्धारित न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

79. इटावा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर के कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण करवाने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

80. सुल्तानपुर उप तहसील एवं उप खण्ड अधिकारी दीगोद (कोटा) के कार्यालय भवनों के घटिया निर्माण की शिकायत पर प्रशासन द्वारा गुणवत्ता जांच करवाने में विफलता पर चर्चा के लिये।

81. तहसील दीगोद एवं पीपल्दा क्षेत्र में स्थित राजस्व न्यायालयों के वादों (केसेज) के अपडेट स्टेट्स काजलिस्ट एवं निर्णयों को वेबसाइट पर उपलब्ध न करवा पाने में विभागीय असमर्थता पर चर्चा के लिये।

82. कोटा एवं बून्दी जिलों में तहसील एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालयों में यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा व्यय पुनर्भरण हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

83. जिला प्रशासन के अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के तहत कोटा एवं बून्दी जिलों में तहसीलदारों द्वारा जारी मनमाने आदेश एवं फसल नीलामी की उचन्त कार्यवाही पर रोक लगाने में विभागीय विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

84. नागौर जिले में जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 (RDPS) की प्रभावी पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

85. नागौर जिला प्रशासन के अधिकारीगण द्वारा विधायकों के साथ उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई आयोजन करने में एवं गांवों में रात्रि ठहराव व रात्रि चौपालों को आयोजित करने में अरूचि दिखाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

86. जिले के प्रशासनिक कार्यालयों में नवीन जनसंख्या के अनुपात में बढ़ गये कार्य के त्वरित निपटान हेतु विभिन्न वर्गों के पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

87. जन प्रतिनिधि पूर्व सूचना पर प्रशासन के पास जाते हैं तो जिला कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकोल निर्देशों की पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

88. कोटा जिले के एस.डी.एम. रामगंज मण्डी को राजनैतिक पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेने पर दण्डित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

89. चित्तौड़गढ़ जिले में कानून व्यवस्था को सुचारु करने के लिए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के रिक्त पदों को तुरन्त भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

90. बाड़मेर-जैसलमेर-बीकानेर-जोधपुर-पाली-जालौर जिलों के सिन्धी मुसलमान जो ओ.बी.सी. में हैं उनको प्रमाणपत्र नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

91. जिला कलेक्टरों द्वारा की जा रही रात्रि चौपालों में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण करने पर चर्चा के लिये।

92. प्रदेश में स्थित सभी विधान सभा क्षेत्रों में माह में एक दिन जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जन सुनवाई करने पर चर्चा के लिये।

93. जिला प्रशासन को प्राप्त शिकायतों का समय सीमा में निस्तारण करने पर चर्चा के लिये।

94. जिलों में स्थित जिला परिषद् व पंचायत समिति की बैठकों में जिला कलेक्टर की पूरे समय उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा के लिये।

95. जिला प्रशासन द्वारा जिले के जन प्रतिनिधियों को राजकीय सार्वजनिक समारोह में समय पर सूचना व आमंत्रित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

96. मावली उपखण्ड कार्यालय के लिये नवीन भवन का निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. मावली तहसील के नवीन भवन का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

98. तहसील स्तर पर जन सुनवाई डेस्क स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. मावली तहसील व उपखण्ड कार्यालयों में सभी रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

100. विधान सभा क्षेत्र नदबई की उच्चैन तहसील में मुंसिफ कोर्ट खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील उच्चैन में ए.सी.एम. कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. तहसीलदार उच्चैन ए.सी.एम. व अन्य जिला प्रशासन के अधीन कार्यालयों में स्टाफ की पूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. तहसील उच्चैन में एस.डी.एफ. व तहसीलदार, नायब तहसीलदार की नियुक्ति के संबंध में चर्चा के लिये।

104. उच्चैन में एस.डी.एम. ए.सी.एम. कार्यालय खोले जाने के साथ-साथ स्टाफ एवं आवासीय परिसर की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

105. जैतारण तहसील भवन की जर्जर हालत को देखते हुए नवीन भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. प्रदेश में उपखण्ड मुख्यालयों पर महीने में एक निश्चित दिन विधायकों (वर्तमान) की उपस्थिति में जन सुनवाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. आम जनता की शिकायतों का समय पर ईमानदारी से निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सभी प्रशासनिक कार्यालयों में पड़े रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सभी कार्मिकों की बायोमैट्रिक व्यवस्था से उपस्थिति सुनिश्चित करने पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

110. जिला मुख्यालय पर आमजन की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिये।

111. जिला मुख्यालय बाड़मेर पर मिनी सचिवालय की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

112. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित ए.सी.जे.एम. कोर्ट में नवीन पदों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

113. जिला कलेक्टर के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में कार्मिकों के समय पर न आने एवं समय पूर्व जाने तथा कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

114. जिला प्रशासन में जुडीशियल एव एग्जीक्युटिव कार्यों की प्रशासनिक व्यवस्था अलग-अलग कर मुकदमों का शीघ्र निपटारा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के अतिरिक्त कार्यभार को कम करने हेतु एक और पद कलेक्टर (विकास) का सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. जिला प्रशासन में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहने से जनता के कार्यों/मुकदमों को निपटाने में समय नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

117. नोखा में चल रहे जिला परिवहन कार्यालय को स्वयं का सरकारी भवन बनाकर उसमें संचालित करने पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

118. जिला प्रशासन में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में सभी विभागों में आमजन का आवक जावक रजिस्टर एवं एक स्वागत कक्ष बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

120. जिला प्रशासन द्वारा विधायकों के प्रोटोकोल के उल्लंघन करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. जिला प्रशासन एवं उसकी कार्यशैली पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

122. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा जिला टोंक में अवैध बजरी खनन की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन की भूमिका के संबंध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में प्रशासनिक विभागों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

125. पाली जिले में विभन्न दुर्घटना में मृत्यु होने पर यदि परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं करवाया है पर एफ.आई.आर. में दुर्घटना में ही मृत्यु होना पाया है, ऐसे प्रकरणों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि देने हेतु चर्चा के लिये।

126. पाली जिले में वर्षों से लंबित गौशालाओं को भूमि आबंटन करने के प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करवाने हेतु चर्चा के लिये।

127. पाली जिले में भू-उपयोग परिवर्तन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

128. पाली जिले में अग्नि दुर्घटना में होने वाली क्षति पर प्रभावित को तत्काल सहायता राशि देने की चर्चा के लिये।

129. पाली जिले में दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता मिलने में अत्यधिक समय लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

130. बाड़मेर जिले में पड़े रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

131. पिण्डवाड़ा में वन क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के आने-जाने के वन अधिकार सामुदायिक कुलक दावों के निराकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

132. तहसील सीकरी में उपखण्ड कार्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

133. पाली जिला हैडक्वार्टर पर राजस्व अपील अधिकारी के रिक्त पदों को शीघ्र भरवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. पाली जिलाधीश कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रिक्त पद शीघ्र भरवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

135. जिला मुख्यालय से गंगधार उपखण्ड कार्यालय पर ए.डी.एम. कार्यालय भी खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

136. जिला प्रशासन द्वारा आयोजित बैठकों व कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों को उचित सम्मान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

137. जिला प्रशासन द्वारा आमजन की परिवेदनाओं का समय पर निस्तारण कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

138. विभिन्न उत्सवों, मेलों, शोभायात्राओं के सफल आयोजन हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं के लिये जिला प्रशासन स्तर पर गंभीरता बरते जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

139. विभिन्न धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियों में विलम्ब किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

140. अजमेर शहर में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कर जिला प्रशासन द्वारा नागपाणी सम्पर्क सड़क, अन्दरकोट क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

141. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के एस.डी.एम. कार्यालय में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी में ए.डी.एम. आफिस खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

143. मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा नियमित जन सुनवाई किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

145. जिला प्रशासन द्वारा सभी वर्गो के कर्मचारियों की उपस्थिति में विधान सभा क्षेत्रवार मीटिंग लेकर वहां की समस्या जानकर उनका निस्तारण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

146. अलवर में जनसूचना पोर्टल पर जिला स्तर पर व्यक्तिगत लाभकारी योजना सहित फ्लैगशिप योजना का डिस्प्ले किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

147. जिला प्रशासन द्वारा मुण्डावर उपखण्ड मुख्यालय पर जन सुनवाई के लिए आगन्तुकों के लिए स्वागत कक्ष बनाये जाने व जन सुनवाई का समय निश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

148. नागौर जिले में कलेक्टर सहित जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 की प्रभावी पालना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

149. प्रदेश में जिला कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति को बायोमैट्रिक से करने के संबंध में चर्चा के लिये।

150. नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित जिला प्रशासन कार्यालयों में रिक्त पड़े पदों से आमजन को हो रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

151. उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा विधायक के साथ उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई में रूचि नहीं दिखाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

152. नागौर जिला प्रशासन द्वारा विधायकों के साथ उपखण्ड स्तरीय जन सुनवाई आयोजन करने में रूचि नहीं दिखाने एवं जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों द्वारा गांवों में रात्रि चौपालों को आयोजित करने में रूचि नहीं दिखाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

153. जिला प्रशासन द्वारा रायसिंहनगर उपखण्ड कार्यालय एवं श्री विजयनगर उपखण्ड कार्यालय पर जन सुनवाई के लिए आगन्तुकों के लिये स्वागत कक्ष बनाये जाने एवं जन सुनवाई का समय निश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

154. जिला प्रशासन द्वारा उपखण्ड मुख्यालय के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों की मीटिंग बुलाकर वहां की समस्या जानकर उनके निस्तारण के संबंध में चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व वाद के दावों को समय पर निस्तारण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

156. जिला प्रशासन बीकानेर द्वारा प्रभारी मंत्री बीकानेर जिले के द्वारा आयोजित बैठकों में विधायकों को एक बार भी नहीं बुलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. जिला प्रशासन द्वारा उपखण्ड मुख्यालय के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों की मीटिंग लेकर वहां की समस्या जानकर उनका निस्तारण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के उपखण्ड कार्यालय के स्थान पर राजकीय महाविद्यालय के पास नया भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र के राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व वाद के दावों को समयबद्ध निस्तारण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

160. जिला प्रशासन द्वारा लूणकरणसर उपखण्ड कार्यालय पर जन सुनवाई के लिए आगुन्तक के लिए स्वागत कक्ष बनाये जाने व जन सुनवाई का समय निश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

161. बारां जिला कलेक्टर कार्यालय में जन अभाव अभियोग निराकरण एवं सर्तकता समिति में आये लोगों की समस्याओं एवं लंबित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

162. उपखण्ड मुख्यालयों में पेंडिंग राजस्व मुकदमों को तय समय सीमा में निस्तारण करने के लिये उपखण्ड अधिकारियों को पाबन्द कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. तहसील कपासन व राशमी में रिक्त तहसीलदारों के पदों पर पदस्थापन के क्रम में चर्चा के लिये।

164. उपखण्ड मुख्यालय भोपालसागर में उपखण्ड अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापन कराने पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

165. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की पाली पंचायत समिति में विकास अधिकारी का पद रिक्त है, इसे भरवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर में ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है, इसे भरवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

167. उपखण्ड कार्यालय गंगधार में उपखण्ड अधिकारी लगाने हेतु चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-04

मांग संख्या 8 - राजस्व पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 08 राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री अमीन खां (शिव):

1. बाड़मेर जिले की तहसील शिव में नए गांव बनाने में एक ही नाम के ज्यादा गांव बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
2. बाड़मेर जिले में अधिकांश पटवार मण्डलों में पटवारी न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. बाड़मेर जिले की तहसील गडरा रोड राष्ट्रीय सुरक्षा रोडों पर किए अतिक्रमण DNP हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. जिला बाड़मेर की तहसील गडरा रोड के ग्राम तामामोर खांनीयांबी की गोचर जमीनों में अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. जिला बाड़मेर की तहसील गडरा रोड के ग्राम देतांनी-राटासर-खुडानी-हरसानी-सौलंकिया-बाडासर की गोचर जमीनों में अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

6. राज्य में पटवारियों की कमी से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा) :

7. उप तहसील सैंथल (दौसा) को तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
8. बैजूपाड़ा उप तहसील को तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
9. लम्बे समय से कृषि भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. दौसा जिले की सीमा से लगती हुई अलवर जिले की 06 ग्राम पंचायत व जयपुर जिले की 03 ग्राम पंचायतों को राजस्व सीमा जिला दौसा में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

11. जिला गंगानगर-हनुमानगढ़ में आबंटन के पात्र हजारों किसानों की भूमि गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त भी आबंटन से वंचित काश्तकारों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. सूरतगढ़ तहसील में विभिन्न प्रकरणों की पाबन्दी लगी होने से काश्तकारों को खातेदारी लेने में तरह-तरह की हो रही परेशानियों आदि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

13. जिला गंगानगर-हनुमानगढ़ में सन् 1955 से पूर्व में काश्तकारों व 1955 के बाद में काश्तकारों की भूमि को रिकार्ड में खातेदारी में अमलदरामद करने के संबंध में व कोगडेम आबंटियों की समस्या व पूर्व में की गई खातेदारी में अमलदरामद के संबंध में चर्चा के लिए।

14. जिला हनुमानगढ़-गंगानगर में T.C. आबंटित का नियम 1970 के तहत नि:शुल्क आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

15. अलवर जिले में संभागीय आयुक्त की स्थाई नियुक्ति तथा राजस्व अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

16. समय पर न्याय के लिए राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. राजस्व मण्डल में न्यायिक एवं अधिवक्ता कोटे के सदस्यों के 02-02 पद बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. राजस्व प्रकरणों के तुरन्त निस्तारण हेतु A.C.M. की फास्टट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. अजमेर के राजस्व मण्डल में सदस्यों के पद बढ़ाये जाएं एवं रिक्त पदों पर शीघ्र वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदस्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. अजमेर के राजस्व मण्डल में प्रदेश भर के हजारों लम्बित मामलों का समयबद्ध निस्तारण किये जाने की कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

21. भादरा क्षेत्र के 24 चकों की रीफीटिंग नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

22. भादरा में राजस्व अपील अधिकारी के कैम्प कोर्ट के लिए आदेश कर जनता को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. भादरा की सिद्धमुख नहर क्षेत्र में चकबन्दी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

24. भादरा में A.C.M. का पद लम्बे समय से खाली रहने के संबंध में चर्चा के लिए।

25. पटवारियों के पटवार हल्का में न जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

26. राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जाते समय भीलवाड़ा से राजसमन्द तक की सड़क पर किसानों की जमीन की अवाप्ति के बाद भी उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

27. राजसमन्द जिले में स्वीकृत राजस्व के पदों को स्थायी रूप से भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

28. प्रदेश में राजस्व से संबंधित मामलों में पारदर्शिता लाने के संबंध में चर्चा के लिए।

29. प्राकृतिक आपदा से हुई राजसमन्द जिले की फसल के नष्ट होने पर गिरदावरी नहीं करवाने और फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं देने के संबंध में चर्चा के लिए।

30. राजसमन्द जिले में समय पर गिरदावरी नहीं होने से किसानों की फसल जो ओलावृष्टि से बर्बाद हो गयी थी, का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

31. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की कस्टोडियन कृषि भूमि के पट्टे कैम्प लगाकर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में रास्ते एवं श्मशान घाट, स्कूल भवन, अस्पतालों आदि को जमीन का पट्टा दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

33. चौमूं तहसील के राजस्व रिकार्ड में दर्ज आम रास्तों पर अतिक्रमण को अविलम्ब हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र चौमूं की सरकारी भूमि को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में OIC की जवाबदेही तय करने व भूमि को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. ग्राम मोरीजा की 1025 बीघा सीलिंग जमीन को राजस्व न्यायालय में मजबूत पैरवी कर बचाने व जनता के हित में निर्णय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. चौमूं तहसील में वर्ष 1917-18, 18-19 में स्वीकृत राजस्व ग्राम को तरमीम रिकार्ड में दर्ज कर, सीमा निर्धारित कर रिकार्ड दुरुस्त की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. ग्राम मोरीजा की आबादी को देखते हुए नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरगढ़):

38. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वर्षों से काबिज आदिवासी लोगों को विशेष शिविर लगाकर जमीन का हक दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

39. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में चरागाह/सिवाय चक भूमियों पर अवैध अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

40. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजस्व नक्शों में आई गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

41. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

42. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में अधिकांश पटवारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पंचायत सवराड का नाम परिवर्तन कर पूर्व रियासतकालीन नाम शिवराजपुरा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम पंचायत फुलाद के गांव कायावाला एवं गुडा पदमसिंह को राजस्व गांव घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

45. चूरू तहसील में पटवारी, गिरदावर के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

46. राजस्थान में किसानों की जोत खातों को डिजिटलाइजेशन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. उप खण्ड स्तर पर राजस्व वाद निस्तारण हेतु लगातार सुनवाई हेतु अधिकारी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. प्रदेश में भू-लेख अधिकारियों की लम्बित पदोन्नति शीघ्र किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

49. पल्लू उप तहसील को क्रमोन्नत कर तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. फेफाना तहसील नोहर (हनुमानगढ़) में उप तहसील खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र नोहर में गोचर/सिवायचक/जोहड़ पायतन व वन विभाग की भूमि पर मकान बनाकर वर्षों से रहने वालों को आबादी क्षेत्र घोषित कर सरकारी मूलभूत सुविधा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. नोहर क्षेत्र के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिलवाने पर चर्चा गैर खातेदारों की भूमि 29430 हैक्टेयर यानी 7446 व्यक्तियों के नाम करीब 1882 बतौर गैर खातेदारी दर्ज हो जो 1970 से सैटलमेंट्स से काबिज चले आ रहे हैं, को नियमों में संशोधन कर खातेदारी अधिकार दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. सिद्धमुख नोहर परियोजना क्षेत्र में वेपकोस कम्पनी द्वारा मुरब्बाबंदी/ किलाबन्दी कार्य के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

54. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के काश्तकारों के कृषि भूमि हेतु मार्गों के

लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में लूणी नदी क्षेत्र एवं अन्य स्थानों से अतिक्रमण एवं निर्माण कार्यों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विभिन्न सरकारी संस्थाओं एवं सामाजिक भवनों के निर्माण हेतु भूमि आबंटन के लम्बित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निस्तारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में काश्तकारों के भूमि रूपान्तरण, नामान्तरण एवं तरमीम के परिवादों के निस्तारण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

59. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में दलितों की भूमि पर अनावश्यक कब्जों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

60. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के गण्डाला में उप तहसील बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

61. बहरोड़ में अलवर रोड पर कृषि उपज मण्डी के सामने तथा पूर्व दिशा में कल्याणपुरा गांव के रास्ते पर बिना रूपान्तरण के अवैध बनी कालोनी को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजस्व विभाग में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के नीमराना में हीरो चौक के पास राज प्रोपर्टीज के सामने सिवाय चक भूमि पर यदुवंशी एसोसियेशन के नाम से काटी जा रही अवैध कालोनी को ध्वस्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

64. ग्राम इटावा (पंचायत तेजा का बास) में सरकारी भूमि तथा गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

65. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना में तहसील की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिए।

66. सांभर (जयपुर) के उप खण्ड अधिकारी/तहसील तथा अन्य कार्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

67. सांभर (जयपुर) को जिला बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

68. सांभर पंचायत समिति में कस्टोडियन भूमि पर काबिज व्यक्तियों के खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

69. पूर्व सैनिक की पत्नी श्रीमती रामी देवी एवं सूबेदार तेजाराम को शेरूणा में अलाट जमीन से अतिक्रमण न हटाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में रिक्त पड़े गिरदावरों व पटवारियों के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में नवसृजित पटवार सर्किलों में पटवार भवन बनाने व पुराने पटवार भवनों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विज्ञान महाविद्यालय सबलपुरा सीकर में खेल मैदान के लिए भूमि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

73. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में कराणी मार्गों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

74. नागौर जिले में ग्राम सेवकों, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

75. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बिलानाम से कालोनियां बनी हुई हैं, उनको पट्टा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

76. भू-संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण जिला स्तर व तहसील स्तर पर डिस्प्ले नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. घड़साना, अनूपगढ़ और रावला तहसीलों में राजस्व विभाग के न्याय आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से कब्जेदारों को आवास आबंटन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. राजस्व एवं भू-अभिलेख कार्यों को निर्विघ्न एवं त्वरित गति से इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग एवं सीमाज्ञान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. अनूपगढ़, घड़साना, रावला में भू-अभिलेख निरीक्षक, तहसील राजस्व लेखाकार, सदर कानूनगो एवं पटवारी के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पंजीकृत दस्तावेजों के स्वत: नामान्तरकरण की आनलाइन व्यवस्था तहसील स्तर पर लागू किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

81. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम सेवक एवं तहसीलदार के खाली पड़े पद भरने व लम्बित खातेदारी के प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा):

82. विधान सभा क्षेत्र महुवा में राजस्व विभाग में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

83. विधान सभा क्षेत्र महुवा में लम्बित राजस्व प्रकरणों को विशेष अभियान चलाकर उनका निराकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

84. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में अनेक गांवों के राजस्व नक्शों में आयी गड़बड़ियों को दूर करने के संबंध में चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नए राजस्व गांव बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में लम्बित पड़े राजस्व मुकदमों का शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा):

87. विधान सभा क्षेत्र महुवा के ग्राम खौहरा मुल्ला के खसरा नम्बर 765 एवं 815 पर बने अवैध हैलीपेडों को बंद करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

88. डीडवाना को जिला बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में पटवारियों के स्वीकृत पदों के रिक्त रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

90. राजस्व सिवायचक भूमियों पर बसी हुई आबादी को 25% DLC रेट पर नियमन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री लाखन सिंह (करौली):

91. करौली जिले में गोचर व सिवायचक भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने एवं नई तहसीलों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

92. सूरतगढ को जिला घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

93. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में स्थित पटवार सर्किलों में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

94. चरागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण का वसूल किया गया जुर्माना पंचायत के खातों में जमा करने के संबंध में चर्चा के लिए।

95. पटवारियों का मुख्यालय पर निवास नहीं करने से किसानों को हो रही परेशानी के समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।

96. पटवारियों व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

97. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर, सराड़ा एवं सेमारी में सरकारी जमीन पर काबिज काश्तकारों को खातेदारी का हक दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में राजस्व संबंधित मामले सिविल कोर्ट में दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर, सराड़ा एवं सेमारी में रिक्त पटवारियों के पद भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

100. राजस्व विभाग में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को जिले से बाहर लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

101. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में वर्षों से वन क्षेत्रों में निवास करने वाले व्यक्तियों को खातेदारी हक दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना):

102. भूमिहीनों को भूमि आबंटन करने हेतु उप जिला स्तर पर भू आबंटन समिति की बैठक आयोजित न होने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर):

103. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की आबू रोड तहसील रेवदर व उप तहसील भण्डार क्षेत्र के कृषि कुओं पर आने-जाने के लम्बित रास्ते का निर्धारण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की तहसील आबू रोड, रेवदर तथा उप तहसील भण्डार में आमजन से जुड़े राजस्व व गैर राजस्व प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

105. सांगानेर तहसील कार्यालय के भवन हेतु बजट का आबंटन कर शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

106. सांगानेर में उप पंजीयक कार्यालय हेतु नवीन भवन निर्माण के लिए बजट आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

107. प्रदेशभर में तहसील कार्यालयों में पंजीकृत दस्तावेजों को शीघ्र आनलाइन करने की व्यवस्था लागू कर आमजन को राहत प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

108. पटवारियों का जिला आबंटन कर नये सिरे से उपलब्धता के आधार पर सभी जिलों में समान रूप से करने के संबंध में चर्चा के लिए।

109. प्रदेश में भीनमाल को नया जिला बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

110. राजस्व मुकदमों के निस्तारण में अधिकारियों द्वारा मुख्य मंत्री के निर्देशों की पालना न करने पर कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिए।

111. सिरोही जिले में पटवारियों के खाली पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

112. राजस्व मण्डल की गलती से सिरोही जिले के राजस्व निरीक्षकों की गत पदोन्नति में राजस्व निरीक्षकों को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति न होने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू):

113. राजस्व प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. काश्तकारों की अधिकतम जोत सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

115. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में रिक्त A.C.M. पद को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

116. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गोलुवाला उप तहसील को राजस्व तहसील घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

117. पटवार, तहसील स्तर पर फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर पूर्वानुमान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के भू-संबंधी आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण डिस्प्ले नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पंजीकृत दस्तावेजों के स्वत: नामान्तरकरण को आनलाइन व्यवस्था तहसील स्तर पर लागू किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में राजस्व व भू-अभिलेख कार्यों को निर्विघ्न एवं त्वरित गति से इलेक्ट्रोनिक द्वारा प्रोसेसिंग एवं सीमाज्ञान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

122. गोगुन्दा उप खण्ड के उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. उप खण्ड गोगुन्दा में पटवारी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. एक वर्ष से गोगुन्दा तहसील में नामान्तरण नहीं खुलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

125. राजस्थान में सभी गैर खातेदारों को खातेदारी अधिकार देने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

126. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के तहसील कार्यालय भवन में उप खण्ड अधिकारी कार्यालय होने से रिकार्ड को सुव्यवस्थित रखने तथा स्टाफ के बैठने में हो रही समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की ग्राम पंचायत छोटा लाम्बा का राजस्व नक्शा उपलब्ध नहीं होने से हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिए।

128. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में ग्रीगेशन वाद के नवीन नक्शे उपलब्ध नहीं होने से सीमाज्ञान एवं अतिक्रमण हटाने में आ रही समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विभिन्न कार्यालयों में पटवारियों तथा अन्य रिक्त पदों को भरने एवं अरांई में नवसृजित उप खण्ड कार्यालयों में पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में चरागाह, खेल मैदान व श्मशान भूमि पर हो रखे अतिक्रमण को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

131. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के ग्रामों में श्मशान हेतु भूमि

आबंटन/आरक्षण किये जाने में विभागीय उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में विभिन्न राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों एवं खेल मैदानों के लिए भूमि आबंटन/चिन्हित किये जाने में विभागीय उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिए।

133. कोटा व बून्दी जिलों में चरागाह एवं वन भूमि पर बसे हुए पुराने आबादी क्षेत्रों में आबादी हेतु भूमि आबंटित करने में विभागीय विफलता के संबंध में चर्चा के लिए।

134. उप खण्ड अधिकारी दीगोद (कोटा) द्वारा ग्राम बूढादीत की आराजी ख.सं. 129/2 तथा नया ख.सं. 1562/129 की गलत तरमीम की शिकायत पर कार्यवाही किये जाने में बरती गई उदासीनता के संबंध में चर्चा के लिए।

135. ग्राम हनोतिया (बनेठिया) तहसील दीगोद (कोटा) की चरागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने में असमर्थता के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

136. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में राजस्व कार्मिकों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की ग्राम पंचायत संखवास को उप तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. भू-राजस्व कानून की धारा 251, 251A के अन्तर्गत खेतों में आवागमन हेतु रास्तों से पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में राजस्व कार्य एवं योजनाओं के सुचारु प्रचलन हेतु कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण एवं तकनीकी संवर्ग के अतिरिक्त पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में स्थित पटवार हल्कों में कार्यरत राजस्व कर्मियों का मुख्यालय तय करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू):

141. विधान सभा क्षेत्र बगरू के रास्तों से अतिक्रमण हटाकर उनके पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

142. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

143. बकानी तहसीलदार का रिक्त पद शीघ्र भरने एवं किसानों की समस्याओं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

144. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के गांव रिववाड़ा (तहसील रानी) के खसरा नं. 386 गैर मुमकिन नदी चरागाह हेतु को परिवर्तन कर 301 में दर्ज किये जाने और 301 को 301/1 दर्ज कर भू-माफिया द्वारा अतिक्रमण करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

145. राजस्व रिकार्ड के निस्तारण के लिए रिक्त पटवारियों के पदों पर पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. मण्डफिया तहसील भडेसर के गांव का नाम परिवर्तित कर श्री सांवलिया जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलों की सीमांकन (सैटलमेंट) के समय तनाजा भूमियां (ओपर लेप खसरा) के मामलों का निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र कपासन के 150 की आबादी के गांवों को राजस्व ग्राम घोषित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

149. कोटा व बून्दी जिलों में स्थित तहसीलों में कृषि भूमियों के पंजीयन होने पर एक निश्चित समय में राजस्व विभाग द्वारा नामान्तरण खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. कोटा व बून्दी जिलों में विभाग की सिवाय चक भूमियों पर वर्षो से काबिज किसानों को कैम्प लगाकर आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. कोटा व बून्दी जिलों में तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. बून्दी व कोटा जिलों में स्थित सिवायचक, चरागाह भूमियों पर भूमाफियाओं के अवैध कब्जों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. बून्दी जिले में शहीदों के परिवारों को आबंटित की गई कृषि भूमि पर किसानों के आक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

154. मावली तहसील में विभाग में पटवारियों सहित सभी रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र मावली में घासा को उप तहसील बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र मावली में डबोक में उप तहसील की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

157. विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की तहसील उच्चैन में उप खण्ड अधिकारी कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र नदबई में पटवार घरों का पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

159. विधान सभा क्षेत्र नदबई की तहसील उच्चैन में ACM कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र नदबई में राजस्व कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

161. विधान सभा क्षेत्र नदबई के वंचित गांवों को राजस्व गांव घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अविनाश (जैतारण):

162. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की मुख्यालय से दूर और अधिक जनसंख्या की ग्राम पंचायत मुख्यालय रास व आनन्दपुर कालू में नवीन उप तहसील की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सिवायचक भूमियों पर वर्षों से काबिज ग्रामीणों किसानों के कैम्प लगाकर भूमि आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में तहसील कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की चरागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के संबंध में चर्चा के लिए।

166. जैतारण मुख्यालय पर उप पंजीयन अधिकारी का पद स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

167. प्रदेश में पटवारियों की नई भर्ती करने के संबंध में चर्चा के लिए।

168. प्रदेश में वर्षो से निवासरत डोली भूमि पर पुजारियों को तहसील में सम्पत्ति रजिस्टर में उनके नाम भूमि दर्ज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. प्रदेश में गोचर भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

170. पिण्डवाडा तहसील में उप खण्ड कार्यालय में एक वर्ष से अधिक समय से S.D.M. नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबुलाल (झाड़ोल):

171. झाड़ोल उप खण्ड में फलासिया में तहसील कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में कृषकों द्वारा जमीन पर 91 के कब्जों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

173. विधान सभा क्षेत्र नोखा के राजस्व गांवों में आबादी भूमि के विस्तार के लिए अन्यत्र उपलब्ध अराजीराज व सिवायचक भूमि को गोचर/ओरण की क्षतिपूर्ति में सेट-अपार्ट के जरिये भू-रूपान्तरण कर आबादी भूमि का विस्तार करने तथा वर्तमान में अराजीराज व सिवायचक भूमि पर बसे परिवारों को पट्टे जारी करने तथा इस कार्य हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. पटवारियों व गिरदावरों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र नोखा के अन्तर्गत आने वाले राजस्व ग्राम साठिका

में दो वर्ष पूर्व गोचर में पचासों वर्षो से बसे परिवारों के 80 से ज्यादा घरों (जिनमें दलितों के 42 घर सम्मिलित) को तोड़ दिया गया तथा उनके पुनर्वास हेतु लम्बित भू-आबंटन की कार्यवाही और बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ में गौरक्षनाथ बस्ती व वीर तेजा कालोनीवासियों को अतिक्रमण के नाम पर बेघर करने पर पुनर्वास के संबंध में चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र नोखा में केशपुरा ग्रा.प. रोडा, नाईयों की ढाणी ग्रा.पं. ढींगसरी, हनुमाननगर ग्रा.पं. सारूण्डा, कुम्हारों की ढाणी, टेहला दावा एवं बरिंगावाली नाडी जांगलू नए राजस्व गांवों की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिए।

177. पंचायत समिति पांचू को उप तहसील कार्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

178. डूंगरपुर जिले में धारा 165 के तहत हो रहे जमीनों के स्थानान्तरण के संबंध में चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में चरागाह, बिलानाम व वन विभाग की भूमि पर बसे परिवारों को खातेदारी हक दिलाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

180. अनुसूचित जाति एरिया में अनुसूचित जाति/जनजाति की जमीन के हस्तान्तरण के संबंध में चर्चा के लिए।

181. अनुसूचित जाति एरिया में राजस्व विभाग द्वारा पट्टे जारी नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए।

182. अनुसूचित जाति एरिया में राजस्व विभाग द्वारा अतिक्रमण के नाम पर आदिवासियों को परेशान करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

183. पटवारी व तहसीलदारों के खिलाफ प्राप्त भ्रष्टाचार एवं पक्षपात आदि की शिकायतों के लिए एक अलग जांच समिति का गठन कर उसमें स्थानीय जन प्रतिनिधियों की भागीदारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में राजस्व विभाग के अन्तर्गत रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

185. पाली जिले की रोहट तहसील के अनेकों किसानों को अभी तक खरीफ फसल वर्ष 2016, 2017 एवं 2018 की अनुदान राशि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. पाली नगर परिषद् सीमा में स्थित गांव मंडली, मंडिया, पुनायता, मानपुरा एवं पाली चक 1 व 2 के काश्तकारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अब तक नहीं मिलने के कारण इस क्षेत्र के किसानों की सूची तैयार कर सरकार को भिजवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र पाली के पाली शहर में सरकारी भूमि पर लगातार हो रहे अतिक्रमणों को रोकने एवं अतिक्रमित भूमि को मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

188. पाली जिले की रोहट तहसील में सड़क मार्ग पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. पाली जिले की रोहट तहसील के कई गांवों में सरकारी भूमि पर आवास बनाकर निवास कर रहे परिवारों को नियमन करने हेतु गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन कर वर्षों से लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

190. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में सेडवा उप खण्ड कार्यालय शीघ्र शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

191. पिण्डवाड़ा-आबू में राजस्व गांव बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

192. पिण्डवाड़ा-आबू में पटवारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

193. विधान सभा क्षेत्र नगर में किसानों की गैर खातेदारी जमीनों के खातेदारी अधिकार दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

194. विधान सभा क्षेत्र निवाई में सिवायचक/चरागाह भूमि पर कितने SC/ ST के लोगों की बस्तियां बसी है, उनका नियमन कर पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. विधान सभा क्षेत्र निवाई में चरागाह व सिवायचक भूमि पर शिक्षण संस्थाओं व अन्य अतिक्रमण को शीघ्र हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

196. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पाली पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत गुरडाई हैडक्वार्टर पर पटवार सर्किल स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में तखतगढ़ कस्बे में उप तहसील खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में सलोदरिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पटवार सर्किल स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की सुमेरपुर पंचायत समिति में नवसृजित ग्राम पंचायत गलथनी हैडक्वार्टर पर पटवार सर्किल स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

200. भूमि नियमन, आबंटन, गैर खातेदारी से खातेदारी कमाण्ड व गैर कमाण्ड क्षेत्र में क्यूरेशन, बंटवारा के कार्यों का तत्परता से सम्पन्न करवाने हेतु राजस्व कैम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

201. ग्राम पंचायत परिसीमन में हुए गांवों को राजस्व गांव से जोड़ने हेतु ग्राम मंगवालीया बानीखेड़ी व केलूखेड़ा को पटवार मण्डल से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र डग में आने वाले पटवार मण्डल में भवन/आवास सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु व डग तहसील में तहसील भवन बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

203. जिले में नये बने राजस्व गांवों की खतौनी, जमाबंदी, नक्शा, अलग करना व राजस्व गांव की विकास से वंचित सूची व विकास कार्य अवरुद्ध होने के संबंध में चर्चा के लिए।

204. तहसील डग में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. तहसील गंगधार में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

206. विभिन्न लम्बित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के गांवों में आबादी विस्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

208. प्रदेश में तहसीलदारों के बड़ी संख्या में पद रिक्त होने से आमजन के कार्य प्रभावित होने के संबंध में चर्चा के लिए।

209. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के गांवों में श्मशान स्थल व गौशाला हेतु भूमि आबंटन किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

210. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के गांवों के विद्यालयों को भवन व खेल मैदान हेतु भूमि आबंटन कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप कुमार (तिजारा):

211. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

212. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पटवारी एवं गिरदावर के रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

213. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मुण्डावर कस्बे पर नायब तहसीलदार के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

214. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मुण्डावर कस्बे पर कार्य की अधिकता के कारण सोडावास या ततारपुर उप तहसील खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

215. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के नीमराना कस्बे में तहसीलदार के रिक्त पद को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

216. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के राजस्व ग्रामों से वंचित गांवों को राजस्व गांवों से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

217. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के गोटन कस्बे को उप तहसील स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

218. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के तहसील मेड़ता में तहसीलदार के रिक्त पद न भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजस्व ग्राम इन्द्रावड़, बायड़ व बीटन के राजस्व खसरों का 80% से अधिक त्रुटिपूर्ण सैटलमेंट के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पृथक-पृथक हल्का पटवारी लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

221. कोटा जिले में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

222. कोटा में किसानों को खातेदारी का हक दिलवाने के लिए भूमि आबंटन शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

223. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पटवारियों को सप्ताह में कम से कम 02 दिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उपस्थित रहने के संबंध में चर्चा के लिए।

224. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के रिक्त पड़े पटवारी/गिरदावरों के पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

225. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में मौखुन्दा, पोटला में उप तहसील खोलने व पटवारियों के रिक्त पद भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

226. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में पटवारियों को सप्ताह में कम से कम 02 दिन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहने के संबंध में चर्चा के लिए।

227. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नापासर कस्बे पर कार्य की अधिकता के कारण उप तहसील खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

228. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के महाजन उप तहसील पर नायब तहसीलदार के रिक्त पद को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

229. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के रिक्त पटवारी/गिरदावरों के पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

230. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के गांव किस्तूरिया व बंधा में जहां नहरी क्षेत्र में खेती की जमीन आती है, वर्तमान में खसरा में है, वहां पर किलाबंदी का कार्य तुरन्त करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

231. कस्टोडियन जमीन जो गैर खातेदार या पट्टेदार दर्ज है, उनको खातेदारी देने के संबंध में चर्चा के लिए।

232. विधान सभा क्षेत्र कामां के ऐसे व्यक्ति, जो अनपढ़ हैं, के जन्म प्रमाण पत्र तहसीलदार एवं SDM द्वारा जारी नहीं किये जाने से वे कई योजनाओं से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

233. राजस्व विभाग में कार्यरत ग्राम प्रतिहारियों को नियमित करने और उनकी वेतन विसंगति का निवारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

234. बारां जिले में पटवारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

235. बारां जिले की पंचायत समिति अटरू के झारखण्ड, अरनिया खेड़ा, बाणगंगा नयापुरा को राजस्व ग्राम घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

236. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी की तहसील अरथूना में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को शीघ्र हटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-05

मांग संख्या 5- प्रशासनिक सेवाएं पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 15 प्रशासनिक सेवाएं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/ करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लम्बे समय तक A.P.O. रखने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

2. राजस्थान में प्रशासनिक सेवाओं के कार्मिकों द्वारा प्रदेश के विकास में जन प्रतिनिधियों के सुझावों को सम्मिलित नहीं किये जाने से विकास के लिये बनायी जाने वाली नीति व्यावहारिक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
3. भारत प्रशासनिक सेवाओं एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के कार्मिकों द्वारा बजट का समय पर उपयोग नहीं किये जाने से राजस्थान के विकास की गति रुक जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
4. राजस्थान में राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं पर आर.पी.एस.सी. द्वारा समय पर भर्ती नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
5. भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदेश में लागू कानूनों का पालन नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
6. राजस्थान में विभिन्न विभागों जैसे महिला एवं बाल विकास, आयुर्वेद, होम्योपैथी, परिवहन, गृह रक्षा विभाग, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में समय पर पदोन्नति नहीं होने एवं कई विभागों में पदोन्नति का कैडर नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

7. लम्बे समय से विभिन्न विभागों सिंचाई, चिकित्सा में प्रशासनिक पदों के खाली रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

8. राजस्थान प्रशासनिक सेवा में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों के समय पर पदोन्नति नहीं होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

9. TSP क्षेत्र में आदिवासियों को प्रशासनिक सेवाओं में 12 प्रतिशत में से 5.5 या 6 प्रतिशत आरक्षण T.S.P. को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

10. प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

11. प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में SC/ST कार्मिकों के रोस्टर रजिस्टर की पूर्ण पालना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

12. राज्य में 3 वर्ष से अधिक संविदा स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

13. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम सन् 2006 के अन्तर्गत हनुमानगढ़ जिले के अन्तर्गत आने वाले प्रकरणों की सुनवाई के लिये समुचित अधिकार ADM (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) नोहर को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

14. राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रम में राजस्थान सामान्य ज्ञान को महत्व देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली भर्तियों का वार्षिक कैलेण्डर जारी कर संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर परीक्षा आयोजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का वार्षिक कैलेण्डर जारी कर समयबद्ध परीक्षाओं का आयोजन कर भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

17. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में प्रशासनिक सेवाओं पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

18. प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और उच्च स्तर पर राजनैतिक हस्तक्षेप कम करने के लिये सिविल सर्विसेज बोर्ड की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

19. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी की पालना नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा):

20. राज्य में प्रशासनिक सेवाओं में रोस्टर रजिस्टर की पालना नहीं किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ते भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

22. राज्य में प्रशासनिक सेवाओं में ST/SC के पदों पर आरक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

23. प्रदेश में प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

24. प्रशासनिक सेवाओं में SC और ST का बैकलाग भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

25. जनजाति उप योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी समाज के युवा-युवतियों को TSP में प्रशासनिक सेवाओं का लाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती परीक्षा हेतु TSP क्षेत्र उदयपुर संभाग में कोचिंग सेन्टर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. प्रशासनिक सेवाओं में TSP क्षेत्र हेतु विशेष भर्ती के संबंध में चर्चा के लिये।

28. प्रशासनिक सेवाओं में TSP क्षेत्र के व्यक्तियों हेतु एक कैडर बनाकर लाभ दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

29. जनजाति उप योजना के अन्तर्गत TSP क्षेत्र के युवाओं को प्रशासनिक सेवाओं हेतु अलग से IAS एवं RAS कैडर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

30. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

31. प्रशासनिक सेवाओं में स्थानान्तण नीति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

32. प्रदेश में सार्वजनिक जवाबदेही कानून लागू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

34. राज्य सरकार द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों को सेवानिवृत्त न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में राज्य सरकार का पक्ष रखने में लापरवाही के संबंध में चर्चा के लिये।

36. आई.ए.एस. अधिकारी को आठ वर्ष के सेवाकाल के बाद कलेक्टर लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. आई.ए.एस. को दो वर्ष बी.डी.ओ. पद पर लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

38. जल स्रोतों की भूमि आबंटित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

39. प्रशासन को जवाबदेही बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

40. प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और उच्च स्तर पर राजनैतिक हस्तक्षेप कम करने के लिये सिविल सर्विसेज बोर्ड की पालना सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

41. राज्य में सार्वजनिक जवाबदेही कानून लागू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

42. राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं कर्मचारी चयन आयोग का परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

43. RPSC एवं SSC के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

44. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के समयबद्ध आयोजन में विफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की नियुक्ति में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

46. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षाओं के सुरक्षित आयोजन में विफलता पर चर्चा के लिये।

47. इटावा (कोटा) शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने में विफलता पर चर्चा के लिये।

48. इटावा (कोटा) में जिला प्रशासन द्वारा शहरी गृह रक्षा प्रणाली विकसित करने में असमर्थता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

49. अधिकारियों व कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

50. आरपीएसएसी द्वारा समयबद्ध प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

51. जिला बाड़मेर में लम्बे समय से रिक्त चल रहे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं समकक्ष पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

52. आरपीएससी एवं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न भर्तियों का लम्बे समय से न्यायालय में चल रहे स्थगनों की समुचित पैरवी कर शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

53. आरपीएससी की प्रत्येक परीक्षा में राजस्थान सामान्य ज्ञान का हिस्सा बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

54. आरपीएससी द्वारा नियमित भर्ती का कैलेण्डर जारी कर तय समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

55. RAS मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

56. शिड्यूल्ड एरिया में प्रशासनिक अधिकारियों के पदस्थापन पर चर्चा के लिये।

57. प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवाओं में नियुक्ति में शिड्यूल्ड एरिया के आरक्षण के प्रावधान पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

58. प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारियों के लिए केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

59. प्रशासनिक सेवाओं में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधायिका व कार्य पालिकाओं के बीच समन्वय हेतु प्रशासनिक अधिकारियों के संबंध में चर्चा के लिये।

61. सरकार के सुचारु रूप से संचालन हेतु प्रशासनिक अधिकारियों की स्पष्ट भूमिका की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

62. अधिशासी अधिकारी के रिक्त पद को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. सब-रजिस्ट्रार के रिक्त पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. प्रशासनिक सेवाओं में रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

65. प्रशासनिक सेवा के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

66. राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

67. राज्य में प्रशासनिक पदों को भरे जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

68. प्रदेश में सार्वजनिक जवाबदेही कानून लागू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

69. राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

70. RAS अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

71. बीकानेर जिले में IAS व RAS अधिकारियों के मकान उनके पदों के हिसाब से मार्क्ड हैं, को वरिष्ठता के आधार पर आबंटित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-06

मांग संख्या 15–पेंशन एवं अन्य सेवानिवृति लाभ पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-15 पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को समय पर अन्य परिलाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

2. सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को पेंशन देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के दिन से सभी परिलाभ एवं पेंशन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. प्रदेश में राज्य कार्मिकों हेतु वर्ष 2004 से पूर्व की पेंशन योजना लागू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

5. कार्मिक विभाग द्वारा राजकीय कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना पर अमल नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरगढ़):

6. सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन पद्धति से पेंशन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

7. प्रदेश में लंबित पेंशन प्रकरणों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

8. उपभोक्ता भण्डारों के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दवाइयां उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व आर.टी.डी.सी. के कर्मचारियों को बकाया पेंशन व सेवानिवृत्ति परिलाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

10. विभिन्न विभागों में विभागीय जांच बकाया के कारण 6 माह से अधिक अवधि के लंबित प्रकरणों को निस्तारित कर पेंशन भुगतान शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. कार्मिकों की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कर पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. सातवें वेतन आयोग में 01.01.2016 के बाद वेतन स्थिरीकरण के एरियर में लंबित बकाया भुगतान कर पेंशनर्स को राहत पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पेंशनर्स हेतु दवाइयों की दुकान आवश्यक रूप से अधिकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

14. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

15. श्रीगंगानगर जिले के रोडवेज कर्मचारियों को सेवानिवृत्त लाभ/परिलाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

16. श्रीगंगानगर जिले के सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों का निस्तारण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. श्रीगंगानगर जिले के शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त कार्मिकों को यथा समय पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ/परिलाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

18. बीकानेर संभाग में सेवानिवृत्त पुलिस विभाग के कर्मचारियों को समय पर सेवानिवृत्ति लाभ/परिलाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा):

19. राज्य में लंबित पेंशन प्रकरणों को निपटाने हेतु समयावधि निश्चित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

20. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में विभिन्न कार्यालयों में लंबित पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

21. श्री भागीरथ सिंह पुत्र श्री कालूराम, विद्युतकार-II को जलदाय विभाग सीकर में कार्य करते हुए मृत्यु होने के एक वर्ष बाद भी पेंशन नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

22. राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्धारित समय में सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

23. राजकीय कर्मियों के प्रतिवर्ष जुलाई माह में लगने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि सेवानिवृत्ति के वर्ष (अन्तिम वर्ष) दिसम्बर माह तक सेवा में रहने वाले कर्मियों को भी प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. राजकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को अधिकतम पेंशन अन्तिम वेतन के 70 प्रतिशत के बराबर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. पेंशन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. पेंशन विभाग में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

27. प्रदेशभर के परिवहन/रोडवेज कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभ समय पर नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

28. प्रदेशभर में सेवानिवृत्त पुलिस विभाग के कर्मचारियों को समय पर सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

29. सिरोही जिले के पैंशनर्स को निजी चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

30. पैंशनर्स को समय पर पैंशन नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

31. पैंशनर के आश्रितों को समय पर लाभ न देने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. पैंशनर को सेवा में संविदा पर लेने की उम्र 68 वर्ष करने के संबंध में चर्चा के लिये।

33. पैंशन प्रकरण के प्रत्येक कार्यालय से निस्तारण की समय-सीमा तय करने के संबंध में चर्चा लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू):

34. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पैंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ समय पर देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

35. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में मिल रही पैंशन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

36. प्रदेशभर में कार्यरत संविदा कर्मियों को PF व अन्य परिलाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

37. जयपुर संभाग में सेवानिवृत्त पुलिस विभाग के कर्मचारियों को समय पर सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

38. झुंझुनूं जिले के शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त कार्मिकों को यथा समय पेंशन एवं सेवानिवृत्त लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. झुंझुनूं जिले के सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के पारिवारिक पेंशन के प्रकरण निस्तारित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

40. झुंझुनूं जिले के रोडवेज कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ/परिलाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

41. राजकीय कार्मिकों को पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान समय पर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. कृषि उपज मण्डी समिति कोटा के वर्ष 2007 में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया परिलाभ समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. नगर निकायों के कर्मचारियों को पेंशन ग्रेच्युटी राशि के समय पर भुगतान हेतु पर्याप्त फण्ड नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की जन्म तिथि 01 जुलाई होने के कारण जुलाई माह की वेतन वृद्धि नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

45. तहसील तालेड़ा (बून्दी) से दिनांक 31.08.2018 को सेवानिवृत्त पटवारियों को माह अक्टूबर, 2019 से मासिक पेंशन का भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

46. प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का समय पर भुगतान न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

47. जिला स्तरीय विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के PF व अन्य परिलाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

48. राजकीय सेवा से रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति के परिलाभ समय पर नहीं मिलने से हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

49. राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में वर्ष 2004 के पूर्व कर्मचारियों को समय पर राजकीय पेंशन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. प्रदेश में केन्द्र सरकार की भांति राजकीय कर्मचारियों को वर्ष 2004 से पूर्व की पेंशन लागू करने पर चर्चा के लिये।

51. राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनकी पत्नियों को कोटा व बून्दी जिलों में काफी समय से पेंशन उपलब्ध नहीं कराने पर चर्चा के लिये।

52. राजकीय सेवा के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के दिन समस्त लाभ व पेंशन स्वीकृति आदेश देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

53. पेंशनरों की चिकित्सा के लिये अधिकृत निजी चिकित्सालयों की सूची में और चिकित्सालय जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ सेवानिवृत्ति के दिन ही भुगतान व्यवस्था हो जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. पेंशनरों व कर्मचारियों का बकाया डीए व पेंशन का भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. सहकारी दवाघरों में पेंशनरों के लिये दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. पेंशनर के चिकित्सा बिल पुनर्भरण से N.O.C. से बाजार से क्रय औषधियों के बिल भुगतान पर दस प्रतिशत कटौती बंद होने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

58. पेंशनरों की चिकित्सा सुविधा के लिए अधिकृत निजी चिकित्सालयों की सूची में और अधिक चिकित्सालय जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. राजकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया डीए व पेंशन का शीघ्र भुगतान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. पेंशनरों के लिए चिकित्सालयों में सभी प्रकार की मेडिकल जांच एवं दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

62. विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पश्चात् पेंशन प्रकरणों में आ रही विसंगतियों को दूर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

63. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, RSRTC में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

65. पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

66. पुरानी पेंशन योजना एवं न्यू पेंशन योजना पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

67. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में पेंशनर्स के लिए मूलभूत सुविधाएं बढाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

68. पेंशनर को 2017 से सातवां वेतनमान आयोग का लाभ मिला और फिक्सेशन हुआ, तब से एरियर देने व वेतन रेगुलाइज करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. पेंशनर को भारत सरकार ने डीए दे दिया है, राजस्थान सरकार ने अभी तक नहीं दिया है, पेंशनर को डीए देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. पेंशनर को यथासमय पेंशन नहीं मिलती है, अकाउन्ट पर रोक लगा रखी है, पेंशनर को समय पर पेंशन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

71. वर्ष 2004 के बाद राजकीय नियुक्ति में लगे कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन देने के क्रम में चर्चा के लिये।

72. वर्ष 2004 के बाद कर्मचारियों के NPS को बंद करके पुरानी पेंशन योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

73. कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय देय समस्त परिलाभों का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

75. मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपभोक्ता भण्डारों से नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

76. प्रदेशभर में सेवानिवृत्त पुलिस विभाग के कर्मचारियों को समय पर सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

77. प्रदेशभर के परिवहन/रोडवेज कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभ समय पर नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके बीमारी के समय चिकित्सा व्यय में खर्च हुई राशि का 100 प्रतिशत पुनर्भरण राशि जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों की मेडिकल जांचों हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर निजी लेबोरट्रीज को अधिकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. नागौर के जिला पेंशनर समाज के कार्यालय में पेंशनरों की सहायता आदि हेतु सूचना सहायक का पद सृजित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

81. सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उचित उपचार हेतु मेडिकल डायरी की वित्तीय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. सेवानिवृत्त पेंशनर्स के 7वें वेतन आयोग के फिक्सेशन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर):

83. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

84. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उपभोक्ता भण्डारों से दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

85. बारां शहर में सेवानिवृत्त पेंशनर्स की सुविधाओं के लिये पेंशनर्स भवन का निर्माण करवाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. वर्ष 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।